हिमाचल प्रदेश के आवास विभाग द्वारा जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप की स्थापना के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन की अंतिम आख्या

सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई,
एमएसएचआईपीए-फेयरलॉन्स, शिमला-12



प्रस्तुतकर्ता

सिबार्ट & अग्रिमा

डी-152, तीसरी मंजिल, पश्चिम विनोद नगर

दिल्ली-110092

जनवरी 2025

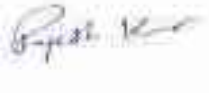
प्राक्कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में आवास और शहरी विकास पहलू के लिए उत्तरदायी आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) ने इस दिशा में कार्य करते हुए शिमला जिले की शिमला ग्रामीण तहसील के 8 ग्रामों और सोलन जिले की मामलिघ तहसील के 1 ग्राम में जाठिया देवी में पर्वतीय टाउनशिप के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित किया है। यह रिपोर्ट "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-I, 27 सितंबर 2013) और हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति) नियम, 2015 के अनुसार तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण से पहले प्रभावित भूमि मालिकों का सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करना विभाग का अनिवार्य दायित्व है। तदनुसार, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान इकाई के डॉ. मनमोहन सिंह के अनुरोध पर, सिबार्ट और अग्रिमा संस्थान द्वारा सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन पूरा किया गया।

मैं सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई, एमएसएचआईपीए-फेयरलॉन्स, शिमला-12 का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सामाजिक प्रभाव अध्ययन को पूरा करने के लिए सिबार्ट और अग्रिमा संस्थान को यह कार्य सौंपा। मैं डॉ. निशा त्रिपाठी, डॉ. संतोष शर्मा, श्रीमती के. रत्ना, सुश्री आकांक्षा और डॉ. क्षितिज मल्होत्रा को भी इस अध्ययन को पूरा करने में उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही, श्री ओमप्रकाश शर्मा (कानूनगो हिमुदा), श्री देवराज शर्मा (नायब-तहसीलदार हिमुदा), श्री यश पाल ठाकुर (पटवारी), श्री जय सिंह (नंबरदार) राजस्व विभाग और हिमुदा, ग्राम पंचायत सदस्य को भी धन्यवाद।

अंत में, मैं श्रीमती नमिता को अभिलेखों के रखरखाव और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

जनवरी 2026



राजेश कुमार
शोधकर्ता
(परियोजना समन्वयक)





संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एचपीआरएफसीटीएलएआरआर - हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति) नियम, 2015 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार

पीएएफ - परियोजना से प्रभावित परिवार

पीएपी - परियोजना से प्रभावित लोग

आरएफसीटीएलएआरआर - भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

R&R - पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

SIA - सामाजिक प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

SIMP - सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

Ha - हेक्टेयर

HIG - उच्च आय वर्ग

MIG - मध्यम आय वर्ग

LIG - निम्न आय वर्ग

EWS - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

विषय सूचि

शीर्षक		पृष्ट संख्या
प्राक्कथन		**2**
कार्यकारी सारांश		**7**
अध्याय-1	परियोजना का विवरण	**14**
	1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि	**14**
	1.1.1 शिमला - एक अवलोकन	**14**
	1.1.2 अंतरराज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू	**14**
	1.1.3 विकासकर्ताओं की पृष्ठभूमि	**14**
	1.2 परियोजना का स्थान और विवरण	**15**
	1.3 परियोजना की उपयोगिता और परिणाम	**15**
	1.4 विकल्पों का विश्लेषण	**15**
	1.5 पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट का विवरण	**16**
	1.6 लागू कानून और नीतियां	**16**
	1.6.1 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी	**16**
	1.6.2 भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया	**16**
	1.6.3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)	**17**
	1.6.4 हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 (एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015)	**17**
अध्याय-2	सामाजिक प्रभाव आकलन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और समय सारिणी	**19**
	2.1 टीम का विवरण	**19**
	2.2 कार्यप्रणाली और प्रयुक्त उपकरणों का विवरण और औचित्य	**20**
	2.3 दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली	**21**
	2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य	**22**
	2.5 सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए सूचना एकत्र करने के उपकरण	**22**
	2.6 नमूनाकरण कार्यप्रणाली	**23**
	2.7 प्रयुक्त सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन	**23**
	2.8 कार्य और समय का विवरण	**24**
अध्याय-3	भूमि आकलन	**26**
	3.1 भूमि सूची और प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी	**26**
	3.2 प्रकार भूमि	**26**
	3.3 भूमि का उपयोग	**26**
	3.4 परियोजना के प्रभाव क्षेत्र में संपूर्ण भूमि क्षेत्र	**26**
	3.5 परियोजना के लिए अधिग्रहण का दायरा और कुल भूमि आवश्यकता	**27**
	3.5.1 अधिग्रहण का दायरा	**27**
	3.5.2 डीपीआर और पीएपी के सुझाव के अनुसार कुल भूमि आवश्यकता	**27**
	3.5.3 भूमि का प्रकार	**28**
	3.5.4 कार्यान्वयन चरण	**29**
	3.6 क्षेत्र के आसपास की किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग	**29**
	3.7 परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए पहले से खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर दी गई/अधिग्रहित भूमि और इच्छित उपयोग	**29**
	3.8 जोतों का आकार, स्वामित्व पैटर्न, सीपीआर और वर्तमान स्थिति	**30**
अध्याय-4	प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का अनुमान और गणना	**38**

	4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति और उनकी आजीविका	**38**
	4.1.1 आजीविका की प्रकृति	**38**
	4.2 किरायेदार/अधिभोगी	**40**
	4.3 साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) पर निर्भरता	**40**
	4.4 अनुसूचित जनजातियाँ और पारंपरिक वनवासी	**44**
	4.5 राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि	**44**
अध्याय-5	सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल	**45**
	5.1 परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल	**45**
	5.1.1 परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों की विशेषताएँ	**45**
	5.1.1.1 लिंग	**45**
	5.1.1.2 धर्म	**45**
	5.1.1.3 जाति श्रेणी	**46**
	5.1.1.4 आयु	**46**
	5.2 परियोजना प्रभावित लोगों की साक्षरता	**47**
	5.3 व्यवसाय और आय	**48**
	5.3.1 व्यवसाय:	**48**
	5.3.2 आय:	**48**
	5.4 संवेदनशील समूह	**49**
	5.5 रिश्तेदारी के स्वरूप	**50**
	5.6 प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन	**50**
	5.7 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं	**51**
	5.7.1 क्षेत्रीय गतिशीलता	**51**
	5.7.2 ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ	**52**
	5.7.3 देवता परिषदों और पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका	**52**
	5.7.4 परियोजना के निहितार्थ	**53**
	5.8 जीवन स्तर की गुणवत्ता	**53**
	5.8.1 आवासीय स्थिति और घरों के प्रकार	**53**
	5.8.2 बिजली कनेक्शन की उपलब्धता	**53**
	5.8.3 पेयजल के स्रोत	**53**
	5.8.4 शौचालयों की उपलब्धता	**55**
	5.8.5 रसोई की उपलब्धता	**55**
	5.8.6 खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन	**55**
	5.8.7 राशन कार्ड	**55**
	5.8.8 हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जाठिया देवी में "पर्वतीय टाउनशिप परियोजना" के निर्माण से संबंधित जानकारी	**55**
	5.9 भूमि और संपत्ति का स्वामित्व	**56**
	5.9.1 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की श्रेणी	**56**
	5.9.2 सिंचाई के स्रोत	**56**
	5.10 भूमि मालिकों द्वारा बताई गई शर्तें और नियम जिनके आधार पर वे भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं	**57**
	5.10.1 किन शर्तों पर भूमि बेचने पर सहमति हुई है?	**57**
	5.11 आजीविका और आर्थिक प्रभाव	**58**
	5.11.1 भूमि/संपत्तियों का नुकसान और प्राथमिक आय स्रोतों पर प्रभाव	**58**
	5.11.2 स्थानीय रोजगार के अवसरों पर प्रभाव	**58**
	5.11.3 स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता	**58**

अध्याय 6	सामाजिक प्रभाव	**59**
	6.1 प्रभावों की पहचान के लिए ढांचा और दृष्टिकोण	**59**
	6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण	**59**
	6.3 समूह चर्चा के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए प्रभाव	**61**
	6.4 परियोजना के बारे में जागरूकता	**61**
	6.5 मुआवजे की प्राथमिकताएं	**62**
	6.6 सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का सारांश	**62**
	6.6.1 सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व	**62**
	6.6.2 सामुदायिक सुविधाओं तक पहुंच	**62**
	6.6.3 सामाजिक सामंजस्य	**62**
	6.6.4 पारंपरिक प्रथाएं	**63**
	6.6.5 परामर्श और भागीदारी	**63**
	6.7 प्रमुख सामाजिक प्रभावों और प्रस्तावित शमन उपायों की सारांश तालिका	**63**
	6.8 निष्कर्ष	**63**
अध्याय-7	लागत और लाभ का विश्लेषण, अधिग्रहण पर सिफारिशें	**64**
	7.1 परियोजना से सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन	**64**
	7.2 अधिकतम विस्थापन विकल्प, भूमि आवश्यकता:	**64**
	7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	**65**
	7.4 सुझाए गए शमन उपायों की व्यवहार्यता	**65**
	7.4.1 परियोजना की लागत और लाभों का सारांश	**65**
	7.4.2 अंतिम सिफारिश	**65**
अध्याय-8	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	**67**
	8.1 प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और उनकी क्षतिपूर्ति करने के उपाय	**67**
	8.2 भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार पुनर्वास और पुनर्वास और मुआवजे में शामिल उपाय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013	**68**
	8.3 एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए व्यय	**70**
	संदर्भ	**73**
परिशिष्ट 1	क्षेत्रीय दौरे की तस्वीरें	**74**
परिशिष्ट 2	जनमत सुनवाई का आयोजन	**87**
परिशिष्ट 3	जनमत सुनवाई की तस्वीरें	**96**
परिशिष्ट 4	जनमत सुनवाई में प्राप्त शिकायतें	**103**
परिशिष्ट 5	शिमला ग्रामीण के एसडीएम द्वारा कार्यवाही	**183**
परिशिष्ट 6	ग्राम पंचायत बागी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव	**186**
परिशिष्ट 7	परियोजना से संबंधित समाचार पत्र की कटिंग	**187**
परिशिष्ट 8	परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन प्रभावित परिवारों के लिए अनुसूची	**193**

कार्यकारी सारांश

अध्याय 1: परियोजना का विवरण और कानूनी ढांचा

हिमाचल प्रदेश आवास विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के शिमला ग्रामीण तहसील के 8 ग्रामों और सोलन जिले के मामलिघ तहसील के 1 ग्राम की भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है। यह अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश के जाठिया देवी में एक पर्वतीय टाउनशिप परियोजना की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना में निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) अनिवार्य था। यह कार्य एसआईएयू एमएसएचआईपीए द्वारा सिबार्ट और अग्रिमा संस्थान, दिल्ली को सौंपा गया था, जिसने हितधारकों के परामर्श और क्षेत्र स्तर पर डेटा संग्रह के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार की।

अध्याय 2: सामाजिक प्रभाव आंकलन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और समय सारणी

सामाजिक वैज्ञानिकों, क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों से युक्त एक बहु-विषयक टीम ने अध्ययन किया। प्रभावित परिवारों और स्थानीय हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया, जिससे संभावित प्रभावों की प्रासंगिक समझ प्राप्त हुई। 17 से 25 सितंबर 2025 तक अधिसूचित क्षेत्र में, संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित क्षेत्र को शामिल करते हुए, व्यवस्थित रूप से घरेलू सर्वेक्षण किया गया। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 को एक जन सुनवाई सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। यह कार्यक्रम शिमला (ग्रामीण) तहसील के 8 ग्रामों की बागी पंचायत की पंचायत भवन और मामलिघ तहसील के 1 ग्राम के हिमुडा कार्यालय में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता दोनों तहसीलों के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने की। व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पूर्व सूचना प्रसारित की गई और पूरे शहर में प्रमुख स्थानों पर सूचनात्मक पोस्टर लगाए गए।

सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (SIA) का उद्देश्य सामाजिक प्रभावों के पैमाने और दायरे का आंकलन करना, प्रभावित व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करना और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP) के माध्यम से एक शमन रणनीति तैयार करना था।

अध्ययन में एक संरचित पद्धति का पालन किया गया, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

- आधिकारिक रिपोर्टों और जनगणना आंकड़ों से द्वितीयक शोध।
- पूर्व-परीक्षित संरचित प्रश्नावली का उपयोग करके प्राथमिक सर्वेक्षण।
- क्षेत्र भ्रमण, हितधारकों से परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई।
- सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डेटा का सत्यापन और जमीनी स्तर पर पुष्टि।

अध्याय 3: भूमि मूल्यांकन

शिमला हिल्स में "पर्वतीय टाउनशिप परियोजना" के निर्माण हेतु शिमला हिल्स परियोजना, जो शिमला जिले की तहसील शिमला ग्रामीण के 8 ग्राम और सोलन जिले की तहसील मामलिघ के 1 ग्राम में स्थित है, 249-49-51 हेक्टेयर (2959-12 बीघा) निजी भूमि पर फैली हुई है, परियोजना के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में अधिग्रहण की प्रक्रिया में है।

चिन्हित भूखंड में अन्य भौतिक संरचनाएं या निर्माण संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि चानन ग्राम में 1 मंदिर और 2 सूक्ष्म सिंचाई नहरें, पंटी ग्राम में 2 मंदिर, 18 दूकाने, 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर और 1 स्कूल, आंजी ग्राम में 2 मंदिर और 3 सूक्ष्म सिंचाई नहरें, शिल्लीबाघी ग्राम में 1 मंदिर, 1 स्कूल, 2 दूकाने और 2 सूक्ष्म सिंचाई नहरें, मझोला ग्राम में 2 मंदिर और 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर, शिलरू ग्राम में 2 सूक्ष्म सिंचाई नहर, 1 दुकान और 2 मंदिर, धाओखर ग्राम

में 2 मंदिर और 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर, क्यारागी ग्राम में 2 मंदिर और 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर, और मंझ्यारी ग्राम में 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर और 1 मंदिर, और अनगिनत पेड़। ये मौजूदा विशेषताएं दर्शाती हैं कि भूमि अधिग्रहण से विस्थापन और निर्मित संपत्तियों को हटाना पड़ सकता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और निवारण की आवश्यकता है।

यह भूमि किसी भी राज्य-वितरित योजना के अंतर्गत नहीं है, और दिखाई देने वाले निर्माण कार्य के कारण व्यापक समुदाय पहले से ही इस परियोजना से अवगत था।

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम के नाम	भौतिक संरचनाएँ	संख्या
1	मामलिघ	मंझ्यारी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	01 01
1	शिमला(ग्रामीण)	चनान	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	01 02
2		पंटी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर, दुकाने, स्कूल	02 01 18 01
3		आंजी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 03
4		शिल्ली बागी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहरs, दुकाने स्कूल	01 02 02 01
5		मझोला	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 01
6		शिलरू	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर, दुकान	02 02 01
7		धनोकर	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 01
8		क्यारगी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 01

अध्याय 4: प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आंकलन एवं गणना

इस मंच ने सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक हितधारकों के बीच खुले संवाद का अवसर प्रदान किया, जिससे प्रस्तावित परियोजना पर विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ।

फोकस समूह चर्चाओं और जमीनी स्तर पर हुई बातचीत से मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं–बुनियादी ढांचे के विकास की सराहना की गई, लेकिन विस्थापन, मुआवजे और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं व्यक्त की गईं।

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम के नाम	भौतिक संरचनाएँ	संख्या
1	मामलिघ	मंझ्यारी	मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर	01 01
1	शिमला(ग्रामीण)	चनान	ग्रीन बेल्ट मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर शमशान	 01 02 02

			इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टैंशन पावर लाइन	02
2		पंटी	मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर दुकाने स्कूल कृषि सेवा केंद्र पंचायत घर सामुदायिक भवन, दूध और सब्जी संग्रहण केंद्र डाक घर ग्रामीण बैंक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक माता काली मंदिर	02 01 18 01 01 01 01 01 01 01 01 01
3		आंजी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर शमशानघाट	02 03 01
4		शिल्ली बागी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर दुकाने प्राइमरी स्कूल शमशानघाट इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टैंशन पावर लाइन आंगनवाड़ी	01 02 02 02 03 02 02 01
5		मझोला	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर शमशानघाट आंगनवाड़ी, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टैंशन पावर लाइन	02 01 01 01
6		शिलरू	मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर दुकान शमशानघाट	02 02 01 01
7		धनोकर	मंदिर (Mata Jawala) सूक्ष्म सिंचाई नहर खेल का मैदान इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टैंशन पावर लाइन	02 01 01
8		क्यारगी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर, पानी की टंकी (बावड़ी), पेट्रोल पंप और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	02 01 01 01 01

अध्याय 5: सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल

परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि इनमें से अधिकांश किसान और पेंशनभोगी हैं, उसके बाद निजी क्षेत्र में कार्यरत और फिर सरकारी कर्मचारी हैं। शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्रभावित लोग निरक्षर से लेकर स्नातक तक हैं, हालांकि कई लोगों ने कम से कम हाई स्कूल स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। आय वितरण के आंकड़ों से एक विविध आर्थिक परिदृश्य का पता चलता है, जिसमें व्यक्ति विभिन्न आय वर्गों में फैले हुए हैं। प्रभावित भूस्वामियों में से 16.45 प्रतिशत (कुल 26) की आय 10,001 रुपये से 25,000 रुपये (मासिक) के बीच है और 41.77 प्रतिशत (कुल 66) की आय 100,000 रुपये (मासिक) से अधिक है। सर्वेक्षण के दौरान सामाजिक स्थिति से पता चला कि प्रभावित भूस्वामियों में से 100.00 प्रतिशत के पास पीने का पानी और बिजली थी, 97.47 प्रतिशत के पास एपीएल राशन कार्ड थे और अधिकांश के पास पक्के मकान, रसोई, शौचालय और सिंचाई की सुविधा थी।

अध्याय 6: सामाजिक प्रभाव आंकलन

सामाजिक प्रभाव आंकलन में निम्नलिखित बिंदुओं की पहचान की गई:

• प्रत्यक्ष प्रभाव: 292 परिवारों और साक्षात्कार किए गए 158 परिवारों की आजीविका में व्यवधान की संभावना है।

• अप्रत्यक्ष प्रभाव: निर्माण परियोजनाओं (सीपीआर) की उपस्थिति और भूमि के साझा उपयोग के कारण आजीविका पर प्रभाव।

• पर्यावरणीय चिंताएँ: निर्माण के दौरान धूल, शोर और वर्षा जल का बहाव।

समुदाय की राय जानने के लिए हितधारकों से परामर्श किया गया। 29 दिसंबर, 2025 को शिमला जिले की शिमला (ग्रामीण) तहसील के बागी पंचायत भवन में 8 ग्रामों के लिए और सोलन जिले की मामलिघ तहसील के 1 ग्राम के लिए हिमुदा कार्यालय में दो जन सुनवाई आयोजित की गईं। दोनों जन सुनवाई की अध्यक्षता दोनों तहसीलों के उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) ने की। जन सुनवाई में प्रभावित परिवारों और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों ने भाग लिया। समग्र प्रतिक्रिया मिश्रित थी - निवासियों ने संभावित लाभों की सराहना की, लेकिन विस्थापन और मुआवजे को लेकर चिंता भी व्यक्त की।

सर्वेक्षण के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर पूर्ण आपत्ति जताई और कहा कि कोई भी अपनी जमीन प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए देने को तैयार नहीं है। वे सभी एसआईए प्रक्रिया से अवगत हैं। वे मांग कर रहे हैं कि क्या कृषि योग्य भूमि और आवासीय भूमि को परियोजना के दायरे से बाहर कर दिया जाना चाहिए।

वरिष्ठ नागरिकों और स्थानीय श्रमिकों सहित हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं से भूमि स्वामित्व, आजीविका छिन जाने का डर और विस्थापन के डर से संबंधित चिंताएं सामने आईं।

अध्याय 7: लागत और लाभों का विश्लेषण - अधिग्रहण पर सिफारिशें

परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) के नेतृत्व वाली यह परियोजना वास्तव में जनहित की आवश्यकता को पूरा करती है, या यह मुख्य रूप से जनहित की आड़ में चलाया जा रहा एक व्यावसायिक अचल संपत्ति उद्यम है।

परियोजना के पैमाने और लाभों को ध्यान में रखते हुए, इसके लाभ हैं: मध्य शिमला पर अवसंरचनात्मक भार को कम करना। किफायती और सुनियोजित आवास उपलब्ध कराना। सड़क संपर्क और सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाना। स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। हिमालयी क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

अध्याय 8: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी)

एसआईएमपी में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

1. बचाव उपाय

• भूमि का अनुकूलित उपयोग: भूमि अधिग्रहण को सख्ती से आवश्यक 249-49-51 हेक्टेयर (2959-12 बीघा) तक सीमित रखा जाएगा।

• संवेदनशील परियोजना डिजाइन: लेआउट और निर्माण गतिविधियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाएगी ताकि आस-पास के आवासीय और व्यावसायिक ढांचों में कोई बाधा न आए, जिससे भौतिक और सामाजिक व्यवधान कम हो।

2. शमन उपाय

• पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: आस-पास के क्षेत्रों में जल संचय और संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए वर्षा जल और सतही अपवाह प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन।

• पर्यावरणीय गिरावट को सीमित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री और प्रथाओं को अपनाना।

• वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण: परिवहन और भंडारण के दौरान पानी का छिड़काव और सामग्री को ढकने जैसी धूल दमन तकनीकों का उपयोग।

• शोरगुल वाले निर्माण कार्यों को निर्धारित समय के भीतर ही पूरा करना और स्थानीय निवासियों पर प्रभाव कम करने के लिए कम शोर वाली मशीनों का उपयोग करना।

• सुरक्षा प्रोटोकॉल: निर्माण क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेड, चेतावनी चिह्न और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना ताकि जनता और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

• कार्य निष्पादन के दौरान सुरक्षा जोखिमों की पहचान और निवारण के लिए नियमित रूप से साइट पर निगरानी करना।

3. मुआवज़ा उपाय

• निष्पक्ष और पारदर्शी मुआवज़ा: लागू कानूनी ढाँचों (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015) के अनुसार भूस्वामियों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करना।

• जहाँ आवश्यक हो, विस्थापित या आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के पूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक भूमि या आजीविका सहायता प्रदान करना।

• सामुदायिक सहभागिता और समर्थन: परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थानीय आबादी को सूचित करने और उनसे परामर्श करने के लिए स्पष्ट संचार चैनल स्थापित करना।

• दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना और समुदाय-आधारित उद्यमों को समर्थन देना।

4. निगरानी और अनुपालन

• पर्यावरण, सामाजिक और मुआवज़ा संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी की नियुक्ति।

• शमन रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए निर्माण के दौरान और बाद में आवधिक प्रभाव आंकलन करना।

अधिकांश स्थानीय लोग परियोजना से अवगत थे। कुछ लोगों ने चिंता व्यक्त की, वहीं कई लोगों ने परिसर के दीर्घकालिक लाभों को स्वीकार किया। सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 100% लोगों ने प्रस्तावित अधिग्रहण पर पूर्ण आपत्ति जताई, किसी ने भी भूमि अधिग्रहण के प्रति अपनी सहमति व्यक्त नहीं की।

जनमत और सिफ़ारिशें

क्षेत्रीय आँकड़ों के व्यापक विश्लेषण, हितधारकों के साथ परामर्श और प्रभावित भूस्वामियों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के आधार पर, माउंटेन टाउनशिप परियोजना के ज़िम्मेदार कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित सिफ़ारिशें प्रस्तावित हैं:

1. जनहित और औचित्य

जन विरोध: स्थानीय परामर्शों से पता चला कि परियोजना के प्रति आम तौर पर कोई समर्थन नहीं है, इसके बावजूद कि यह क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढाँचे में सुधार और रोज़गार का वादा करती है। हालाँकि, भूमि के उचित मूल्यांकन, मुआवज़े में देरी और संभावित पर्यावरणीय गिरावट के संबंध में कुछ आशंकाएँ बनी हुई हैं।

प्रस्तावित पर्वतीय नगर पालिका परियोजना जनहित में उचित है क्योंकि इसका उद्देश्य तेजी से शहरीकरण हो रहे पहाड़ी क्षेत्र में नियोजित, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल आवास की बढ़ती मांग को पूरा करना है, साथ ही पारिस्थितिक रूप से नाजुक और अनियमित बस्तियों पर दबाव कम करना है। वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और सतत संसाधन प्रबंधन पद्धतियों को अपनाकर, इस परियोजना का लक्ष्य शिमला में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना, जन सुरक्षा सुनिश्चित करना और भूस्खलन, जल संकट और बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक भार जैसे पर्यावरणीय जोखिमों को कम करना है। नई नगर पालिका निर्माण और संचालन चरणों के दौरान रोजगार के अवसर पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और सड़कों, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार करेगी। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना व्यवस्थित शहरी विस्तार, भूमि के कुशल उपयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास उद्देश्यों के अनुरूप है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के व्यापक जनहित की पूर्ति होती है।

2. प्रभावित संपत्तियों का मूल्यांकन और मुआवजा

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर स्थित भौतिक संपत्तियों–जिनमें देवस्थान, मंदिर, मकान, पेड़, दूकाने, जल स्रोत आदि शामिल हैं–का मूल्यांकन सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। वैधानिक मानदंडों और तकनीकी मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार उचित और समय पर मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

3. सामुदायिक और सरकारी संपत्तियों का संरक्षण

कोई भी सामुदायिक स्वामित्व वाली, सामाजिक या सरकारी अवसंरचना जो आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुई है, उसका औपचारिक रूप से अभिलेखीकरण, मूल्यांकन और मुआवजा किया जाना चाहिए।

4. आजीविका बहाली

अध्ययन से पता चलता है कि प्रभावित भूस्वामियों, विशेषकर कृषि और स्वरोजगार पर निर्भर भूस्वामियों की आजीविका और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि आजीविका बहाली और पुनर्वास उपायों, जिनमें आय सहायता भी शामिल है, उसको परियोजना की कार्यान्वयन रणनीति में एकीकृत किया जाए।

5. कानूनी ढांचे का अनुपालन

सभी क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपाय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013, हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 और इस मूल्यांकन के भाग के रूप में विकसित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन में किए जाने चाहिए।

6. सामुदायिक लाभों को अधिकतम करना

परियोजना से बेहतर बुनियादी ढांचे और मनोरंजन सुविधाओं के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है। कुछ रास्ते और जल स्रोत अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विकास के बाद, टाउनशिप से स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन सुविधाओं तक पहुँच में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे आसपास के क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

7. पारदर्शी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, परामर्शपूर्ण और सहभागी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। भूस्वामियों के साथ निरंतर संवाद, सूचना का प्रसार और शिकायत निवारण तंत्र विश्वास कायम करने और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे।

अध्याय-1
परियोजना का विवरण

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

1.1.1 शिमला - एक अवलोकन

शिमला, जो ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, को लोकप्रिय रूप से "पहाड़ी स्टेशनों की रानी" और "सपनों का शहर" कहा जाता है। इसकी औपनिवेशिक विरासत, मनोरम हिमालयी परिदृश्य, सुखद जलवायु और फलते-फूलते पर्यटन उद्योग ने इसे भारत के सबसे प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों में से एक बना दिया है। लगभग 1.69 लाख (2011 की जनगणना) की नगरपालिका जनसंख्या और लगभग 75,000 की महत्वपूर्ण अस्थायी जनसंख्या के साथ, प्रवासन, पर्यटन और शहरी विस्तार के कारण शहर के बुनियादी ढांचे पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।

भौगोलिक रूप से, शिमला एक जटिल हिमालयी भूभाग में स्थित है, जो दक्षिण में शिवालिक पर्वतमाला और उत्तर में धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमालाओं से घिरा है। यह भूकंपीय क्षेत्र IV में स्थित है, जिससे यह भूकंप के लिए उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बन जाता है। खड़ी ढलानों और घाटियों वाली ऊबड़-खाबड़ स्थलाकृति इसकी सुंदरता और बुनियादी ढांचे संबंधी चुनौतियों दोनों को बढ़ाती है।

1.1.2 अंतरराज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय पहलू

शिमला दक्षिण-पश्चिमी हिमालय में रणनीतिक रूप से स्थित है, और पर्यटन की अपार संभावनाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इससे जुड़ाव है। बद्दी-सूक्ष्म सिंचाई नहर-गढ़ औद्योगिक क्षेत्र के निकट होने से इसकी अंतरराज्यीय आर्थिक भूमिका और भी बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, शिमला लगातार वैश्विक पर्यटकों, शैक्षिक आदान-प्रदान और निवेश के अवसरों को आकर्षित करता रहता है, जिससे शहर के पास एक प्रतिस्पर्धी शहरी बस्ती विकसित करके सतत शहरी विस्तार की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है।

इस परियोजना से निम्नलिखित लाभ होने की उम्मीद है:

- योजनाबद्ध आवासीय और आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध कराकर शिमला शहर के मुख्य भाग में भीड़भाड़ कम करना।
- पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी शहरी विकास को बढ़ावा देना।
- क्षेत्रीय और अंतरराज्यीय संपर्क को बढ़ाना, विशेष रूप से हवाई अड्डे और औद्योगिक गलियारों के माध्यम से।
- अंतरराष्ट्रीय आकर्षण वाले पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में शिमला की भूमिका को मजबूत करना।

1.1.3 विकासकर्ता की पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश आवास विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के शिमला ग्रामीण तहसील के 8 ग्रामों और सोलन जिले के मामलिघ तहसील के 1 ग्राम की भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है। यह अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश के जाठिया देवी में एक पर्वतीय टाउनशिप परियोजना की स्थापना के लिए किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश (HP) का आवास विभाग HIMUDA जैसी एजेंसियों के माध्यम से भूमि विकास, बुनियादी ढांचे और विभिन्न आय वर्गों के लिए किफायती आवास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही, यह विभाग संपदा निदेशक के माध्यम से सरकारी आवास आवंटन का प्रबंधन करता है और उपेक्षित समुदायों के लिए आवास सब्सिडी जैसी योजनाओं को लागू करता है। इन सभी का उद्देश्य राज्य की आवास आवश्यकताओं और विकास को पूरा करना है।

HIMUDA ने AMRUT, UIG और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के तहत कई प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है और भूमि विकास, मास्टर प्लानिंग, निर्माण और रियल एस्टेट

प्रबंधन में अपनी विशेषज्ञता साबित की है। इसका अनुभव और विश्वसनीयता इसे इस पैमाने की एक स्थायी टाउनशिप परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मजबूत स्थिति में रखती है।

1.2 परियोजना का स्थान और विवरण

शिमला हवाई अड्डे के निकट जाठिया देवी में प्रस्तावित पर्वतीय टाउनशिप, शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला के नौ ग्रामों - मझोला, अंजी, शिलरू, धनोकर, शिल्ली बागी, पंटी, क्यारागी और चानन तथा जिला सोलन के उप-तहसील मामलिघ में स्थित मझ्यारी, हिमाचल प्रदेश में कुल 414-91-77 हेक्टेयर (4921-18 बीघा) क्षेत्र में फैली हुई है। वर्तमान में, 134-51-56 हेक्टेयर (1595-14 बीघा) सरकारी स्वामित्व वाली, भार-मुक्त भूमि उपलब्ध है, शेष भूमि के चरणबद्ध अधिग्रहण की योजना है, जिसके लिए डीपीआर तैयार किया गया था और एसआईए के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया था। इसके अलावा, आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) के स्वामित्व वाली 20-64-85 हेक्टेयर (244-18 बीघा) भूमि भी उपलब्ध है।

परिवहन केंद्रों से निकटता: शिमला हवाई अड्डे से 3-4 किमी, आईएसबीटी शिमला और रेलवे स्टेशन से 20-22 किमी की दूरी पर स्थित, और एसएच-16 और एनएच-5 से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

भूभाग: यह स्थल 1300-1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें पहाड़ियाँ, घाटियाँ और नदियाँ शामिल हैं।

क्षेत्रीय परिवेश: हरे-भरे जंगलों, कृषि भूमि और मौजूदा बस्तियों से घिरा हुआ है, जो एकीकृत विकास की प्रबल संभावना प्रदान करता है।

डीपीआर के अनुसार परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

• उच्च आय वर्ग (HIG), मध्यम आय वर्ग (MIG), निम्न आय वर्ग (LIG) और अल्पसंख्यक जनित वर्ग (EWS) समूहों के लिए नियोजित आवासीय क्षेत्र (55.16 हेक्टेयर)।

• वाणिज्यिक क्षेत्र (13.36 हेक्टेयर) और प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्र (15.7 हेक्टेयर)।

• मनोरंजन/हरित क्षेत्र (16.42 हेक्टेयर) और नदी विकास क्षेत्र (16.56 हेक्टेयर)।

• अवसंरचना प्रावधान: उपयोगिता क्षेत्र, सड़कें (13.78 हेक्टेयर), स्मार्ट परिवहन, हेलीपैड कनेक्टिविटी और पर्यावरण के अनुकूल योजना।

परियोजना के महत्व के अनुसार, यह शिमला के लिए एक काउंटर-मैग्नेट टाउनशिप के रूप में कार्य करेगी, जिससे भीड़भाड़ कम होगी, शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और हवाई अड्डे-बादली औद्योगिक गलियारे के पास नए आर्थिक केंद्र बनेंगे। इसे एक टिकाऊ, स्मार्ट और आपदा-प्रतिरोधी हरित क्षेत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो वित्त आयोग के 15वें चैलेंज फंड के तहत गृह मंत्रालय द्वारा नए शहरों के विकास के अनुरूप है।

1.3 परियोजना की उपयोगिता और परिणाम

यह टाउनशिप पर्याप्त आवास, नागरिक अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वाणिज्यिक स्थान और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। उपयोगिता परिणामों में शामिल हैं:

स्मार्ट मोबिलिटी समाधान (ई-बसें, रोपवे, मल्टीमॉडल हब)।

पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और कमी के ढांचे के साथ शून्य-अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली।

उद्योगों में जल का पुन: उपयोग और शून्य तरल निर्वहन।

सूचना एवं नियंत्रण प्रणाली, स्मार्ट मीटर और निगरानी सहित आईसीटी-आधारित शासन।

1.4 विकल्पों का परीक्षण

वैकल्पिक स्थानों और लेआउट का मूल्यांकन किया गया। हवाई अड्डे से निकटता, सरकारी भूमि की उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय व्यवहार्यता के कारण जाठिया देवी स्थल का चयन किया गया। यह स्थल कुछ विस्थापन के साथ प्राकृतिक विस्तार की क्षमता और क्षेत्रीय योजनाओं के साथ अधिकतम एकीकरण प्रदान करता है।

1.5 पर्यावरणीय प्रभाव और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट का विवरण

यह परियोजना ईआईए अधिसूचना 2006, श्रेणी बी1, मद 8(बी) (टाउनशिप और क्षेत्र विकास परियोजनाएं ≥50 हेक्टेयर) के अंतर्गत आती है। पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

वायु, जल, मृदा, ध्वनि, पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर आधारभूत अध्ययन।

प्रभावों की पहचान (भूमि उपयोग, जल, वायु गुणवत्ता, ध्वनि, अपशिष्ट)।

हरित बेल्ट, स्मार्ट परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से शमन।

ईआईए प्रक्रिया पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग द्वारा अनुमोदित विस्तृत मास्टर प्लान के माध्यम से तकनीकी व्यवहार्यता सुनिश्चित की जाएगी।

1.6 लागू कानून और नीतियां

भारत में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण विशिष्ट कानूनी ढांचों द्वारा नियंत्रित होता है जो पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हैं। इनमें प्रमुख हैं भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015, जो सामाजिक प्रभाव आंकलन और सामुदायिक परामर्श के लिए अनिवार्य प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि निम्नलिखित अनुभागों में विस्तार से बताया गया है:

1.6.1 सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन की तैयारी

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत यह निर्धारित है कि जब भी उपयुक्त सरकार सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव करती है, तो उसे प्रभावित क्षेत्र के भीतर ग्राम या नगरपालिका स्तर पर संबंधित पंचायत या वार्ड से परामर्श करना आवश्यक है। यह परामर्श सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन करने के लिए एक पूर्व शर्त है, जिसे स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाना चाहिए। सामाजिक प्रभाव आंकलन करने की प्रक्रिया, जिसमें विधियां और प्रारंभ तिथि शामिल हैं, सरकार द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट की जानी है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के नियम 3(1) में राज्य के भीतर अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त प्रक्रियात्मक विवरण दिए गए हैं। इस नियम के अनुसार, राज्य सरकार को नियमों के प्रपत्र-I के भाग-B में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एसआईए (भूमि अधिग्रहण) प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी करना अनिवार्य है।

यह अधिसूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित की जानी चाहिए और संबंधित पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना की प्रतियां जिला कलेक्टर, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और तहसील के कार्यालयों में भी उपलब्ध होनी चाहिए। व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचना को प्रभावित क्षेत्र में प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों और तहसीलों में प्रकाशित किया गया था और प्रभावित क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। व्यापक पहुँच और पारदर्शिता के लिए इसे राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था।

ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए अभिन्न हैं कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से और इस तरह की पहलों से प्रभावित स्थानीय समुदायों की चिंताओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए संचालित की जाए।

1.6.2 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और कानूनी प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए चरणों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित होती है। इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं:

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में समकक्ष शहरी स्थानीय निकायों के परामर्श से सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) अध्ययन करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करती है।

एसआईए के बाद, रिपोर्ट का मूल्यांकन दो गैर-सरकारी सामाजिक वैज्ञानिकों, दो पुनर्वास विशेषज्ञों और परियोजना से संबंधित एक तकनीकी विशेषज्ञ वाले एक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाता है।

मूल्यांकित एसआईए रिपोर्ट की समीक्षा एक समिति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण आवश्यक शर्तों को पूरा करता है।

एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन के 12 महीनों के भीतर भूमि अधिग्रहण के सरकारी इरादे को दर्शाने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।

इसके बाद सरकार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की सटीक सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण करती है।

1.6.3 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013)

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 को औपनिवेशिक काल के 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के स्थान पर अधिनियमित किया गया था। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसका उद्देश्य पूर्ववर्ती कानून की गंभीर कमियों को दूर करना और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना तथा उसकी प्रभावशीलता बढ़ाना है। यह अधिनियम भूमि मालिकों के हितों और औद्योगीकरण, अचल संपत्ति और अवसंरचना विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, साथ ही अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

अधिग्रहित भूमि वाले व्यक्तियों का अनिवार्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन, साथ ही उचित मुआवजे का प्रावधान।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियम अधिसूचित करते समय प्रत्येक राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बताए गए हैं, विशेषकर उन मामलों में जहाँ सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है।

भूमिधारकों और अन्य प्रभावित पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए इस अधिनियम को एक आवश्यक और लाभकारी उपाय के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

1.6.4 हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन एवं सहमति) नियम, 2015 (एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियम 2015)

एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियम 2015 को अप्रैल 2015 में अधिसूचित किया गया और हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 ऑफ 2013) की धारा 112 के अनुसार प्रकाशित किया गया। ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू हैं।

एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015, 2013 के केंद्रीय अधिनियम पर आधारित हैं और राज्य में सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) आयोजित करने के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा स्थापित करते हैं।

इन नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

(क) प्रपत्र II और III के अनुसार एसआईए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजनाओं (एसआईएमपी) का संचालन।

(ख) सार्वजनिक सुनवाई अनिवार्य।

(ग) प्रभावित भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य।

ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि भूमि अधिग्रहण पारदर्शी तरीके से, सामुदायिक चिंताओं और हितधारकों की भागीदारी का ध्यान रखते हुए किया जाए।

अध्याय-2

सामाजिक प्रभाव आंकलन की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और समय सारणी

यह अध्याय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड I, 27 सितंबर, 2013) के तहत प्रस्तावित माउंटेन टाउनशिप के सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) के संचालन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का वर्णन करता है। यह बस्ती शिमला हवाई अड्डे के निकट स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 414-91-77 हेक्टेयर (4921-18 बीघा) है। यह बस्ती नौ ग्रामों - मझोला, अंजी, शिलरू, धनोकर, शिल्ली बागी, पंटी, क्यारागी और चानन, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला और उप तहसील मामलिघ, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

यह शिमला के लिए एक प्रति-आकर्षक टाउनशिप है, जो भीड़भाड़ को कम करने, शहरी विकास को समायोजित करने और हवाई अड्डे-बद्दी औद्योगिक गलियारे के पास नए आर्थिक केंद्र बनाने में सहायक है। इसे एक टिकाऊ, स्मार्ट और आपदा-प्रतिरोधी हरित शहर के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो वित्त आयोग के 15वें चैलेंज फंड के तहत गृह मंत्रालय द्वारा नए शहरों के विकास के प्रयासों के अनुरूप है। इसमें मूल्यांकन दल की संरचना, प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट विशेषज्ञता और परियोजना के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई व्यवस्थित प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है। कठोर कार्यप्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि सभी प्रासंगिक सामाजिक कारकों की गहनता से जांच की गई है, जिससे सूचित निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार मिलता है।

2.1 टीम का विवरण:

टीम में अपने-अपने क्षेत्रों में सिद्ध विशेषज्ञता रखने वाले अनुभवी पेशेवर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक समान पैमाने और दायरे के पूर्व मूल्यांकनों से प्राप्त बहुमूल्य अनुभव लेकर आता है। टीम की बहु-विषयक प्रकृति संभावित सामाजिक प्रभावों का व्यापक और गहन मूल्यांकन सुनिश्चित करती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य अध्ययन की सत्यनिष्ठा और सफलता के लिए आवश्यक क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तालिका 2.1 अध्ययन के संचालन के लिए जिम्मेदार सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) टीम की संरचना को दर्शाती है।

तालिका 2-1: सामाजिक प्रभाव आंकलन टीम की संरचना और विशेषज्ञता

क्रम संख्या	नाम	पद	योग्यता	कार्य का अनुभव
1.	श्रीमती के. रत्ना	निदेशक(सिबार्ट)	वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर	अनुसंधान, आधारभूत सर्वेक्षण, सूक्ष्म वित्त आदि में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव
2.	श्रीमती नमिता	निदेशक(अग्रिमा)	माइक्रोबायोलॉजी में एम.एस.सी.	अनुसंधान और स्वास्थ्य परियोजना में 8वर्ष से अधिक का अनुभव
3.	श्री राजेश कुमार	परियोजना समन्वयक	लोक प्रशासन में एम.फिल.	ग्रामीण विकास, अनुसंधान कार्य और एसआईए कार्य में 18 वर्ष से अधिक अनुभव
4	श्रीमती स्वाति झा	अनुसंधान अन्वेषक	सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति में मास्टर। एलएलबी करना	अनुसंधान, मानवाधिकार गतिविधियों में 7वर्ष से अधिक का अनुभव
5.	श्री मनोज कुमार	अनुसंधान अन्वेषक	इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई.	अनुसंधान में से अधिक वर्षों 10 का अनुभव
6.	शुश्री आकांक्षा	अनुसंधान सहायक	बी.ए. ऑनर्स राजनीति) विज्ञान) एम.एस.डब्ल्यू	7 वर्ष से अधिक

7	डॉ. क्षितिज मल्होत्रा	अनुसंधान अन्वेषक	पीएचडी (वनस्पति विज्ञान)	अनुसंधान और विकास में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव
8	श्री अरविन्द कुमार	अनुसंधान सहायक	राजनीति विज्ञान में बी.ए., एम.ए. ऑनर्स	अनुसंधान में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव
9	श्री आकाश कुमार	अनुसंधान सहायक	अर्थशास्त्र में बी.ए. ऑनर्स	अनुसंधान में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव
10	श्री ध्रुव श्रीवास्तव	क्षेत्र कार्यकर्त्ता	ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर	4 वर्ष का अनुभव

प्रभावित समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने और डेटा को सटीक, संवेदनशील और व्यापक रूप से एकत्रित करने में सर्वेक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हितधारकों के साथ उनके सीधे संपर्क ने प्राथमिक डेटासेट की गहराई और विश्वसनीयता में योगदान दिया, जो अध्ययन के निष्कर्षों और अनुशंसाओं का आधार बनता है। तालिका 2.2 में सामाजिक प्रभाव आंकलन (SIA) के लिए प्राथमिक डेटा संग्रह करने वाले क्षेत्र सर्वेक्षकों का विवरण दिया गया है।

तालिका 2-2: सामाजिक प्रभाव आंकलन के लिए क्षेत्र सर्वेक्षणकर्ताओं की सूची

क्रम संख्या	नाम	पद	योग्यता	कार्य का अनुभव
1.	श्री राजेश कुमार	परियोजना समन्वयक	लोक प्रशासन में एम.फिल.	ग्रामीण विकास, अनुसंधान कार्य और एसआईए कार्य में 18 वर्ष से अधिक अनुभव
2.	शुश्री आकांक्षा	अनुसंधान सहायक	बी.ए. ऑनर्स राजनीति) विज्ञान) एम.एस.डब्ल्यू	7 वर्ष से अधिक
3	श्री अरविन्द कुमार	अनुसंधान सहायक	राजनीति विज्ञान में बी.ए., एम.ए. ऑनर्स	अनुसंधान में 5 वर्ष से अधिक का अनुभव
4	श्री आकाश कुमार	अनुसंधान सहायक	अर्थशास्त्र में बी.ए. ऑनर्स	अनुसंधान में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव
5	श्री ध्रुव श्रीवास्तव	क्षेत्र कार्यकर्त्ता	ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर	4 वर्ष का अनुभव

2.2 कार्यप्रणाली और उपयोग किए गए उपकरणों का विवरण और औचित्य

चुनी गई पद्धति प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक परिणामों का व्यवस्थित मूल्यांकन करने, संबंधित कानूनी ढाँचों का अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रभावित समुदायों पर संभावित प्रभावों की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

- **उद्देश्य**

हिमाचल प्रदेश के शिमला और सोलन जिलों में नई पर्वतीय टाउनशिप परियोजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके पूरा होने के लिए दोनों जिलों में सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भूमि की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार, HIMUDA द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, प्रदूषण रहित औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ मनोरंजन/हरित क्षेत्रों के लिए खरीदी गई भूमि सरकारी विभाग, यानी HIMUDA को दी जाती है; हालाँकि, जिन मामलों में निजी भूस्वामियों ने बेचने की सहमति नहीं दी है, वहाँ अधिग्रहण शिमला और सोलन जिला प्रशासन या संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति) नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) करना अनिवार्य है। तदनुसार, सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई, एमएसएचआईपीए-फेयरलॉन्स, शिमला-12 के अनुरोध पर, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए एसआईए अध्ययन सिबार्ट और अग्रिमा संस्थान, दिल्ली द्वारा किया गया और सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- **अध्ययन के उद्देश्य:**

वर्तमान सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन का उद्देश्य नियोजित नई "पर्वतीय टाउनशिप परियोजना" से प्रभावित भूमि मालिकों पर पड़ने वाले प्रभाव और नुकसान की पहचान करना और इन प्रभावों को कम करने के उपाय सुझाना है। प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था:

- यह आंकलन करना कि प्रस्तावित अधिग्रहण जनहित के उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं और परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि न्यूनतम आवश्यक मात्रा में है या नहीं।
- प्रभावित भूस्वामियों की संख्या और उनमें से उन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाना जिनके आवासीय, व्यावसायिक या दोनों तरह से विस्थापित होने की संभावना है।
- परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूस्वामियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आंकलन करना।
- परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भूस्वामियों के परिवारों को शामिल करना शामिल है, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति संसाधनों, सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना आदि के नुकसान के कारण अपनी भूमि खो दी है, और परियोजना की कुल लागत और लाभ पर इन लागतों के प्रभाव का आंकलन करना।
- इस उद्देश्य के लिए एक वैकल्पिक स्थल पर विचार किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विस्थापन की समस्या सबसे कम कहाँ है, लेकिन क्या वह स्थल परियोजना के लिए उपयुक्त है।
- एचपीआरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के प्रपत्र-II के अनुसार प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वास स्थल (यदि कोई हो) का सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल तैयार करना।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के प्रपत्र-III के माध्यम से उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करके उपचारात्मक हस्तक्षेप उपायों का सुझाव देना।

2.3 दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली:

सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) करने और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का विवरण नीचे दिया गया है। यह आंकलन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। निम्नलिखित फ्लो चार्ट एसआईए अध्ययन के दौरान अपनाई गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया को दर्शाता है, जिससे एक व्यापक, सहभागी और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

एसआईए अध्ययन करने और एसआईएमपी तैयार करने की प्रक्रिया/कार्यप्रणाली:

• क्षेत्र भ्रमण और परामर्श: - विभाग द्वारा पहचाने गए हितधारकों का साक्षात्कार (प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के लिए) और हितधारकों के साथ परामर्श

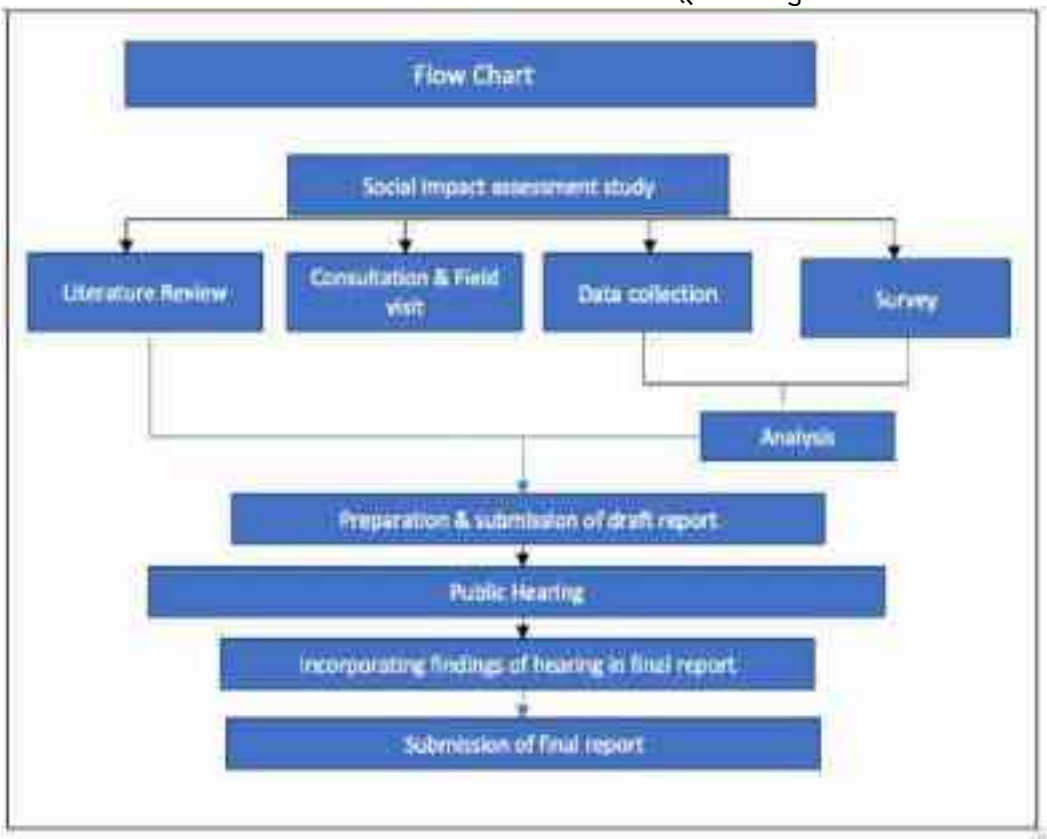
• डेटा संग्रह: -

द्वितीयक डेटा - राजस्व विभाग और हिमूदा सर्वेक्षण के चित्र, डीपीआर और अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त।

प्राथमिक डेटा - राजस्व विभाग के श्री जय सिंह (नंबरदार) और श्री यश पाल (लेखपाल) के साथ विभाग के सुझावानुसार सभी ग्रामों में यादृच्छिक रूप से क्षेत्र भ्रमण किया गया और जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व-निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

- **डेटा विश्लेषण:** सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण।
- **हितधारकों से परामर्श:** सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से भूस्वामियों, स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ चर्चा से प्राप्त जानकारियों को शामिल करना।
- **स्थल अवलोकन:** सर्वेक्षण निष्कर्षों की पुष्टि के लिए जमीनी सत्यापन।
- **एसआईएमपी की तैयारी:** एसआईएमपी के साथ निष्कर्षों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल करना।

इस सुनियोजित प्रक्रिया ने एक व्यापक, सहभागी और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन सुनिश्चित किया।



2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य

यह कार्यप्रणाली प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अधिग्रहण का समग्र परिणाम यह हो कि प्रभावित व्यक्ति विकास भागीदार बनें, जिससे अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

2.5 सामाजिक प्रभाव आंकलन के लिए सूचना एकत्र करने के उपकरण

संभावित सामाजिक प्रभावों का व्यापक आंकलन सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) के लिए डेटा प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से एकत्र किया गया था। उपयोग किए गए उपकरण और कार्यप्रणालियाँ नीचे दी गई हैं:

❖ **द्वितीयक डेटा स्रोत:**

जनगणना रिपोर्ट, सांख्यिकी पुस्तिकाएँ और संबंधित साहित्य जैसी सरकारी पत्रिकाओं से द्वितीयक डेटा प्राप्त किया गया। इन स्रोतों से परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की मूलभूत जानकारी प्राप्त हुई और ये विश्लेषण के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं।

❖ **प्राथमिक डेटा संग्रह:**

• **घरेलू सर्वेक्षण:** जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर विस्तृत डेटा एकत्र करने के लिए पूरे ग्राम के प्रभावित परिवारों को एक संरचित प्रश्नावली दी गई; डेटा उन सभी से प्राप्त किया गया जिन्होंने जानकारी प्रदान की।

• **क्षेत्र भ्रमण:** प्रत्यक्ष अवलोकन और अनौपचारिक साक्षात्कारों सहित स्थल भ्रमण से स्थानीय परिस्थितियों और हितधारकों के दृष्टिकोण की समझ समृद्ध हुई।

❖ **सर्वेक्षण उपकरणों का विकास:**

प्राथमिक हितधारकों से मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक प्रश्नावली तैयार की गई। इस उपकरण का पूर्व-परीक्षण किया गया, प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें संशोधन किए गए और फिर प्रशिक्षित क्षेत्र अन्वेषकों द्वारा इसे लागू किया गया।

❖ **सर्वेक्षण का प्राथमिक फोकस:**

सर्वेक्षण में परिवार संरचना, आय स्तर, व्यवसायिक पैटर्न, संसाधन निर्भरता और परियोजना के संभावित सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया और सामुदायिक धारणाओं को जानने के लिए खुले प्रश्नों को शामिल किया गया।

डेटा संग्रह और जमीनी सत्यापन का पर्यवेक्षण:

मुख्य एसआईए टीम ने डेटा संग्रह प्रक्रिया का सक्रिय रूप से पर्यवेक्षण किया। डेटा की सटीकता, निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, सर्वेक्षण किए गए परिवारों के एक नमूने का जमीनी सत्यापन किया गया।

2.6 नमूनाकरण पद्धति

एसआईए टीम ने प्रभावित परिवार से मुलाकात की और प्रतिभागियों से निम्नलिखित तरीके से जानकारी एकत्र की और डेटा साझा किया:

❖ **मात्रात्मक तकनीकें:**

घरेलू सर्वेक्षण के दौरान प्राथमिक हितधारकों को पूर्व-परीक्षित संरचित प्रश्नावली दी गई।

❖ **गुणात्मक तकनीकें:**

गुणात्मक तकनीकों में सार्वजनिक परामर्श शामिल थे और जमीनी स्थितियों और हितधारकों के साथ बातचीत को दस्तावेजित करने के लिए क्षेत्र भ्रमण के दौरान जीपीएस लोकेशन के साथ तस्वीरें ली गईं।

2.7 प्रयुक्त सूचना और डेटा स्रोतों का अवलोकन

सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) को कई स्रोतों से एकत्रित डेटा और जानकारियों का उपयोग करके विकसित किया गया था, जिनमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, हितधारकों के साथ परामर्श और प्रासंगिक कानूनी और नीतिगत दस्तावेज जैसे कि आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 शामिल हैं। उपयोग किए गए डेटा स्रोतों का सारांश नीचे दिया गया है:

• **सरकारी रिपोर्ट और साहित्य**: आधिकारिक प्रकाशन, समाचार पत्र, नीतिगत दस्तावेज और सांख्यिकीय रिपोर्टों ने लाभार्थियों की सूची को छोड़कर परियोजना क्षेत्र से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक संकेतकों पर आवश्यक द्वितीयक डेटा प्रदान किया।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण और स्थल भ्रमण: प्रभावित परिवारों और स्थानीय हितधारकों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से प्राथमिक डेटा एकत्र किया गया, जिससे संभावित प्रभावों की प्रासंगिक समझ प्राप्त हुई। घरेलू सर्वेक्षण 17 से 25

सितंबर 2025 तक व्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया, जिसमें आवश्यक विभाग द्वारा चिन्हित अधिसूचित क्षेत्र को शामिल किया गया।

• **हितधारक परामर्श:** समुदाय के सदस्यों और प्रमुख हितधारकों के साथ सार्वजनिक बैठकें, साक्षात्कार और केंद्रित समूह चर्चाओं ने एसआईए के निष्कर्षों को आकार देने और एसआईएमपी तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुझावों ने यह सुनिश्चित किया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में स्थानीय दृष्टिकोणों और चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया।

2.8 प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श का कार्यक्रम और आयोजित सार्वजनिक सुनवाई का संक्षिप्त विवरण

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, 29 दिसंबर, 2025 को दो स्थानों पर जन सुनवाई सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह सुनवाई शिमला जिले के शिल्ली बागी ग्राम, शिमला (ग्रामीण) और सोलन जिले के मामलिघ तहसील के माझ्यारी स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई। कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के शिल्ली बागी ग्राम स्थित ग्राम पंचायत मैदान में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता शिमला ग्रामीण के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) श्री मनजीत शर्मा और मामलिघ के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) श्री गोपाल शर्मा ने की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, जिला सूचना अधिकारी शिमला, ब्लॉक विकास अधिकारी, टूटू और तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) एवं मामलिघ तहसील के माझ्यारी सहित संबंधित विभागों द्वारा अधिसूचना का प्रचार-प्रसार किया गया।

दोनों सुनवाईयों में संबंधित एसडीएम और HIMUDA के कार्यकारी अभियंता श्री राज कुमार, नायब तहसीलदार श्री देवराज, राजस्व विभाग के नंबरदार और लेखपाल, ग्राम पंचायत सदस्य, मनोनीत अधिकारी, भूमि अधिग्रहण कार्यालय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सब-इंस्पेक्टर श्री प्रकाश चंद, ब्लॉक कमेटी टूटू के उपाध्यक्ष श्री राम लाल ठाकुर, ग्राम पंचायत बागी के प्रधान श्री नरेश ठाकुर, शिल्ली बागी के उप-प्रधान श्री देशराज, सामाजिक प्रभाव अध्ययन एजेंसी सिबार्ट और अग्रिमा के श्री राजेश कुमार, सुश्री आकांक्षा तोमर और श्री अरविंद कुमार उपस्थित थे; साथ ही शिमला (ग्रामीण) के प्रभावित ग्रामों और तहसील मामलिघ, जिला सोलन के प्रभावित ग्रामों के लगभग 300-350 स्थानीय निवासी भी उपस्थित थे।

इस मंच ने सरकारी अधिकारियों और सामुदायिक हितधारकों के बीच खुले मंच पर खुलकर संवाद करने का अवसर प्रदान किया, जिससे प्रस्तावित परियोजना पर विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान संभव हुआ।

• हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापक प्रचार प्रयासों के बावजूद, प्रभावित परिवारों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने जन सुनवाई में भाग लिया।

• जन सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और अमर उजाला, अन्य मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा इसे व्यापक रूप से कवर किया गया।

2.8 कार्य विवरण और समय-सीमा

क्रम संख्या	कार्य विवरण	दिन
1	साहित्य का पुनरावलोकन	2
2	प्रश्नावली की तैयारी और डेटा संग्रह की जाँच सूची	6
3	डेटा संग्रह और क्षेत्र सर्वेक्षण	21
4	क्षेत्र की जानकारी का विश्लेषण	31
5	ड्राफ्ट आख्या लेखन	44
6	ड्राफ्ट आख्या की पर्याप्त प्रति तैयार करना	

7	ड्राफ्ट आख्या की पर्याप्त प्रति प्रस्तुत करना	50
8	जनसुनवाई की घोषणा और प्रकाशन	56
9	एसआईए का सारांश खोजने के लिए पोस्टर/पर्चे की तैयारी	
10	प्रावधान के अनुसार सुनवाई का संचालन	77
11	अंतिम आख्या में सुनवाई के निष्कर्ष को शामिल करना	85
12	सहमति प्रक्रिया में एसआईए टीम की भागीदारी	
13	अंतिम आख्या की पर्याप्त प्रति प्रस्तुत करना	90
14	स्पष्ट, संक्षिप्त और सुलभ SIA और SIMP रिपोर्ट प्रस्तुत करना	90

अध्याय 3
भूमि मूल्यांकन

किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सुनियोजित क्षेत्र में जाठिया देवी माउंटेन टाउनशिप के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सुनियोजित क्षेत्र में जाठिया देवी में एक नई माउंटेन टाउनशिप के निर्माण के लिए शिमला (ग्रामीण) तहसील के 8 ग्रामों और सोलन जिले की मामलिघ तहसील के 1 ग्राम सहित कुल 9 ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

3.1 भूमि सूची और प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी

परियोजना के अंतर्गत आवश्यक भूमि का विवरण तालिका 3.1 और 3.2 में दर्शाया गया है। तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि परियोजना के अंतर्गत कुल 414-91-44 हेक्टेयर (या 4921-18 बीघा) भूमि प्रभावित हो रही है, जिसमें से लगभग 249-49-51 हेक्टेयर (या 2959-12 बीघा) भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है (लगभग 60 प्रतिशत)।

तालिका 3.1 में प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि का विवरण दिया गया है।

क्रम संख्या	ग्राम के नाम	तहसील	भूस्वामियों की निजी भूमि
1	मंझ्यारी	तहसील मामलिघ	35-92-44
1	चनान	तहसील शिमला(ग्रामीण)	45-95-49
2	पंटी		08-88-76
3	आंजी		32-10-62
4	शिल्ली बागी		56-63-95
5	मझोला		06-32-81
6	शिलरू		17-30-67
7	धनोकर		21-89-04
8	क्यारगी		24-45-73
	कुल		249-49-51 हे॰ (2959-12 बीघा)

3.2 भूमि का प्रकार:

इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली ग्राम भूमि कृषि, गैर-कृषि, आवासीय, शामलात प्रकार और बंजर एवं घासनी श्रेणियों में आती है।

3.3 भूमि का उपयोग:

स्थल निरीक्षण, क्षेत्र के लोगों और प्रभावित भूस्वामियों से बातचीत के बाद यह पता चला कि इस क्षेत्र की भूमि मुख्य रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन और वाणिज्यिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है।

3.4 परियोजना के प्रभाव क्षेत्र का संपूर्ण भाग:

शिमला प्रदेश के सोलन जिले की तहसील शिमला (ग्रामीण) के 8 ग्रामों और तहसील मामलिघ के 1 ग्राम में जाठिया देवी स्थित "पर्वतीय टाउनशिप परियोजना" शिमला हिल्स के निर्माण हेतु 249-49-51 हेक्टेयर (2959-12 बीघा) निजी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ताकि परियोजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

इस पहल से प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र पर असर पड़ने की उम्मीद है, जहाँ भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग में बदलाव से भूस्वामियों, किरायेदारों और कृषि श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में आस-पास के ग्राम और शहरी बाहरी क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ रोजगार के अवसरों में वृद्धि, भूमि मूल्यों में वृद्धि, बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी सेवाओं के विस्तार जैसे द्वितीयक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, साथ ही जल निकासी प्रणाली में बदलाव, निर्माण

गतिविधियों और जनसंख्या वृद्धि से संभावित पारिस्थितिक दबाव भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर, यह टाउनशिप शिमला क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक और स्थानिक गतिशीलता को नया रूप देने की उम्मीद है, जो एक उपग्रह बस्ती के रूप में कार्य करते हुए मुख्य शहर में भीड़भाड़ को कम करेगी और अपने व्यापक प्रभाव क्षेत्र में आजीविका और बुनियादी ढांचे के नए अवसर पैदा करेगी।

इसके अतिरिक्त, यह परियोजना पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ विकसित की जा रही है, जिसमें ईंधन की खपत को कम करके पारिस्थितिक पदचिह्न को न्यूनतम किया जा रहा है और साथ ही स्वस्थ और समावेशी आवासीय स्थानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

3.5 परियोजना के लिए अधिग्रहण का दायरा और कुल भूमि आवश्यकता

3.5.1 अधिग्रहण का दायरा

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जाठिया देवी में प्रस्तावित पर्वतीय टाउनशिप परियोजना, हिमाचल प्रदेश के आवास विभाग की एक प्रमुख शहरी विकास पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक सुनियोजित और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ सैटेलाइट टाउनशिप स्थापित करना है।

यह टाउनशिप शिमला-बिलासपुर कॉरिडोर पर रणनीतिक रूप से स्थित है, शिमला हवाई अड्डे के निकट है और शिमला (ग्रामीण) तहसील के आठ ग्रामों और सोलन जिले के एक ग्राम को कवर करती है। अधिग्रहण के दायरे में निजी, शामलात और सरकारी स्वामित्व वाली भूमि शामिल है, जिसमें कृषि योग्य, बंजर और वन भूमि के भूखंड शामिल हैं जो चरणबद्ध शहरी विकास के लिए उपयुक्त हैं।

इस अधिग्रहण का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यों को सुगम बनाना है:

- आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्रों का निर्माण।
- सड़क, जल आपूर्ति, सीवरेज और बिजली नेटवर्क जैसी सहायक अवसंरचना का विकास।
- सार्वजनिक सुविधाओं, हरित क्षेत्रों और सामाजिक अवसंरचना (स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क आदि) के लिए भूमि का आवंटन।
- रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदूषण रहित हल्के उद्योगों और सेवा क्षेत्रों का प्रावधान।
- क्षेत्रीय आवागमन को सुगम बनाने और शिमला के केंद्र पर दबाव कम करने के लिए एक सैटेलाइट परिवहन टर्मिनल की स्थापना।

यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के अनुसार किया जाएगा, जिससे प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका की बहाली सुनिश्चित हो सके।

3.5.2 डीपीआर और पीएपी के सुझाव के अनुसार कुल भूमि आवश्यकता

हिमूडा द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और प्रारंभिक लेआउट योजनाओं के अनुसार, पर्वतीय टाउनशिप परियोजना के लिए कुल भूमि आवश्यकता लगभग 135 हेक्टेयर (8.3 वर्ग किलोमीटर) अनुमानित है, जिसमें धनोकर, अंजी, चानन और मझोला के 4 ग्राम शामिल हैं।

विकास के लिए कुल उपलब्ध भूमि 135 हेक्टेयर है। वर्तमान में 35 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार के पास है। उपलब्ध 35 हेक्टेयर भूमि सन्निहित और भारमुक्त है।

भूमि मंजूरी (भूमि उपयोग और ज़ोनिंग कन्वेंशन की संभावना)

हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 35 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से कार्यान्वयन एजेंसी, HIMUDA के पास 20 हेक्टेयर भूमि है। HIMUDA ने मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसे हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग और RERA द्वारा अनुमोदित किया गया है। सरकारी भूमि के स्थान सहित आधार मानचित्र नीचे दिए गए चित्र में प्रस्तुत किया गया है। शेष 15 हेक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के पास उपलब्ध है।

शेष 100 हेक्टेयर भूमि के लिए, सरकार डीपीआर के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया में है। भूमि उपयोग का संभावित वितरण इस प्रकार है:

भूमि उपयोग श्रेणी	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	विवरण
आवासीय क्षेत्र	55.16 हेक्टेयर	40.86%	विभिन्न आय वर्गों के लिए भूखंडित आवास, सामूहिक आवास और आवासीय परिसर।
वाणिज्यिक और संस्थागत क्षेत्र	13.36 हेक्टेयर	9.90%	कार्यालय परिसर, खुदरा क्षेत्र, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवा संस्थान।
सड़कें और परिवहन अवसंरचना	13.78 हेक्टेयर	10.21%	सड़कें, आंतरिक आवागमन, पार्किंग और एक प्रस्तावित सैटेलाइट बस टर्मिनल।
हरित/ खुले और मनोरंजक क्षेत्र	32.98 हेक्टेयर	24.43%	पार्क, खुले हरे-भरे स्थान, खेल के मैदान और नदी नालों आदि सहित भूदृश्य बफर।
सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सामाजिक अवसंरचना	4.02 हेक्टेयर	2.98%	जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, बिजली उप-स्टेशन और सामुदायिक सुविधाएं।
प्रदूषण रहित औद्योगिक और सेवा क्षेत्र	15.7 हेक्टेयर	11.63%	लघु स्तर की कार्यशालाएँ, सेवा केंद्र और स्टार्टअप हब।
कुल	135 हेक्टेयर	100%	—

(नोट: आंकड़े सांकेतिक हैं और अंतिम सीमांकन और अनुमोदन के दौरान इनमें संशोधन किया जा सकता है।)

वर्तमान में सरकार के पास 35 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। परिकल्पना के अनुसार, परियोजना के पहले चरण में आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) पहले 3 वर्षों की विकास अवधि के भीतर 35 हेक्टेयर भूमि का विकास करेगा। साथ ही, आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) माजोला में 19.13 हेक्टेयर, धनोकर ग्राम में 11.93 हेक्टेयर और चानन ग्राम में 30 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। परियोजना के दूसरे चरण में, आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) माजोला और धनोकर ग्राम में अधिग्रहित 30.98 हेक्टेयर भूमि का विकास 3-6 वर्षों (3 वर्ष) की अवधि में करेगा। चानन ग्राम की शेष 69.02 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) द्वारा पहले 6 वर्षों के भीतर किया जाएगा और इस क्षेत्र का विकास तीसरे चरण में किया जाएगा। तीसरे चरण के विकास की अवधि 7-10 वर्ष (4 वर्ष) के बीच होगी।

3.5.3 भूमि की प्रकृति

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- निचली पहाड़ी ढलानों पर निजी स्वामित्व वाली कृषि और बागवानी भूमि।
- सरकारी और राजस्व भूमि, जिसमें कुछ बंजर और झाड़ीदार क्षेत्र शामिल हैं।
- सीमित वन क्षेत्र जिन्हें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी की आवश्यकता है।

भूभाग मध्यम रूप से ऊबड़-खाबड़ है जिसमें ढलान की प्रवणता भिन्न-भिन्न है, जो ढलान स्थिरीकरण और पर्यावरण-संवेदनशील इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके चरणबद्ध विकास के लिए उपयुक्त है।

3.5.4 कार्यान्वयन चरण

भूमि अधिग्रहण और विकास को बुनियादी ढांचे की तैयारी और मांग के अनुरूप चरणों में निष्पादित किया जाएगा। चरण-I में मुख्य बुनियादी ढांचे, आवासीय समूहों और प्राथमिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके बाद के चरणों में वाणिज्यिक और संस्थागत विकास किए जाएँगे।

3.6 क्षेत्र के आसपास की किसी भी सार्वजनिक, अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग

जाठिया देवी स्थित पर्वतीय टाउनशिप परियोजना क्षेत्र के आसपास की सार्वजनिक और अनुपयोगी भूमि में मुख्य रूप से वन भूमि, चारागाह क्षेत्र और राजस्व एवं वन विभागों के नियंत्रण में सरकारी स्वामित्व वाली पहाड़ी ढलानें शामिल हैं। ये भूमि अधिकतर निर्जन है और प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित है, जो आसपास के ग्रामों के लिए पारिस्थितिक बफर और जल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। इन सार्वजनिक भूमियों के कुछ हिस्से स्थानीय निवासियों द्वारा मौसमी रूप से पशुओं को चराने, जलाऊ लकड़ी और अन्य छोटे वन उत्पादों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ भूभाग खड़ी स्थलाकृति और सीमित पहुँच के कारण अनुपयोगी रहते हैं, जबकि अन्य का उपयोग कभी-कभी ग्राम-स्तरीय सामुदायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि रास्ते, जल स्रोत और पारंपरिक मेले। प्रस्तावित टाउनशिप स्थल के तत्काल आसपास इन सार्वजनिक भूमियों के किसी भी बड़े औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग की सूचना नहीं मिली है।

3.7 परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए पहले से खरीदी गई, हस्तांतरित, पट्टे पर ली गई/अधिग्रहित भूमि और इच्छित उपयोग

वर्तमान परियोजना मुख्य रूप से सरकारी भूमि पर स्थित है, जबकि निजी भूमि का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित 292 परिवारों (908 व्यक्तियों) का है। इनमें से कुछ लाभार्थियों ने अदालत में मुकदमा दायर किया है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किए जाने के बावजूद, वे सभी नई माउंटेन टाउनशिप परियोजना के पक्ष में पूरी तरह असहमत थे।

परिणामस्वरूप, वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया को कुटासनी, रौरियात शिमला और सैरी और मामलिघ, तहसील कंडाघाट, सोलन और आवास विभाग की अपनी भूमि जैसी वैकल्पिक भूमि पर केंद्रित किया जा सकता है, जो जन सुनवाई के बाद लिखित आवेदन के माध्यम से प्रस्तावित उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। सुनवाई के दौरान और व्यापक लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से, कई पंचायतों और ग्रामों के ग्रामीणों ने कृषि पर आधारित आजीविका पर गंभीर प्रतिकूल प्रभावों का हवाला देते हुए सर्वसम्मति से और जोरदार ढंग से परियोजना का विरोध किया।

डेयरी फार्मिंग, कानून द्वारा संरक्षित उपजाऊ बहु-फसली और सिंचित भूमि का नुकसान, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण-शहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरा, पारंपरिक, किरायेदारी, वन और सार्वजनिक भूमि (शामलत) अधिकारों का उल्लंघन, लंबित अदालती मामले और यथास्थिति आदेश, और मुआवजे, पुनर्वास और विकल्पों का अपर्याप्त मूल्यांकन जैसे मुद्दे सामने आए हैं। प्राचीन मंदिरों, पवित्र भूमियों और देवताओं (देवताओं) की उपस्थिति के कारण गंभीर धार्मिक और सांस्कृतिक चिंताएं उठाई गईं, जिनकी सहमति अनिवार्य मानी जाती है। इसके अलावा, जल स्रोतों, जंगलों, चरागाहों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचने का भी डर है, जिसके चलते व्यापक पर्यावरण प्रभाव आंकलन और वन अधिकारों की मान्यता की बार-बार मांग की गई है।

कई अनुसूचित जाति समुदायों और छोटे भूस्वामियों ने विस्थापन और गरीबी के खतरे को उजागर किया, जबकि सहकारी समितियों और मंदिर समितियों ने प्रस्तावित माउंटेन टाउनशिप को अलाभकारी, असंवैधानिक और पर्यावरण के लिए हानिकारक बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। कुल मिलाकर, कार्यवाही में जनता का भारी विरोध दर्ज किया गया, अधिग्रहण को रद्द करने या निलंबित करने के अनुरोध किए गए और इस बात पर जोर दिया गया कि परियोजना पर किसी भी प्रकार का विचार केवल मौजूदा HIMUDA के स्वामित्व वाली भूमि तक ही सीमित होना चाहिए, जो वैधानिक पर्यावरण

मंजूरी और नए, ग्राम-विशिष्ट आंकलन के अधीन हो। विभाग इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने, कानूनी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और अधिग्रहण प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.8 जोतों का आकार, स्वामित्व पैटर्न, सीपीआर और वर्तमान स्थिति

सीमांत जोतों से तात्पर्य छोटे आकार के भूमि पार्सल से है, जो आमतौर पर 1 हेक्टेयर या उससे कम होते हैं, और परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों के पास सीमांत और छोटे आकार की भूमि जोत हैं।

पहचाने गए पार्सल में अन्य भौतिक संरचनाओं या सीपीआर के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम के नाम	भौतिक संरचनाएँ	संख्या
1	मामलिघ	मंझ्यारी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	01 01
1	शिमला(ग्रामीण)	चनान	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	01 02
2		पंटी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर, दुकाने, स्कूल	02 01 18 01
3		आंजी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 03
4		शिल्ली बागी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहरs, दुकाने स्कूल	01 02 02 01
5		मझोला	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 01
6		शिलरू	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर, दुकान	02 02 01
7		धनोकर	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 01
8		क्यारगी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर	02 01

यहां विभिन्न आयु वर्ग के असंख्य वृक्ष भी मौजूद हैं। ये मौजूदा विशेषताएं दर्शाती हैं कि भूमि अधिग्रहण से विस्थापन और निर्मित संपत्तियों को हटाना पड़ सकता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और निवारण की आवश्यकता है। इस प्रकार, भूमि की वर्तमान स्थिति कुछ चुनौतियां और संभावित विवाद प्रस्तुत करती है, जिन्हें सामाजिक व्यवधान को कम करने के परियोजना के उद्देश्य के अनुरूप अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, राजस्व अभिलेखों के अनुसार केवल मझोला ग्राम के पास ही शामलात भूमि है, लेकिन पीएपी का कहना है कि शिलरू, पंटी, शिल्ली बागी आदि के पास भी शामलात भूमि का अधिकार है। जाठिया देवी में पर्वतीय टाउनशिप के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित पुनर्वास उपाय और हितधारकों की भागीदारी आवश्यक होगी।

सामाजिक प्रभाव अनुसंधान के सदस्यों, प्रभावित भूस्वामियों और स्थानीय सदस्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

- ❖ यह परियोजना अभी प्रारंभिक चरण में है।
- ❖ इस परियोजना से 292 परिवार प्रभावित हो रहे हैं; इसलिए यह रिपोर्ट 158 परिवारों के आधार पर तैयार की गई है।
- ❖ इस परियोजना को पूरा करने के लिए 414-91-44 हेक्टेयर (या 4921-18 बीघा) भूमि प्रस्तावित है, जिसमें से 249-49-51 हेक्टेयर (2959-12 बीघा) निजी भूमि इस परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जानी है।
- ❖ कृषि विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग की कुछ भूमि भी इस परियोजना से प्रभावित हो रही है।
- ❖ प्रभावित व्यक्तियों और वन विभाग की शामलात भूमि पर पशु चराई देखी गई, जबकि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की भूमि पर कृषि कार्य देखा गया।
- ❖ कोई भी भूस्वामी इस परियोजना के लिए अपनी भूमि देने को तैयार नहीं है।
- ❖ विस्थापन की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है।

तालिका: 3.2 स्वामित्व वाली कुल भूमि और भूमि का क्षेत्रफल:

क्रम संख्या	ग्राम	भूमि का स्वामित्व और क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)								कुल क्षेत्रफल	किता
		किता	निजी भूमि	किता	हिमुडा भूमि	किता	शामलात भूमि	किता	सरकारी जमीन		
1	चनान	444	45-95-49	47	13-24-10	-----	---------	11	02-85-55	62-05-14	502
2	मझोला	75	06-32-81	49	07-40-75	01	10-25-85	06	00-59-66	24-58-67	131
3	आंजी	217	32-10-62	------	----------	-----	---------	88	34-89-92	67-00-54	305
4	शिलरू	301	17-30-67	------	----------	-----	---------	154	27-24-93	44-55-60	455
5	धनोखर	137	21-89-04	------	----------	-----	---------	07	01-26-19	23-15-23	144
6	शिल्ली बागी	779	56-63-95	------	----------	-----	---------	59	39-46-83	96-10-78	838
7	पंटी	312	08-88-76	------	----------	-----	---------	116	13-08-00	21-96-76	428
8	क्यारगी	380	24-45-73	------	----------	-----	---------	47	06-59-87	30-05-60	427
9	मझ्यारी	72	35-92-44	------	----------	-----	---------	09	08-51-01	44-43-45	81
	कुल		249-49-51 (2959-12 बीघा)		20-64-85 (244-18 बीघा)		10-25-85 (121-14 बीघा)		134-51-56 (1595-14 बीघा)	414-91-77 (4921-18बीघा)	3311

प्रतिक्रिया और जन सुनवाई की कार्यवाही:

एसआईए के संदर्भ में और कार्यालय पत्र संख्या SIAU/HIPPA (MTSH)-10/2025 दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के अनुपालन में, हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (HP RFCTLARR) नियम, 2015 के नियम 8 के तहत 8 दिसंबर, 2025 को एसडीएम कार्यालय ने जन सुनवाई की सूचना जारी की। जन सुनवाई तीन सप्ताह बाद, 29 दिसंबर, 2025 को बागी स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्धारित की गई थी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, जिला सूचना अधिकारी शिमला, ब्लॉक विकास अधिकारी, टूटू और तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) सहित संबंधित विभागों द्वारा इस सूचना का प्रचार-प्रसार किया गया। एसआईए टीम ने जन सुनवाई से पहले 23 और 24 दिसंबर 2025 को दौरा किया और जन सुनवाई में भाग लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। साथ ही, जन सुनवाई की सूचना 23 दिसंबर 2025 को शिमला ग्रामीण तहसील कार्यालय और बागी ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई गई।

उपस्थित लोग:

जन सुनवाई 29 दिसंबर, 2025 को बागी स्थित ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई थी। उपस्थित लोगों में श्री राज कुमार, कार्यकारी अभियंता, हिमूदा; श्री देवराज, नायब तहसीलदार; श्री राजेश कुमार, परियोजना समन्वयक,

और सुश्री आकांक्षा (मेसर्स सीबार्ट और अग्रिमा, दिल्ली); श्री प्रकाश चंद, उप-निरीक्षक, पुलिस विभाग; श्री राम लाल ठाकुर, उपाध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी टूटू; श्री नरेश ठाकुर, प्रधान, ग्राम पंचायत बागी; श्री देशराज, उप-प्रधान, शिल्ली बागी; और प्रभावित ग्रामों के लगभग 300-350 स्थानीय निवासी शामिल थे (उपस्थित लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए)।

प्रमुख सुझाव और आपत्तियाँ:

बैठक के दौरान, उपस्थित लोगों ने मौखिक और लिखित रूप से निम्नलिखित सुझाव और आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, जिन्हें दिल्ली स्थित मेसर्स सीबार्ट और अग्रिमा द्वारा तैयार किए गए सामाजिक प्रभाव आंकलन के मसौदे में शामिल करने का निर्देश दिया गया।

1) ग्रामीणों के अनुसार, प्रस्तावित भूमि पर रहने वाले अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं, और उनकी आजीविका मुख्य रूप से खेती और दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है। प्रति परिवार लगभग 90 से 100 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त, टमाटर, अदरक और हरी सब्जियों जैसी नकदी फसलें (4 से 5 पिकअप ट्रक लोड) शिमला सब्जी मंडी में भेजी जाती हैं।

2) सामाजिक प्रभाव आंकलन के मसौदे में शामिल अधिकांश सरकारी भूमि साझा भूमि और किरायेदारी समझौतों के तहत स्थानीय निवासियों के अधिकारों के अधीन है। स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने की संभावनाओं के साथ-साथ इस बिंदु को भी मसौदे में शामिल किया जाना चाहिए।

(3) यहाँ के लोगों की अपने देव समाज (स्थानीय देवता) में अपार आस्था है, और लगभग सभी निर्णय देव समाज (देवता) की स्वीकृति से ही लिए जाते हैं। प्रतिनिधियों का यह भी कहना है कि "इसलिए, भूमि अधिग्रहण के लिए देव समाज (देवता) की अनुमति अनिवार्य है। हालाँकि, देव समाज (देवता) को गौण माना जाता है।" मसौदे में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि देवता की भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान, ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से और पुरजोर विरोध किया।

इस संदर्भ में, हमारी सहकारी समिति इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहती है कि जाठिया देवी क्षेत्र में देवी जाठिया, देवता जंगा, ठाकुर जी और महावीर जी के अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जो इस क्षेत्र की पांच पंचायतों के कुलदेवता हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित नगर निगम के लिए चिन्हित भूमि अधिकतर उपजाऊ कृषि भूमि है, जो किसानों की आजीविका का एकमात्र स्रोत है। इसलिए, प्रस्तावित अलाभकारी पर्वतीय नगर निगम परियोजना, जिसका उद्देश्य किसानों और उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को विस्थापित करके धनी, गैर-कृषिशील और गैर-हिमाचली लोगों को बसाना है, हमें किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। यह न केवल अलोकतांत्रिक और पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, बल्कि यह उन किसानों के संवैधानिक अधिकारों, आजीविका, जल संसाधनों, पर्यावरण और धार्मिक मान्यताओं पर सीधा हमला है जो पीढ़ियों से इस भूमि पर खेती करते आ रहे हैं और इसके मालिक हैं।

किसानों की सहमति के बिना इतनी बड़ी और निरर्थक निर्माण परियोजना को लागू करना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही, गैरकानूनी और जनहित की घोर अवहेलना है। ग्रामीण परिवेश में पीढ़ियों से बसे स्थानीय किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि, घरों और जंगलों का अधिग्रहण करना और उनकी आजीविका के एकमात्र साधन, घरों और पर्यावरण को नष्ट करके धनी, गैर-कृषक और गैर-हिमाचली लोगों के लिए एक शहर बसाना न केवल अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी है, बल्कि हर मायने में असंवैधानिक भी है। इसलिए, सहकारी समिति इस परियोजना का कड़ा विरोध करती है और अपने पत्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी देती है कि व्यापक जनहित और जनभावना को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मौजा शिलदू में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, लेकिन इस ग्राम के खसरा संख्या 349 से 00-42-14 हेक्टेयर भूमि, विशेष रूप से प्लॉट संख्या 349/1, जुब्बरहट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आरक्षित की गई है, और इस भूमि का संयुक्त निरीक्षण 29 अक्टूबर, 2024 को किया गया था (फोटोकॉपी संलग्न हैं)। इसलिए, क्षेत्र में जनता के लिए आवश्यक

स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इसे अनुपयोगी शहरीकरण के पक्ष में दबाया नहीं जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मौजा शिलदू में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है, लेकिन इस ग्राम के खसरा संख्या 349 से 00-42-14 हेक्टेयर भूमि, विशेष रूप से प्लॉट संख्या 349/1, जुब्बरहट्टी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए आरक्षित की गई है, और इस भूमि का संयुक्त निरीक्षण 29 अक्टूबर, 2024 को किया गया था (फोटोकॉपी संलग्न हैं)। इसलिए, क्षेत्र में जनता के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इसे अनुपयोगी शहरीकरण के पक्ष में दबाया नहीं जाना चाहिए।

मौजा दानोखर की पूरी ज़मीन जातीय देवी मंदिर के अंतर्गत आती है, जो आठ देवियों को समर्पित है। विभिन्न देवी-देवताओं के समय से लेकर आज तक, इस मंदिर को धूप और दीपों के चढ़ावे के बजाय भूमि अनुदान (मुआफी) के रूप में राजस्व प्राप्त होता रहा है। इस ज़मीन से संबंधित एक मामला, जिसमें मंदिर समिति और अन्य शामिल हैं, वर्तमान में उच्च न्यायालय में लंबित है (मामला संख्या H050)। इस मामले में कार्यवाहक मोहतामी, डीएस शिमला, हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता और अन्य पक्षकार हैं। यह मामला दीवानी वाद संख्या 5/2020 से संबंधित है। इस मामले में, न्यायालय ने 10 जनवरी, 2020 को ओएमपी संख्या 32/2020 में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया था, और यह आदेश अभी भी प्रभावी है। यदि इसके बावजूद सरकार अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तो दानोखर ग्राम की ज़मीन का अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की अवमानना होगी। तब न्यायालय के आदेशों की अवमानना के लिए वही एकमात्र रूप से जिम्मेदार होगा।

मोहल मझोला ग्राम के लगभग 50 विस्थापित व्यक्ति इस परियोजना के पूर्णतः विरोधी हैं। उपरोक्त आपत्तियों के साथ-साथ उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा आगे की कार्रवाई (जैसे कि HIPA आदि) से पहले EIA और वन अधिकार 2006 पर विचार करने का भी सुझाव दिया।

शिमला जिले के पटवार सर्कल धामन स्थित शिलरू ग्राम और सोलन जिले के पटवार सर्कल सायरी स्थित मामारी ग्राम के लगभग 10 विस्थापित व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। उनके पास बहुत कम जमीन है, आमतौर पर बिस्वास में। उन्होंने कहा कि उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए इस जमीन पर निर्भर है और उन्होंने सुझाव दिया कि HIMUDA को वैकल्पिक सरकारी जमीन उपलब्ध करानी चाहिए और मानव पलायन की त्रासदी के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभावों को भी रोकना चाहिए।

क्यार्गी, शिल्ली बागी, मझोला, चानन, आंजी, दानोखर, शिलदू आदि ग्रामों के सभी ग्रामीणों ने मिलकर एसआईए टीम और एसडीएम, शिमला ग्रामीण, शिमला, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया है कि यहां देवता जंग महाराज का एक प्राचीन मंदिर है, जो बहुत पुराना है और इसकी प्राचीनता के प्रमाण देवता के पास मौजूद हैं। देवता जंग, कजराल के शिव स्वयंभू से भी जुड़े हुए हैं। देवता की एक परिषद भी है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

1.देवता काठेश्वर
2.देवता खड्मु
3.देवता माली
4.शारपाल देवता
5.चौंडली रानी
6.चाडोगर
7.महावीर लक्ष्मी नरसिम्हा
8.जाठिया देवी ज्वाला
9.कालका
10.क्षेत्रपाल

11.शिव देवता जंग

उपरोक्त देवता 6-7 ग्रामों से जुड़े हुए हैं, जिनके वचनों के माध्यम से देवताओं का संबंध स्थापित हुआ है। देवता जंग महाराज की विशेष रथयात्रा भी इस ग्राम से जुड़ी हुई है, जिनका कल्याण इस यात्रा का केंद्र है। स्थानीय पुजारी द्वारा देवशयनी और हरिप्रबोधिनी उत्सवों, मासिक संक्रांति पूजा और प्रतिदिन धूप और दीपक अर्पित करके पारंपरिक सामूहिक पूजा की जाती है। इसलिए, वे भूमि अधिग्रहण का पुरजोर और सर्वसम्मति से विरोध कर रहे हैं।

मोहल्ला क्यार्गी ग्राम के लगभग 34 दिव्यांगजनों ने उपरोक्त आपत्तियों के साथ-साथ इस परियोजना का पूर्ण विरोध किया और इसे रद्द करने का अनुरोध किया।

इसी प्रकार, टुटू ब्लॉक कार्यालय के पंचायत बागी ग्राम के लगभग 156 (बिना हस्ताक्षर के) दिव्यांगजनों ने भी इस अधिग्रहण परियोजना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चराई गतिविधियों के लिए शमालत भूमि पर उनका अधिकार है, इसलिए वे अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं।

टुटू ब्लॉक कार्यालय के पंचायत बागी ग्राम के अंजी ग्राम के लगभग 34 दिव्यांगजनों ने बताया कि उनकी जमीन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 10 के अंतर्गत आती है, जहाँ कानून सिंचित बहुफसली भूमि को विशेष संरक्षण प्रदान करता है, जो आम तौर पर उपजाऊ कृषि भूमि होती है और एक वर्ष में दो या अधिक फसलें उगाने में सक्षम होती है। इसलिए, प्रस्तावित अधिग्रहण धारा 10 के तहत कानूनी संरक्षण का उल्लंघन करता है और जब तक इसे अपरिहार्य अपवाद के रूप में उचित न ठहराया जाए, अधिग्रहण शून्य और अन्यायपूर्ण है।

कुछ प्रवासी प्रभावित लोगों को डर है कि वे ज़मीन पर अपना अधिकार साबित करने में असफल हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कोई मुआवज़ा या प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि एसआईए रिपोर्ट ग्राम अंजी की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शाती है। इस क्षेत्र के ग्रामीण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और कृषि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर हैं और शिमला शहर को सब्जियां, दूध और अन्य कृषि उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्थानीय खाद्य आपूर्ति और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है। अधिग्रहण से ग्रामीण-शहरी आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित होगी। प्रभावित किसानों के पास वैकल्पिक भूमि या समान रोजगार के अवसर न होने के कारण, वे कृषि छोड़ने और अर्ध-कुशल या अकुशल मजदूर बनने के लिए मजबूर हैं, जिससे आर्थिक विस्थापन और सामाजिक पतन हो रहा है। यह परिणाम सतत विकास, खाद्य सुरक्षा और आजीविका एवं गरिमा के संवैधानिक संरक्षण के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

वे पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और उन्होंने क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) करने और वैकल्पिक भूमि, मुआवज़ा, पुनर्वास और निपटान उपायों पर सार्थक परामर्श करने का सुझाव दिया।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया जाता और ग्राम-विशिष्ट नया आंकलन नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान कार्यवाही कानून के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने के उद्देश्य को विफल कर देगी।

उन्होंने कहा कि शिमला में भीड़भाड़ कम करने की बात महज एक मिथक है और यह हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 का उल्लंघन और लापरवाही है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आजीविका पर गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस भूमि में मंदिर, पवित्र स्थल, श्मशान घाट और स्थानीय देवी-देवताओं से जुड़े पूजा स्थल शामिल हैं, जो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण हैं; इनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ग्रामीणों के अपने धर्म और परंपराओं का पालन करने और उन्हें संरक्षित करने के अधिकार का उल्लंघन करेगी। अधिग्रहण से प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिनमें वे झरने भी शामिल हैं जो घरेलू उपयोग, कृषि और पशुपालन के लिए स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल प्रदान करते हैं। निर्माण और बदले हुए जल निकासी पैटर्न के कारण इनमें जल की कमी या हानि हो सकती है। सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) के मसौदे में इस मुद्दे का अपर्याप्त आंकलन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 के तहत पेयजल तक पहुँच जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।

इसके अतिरिक्त, भूमि के कुछ भाग चरंद/सीमांकित वन क्षेत्र हैं जिन पर ग्रामीण चराई, लघु वन उत्पाद संग्रहण और व्यक्तिगत उपयोग के लिए पत्थर और मिट्टी निकालने जैसे दीर्घकालिक पारंपरिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं; इन पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिए बिना अधिग्रहण से आजीविका और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ठेस पहुँचेगी। इन अनसुलझे और महत्वपूर्ण प्रभावों के कारण, एसआईए अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है, और इसलिए अनुरोध है कि अंजी ग्राम के लिए अधिग्रहण कार्यवाही रद्द की जाए, एक स्वतंत्र पर्यावरण और आजीविका मूल्यांकन किया जाए, और निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई में ग्रामीणों की आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाए और उसके बाद तर्कसंगत लिखित आदेश जारी किया जाए।

मोहल शिल्ली बागी ग्राम के लगभग 190 स्थानीय अप्रवासियों ने भी अपने ग्राम के लिए ऊपर बताए गए समान आपत्तियां उठाईं। उन्होंने बताया कि मोहल/शिल्ली बागी ग्राम के ग्रामीण खेवट संख्या 96 (अब खेवट संख्या 108 और 109), खाथुनी संख्या 164 से 175, कुल किट्टा 70, क्षेत्रफल 41-64-23 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा रखते हैं, जो शिल्ली बागी ग्राम, मोहल शिल्ली बागी, पटवार सर्कल - रामपुर क्योंथल, तहसील और जिला शिमला में स्थित है, और वे इसका उपयोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए करते हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उपर्युक्त भूमि को बिना किसी सूचना के म्यूटेशन संख्या 482 दिनांक 29.04.1976 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया था और अक्टूबर 1986 में हिमाचल प्रदेश राज्य ने म्यूटेशन संख्या 550 दिनांक 25.10.1986 के माध्यम से 312 बीघा 18 बिस्वा भूमि को आवेदकों की सहमति या सूचना के बिना हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था।

इसलिए, ग्रामीणों ने शिमला के माननीय सिविल जज के समक्ष दीवानी वाद संख्या 98/1/1987 दायर करके इसे चुनौती दी थी, और उसी पर 31.10.1991 को शिमला, हिमाचल प्रदेश के माननीय सब जज प्रथम श्रेणी (1) द्वारा आंशिक रूप से फैसला सुनाया गया था। माननीय न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भविष्य में ग्रामीणों के पारंपरिक सुखाधिकार में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। अतः, यदि सरकार उक्त भूमि पर ग्रामीणों के अधिकारों का हस्तांतरण करती है या उसमें हस्तक्षेप करती है, तो उक्त हस्तांतरण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का आदेश लागू होगा। आज की तारीख में ग्रामीण उक्त भूमि पर कब्जे में हैं और शांतिपूर्ण ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवेदकों की सहमति/जानकारी के बिना और उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना प्रविष्टियों को बदल दिया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उक्त भूमि का भौतिक कब्जा केवल ग्रामीणों के पास ही है।

उन्होंने एसआईए टीम को सूचित किया कि हिमाचल प्रदेश ग्राम साझा भूमि निहित एवं उपयोग अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2001 और अन्य बाद के स्पष्टीकरणों के पारित होने के बाद, 1974 के अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में निहित संपूर्ण ग्राम भूमि को उन मूल स्वामियों को लौटाया जाना आवश्यक है, जिनके पास अनादिकाल से भौतिक कब्जा है। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रामीणों की भूमि का निहित होना 2001 के संशोधित अधिनियम द्वारा अमान्य हो गया है और राज्य सरकार उक्त अधिनियम 2001 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है, जिसके तहत 1974 के अधिनियम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य में निहित संबंधित ग्रामीणों/आवेदकों की भूमि का स्वामित्व उनके मूल स्वामियों को लौटाया या बहाल किया जाए।

प्रतिनिधियों ने बताया कि मोहल शिल्ली बागी के ग्रामीण और उनके पूर्वज अनादि काल से उक्त भूमि के स्वामी हैं और यह स्वामित्व पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। इसके अलावा, वहां देवी (माता ग्वालतु देवी) का एक मंदिर, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, शिल्ली बागी और कुछ जलकुंड एवं नहरें भी स्थित हैं। यह भी बताया गया कि ग्रामीणों के अधिकार बंदोबस्ती के समय वज़ीब-उल-अर्ज में भी दर्ज हैं। अतः ग्रामीण अनादि काल से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी बिना किसी बाधा के निरंतर और शांतिपूर्ण ढंग से उक्त भूमि पर अपने उपरोक्त अधिकारों का उपयोग करते आ रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने एसआईए टीम को सूचित किया कि कब्जे और स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए ग्रामीणों ने हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या सी.डब्ल्यू.पी. 1447/2020 दिनांक 04.01.2020, सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 101/2020 के साथ स्थगन आवेदन और अन्य सिविल विविध याचिकाएं संख्या सी.एम.पी. 461/2020, सी.एम.पी. 460/2020 और सी.एम.पी. 463/2020 के माध्यम से ओम प्रकाश और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के नाम से याचिका दायर की है और ये याचिकाएं अभी लंबित हैं।

उपर्युक्त उत्तर दाखिल करने से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने खाता संख्या 109 वाली 6-12-22 हेक्टेयर भूमि, जिसका खसरा संख्या 93, 95, 104, 754, 755, 789, 794 है, के उत्परिवर्तन संख्या 114 दिनांक 5.8.2020 को शिल्ली बागी के राजस्व ग्राम के पक्ष में सत्यापित कर दिया था और उक्त भूमि के स्वामित्व अधिकार स्थानीय निवासियों को हस्तांतरित कर दिए थे, लेकिन शेष 312 बीघा 18 बिस्वा भूमि, जो शिल्ली बागी ग्राम के निवासियों के कब्जे में है, के लिए राज्य ने ग्रामीणों के पक्ष में उत्परिवर्तन करने से इनकार कर दिया है, जबकि ग्रामीण हिमाचल प्रदेश सामान्य भूमि निहित और उपयोग अधिनियम, 1974 के तहत पात्र हैं।

अतः विवादित भूमि के अधिग्रहण से पहले वर्तमान तथ्यों और लंबित आपत्ति पर विचार किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों के हित में जाठिया देवी में नए शहर के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने या स्थगित करने तथा पूर्ण वैधानिक अनुपालन होने तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या कब्ज़ा करने से परहेज करने का आग्रह किया।

रामेश्वर (70), स्वर्गीय श्री राम चंद के पुत्र, ग्राम शांगू (अंजी), तहसील और जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के निवासी, के पास कृषि भूमि, एक आवासीय मकान और दो गौशालाएं हैं, जो राजस्व अभिलेखों (जमाबंदी 2013-14; पूर्व जमाबंदी 1965-57) में दर्ज हैं। ये सभी खाता संख्या 15, खतौनी संख्या 27, खसरा संख्या 12, ए.डी. 54 में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 79 बीघा और 14 बिस्वा है और जो शामलात पट्टी, हसब-हिस्सा जेल के रूप में दर्ज हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा पर दी गई यह भूमि 1972 से परिवार के कब्जे में है (पूर्वजों का कब्जा इससे पहले था)। इस पर मकान, गौशालाएं, बाग और समतल खेत बनाए गए हैं। कृषि और दुग्धपान (सात गायें) उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, जिससे लगभग 8-10 लाख रुपये वार्षिक आय होती है।

उन्होंने कहा कि इससे उनकी आजीविका नष्ट हो जाएगी, विस्थापन और बेघर होने की समस्या उत्पन्न होगी और स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। यह भूमि पूरी तरह से कृषि योग्य है, जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है, और इसमें आवश्यक सुविधाओं से युक्त पुराने आवासीय ढांचे शामिल हैं। आरोप है कि अधिसूचना में स्पष्ट जन उद्देश्य, पारदर्शिता और प्रभाव आंकलन का अभाव है, जबकि कुटासनी, रौरियात शिमला और सैरी और मामलिघ आदि जैसी वैकल्पिक गैर-कृषि या सरकारी भूमि उपलब्ध हैं, जो तहसील कंडाघाट, सोलन में स्थित हैं और इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सकती हैं। प्रस्तावित मुआवजा अपर्याप्त है और पुनर्वास प्रावधान अस्पष्ट हैं, जो बाजार मूल्य, सुधारों और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए, अधिग्रहण को मनमाना, असंगत और संपत्ति के अधिकारों, आजीविका संरक्षण और मानवीय गरिमा का उल्लंघन बताया गया है।

शिमला जिले के पटवार सर्कल धामून स्थित शिलरू ग्राम में स्थित शामलात और मलकियात भूमि के विभिन्न खसरा नंबरों के संबंध में 37 प्रतिनिधियों ने कहा कि इस ग्राम की 90% आबादी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है और उन्होंने ग्राम की भूमि के संबंध में परियोजना को रद्द करने का अनुरोध किया।

उपरोक्त आपत्तियों के साथ-साथ, ग्राम मोहल पंटी के लगभग 117 स्थायी निवासी, ग्राम मोहल्ला पंटी (जाठिया देवी) के लगभग 60 स्थायी निवासी, ग्राम मोहल्ला दानोखर के लगभग 16 स्थायी निवासी, राजस्व ग्राम अंजी, जाहिया दैवी और वार्ड पंटी के तीन स्थायी निवासी और ग्राम पदर्याना, मोहल्ला क्यार्गी के 28 स्थायी निवासी भी इस परियोजना के पूर्ण विरोध में हैं।

डॉ. खा और उनका परिवार मौजा मझोला, जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण के स्थायी निवासी हैं और खाता संख्या 3, खाता संख्या 4 और खाता संख्या 2 के अंतर्गत भूमि के पंजीकृत स्वामी थे। उक्त भूमि का एक हिस्सा वर्ष 2016 में हिमाचल आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA) को बेच दिया गया था। वर्तमान में, उनके पास केवल शेष आवासीय मकान और कृषि भूमि ही है।

दीर्घकालिक जीविका और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, परिवार ने जानबूझकर कृषि को आजीविका का एकमात्र साधन चुना है। परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता है। कृषि उनका प्राथमिक व्यवसाय है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है और परिवार के लिए आय और जीविका का एकमात्र स्रोत है।

SIA और HP RFCTLARR नियम, 2015 के आधार पर, यह परियोजना HIMUDA के स्वामित्व वाली भूमि पर तभी विचारणीय है, जब पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो जाएगी।

लिखित आपत्तियाँ:

इस अवधि के दौरान, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत की गईं और आपत्तियों की प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में संलग्न हैं:

1. भगवान नरसिम्हा के मोहतामी (देखभालकर्ता)/पुजारी,
2. महाकाली फूल और सब्जी उत्पादक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, जुब्बरहट्टी,
3. देवी जातीय फूलजा माता मंदिर समिति,
4. मझोला के ग्रामीण,
5. स्वर्गीय श्री तुलसीराम के सह-मालिक, शिलरू/मझ्यारी के ग्रामीण,
6. देवता जुंगा के देखभालकर्ता और ग्रामीण,
7. महल क्यार्गी के किसान,
8. अंजी ग्राम के प्रभावित भूस्वामी और स्थानीय निवासी,
9. ग्राम पंचायत बागी के उप प्रमुख,
10. श्री रामेश्वर पुत्र श्री राम चंद, शांगलू (अंजी) ग्राम के निवासी,
11. शिल्ली बागी के ग्रामीण,
12. शिलरू के ग्रामीण।
13. पंटी ग्राम के निवासी,
14. महल पंटी के किसान और स्थायी निवासी,
15. श्री ध्यान सिंह और अन्य (दानोखर ग्राम के निवासी),
16. श्री संदीप सिंह और अन्य (अंजी ग्राम के निवासी),
17. चानन ग्राम के निवासी,
18. महल मझोला के भुवनेश्वर और अन्य, और
19. पदरायना महल क्यार्गी ग्राम के निवासी।

अध्याय-4
प्रभावित परिवारों और संपत्तियों का आंकलन एवं गणना

यह अध्याय जाठिया देवी में "पर्वतीय टाउनशिप" के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों का विस्तृत आंकलन एवं गणना प्रस्तुत करता है। यह प्रभावित क्षेत्र में निजी संपत्तियों और सार्वजनिक भूमि उपयोग पर निर्भरताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। एक व्यापक प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, यह अध्याय इस बात का आंकलन करता है कि अधिग्रहण से स्थानीय समुदायों की आजीविका, संपत्ति और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इस विश्लेषण का उद्देश्य संभावित सामाजिक परिवर्तनों और व्यवधानों की स्पष्ट समझ प्रदान करना है, जिससे प्रभावित आबादी के लिए उपयुक्त शमन एवं पुनर्वास रणनीतियों को तैयार किया जा सके।

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति और उनकी आजीविका

जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप के निर्माण के लिए शिमला जिले की शिमला (ग्रामीण) तहसील के आठ ग्रामों और सोलन जिले के एक ग्राम में फैली भूमि का अधिग्रहण करना होगा। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों (डीएपी) में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निजी भूस्वामी जिनकी कृषि या आवासीय भूमि परियोजना क्षेत्र में आती है और जिनके परिवार दुग्ध उत्पादन, बागवानी और संबंधित कृषि गतिविधियों पर निर्भर हैं।
- मौसमी खेती के लिए पट्टे पर ली गई भूमि पर निर्भर किरायेदार किसान और बटाईदार।
- अधिग्रहित होने वाली कृषि भूमि पर मजदूरी आधारित गतिविधियों में लगे कृषि मजदूर।
- परियोजना सीमा के भीतर या उसके निकट स्थित आवासीय भूखंडों वाले परिवार।
- साझा संपत्ति संसाधनों (जैसे चरागाह भूमि, रास्ते या वन-आधारित संसाधन) के उपयोगकर्ता जो आंशिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

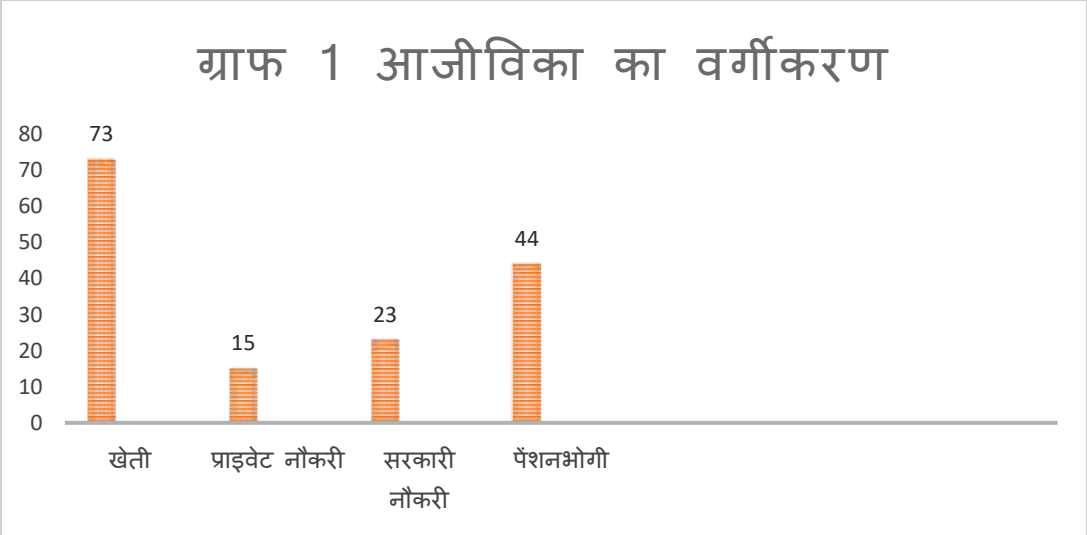
4.1.1 आजीविका का स्वरूप

प्रभावित आबादी की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल मिश्रित आजीविका पैटर्न को दर्शाती है, जिसमें पारंपरिक निर्वाह पद्धतियों के साथ-साथ गैर-कृषि रोजगार भी शामिल हैं। आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं:

- **कृषि और बागवानी**
 - o सीढ़ीदार खेतों में अनाज (मक्का, गेहूं) और दालों की खेती।
 - o चुनिंदा जोतों में बाग-बगीचों (सेब, बेर, खुबानी) की खेती।
 - o स्थानीय बाजारों के लिए छोटे पैमाने पर सब्जी की खेती।
- **पशुपालन**
 - o गाय, बकरी और भेड़ पालन, जो परिवार के निर्वाह और पूरक आय में योगदान करते हैं।
 - o ग्राम की साझा भूमि और आसपास के जंगलों पर निर्भर मौसमी चराई।
- **दिहाड़ी मजदूर और सेवा क्षेत्र**
 - o शिमला में निर्माण, परिवहन और सेवा प्रतिष्ठानों में दिहाड़ी मजदूर।
 - o जिले में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों में रोजगार।
 - o वेतनभोगी या अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए युवाओं का शिमला शहर और आसपास के शहरी केंद्रों में पलायन।
- **वन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता**

o ईंधन की लकड़ी, चारा और लघु वन उत्पादों का संग्रह, विशेष रूप से सीमांत और भूमिहीन परिवारों द्वारा।
उनकी आजीविका के प्राथमिक स्रोत और अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे परियोजना सर्वेक्षण के लिए अपने विवरण देने के इच्छुक नहीं थे, हालांकि सार्वजनिक सुनवाई के बाद उन्होंने कुछ अनुमानित आंकड़े दिए जिन पर बाद में चर्चा की गई। यह देखते हुए कि अधिग्रहण से भौतिक विस्थापन होने की संभावना नहीं है, उनकी आवासीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को गंभीर खतरा है। यह एक सक्रिय पुनर्वास योजना तैयार करने और उसे लागू करने का अवसर प्रदान करता है, जिसमें आजीविका संवर्धन उपायों और न्यायसंगत मुआवजे को शामिल किया जाए, ताकि परियोजना आगे बढ़े और साथ ही प्रभावित परिवारों के कल्याण को भी समर्थन और सुदृढ़ किया जा सके।
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार के अलावा, आसपास के क्षेत्र में अन्य परिवार भी शामिल नहीं हैं जिन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। इनमें शामिल हैं:

- 158 व्यक्तियों में से 73 व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत सीधे तौर पर भूमि पर निर्भर है।
- 44 व्यक्ति पेंशनभोगी हैं, जिनमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और एक विधवा, विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं। यह दर्शाता है कि उनकी आर्थिक गतिविधि सीमित है और वे आंशिक रूप से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर हैं।
- 158 व्यक्तियों में से 23 व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और अपनी आजीविका के लिए वेतन पर निर्भर हैं।
- 158 व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति निजी क्षेत्र की नौकरियों में कार्यरत हैं और अपनी आजीविका के लिए वेतन पर निर्भर हैं।
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित आबादी की प्रमुख आजीविका कृषि और पशुपालन है, जो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। परिवार बहुफसली और सिंचित भूमि पर टमाटर, अदरक और हरी पत्तेदार सब्जियों जैसी सब्जियां उगाते हैं, जिनकी नियमित आपूर्ति शिमला के बाजारों में होती है। कई परिवारों ने बताया कि वे प्रति मौसम 4-5 पिकअप लोड सब्जियां भेजते हैं, जिससे शहरी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान होता है।
- दुग्ध उत्पादन एक महत्वपूर्ण पूरक आजीविका है, जिसमें कई परिवार मवेशी पालते हैं और प्रति परिवार प्रतिदिन लगभग 90-100 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर और आसपास के शहरी बाजारों में बेचा जाता है। इसके अलावा, परिवार अपने खेतों में बाग-बगीचे, रसोई उद्यान और चारा संग्रहण और मौसमी मजदूरी जैसी छोटी-मोटी संबंधित गतिविधियां भी करते हैं। जन सुनवाई से पता चला कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के कोई वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं हैं, और कई परिवारों ने, जिनमें सरकारी या वेतनभोगी रोजगार में शामिल न होने वाले परिवार भी शामिल हैं, जानबूझकर खेती को एकमात्र आजीविका के रूप में चुना है।



हालांकि ये परिवार प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित हैं, फिर भी समावेशी और समुदाय-संवेदनशील विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रभाव आंकलन में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

यह मिश्रित आजीविका पद्धति दर्शाती है कि जहाँ कुछ परिवार अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं, वहीं लगभग आधे से भी कम परिवार गैर-कृषि आय स्रोतों पर निर्भर हैं। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण आवासीय सुरक्षा, सहायक बुनियादी ढांचे और पूरक आय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4.2 किरायेदार/कब्जेदार

प्रभावित व्यक्तियों में से एक बड़ी संख्या सरकारी भूमि, शामलात भूमि, मंदिर भूमि या बिना सहमति के ऐतिहासिक परिवर्तन के माध्यम से हस्तांतरित भूमि के किरायेदार, कब्जेदार या पारंपरिक उपयोगकर्ता हैं। शिल्ली बागी, अंजी, दानोखर और अन्य बस्तियों के ग्रामीणों ने कृषि, चराई, आवास और सामुदायिक उपयोग के लिए ऐसी भूमि पर लंबे समय से कब्जे की जानकारी दी है।

कई प्रभावित व्यक्तियों ने कहा कि भौतिक कब्जे और वज़ीब-उल-अर्ज, जमाबंदी और पंचायत अभिलेखों में दर्ज पारंपरिक अधिकारों के बावजूद, औपचारिक स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव के कारण उन्हें मुआवजे और पुनर्वास लाभों से वंचित किए जाने का डर है। स्वामित्व, परिवर्तन और अधिकारों की बहाली से संबंधित मामले कई मामलों में लंबित हैं, जिन पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इन भूमि व्यवस्थाओं को मान्यता दिए बिना अधिग्रहण से उन किरायेदारों और कब्जेदारो के साथ गंभीर अन्याय हो सकता है जो जीवनयापन के लिए पूरी तरह से भूमि पर निर्भर हैं।

4.3 साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) पर निर्भरता

सर्वेक्षण में प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर कुछ साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर) की उपस्थिति पाई गई, जिनमें चानन ग्राम में 1 मंदिर और 2 सूक्ष्म सिंचाई नहरें, पंटी ग्राम में 2 मंदिर, 18 दूकाने, 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर और 1 विद्यालय, आंजी ग्राम में 2 मंदिर और 3 सूक्ष्म सिंचाई नहरें, शिल्लीबागी ग्राम में 1 मंदिर, 1 विद्यालय, 2 दूकाने और 2 सूक्ष्म सिंचाई नहरें, मझोला ग्राम में 2 मंदिर और 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर, शिलरू ग्राम में 2 सूक्ष्म सिंचाई नहर, 1 दुकान और 2 मंदिर, धाओखर ग्राम में 2 मंदिर और 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर, क्यारागी ग्राम में 2 मंदिर और 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर और मंझ्यारी ग्राम में 1 सूक्ष्म सिंचाई नहर और 1 मंदिर तथा अनगिनत वृक्ष शामिल हैं।

ये संसाधन साझा उपयोग के हैं और आसपास के समुदाय के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जिससे संभावित व्यवधान को कम करने के लिए उचित पुनर्स्थापन या बहाली उपायों की आवश्यकता स्पष्ट होती है। जन सुनवाई में शामलात भूमि, चरागाह (चारागाह), ग्राम वन, जल स्रोत, नहरें और पारंपरिक पगडंडियाँ जैसे साझा संपत्ति संसाधनों (सीपीआर)

पर समुदाय की व्यापक निर्भरता पर प्रकाश डाला गया। अंजी, क्यारागी, शिल्ली बागी और पंटी ग्रामों के ग्रामीणों ने बताया कि ये संसाधन पशुओं की चराई, चारा और लघु वन उपज के संग्रहण, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता के लिए आवश्यक हैं।

सीपीआर के किसी भी प्रकार के मोड़ या अधिग्रहण से पशुपालन आधारित आजीविका बाधित होने, प्राकृतिक जल स्रोतों तक पहुँच कम होने और खाद्य सुरक्षा एवं पारिस्थितिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति दैनिक घरेलू आवश्यकताओं के लिए आस-पास के सीपीआर पर अत्यधिक निर्भर हैं। ग्रामीणों ने सीपीआर पर निर्भरता के पैमाने और महत्व को समझने में एसआईए के मसौदे को अपर्याप्त माना और किसी भी अधिग्रहण से पहले एक व्यापक पर्यावरणीय एवं आजीविका मूल्यांकन की मांग उठाई।

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम के नाम	भौतिक संरचनाएँ	संख्या
1	मामलिघ	मंझ्यारी	मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर	01 01
1	शिमला(ग्रामीण)	चनान	ग्रीन बेल्ट मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर शमशान इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टेंशन पावर लाइन	 01 02 02 02
2		पंटी	मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर दुकाने स्कूल कृषि सेवा केंद्र पंचायत घर सामुदायिक भवन, दूध और सब्जी संग्रहण केंद्र डाक घर ग्रामीण बैंक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक माता काली मंदिर	02 01 18 01 01 01 01 01 01 01 01 01
3		आंजी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर शमशानघाट	02 03 01
4		शिल्ली बागी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर दुकाने प्राइमरी स्कूल शमशानघाट इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टेंशन पावर लाइन आंगनवाड़ी	01 02 02 02 03 02 02 01
5		मझोला	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर शमशानघाट आंगनवाड़ी,	02 01 01

			इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टैंशन पावर लाइन	01
6		शिलरू	मंदिर सूक्ष्म सिंचाई नहर दुकान शमशानघाट	02 02 01 01
7		धनोकर	मंदिर (Mata Jawala) सूक्ष्म सिंचाई नहर खेल का मैदान इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हाई टैंशन पावर लाइन	02 01 01
8		क्यारगी	मंदिर, सूक्ष्म सिंचाई नहर, पानी की टंकी (बावड़ी), पेट्रोल पंप और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	02 01 01 01 01

उपरोक्त के अलावा, चानन ग्राम को झालातु से निकलने वाली दो प्राकृतिक नालियों से पानी मिलता है। ये नालियाँ दो पारंपरिक कुलों को पानी देती हैं, जो लगभग 35 बीघा कृषि भूमि को सिंचाई का पानी प्रदान करते हैं, और पानी का मुख्य स्रोत खड़ है।

चानन के भीतर स्थित एक छोटे से ग्राम में पीने और सिंचाई दोनों के लिए साल भर पानी उपलब्ध रहता है।

चानन ग्राम में ही स्थित दमानिया ब्लॉक और हलेर्द ब्लॉक, प्रभात गाँवों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति करने वाली योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।

पूरे ग्राम में फैले हरित क्षेत्रों को वन विभाग द्वारा विकसित और वृक्षारोपण किया गया है।

पंटी ग्राम में जाठिया देवी स्थित एक उचित मूल्य की दुकान और गोदाम है, जो कृषि सेवा सहकारी सभा जाठिया देवी के स्वामित्व में है। यह सभा 88 किसानों का एक पंजीकृत संगठन है जो किसानों के लिए बीज और उर्वरक की व्यवस्था करता है। गोदाम में एक उर्वरक और उचित मूल्य की दुकान है। यहां किराने का सामान, उर्वरक आदि बेचने वाली दूकाने भी हैं। पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, दूध और सब्जी संग्रहण केंद्र, डाकघर, ग्रामीण बैंक, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक, माता कला मंदिर भी यहीं स्थित हैं।

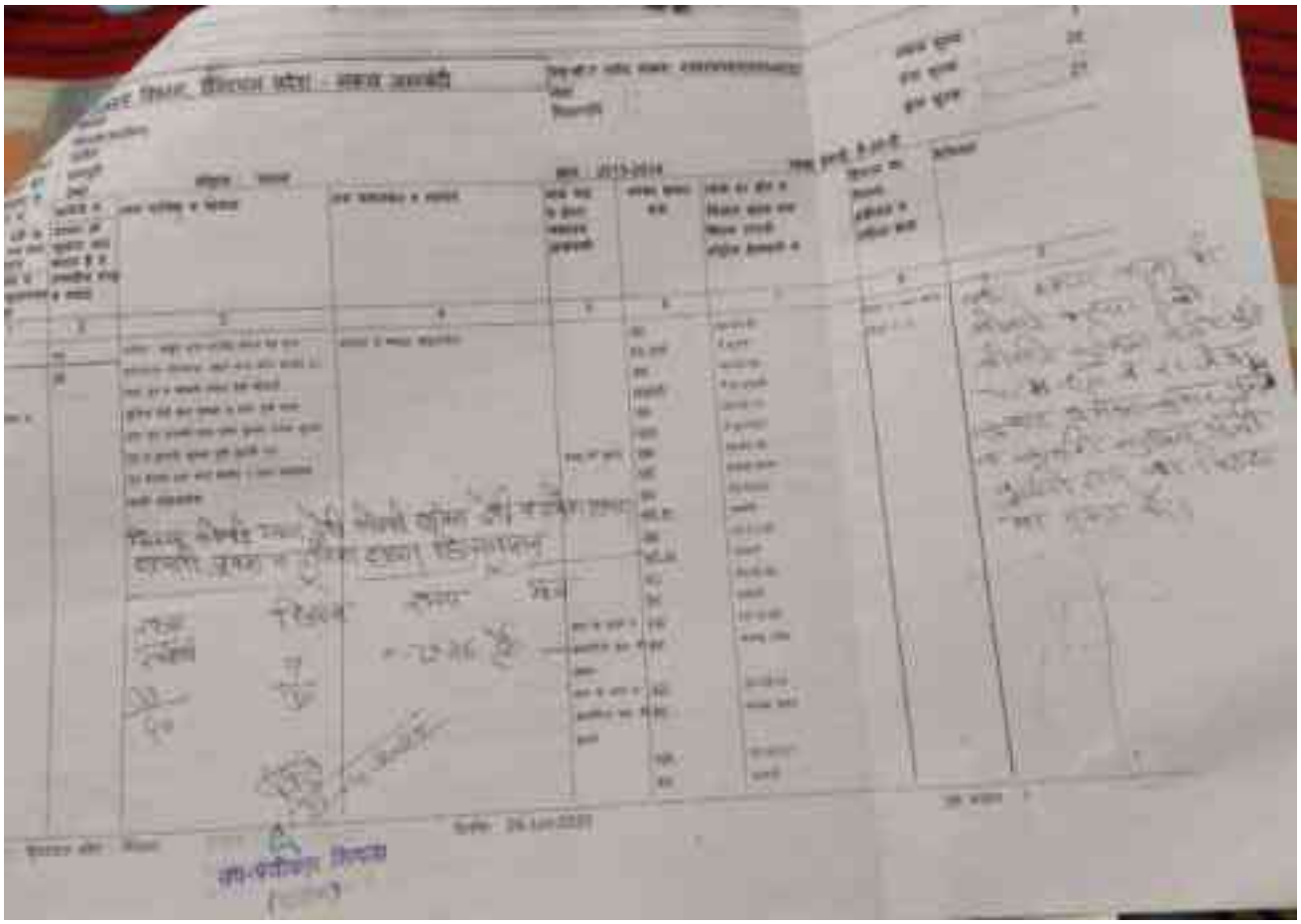
शिल्ली बागी ग्राम में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनवाड़ी है।

मझोला ग्राम में एक आंगनवाड़ी है।

क्यार्गी ग्राम में एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ लोगों की स्वास्थ्य जाँच की जाती है और एक कुआँ है जहाँ से लोग पीने का पानी लेते हैं।

अंजी ग्राम में एक श्मशान घाट है, चानन ग्राम में दो, शिल्ली बागी ग्राम में तीन, मंझोल ग्राम में एक, पंटी ग्राम में एक और शिलरू ग्राम में एक श्मशान घाट है। धनोकर ग्राम में माँ ज्वाला का मंदिर, एक खेल का मैदान, बिजली के ट्रांसफार्मर हैं। धनोकर, मझोला, शिल्ली बागी और चानन में एचटी बिजली लाइनें हैं। क्यार्गी ग्राम में एक पेट्रोल पंप है।

ठाकुर द्वारा निर्मित नरसिंह देवता चानन मंदिर में खेती की जाती है जिससे मोहतमिनों की आजीविका चलती है। इस ग्राम में मोहतमिनों की अपनी कोई ज़मीन नहीं है।



मोहतमियों के घर भी देवताओं की भूमि पर बने हैं। मंदिर समिति भूमि से प्राप्त आय से मंदिर के रखरखाव और मरम्मत का कार्य करती है; मंदिर का कोई अन्य आय स्रोत नहीं है।

मंदिर के स्वामी श्री नरसिंह जी महाराज को नाबालिग माना जाता है, इसलिए इस भूमि का अधिग्रहण लोगों की आस्था का अपमान है।

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	संपत्ति
1	आंजी	शिव मंदिर
2	धनोखर	माँ ज्वाला मंदिर
3	चनान	ठाकुर द्वार नर सिंह देवता लक्ष्मी नारायण मंदिर राम लक्ष्मण सीता हनुमान मंदिर देव कुर्गन देवता मंदिर
4	मझोला	देव काथेश्वर शिव मंदिर
5	क्यारगी	देव झुंगा मंदिर शिव मंदिर शरपाल मंदिर
6	शिल्ली बागी	ग्वाल्टू मंदिर
7	पंटी	बाबा वाली मंदिर
8	शिलरू	रूद्र महादेव सात स्थान देवता शीतला माता मंदिर

4.4 अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और पारंपरिक वनवासी

अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई भी प्रभावित परिवार नहीं है और प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति (एससी) और पारंपरिक वन-आश्रित समुदायों की अच्छी खासी आबादी है। शिलरू जैसे गाँवों और आसपास की बस्तियों ने बताया कि लगभग 90% आबादी अनुसूचित जाति श्रेणी की है, जिनके पास बिस्वा में मापी जाने वाली बहुत छोटी भूमि है। ये परिवार अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि, दिहाड़ी मजदूरी और वन-संबंधी गतिविधियों पर निर्भर हैं।

पारंपरिक वनवासियों और पशुपालक समुदायों ने चराई और लघु वन उपज के संग्रहण के लिए वन और चरागाह भूमि पर अपने दीर्घकालिक अधिकारों की जानकारी दी। प्रभावित जनजातियों ने मांग की कि आगे बढ़ने से पहले वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों पर विधिवत विचार किया जाए और उनका अनुपालन किया जाए। वन अधिकारों की पूर्व मान्यता के बिना किसी भी प्रकार का अधिग्रहण कमजोर समूहों को असमान रूप से प्रभावित करेगा और सामाजिक-आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा।

4.5 राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कई भूभागों में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक, धार्मिक या सामुदायिक उद्देश्यों के लिए आवंटित या प्रबंधित भूमि शामिल है। इसमें जुब्बरहट्टी (खसरा संख्या 349/1, मौजा शिलदू) में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निर्धारित भूमि, देवी जाठिया, देवता जंगा और अन्य देवी-देवताओं जैसे प्राचीन मंदिरों से संबंधित भूमि और मंदिर संस्थाओं को ऐतिहासिक रूप से मुफ्त में दी गई भूमि शामिल है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश ग्राम सामान्य भूमि निहितकरण एवं उपयोग अधिनियम (संशोधन), 2001 के तहत राज्य निहितकरण और बाद के संशोधनों से संबंधित विवादों को उजागर किया गया, जिसमें ग्रामीण अनादि काल से निरंतर कब्जे के कारण स्वामित्व की बहाली का दावा करते हैं। कानूनी, धार्मिक और संस्थागत दावों का समाधान किए बिना ऐसी भूमि का अधिग्रहण न्यायालय की अवमानना, प्रशासनिक संघर्ष और अपरिवर्तनीय सामाजिक प्रभावों को जन्म दे सकता है।

अध्याय-5
सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल

यह अध्याय परियोजना क्षेत्र में प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाली आबादी की जनसांख्यिकीय संरचना, आय के स्रोत, व्यवसायिक पैटर्न, शिक्षा स्तर और सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह अध्याय सामुदायिक अवसंरचना, सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक विरासत का भी विश्लेषण करता है, जो मिलकर जोखिम में पड़ी सामाजिक गतिशीलता और आजीविका का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं। प्राथमिक सर्वेक्षण, फोकस समूह चर्चा और द्वितीयक स्रोतों के संयोजन से डेटा एकत्र किया गया, जिससे आबादी और उसकी संभावित कमजोरियों की समग्र समझ सुनिश्चित हुई।

5.1 परियोजना क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

शलिमा जिले के तहसील शिमला (ग्रामीण) के 8 ग्रामों और सोलन जिले के तहसील मामलिघ के 1 ग्राम में स्थित जाठिया देवी में प्रस्तावित "पर्वतीय टाउनशिप" परियोजना के लिए लगभग 414 बीघा निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा। प्रभावित आबादी मुख्य रूप से कृषि परिवारों से संबंधित है जो ऐतिहासिक रूप से अपनी आजीविका के लिए खेती और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर रहे हैं।

5.1.1 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों की विशेषताएं:

प्रभावित व्यक्तियों की सामाजिक विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित अध्यायों में किया गया है।

5.1.1.1 लिंग:

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का लिंग के आधार पर वर्गीकरण तालिका 5.1 में दिया गया है। यह स्पष्ट है कि दोनों तहसीलों में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों में से 48.57 प्रतिशत पुरुष और 51.43 प्रतिशत महिलाएं हैं।

तालिका: 5.1 प्रभावित व्यक्तियों का लिंगवार वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	पुरुष	महिला	कुल
तहसील मामलिघ				
1	मंझ्यारी	22(48.9)	23(51.11)	45(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)				
1	चनान	24(51.06)	23(48.94)	47(100.00)
2	पंटी	71(32.72)	146(67.28)	217(100.00)
3	आंजी	72(48.98)	75(51.02)	147(100.00)
4	शिल्ली बागी	41(46.6)	47(53.40)	88(100.00)
5	मझोला	43(55.12)	35(44.88)	78(100.00)
6	शिलरू	119(60.10)	79(39.9)	198(100.00)
7	धनोकर	22(53.65)	19(46.35)	41(100.00)
8	क्यारगी	27(57.44)	20(42.56)	47(100.00)
	कुल	441(48.57)	467(51.43)	908(100.00)

5.1.1.2 धर्म:

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि कुल प्रतिभागियों में से 100.00% हिंदू समुदाय से हैं।

5.1.1.3 जाति श्रेणी:

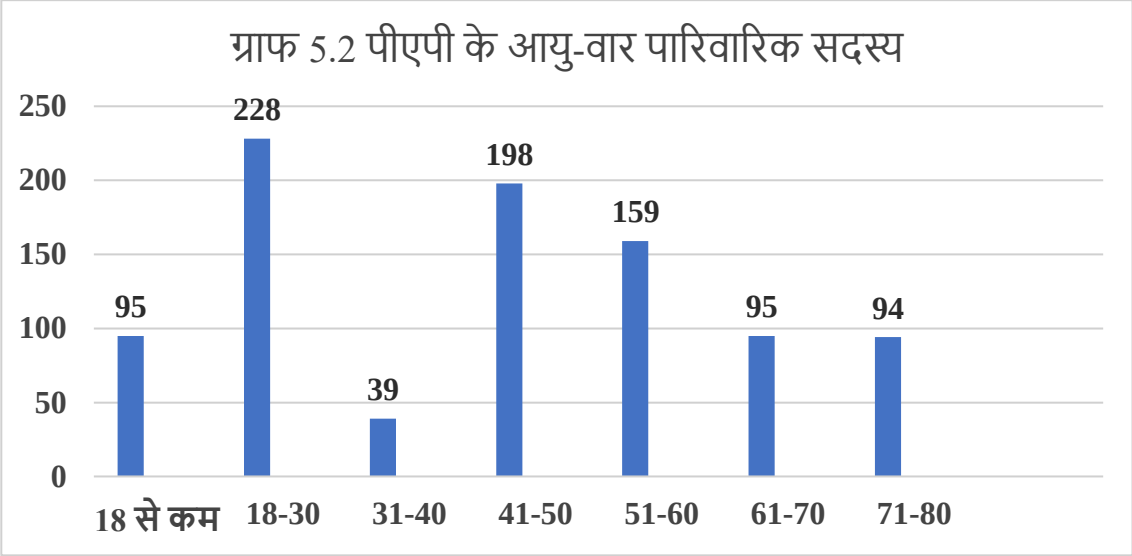
प्रभावित व्यक्तियों का जातिवार वर्गीकरण तालिका 5.2 में दिया गया है। तालिका से पता चलता है कि प्रभावित व्यक्तियों में से 39.09 प्रतिशत सामान्य वर्ग से, 22.15 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से और 38.76 प्रतिशत अनुसूचित जाति से संबंधित हैं।

तालिका 5.2 प्रभावित व्यक्तियों का जातिवार वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल
तहसील मामलिघ					
1	मंझ्यारी	14(31.11)	22(48.88)	09(20.01)	45(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)					
1	चनान	19(40.42)	10(21.29)	18(38.29)	47(100.00)
2	पंटी	42(19.36)	64(29.49)	111(51.15)	217(100.00)
3	आंजी	62(42.17)	23(15.66)	62(42.17)	147(100.00)
4	शिल्ली बागी	33(37.5)	12(13.64)	43(48.86)	88(100.00)
5	मझोला	36(46.15)	19(24.37)	23(29.48)	78(100.0)
6	शिलरू	76(38.38)	36(18.19)	86(43.43)	198(100.00)
7	धनोकरा	41(100.00)	00(00.00)	00(00.00)	41(100.00)
8	क्यारगी	32(68.08)	15(31.92)	00(00.00)	47(100.00)
	कुल	355(39.09)	201(22.15)	352(38.76)	908(100.00)

5.1.1.4 आयु:

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का आयु वर्गीकरण ग्राफ 5.1 में दर्शाया गया है। तालिका से पता चलता है कि 10.46 प्रतिशत व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के हैं (कुल 95), 25.11 प्रतिशत 18 से 30 वर्ष की आयु के हैं (कुल 228), 4.29 प्रतिशत 31 से 40 वर्ष की आयु के हैं (कुल 39), 21.80 प्रतिशत 41 से 50 वर्ष की आयु के हैं (कुल 198), 17.51 प्रतिशत 51 से 60 वर्ष की आयु के हैं (कुल 159), 10.46 प्रतिशत 61 से 70 वर्ष की आयु के हैं (कुल 95) और 10.35 प्रतिशत 71 से 80 वर्ष की आयु के हैं (कुल 94)।

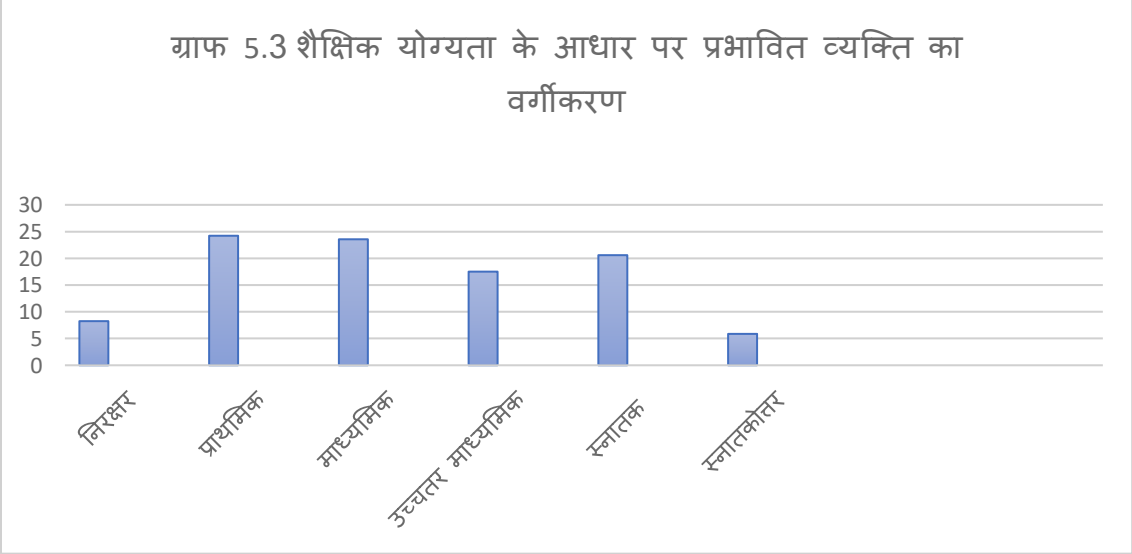


5.2 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की साक्षरता:

सर्वेक्षण में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) की साक्षरता प्रोफ़ाइल का आंकलन किया गया, जिसमें योग्यताओं का वितरण तालिका 5.3 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। प्रभावित व्यक्तियों में से 8.25% (75 व्यक्ति) निरक्षर पाए गए, जबकि 24.22% (220 व्यक्ति) और 23.56% (214 व्यक्ति) ने क्रमशः प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाताओं में से 20.59% और 5.87% व्यक्ति क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर थे। यह डेटा प्रभावित आबादी के शैक्षिक स्तर की जानकारी प्रदान करता है, जो उचित पुनर्वास और आजीविका बहाली उपायों को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

तालिका 5.3 शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
तहसील मामलिघ								
1	मंझ्यारी	00(00.00)	15(33.33)	10(22.22)	12(26.66)	06(13.33)	02(4.46)	45(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)								
1	चनान	00(00.00)	12(25.53)	15(31.91)	06(12.76)	10(21.27)	04(8.53)	47(100.00)
2	पंटी	17(7.83)	41(18.89)	61(28.11)	48(22.11)	42(19.35)	08(3.71)	217(100.00)
3	आंजी	22(14.96)	37(25.17)	42(28.57)	21(14.28)	19(12.92)	06(4.1)	147(100.00)
4	शिल्ली बागी	14(19.90)	21(23.86)	12(13.63)	24(27.27)	10(11.36)	07(3.98)	88(100.00)
5	मझोला	00(00.00)	15(19.23)	23(29.48)	14(17.94)	12(15.41)	14(17.94)	78(100.00)
6	शिलरू	00(00.00)	58(29.29)	32(16.16)	18(9.09)	78(39.39)	12(6.07)	198(100.00)
7	धनोकरा	08(19.51)	07(17.07)	11(26.82)	10(24.39)	05(12.21)	00(00.00)	41(100.00)
8	क्यारगी	14(29.78)	14(29.78)	08(19.51)	06(12.76)	05(8.17)	00(00.00)	47(100.00)
	कुल	75(8.25)	220(24.22)	214(23.56)	159(17.51)	187(20.59)	53(5.87)	908(100.00)



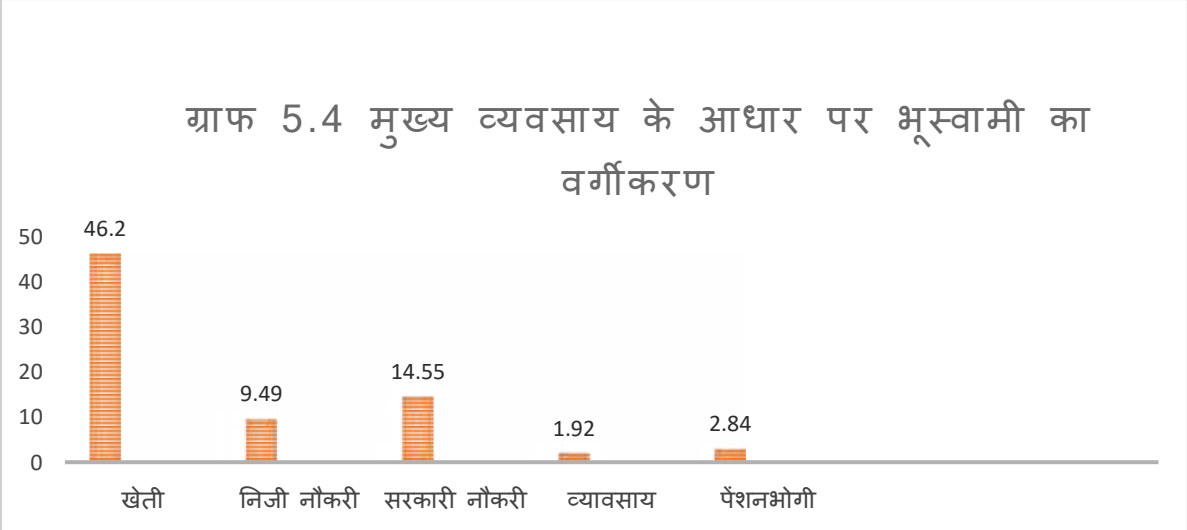
5.3 व्यवसाय और आय

5.3.1 व्यवसाय:

प्रभावित भूस्वामियों का व्यवसायिक वर्गीकरण तालिका 5.4 में प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभावित व्यक्तियों के आजीविका के प्राथमिक स्रोतों को दर्शाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश भूस्वामी किसान हैं, अर्थात् 73 (46.20%), और पेंशनभोगी हैं, अर्थात् 44 (27.84%)। यह वर्गीकरण प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने और उपयुक्त पुनर्वास एवं आजीविका सहायता रणनीतियों की योजना बनाने के लिए आवश्यक है।

तालिका 5.4 मुख्य व्यवसाय के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	खेती	निजी नौकरी	सरकारी नौकरी	व्यवसाय	पेंशनभोगी	कुल
तहसील मामलिघ							
1	मंझ्यारी	04(44.44)	00(00.00)	04(44.44)	00(00.00)	01(11.12)	09(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)							
1	चनान	07(70.00)	00(00.00)	00(00.00)	01(10.00)	02(20.00)	10(100.00)
2	पंटी	03(10.71)	09(32.14)	06(21.42)	01(3.59)	09(32.14)	28(100.00)
3	आंजी	15(55.56)	00(00.00)	06(22.22)	00(00.00)	06(22.22)	27(100.00)
4	शिल्ली बागी	08(47.05)	00(00.00)	01(05.89)	01(5.89)	07(41.17)	17(100.00)
5	मझोला	13(86.66)	00(00.00)	00(00.00)	00(00.00)	2(13.34)	15(100.00)
6	शिलरू	18(47.36)	03(7.92)	06(15.78)	00(00.00)	11(28.94)	38(100.00)
7	धनोकर।	02(33.33)	01(16.67)	00(00.00)	00(00.00)	03(50.00)	06(100.00)
8	क्यारगी	03(37.50)	02(25.00)	00(00.00)	00(00.00)	03(37.5)	08(100.00)
	कुल	73(46.20)	15(9.49)	23(14.55)	03(1.92)	44(27.84)	158(100.00)



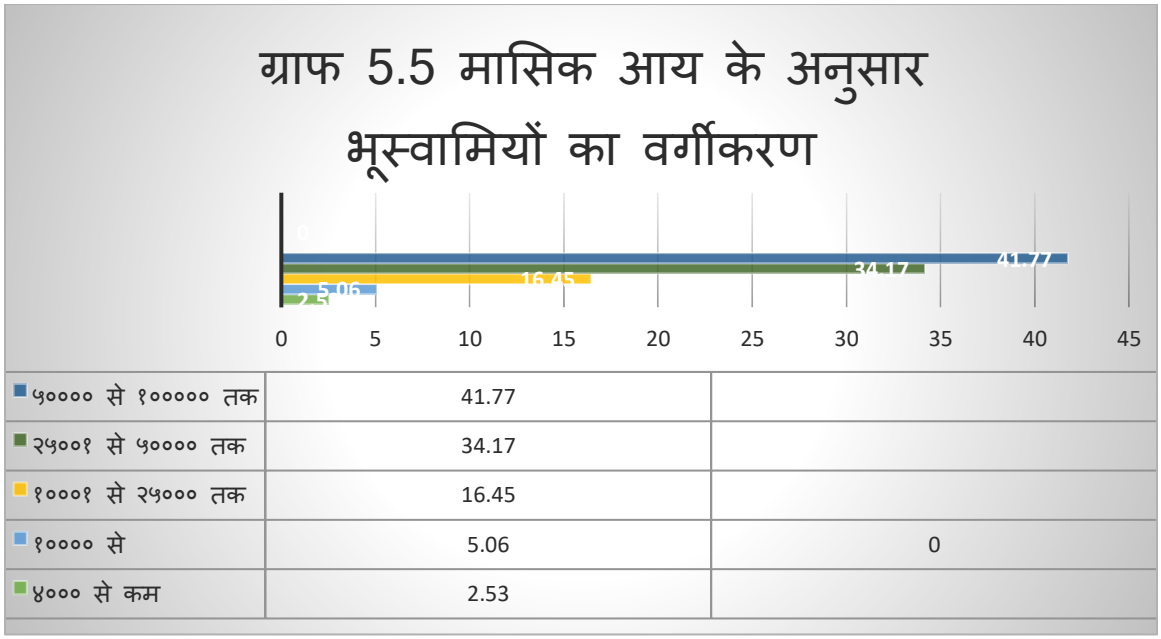
5.3.2 आय:

प्रभावित भूस्वामियों की मासिक आय के अनुसार आय का विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि प्रभावित भूस्वामियों में से केवल 16.45 प्रतिशत (कुल 26) की आय 10,001 रुपये से 25,000 रुपये के बीच है, जबकि अधिकांश 41.77 प्रतिशत (कुल 66) की आय 0.5 लाख रुपये से अधिक है, जो दर्शाता है कि उनकी आय अपेक्षाकृत अधिक है।

तालिका: 5.5 मासिक आय के अनुसार भूस्वामियों का वर्गीकरण

क्रम संख्या	मासिक आय	भूस्वामियों की संख्या
1	4000 से कम	04(2.53)
2	10000 से	8(5.06))
2	10001 से 25000 तक	26(16.45)
4	25001 से 50000 तक	54(34.17)
5	50001 से 100000 तक	66(41.77)
कुल		**158(100.00)**



5.4 संवेदनशील समूह:

परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में संवेदनशील वर्गों में बुजुर्ग व्यक्ति (लगभग 70 वरिष्ठ नागरिक), महिला प्रधान परिवार (लगभग 75), सीमांत और लघु किसान, भूमि पर निर्भर परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल हैं। कई प्रतिभागियों ने सार्वजनिक सुनवाई में इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी आजीविका कृषि, बागवानी, पशुपालन और छोटे अनौपचारिक आर्थिक कार्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो सभी भूमि अधिग्रहण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

यह चिंता व्यक्त की गई कि भूमि का नुकसान, भले ही आंशिक हो, खाद्य सुरक्षा, घरेलू आय और सामाजिक स्थिरता को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिनके पास वैकल्पिक कौशल या रोजगार के सीमित अवसर हैं। सार्वजनिक सुनवाई में महिला प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि श्रम और संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में उनका अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण योगदान है, जो औपचारिक मुआवजा तंत्र में पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है।

समय पर, पर्याप्त और आजीविका से जुड़े मुआवजे के साथ-साथ लक्षित पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) उपायों के बिना, ये कमजोर समूह दीर्घकालिक आर्थिक असुरक्षा का सामना कर सकते हैं। सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने कौशल विकास, आय बहाली सहायता, प्राथमिकता रोजगार के अवसर और सामाजिक सुरक्षा संबंधों जैसे विशेष

प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि आगे के हाशिए पर जाने और गरीबी में संभावित गिरावट को रोका जा सके।

पर्याप्त मुआवज़े या वैकल्पिक सहायता तंत्र के अभाव में, इन परिवारों को आय के नए स्रोत स्थापित करने में कठिनाई हो सकती है। इसका प्रभाव दीर्घकालिक होने की संभावना है, क्योंकि सीमित कौशल या वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करने या वैकल्पिक रोज़गार प्राप्त करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति उनकी आर्थिक कमज़ोरी को बढ़ा सकती है और उन्हें गरीबी की ओर धकेल सकती है।

5.5 रिश्तेदारी के स्वरूप:

जन सुनवाई में हुई चर्चाओं से यह पुष्टि हुई कि हिमाचल प्रदेश में भूमि स्वामित्व मुख्य रूप से वंशानुगत है, जिसमें अधिकांश भूमि के टुकड़े शामलात या पैतृक हैं और पीढ़ियों से हस्तांतरित होते आ रहे हैं। प्रतिभागियों ने ऐसी भूमि से जुड़े भावनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य पर ज़ोर दिया, जो इसके मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक है। राज्य के नियमों के अनुसार, गैर-निवासियों को भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है, जो स्थानीय रिश्तेदारी प्रणालियों में पैतृक स्वामित्व के महत्व को रेखांकित करता है।

कई प्रभावित परिवारों ने बताया कि वारिसों के बीच शामलात या पैतृक भूमि के विखंडन से भूमि का आकार पहले ही बहुत कम हो गया है, और आगे भूमि अधिग्रहण से परिवार के भरण-पोषण तंत्र में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी। शिमला क्षेत्र में, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमि अक्सर संयुक्त स्वामित्व में होती है, जिससे मुआवजे के वितरण और सहमति की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू और भूमि प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर बार-बार प्रकाश डाला गया। यद्यपि महिलाएं परंपरागत रूप से घरेलू और कृषि संबंधी प्रमुख जिम्मेदारियों को निभाती हैं, फिर भी उनके स्वामित्व अधिकार अक्सर गौण या व्युत्पन्न होते हैं। कार्यवाही के दौरान इन मामलों को सकारात्मक उदाहरण के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि समुदाय के सदस्यों ने महिलाओं की सहमति, मुआवजे और पुनर्वास लाभों की सुरक्षा और उन्हें सीधे तौर पर सुलभ बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

5.6 प्रशासनिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और नागरिक समाज संगठन

सर्वेक्षण और जन सुनवाई के दौरान, स्थानीय जनसंख्या समर्थकों (पीएपी) ने हिमाचली समाज के एक मूलभूत स्तंभ के रूप में देवता (स्थानीय देवता) प्रणाली को प्रमुखता से उजागर किया, विशेष रूप से शिमला (ग्रामीण) जिले के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। देवता संस्थाएँ केवल धार्मिक कार्यों तक सीमित नहीं हैं; वे एक प्रथागत शासन ढाँचा प्रस्तुत करती हैं जो सामाजिक आचरण, भूमि संबंधी निर्णयों, विवाद समाधान और सामूहिक सामुदायिक सहमति का मार्गदर्शन करती है। प्रतिभागियों ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी बड़े पैमाने की विकास परियोजना में औपचारिक प्रशासनिक तंत्रों के साथ-साथ इन पारंपरिक संस्थाओं का सम्मान और समावेश होना चाहिए।

कार्यवाही के दौरान उठाई गई एक प्रमुख चिंता बाहरी लोगों - जिनमें महानगरों के नए निवासी, प्रवासी, पर्यटक, ठेकेदार और गैर-स्थानीय श्रमिक शामिल हैं - का हिमाचली संस्कृति पर बढ़ता प्रभाव था। समुदाय के सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि तीव्र शहरीकरण और बाहरी जनसंख्या के आगमन से स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा का प्रयोग, पारंपरिक पहनावा और देवता-केंद्रित प्रथाएँ धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं। यह देखा गया कि बाहरी लोगों में अक्सर स्थानीय विश्वास प्रणालियों, पवित्र स्थलों, अनुष्ठान मार्गों और मौसमी देवता आंदोलनों (देवता यात्रा) के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जिससे अनजाने में सांस्कृतिक असंवेदनशीलता और सामाजिक घर्षण होता है।

प्रतिभागियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हिमाचल प्रदेश में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को केवल आर्थिक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि देवताओं के क्षेत्र (देवता क्षेत्र) से जुड़े पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में देखा जाता है।

पारंपरिक परामर्श के बिना अतिक्रमण, भूमि अधिग्रहण या निर्माण कार्य को न केवल आजीविका के लिए, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संतुलन के लिए भी बाधक माना गया। सांस्कृतिक क्षरण का भय विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में अधिक था, जहाँ कृषि भूमि को तेजी से गैर-स्थानीय आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा रहा है।

हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं जैसी औपचारिक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्थाएं वैधानिक अधिकार का प्रयोग करती रहती हैं, लेकिन जन सुनवाई में इस बात पर जोर दिया गया कि देवता परंपराओं के अनुरूप न होने वाले विकास निर्णयों का अक्सर समुदाय द्वारा विरोध किया जाता है। जन सुनवाई में शामिल प्रतिभागियों ने परियोजना क्रियान्वयन से पहले मंदिर समितियों, गुरु (देवता भविष्यवक्ता) और ग्राम बुजुर्गों के साथ व्यवस्थित रूप से संवाद स्थापित करने की वकालत की, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो पारंपरिक देवता अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

बाहरी प्रभाव के सांस्कृतिक प्रभावों को संबोधित करने में नागरिक समाज संगठनों को महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में मान्यता दी गई। जागरूकता पैदा करने, सांस्कृतिक दस्तावेजीकरण, सामुदायिक संवाद और स्थानीय समुदायों तथा बाहरी हितधारकों के बीच मध्यस्थता में उनकी भूमिका पर बल दिया गया। प्रतिभागियों ने सिफारिश की कि नागरिक समाज समूह गैर-स्थानीय आबादी, परियोजना कर्मचारियों और ठेकेदारों को हिमाचली सांस्कृतिक मानदंडों, देवता परंपराओं और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार के बारे में जागरूक करने में सहायता करें।

निष्कर्षतः, जन सुनवाई से स्पष्ट रूप से पता चला कि हिमाचली संस्कृति पर बाहरी लोगों का प्रभाव एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, विशेष रूप से अवसंरचना-आधारित विकास के संदर्भ में। सामाजिक सद्भाव बनाए रखने, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने और परियोजना की दीर्घकालिक स्वीकार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए देवता संस्थाओं की सुरक्षा, पारंपरिक रीति-रिवाजों का सम्मान और गैर-स्थानीय हितधारकों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक उपाय माने गए।

शिमला में मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए, विभिन्न पर्यावरण गैर-लाभकारी संगठन और सामुदायिक समूह वनों की कटाई, जल संरक्षण और सतत शहरी विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

जन सुनवाई से पहले, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) द्वारा समन्वय, सूचना साझाकरण और जन सुनवाई में सामूहिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा संचालित "स्थानीय लोगों द्वारा संचालित स्थानीय व्हाट्सएप समूह" शीर्षक से एक व्हाट्सएप समूह बनाया गया था।

5.7 क्षेत्रीय गतिशीलता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ

5.7.1 क्षेत्रीय गतिशीलता

शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, एक प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र और प्रशासनिक केंद्र है, जिसने अपने राजनीतिक, शैक्षिक, वाणिज्यिक और पर्यटन महत्व के कारण ऐतिहासिक रूप से निरंतर जनसंख्या प्रवाह को आकर्षित किया है। दशकों से, तीव्र शहरी विस्तार, अनियंत्रित निर्माण और जनसंख्या के दबाव ने शिमला की वहन क्षमता पर अत्यधिक दबाव डाला है। सीमित भूमि उपलब्धता, पहाड़ी भूभाग और नाजुक पारिस्थितिकी ने आवास, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने की शहर की क्षमता को सीमित कर दिया है।

आसपास के अर्ध-शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से जाठिया देवी-घनाहट्टी क्षेत्र में, जहाँ माउंटेन टाउनशिप प्रस्तावित है, में धीरे-धीरे कृषि और वन-आधारित प्रथाओं से मिश्रित आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग की ओर भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है। शिमला-चंडीगढ़ राजमार्ग, हवाई अड्डे और मौजूदा संस्थागत प्रतिष्ठानों की निकटता ने इस गलियारे के क्षेत्रीय महत्व को और बढ़ा दिया है।

5.7.2 ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ

शिमला का विकास पथ एक औपनिवेशिक पहाड़ी स्टेशन से एक हलचल भरी राज्य राजधानी और पर्यटन स्थल में परिवर्तन को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में क्रमिक विकास हुआ, लेकिन 1980 के दशक से अनियोजित शहरी फैलाव में तेजी आई है। इसके परिणामस्वरूप:

• अवसंरचनात्मक दबाव: भीड़भाड़ वाले सड़क नेटवर्क, अपर्याप्त जल आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ।

• पर्यावरणीय चिंताएँ: वनों की कटाई, ढलान अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता।

• सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन: शहरी बाहरी क्षेत्रों में निर्वाह कृषि और बागवानी जैसी पारंपरिक आजीविका में गिरावट, जबकि सेवा क्षेत्र और पर्यटन से जुड़े रोजगार में वृद्धि।

• भूमि उपयोग परिवर्तन: बढ़ती भूमि कीमतों और आवास की मांग के कारण कृषि भूमि और सार्वजनिक भूमि का धीरे-धीरे आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन।

राज्य सरकार और योजना प्राधिकरणों ने यह स्वीकार किया है कि शिमला का मौजूदा शहरी ढांचा पारिस्थितिकी, बुनियादी ढांचे और जीवन की गुणवत्ता के लिए गंभीर जोखिम पैदा किए बिना बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकता। माउंटेन टाउनशिप की अवधारणा इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के प्रति नीतिगत प्रतिक्रिया को दर्शाती है। इसका उद्देश्य विकास को अधिक समान रूप से वितरित करना, शिमला के केंद्र पर दबाव कम करना और भविष्य के शहरीकरण को एक संरचित, टिकाऊ तरीके से निर्देशित करना है।

5.7.3 देवता परिषदों और पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका

जन सुनवाई के दौरान उजागर किया गया एक महत्वपूर्ण आयाम क्षेत्रीय गतिशीलता को आकार देने में देवता (स्थानीय देवता) परिषदों और पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका थी। देवताओं को केवल धार्मिक संस्थाओं के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने-अपने देवता क्षेत्रों के भीतर सामाजिक मानदंडों, भूमि नैतिकता, पर्यावरण प्रबंधन और सामूहिक निर्णय लेने को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक प्राधिकरणों के रूप में भी माना जाता है। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि का मोड़, विस्फोट या बड़े पैमाने पर निर्माण से जुड़े प्रमुख हस्तक्षेपों के लिए पारंपरिक रूप से संबंधित देवता परिषदों से परामर्श आवश्यक होता है।

यहां देवता जंगा महाराज का एक प्राचीन मंदिर है, जो बहुत पुराना है और इसकी प्राचीनता के प्रमाण देवता के पास उपलब्ध हैं। देवता जंगा कजराल के शिव स्वयंभू से भी जुड़े हुए हैं। देवता की एक परिषद भी होती है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

1. देवता कठेश्वर
2. देवता खड़मू
3. देवता माली
4. शर्पल देवता
5. चौंडली रानी
6. चडोगर
7. महावीर लक्ष्मी नरसिम्हा
8. जाठिया देवी ज्वाला
9. कालका
10. क्षेत्रपाल
11. शिव देवता जंगा

उपर्युक्त देवता, देवताओं के आदेशों के माध्यम से 6-7 ग्रामों से जुड़े हुए हैं। देवता जंग महाराज की विशेष रथयात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य उनका कल्याण करना है, भी पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी हुई है। स्थानीय पुजारी द्वारा देवशयनी और हरिप्रबोधिनी उत्सवों, मासिक संक्रांति पूजा और प्रतिदिन धूप और दीपक अर्पित करके पारंपरिक सामूहिक पूजा की जाती है। इसलिए, वे भूमि अधिग्रहण का पुरजोर और सर्वसम्मति से विरोध कर रहे हैं।

जिन संस्थाओं की पहचान की गई है उनमें ग्राम स्तर की देवता मंदिर समितियाँ और अंतर-ग्राम मामलों के लिए गठित क्षेत्रीय देवता सम्मेलन समितियाँ शामिल हैं। समुदाय के सदस्यों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रत्येक बस्ती एक मान्यता प्राप्त देवता क्षेत्र के अंतर्गत आती है, और इन पारंपरिक संरचनाओं की उपेक्षा से सामाजिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

उठाए गए प्रमुख मुद्दों में देवता भूमि, पवित्र उपवन (देव वन), मंदिर परिसर और अनुष्ठान मार्गों का संरक्षण; स्थानीय परंपराओं से अपरिचित बाहरी लोगों के सांस्कृतिक प्रभाव से संबंधित चिंताएँ; विस्फोट और भारी निर्माण गतिविधियों के बारे में आशंकाएँ; और त्योहारों, यात्राओं और पारंपरिक अनुष्ठानों की निरंतरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल थी।

5.7.4 परियोजना के निहितार्थ

यह परियोजना निम्नलिखित समस्याओं के समाधान हेतु लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता से उत्पन्न हुई है:

- शिमला शहर की अत्यधिक आबादी और मौजूदा नगरपालिका सीमाओं के भीतर इसके और विस्तार की अक्षमता।
- क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का कृषि प्रधान से शहरी-सेवा प्रधान आजीविका की ओर परिवर्तन।
- शिमला के आसपास किफायती, सुरक्षित और विनियमित आवास की बढ़ती मांग।
- हिमालयी शहरी परिवेश में जलवायु-संवेदनशील नियोजन की आवश्यकता।

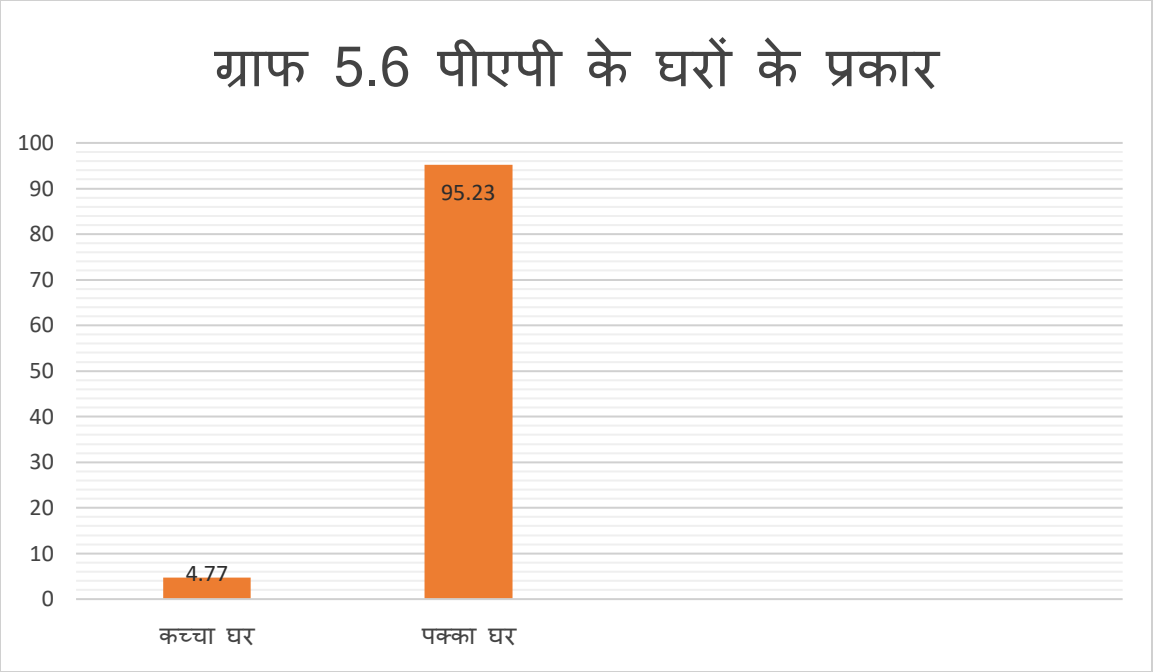
इस पृष्ठभूमि में, माउंटेन टाउनशिप को एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में देखा जा सकता है जो न केवल पिछली चुनौतियों का समाधान करती है बल्कि संतुलित क्षेत्रीय विकास, बेहतर जीवन स्तर और पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए एक ढांचा भी तैयार करती है।

5.8 जीवन स्तर की गुणवत्ता:

प्रभावित भूस्वामियों का विवरण निम्नलिखित पैमानों पर प्रस्तुत किया गया है:

5.8.1 आवासीय स्थिति और मकानों के प्रकार:

परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के मकानों के प्रकार का विवरण नीचे ग्राफ 5.5 में दिखाया गया है। सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि 95.23 प्रतिशत भूस्वामियों के ग्राम में पक्के मकान थे और शेष 4.77 प्रतिशत भूस्वामियों के ग्राम में कच्चे मकान थे।



5.8.2 बिजली कनेक्शन की उपलब्धता:

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि सभी भूस्वामियों के पास बिजली कनेक्शन है।

5.8.3 पेयजल के स्रोत:

प्रभावित भूस्वामियों के पेयजल स्रोतों का विवरण दिया गया है और यह स्पष्ट है कि पेयजल की आपूर्ति 100 प्रतिशत जल जीवन मिशन और जल शक्ति विभाग (आईपीएच) के अंतर्गत पाइपलाइनों, जल लिफ्टों और साथ ही प्राकृतिक जल संसाधनों के माध्यम से की जाती है।

स्थानीय निवासियों ने परियोजना क्षेत्र में मौजूदा जल संसाधनों की उपलब्धता, स्थिरता और संरक्षण के संबंध में चिंता व्यक्त की। समुदाय के सदस्यों ने पीने के पानी, सिंचाई और पशुधन की जरूरतों के लिए प्राकृतिक स्रोतों जैसे झरनों, कुलों, नालियों और खड्डों पर अपनी निर्भरता पर प्रकाश डाला, जो लगभग पूरे वर्ष उपलब्ध रहते हैं। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित विकास से प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए, भूजल पुनर्भरण में कमी नहीं आनी चाहिए या पारंपरिक जल चैनलों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि ग्रामों की वर्तमान जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और मौजूदा जल आपूर्ति योजनाओं के संरक्षण के लिए परियोजना योजना में पर्याप्त उपाय शामिल किए जाएं। परियोजना अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि स्थानीय हितधारकों और संबंधित विभागों के परामर्श से जल संसाधन प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाएंगी और परियोजना गतिविधियों के कारण पीने या सिंचाई के किसी भी मौजूदा जल स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तालिका 5.6 पेयजल का स्रोत

क्रम संख्या	ग्राम के नाम	**स्रोत**
तहसील मामलिघ		
1	मंझ्यारी	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
तहसील शिमला(ग्रामीण)		
1	चनान	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग

2	पंटी	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
3	आंजी	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
4	शिल्ली बागी	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
5	मझोला	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
6	शिलरू	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
7	धनोकर।	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग
8	क्यारगी	प्राकृतिक संसाधन (बावड़ी, कूल आदि) और जल शक्ति विभाग

5.8.4 शौचालयों की उपलब्धता:

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में शौचालयों की उपलब्धता का विवरण दिया गया है और यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि 100 प्रतिशत भूस्वामियों के परिसर में शौचालय बने हुए थे।

5.8.5 रसोई की उपलब्धता:

प्रभावित भूस्वामियों के घरों में अलग रसोई की उपलब्धता का विवरण दिया गया है और यह देखा गया कि 100 प्रतिशत (कुल 158) प्रभावित भूस्वामियों के घरों में रसोई उपलब्ध है।

5.8.6 खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन:

यह स्पष्ट किया गया कि 100 प्रतिशत भूस्वामी एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि वे खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का भी उपयोग कर रहे हैं।

5.8.7 राशन कार्ड

सर्वेक्षण के दौरान, यह स्पष्ट किया गया कि 97.47 प्रतिशत प्रभावित भूस्वामियों के पास एपीएल राशन कार्ड थे और 2.53 प्रतिशत के पास बीपीएल राशन कार्ड थे।

5.8.8 हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जाठिया देवी में "माउंटेन टाउनशिप परियोजना" के निर्माण से संबंधित जानकारी:

तालिका 5.7 से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जाठिया देवी में, शिमला (ग्रामीण) के आठ ग्रामों और सोलन के एक ग्राम के निकट स्थित माउंटेन टाउनशिप के निर्माण से संबंधित जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि सभी प्रभावित भूस्वामी परियोजना से पूरी तरह अवगत थे।

तालिका: 5.7 माउंटेन टाउनशिप परियोजना के निर्माण के संबंध में जागरूकता

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	हाँ	नही	कुल
तहसील मामलिघ				
1	मंझ्यारी	09(100.00)	00(00.00)	09(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)				
1	चनान	10(100.00)	00(00.00)	10(100.00)
2	पंटी	28(100.00)	00(00.00)	28(100.00)
3	आंजी	27(100.00)	00(00.00)	27(100.00)
4	शिल्ली बागी	17(100.00)	00(00.00)	17(100.00)
5	मझोला	15(100.00)	00(00.00)	15(100.00)
6	शिलरू	38(100.00)	00(00.00)	38(100.00)
7	धनोकर।	06(100.00)	00(00.00)	06(100.00)
8	क्यारगी	08(100.00)	00(00.00)	08(100.00)
	कुल	158(100.00)	00(00.00)	158(100.00)

5.9 भूमि एवं संपत्ति स्वामित्व

अध्ययन क्षेत्र में किसानों की तीन श्रेणियां पाई गईं: सीमांत किसान (1 हेक्टेयर से कम), लघु किसान (1 से 2 हेक्टेयर) और बड़े किसान (2 हेक्टेयर से अधिक)। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.8 किसानों की श्रेणी

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	सीमांत	लघु	बड़े	कुल
तहसील मामलिघ					
1	मंझ्यारी	00(00.00)	00(00.00)	09(100.00)	09(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)					
1	चनान	08(80.00)	00(00.00)	02(20.00)	10(100.00)
2	पंटी	28(100.00)	00(00.00)		28(100.00)
3	आंजी	25(92.59)	00(00.00)	02(7.41)	27(100.00)
4	शिल्ली बागी	11(64.70)	04(23.52)	02(11.78)	17(100.00)
5	मझोला	13(86.66)	00(00.00)	02(13.4)	15(100.00)
6	शिलरू	34(89.47)	00(00.00)	04(10.53)	38(100.00)
7	धनोकर।	00(00.00)	00(00.00)	06(100.00)	06(100.00)
8	क्यारगी	05(62.5)	00(00.00)	03(37.5)	08(100.00)
	कुल	124(78.48)	04(1.9)	31(19.62)	158(100.00)

5.9.1 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की श्रेणी:

अधिग्रहित की जा रही भूमि के प्रकार का विवरण तालिका 5.9 में दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि इस परियोजना में 100 प्रतिशत कृषि योग्य और गैर-कृषि योग्य भूमि शामिल है।

तालिका 5.9 अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की श्रेणी

क्रम संख्या	ग्रामों के नाम	खेती योग्य	गैर खेती योग्य	कुल
तहसील मामलिघ				
1	मंझ्यारी	हाँ	हाँ	09(100.00)
तहसील शिमला(ग्रामीण)				
1	चनान	हाँ	हाँ	10(100.00)
2	पंटी	हाँ	हाँ	28(100.00)
3	आंजी	हाँ	हाँ	27(100.00)
4	शिल्ली बागी	हाँ	हाँ	17(100.00)
5	मझोला	हाँ	हाँ	15(100.00)
6	शिलरू	हाँ	हाँ	38(100.00)
7	धनोकर।	हाँ	हाँ	06(100.00)
8	क्यारगी	हाँ	हाँ	08(100.00)
	कुल			158(100.00)

5.9.2 सिंचाई के स्रोत:

प्रभावित भूस्वामियों द्वारा सिंचाई के मुख्य स्रोतों को तालिका 5.10 में वर्गीकृत किया गया है। प्रभावित भूस्वामियों द्वारा सिंचाई गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधन (केयूएल), जल शक्ति विभाग और जल लिफ्ट के माध्यम से की गईं।

तालिका 5.10 सिंचाई स्रोत का स्थान

क्रम संख्या	ग्राम के नाम	स्त्रोत
तहसील मामलिघ		
1	मंझ्यारी	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
तहसील शिमला(ग्रामीण)		
1	चनान	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
2	पंटी	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
3	आंजी	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
4	शिल्ली बागी	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
5	मझोला	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
6	शिलरू	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
7	धनोकर।	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट
8	क्यारगी	प्राकृतिक संसाधन, जल शक्ति विभाग, जल लिफ्ट

5.10 भूमि मालिकों द्वारा बताई गई शर्तें और नियम जिनके आधार पर वे भूमि देने के लिए सहमत नहीं हैं:

प्रभावित भूमि मालिकों से यह जानकारी भी प्राप्त की गई कि वे किन शर्तों और नियमों के तहत HIMUDA को भूमि का अधिग्रहण करेंगे। इसका एक बड़ा हिस्सा तालिका 5.11 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.11 आप उक्त भूमि को स्वेच्छा से क्यों नहीं बेच रहे हैं? कृपया सही का निशान लगाएं (एकाधिक उत्तर)

क्रम संख्या	ज़मीन मालिकों की शर्तें	√ मार्क
1	हमारे देवता जमीन बेचने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।	√
2	यह जमीन कई लोगों के नाम पर पंजीकृत है।	
3	उनके पास कोई भूमि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।	
4	जमीन के अन्य शेयरधारक बाहर रहते हैं	
5	भूमि की बिक्री से परिवारों में बेरोजगारी बढ़ेगी	√
6	आय का स्रोत समाप्त हो जाएगा	√
7	लोगों को ग्राम छोड़कर पलायन करना पड़ेगा	√
8	जमीन का बाजार मूल्य मौजूदा सर्किल दर से कहीं अधिक है।	
9	जमीन से जुड़ा विवाद अदालत में लंबित है।	√
10	अन्य (पर्यावरणीय मुद्दे)	√

5.10.1 भूमि की बिक्री किन शर्तों पर तय की गई है? कृपया सही का निशान लगाएं (एकाधिक उत्तर):

प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार, उनमें से कुछ अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं, जिसका विस्तृत विवरण तालिका 5.12 में दिया गया है।

तालिका 5.12 भूमि की बिक्री किन शर्तों पर तय की गई है? कृपया सही का निशान लगाएं (एकाधिक उत्तर):

क्रम संख्या	प्रतिकूल प्रभाव	√ मार्क
1	सर्किल रेट से अधिक दर पर मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।	
2	अधिग्रहित भूमि के समान गुणवत्ता और आकार की भूमि किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	√
3	परियोजना के अंतर्गत स्थायी रोज़गार प्रदान किया जाना चाहिए।	
4	वैकल्पिक रोज़गार शुरू करने के लिए भौतिक/वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।	√
5	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निःशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।	
6	लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।	

7	यदि कृषि योग्य भूमि और आवासीय भूमि को परियोजना के संरेखण से बाहर स्थानांतरित किया जाना है, तो	√

5.11 आजीविका और आर्थिक प्रभाव

5.11.1 भूमि/संपत्ति का नुकसान और प्राथमिक आय स्रोतों पर प्रभाव:

इस परियोजना के परिणामस्वरूप अधिकांश भूस्वामियों की प्राथमिक आजीविका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। किसी भी उत्तरदाता ने वैकल्पिक आजीविका के लिए कौशल विकास या प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं बताई।

5.11.2 स्थानीय रोजगार के अवसरों पर प्रभाव:

सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) और परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) ने कहा कि इस परियोजना का उनके परिवारों के लिए स्थानीय रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

5.11.3 स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता:

प्रभावित भूस्वामियों के अनुसार, यह परियोजना आजीविका के लिए वनों या जल स्रोतों जैसे स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच या उनके उपयोग को प्रभावित करेगी।

कुल मिलाकर, इस परियोजना से मौजूदा आजीविका पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, जबकि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ाने और उसे बनाए रखने के अवसर पैदा होंगे।

एसआईए और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के आधार पर, यह परियोजना केवल हिमुडा के स्वामित्व वाली भूमि पर तभी विचारणीय है, जब पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हो जाएगी।

अध्याय 6
सामाजिक प्रभाव

यह अध्याय हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संभावित सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह परियोजना के प्रभावित परिवारों, आसपास के समुदायों और सार्वजनिक अवसंरचना पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रभावों का मूल्यांकन करता है। इस आंकलन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की संतुलित समीक्षा शामिल है, जिसमें आजीविका, रोजगार, आय स्तर, सार्वजनिक संसाधनों तक पहुँच, सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रस्तुत अंतर्दृष्टियाँ घरेलू सर्वेक्षणों, हितधारकों के परामर्श और फोकस समूह चर्चाओं से प्राप्त की गई हैं, जो परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता पर परियोजना के संभावित प्रभाव की व्यापक समझ प्रदान करती हैं।

6.1 प्रभावों की पहचान हेतु रूपरेखा एवं दृष्टिकोण

शिमला जिले की शिमला ग्रामीण तहसील के 8 ग्रामों और सोलन जिले की मामलिघ तहसील के 1 ग्राम में जाठिया देवी माउंटेन टाउनशिप के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले संभावित सामाजिक प्रभावों का आंकलन करने हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) किया गया। एसआईए का उद्देश्य परियोजना के स्थानीय आबादी, समुदायों और सांस्कृतिक प्रणालियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की पहचान करना है। निर्णय लेने के एक उपकरण के रूप में, एसआईए परियोजना योजनाकारों को सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) के माध्यम से नकारात्मक प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने में सहायता करता है।

सामाजिक प्रभाव विश्लेषण अध्याय 2 में वर्णित पद्धति के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह, ग्राम-स्तरीय परामर्श और परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ संवाद के माध्यम से किया गया है। इस दृष्टिकोण में आजीविका, विस्थापन, सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सहित मूर्त और अमूर्त दोनों प्रभावों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह रूपरेखा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और संबंधित राज्य भूमि अधिग्रहण नियमों का पालन करती है, जो अधिकार-आधारित और सहभागी दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। प्रभावों को निर्माण-पूर्व, निर्माण और परिचालन चरणों में वर्गीकृत किया गया, जिससे व्यक्तियों और समुदायों पर पड़ने वाले अलग-अलग प्रभावों को उजागर किया गया।

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में प्रभावों का विवरण

इसे तीन प्रमुख चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है: निर्माण-पूर्व, निर्माण और निर्माण-पश्चात या संचालन। इन चरणों में स्थानीय समुदाय के साथ अलग-अलग स्तर की भागीदारी होगी और इनके सामाजिक परिणाम भी भिन्न-भिन्न होंगे। पूर्ण रूप से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव या व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव में, प्रत्येक चरण में संभावित प्रभावों का केवल एक सामान्य आंकलन ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

सामाजिक प्रभाव के चरण:

क. निर्माण-पूर्व चरण:

भूमि अधिग्रहण और विस्थापन: इस परियोजना में शिमला (ग्रामीण) तहसील के आठ ग्रामों और सोलन जिले के एक ग्राम को कवर करते हुए लगभग 249-49-51 हेक्टेयर (2959-12 बीघा) निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल है। प्राथमिक प्रभाव कृषि और बागवानी भूमि पर पड़ेगा, जिसमें सीमित निर्मित क्षेत्र शामिल हैं। बड़े पैमाने पर भौतिक

विस्थापन की आशंका नहीं है; हालांकि, उत्पादक भूमि और वन-आधारित आजीविका के नुकसान के कारण आर्थिक विस्थापन हो सकता है।

जनविरोध: स्थानीय परामर्शों से पता चला कि परियोजना के प्रति आम तौर पर कोई समर्थन नहीं है, भले ही यह क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हालांकि, भूमि के उचित मूल्यांकन, मुआवजे में देरी और संभावित पर्यावरणीय गिरावट को लेकर कुछ आशंकाएं बनी हुई हैं।

मुआवजा और पुनर्वास: भूस्वामी आमतौर पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन यदि सहमत होते हैं, तो वे प्रचलित बाजार दरों पर नकद मुआवजा और जहाँ संभव हो, रोजगार के अवसर, पुनर्वास भूखंड या कौशल प्रशिक्षण को प्राथमिकता दे सकते हैं। समय पर मुआवजा और पारदर्शी मूल्यांकन सामुदायिक विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

बी. निर्माण चरण:

यातायात व्यवधान और सड़क सुरक्षा: निर्माण सामग्री की आवाजाही से अस्थायी यातायात जाम और सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। ढुलाई मार्गों और पहुँच मार्गों के पास रहने वाले ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई और दुर्घटनाओं के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए पर्याप्त सड़क संकेत और यातायात नियंत्रण आवश्यक है।

शोर, धूल और वायु प्रदूषण: खुदाई, कंक्रीट मिश्रण और सामग्री परिवहन जैसी निर्माण गतिविधियों से अल्पकालिक वायु और ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना है। इससे स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और आसपास की बागवानी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने और कार्य घंटों को सीमित करने की सिफारिश की जाती है।

रोजगार के अवसर: परियोजना के निर्माण चरण के दौरान, विशेष रूप से अकुशल और अर्ध-कुशल पदों पर, अल्पकालिक स्थानीय रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। भर्ती और आपूर्ति अनुबंधों में प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) का उद्देश्य परियोजना के तीनों चरणों में इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाते हुए प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। विभिन्न प्रभावों का विवरण, प्रबंधन उपायों के साथ, तालिका 6.1 में दिया गया है।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना परियोजना के प्रत्येक चरण के दौरान संभावित सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने का प्रयास करती है। उचित योजना और कार्यान्वयन से प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकेगा और परियोजना के दीर्घकालिक लाभों को बढ़ाया जा सकेगा।

तालिका 6.1: परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभावों का विवरण

परियोजना चरण	सामाजिक प्रभाव	आर्थिक प्रभाव	सांस्कृतिक प्रभाव
निर्माण-पूर्व	मुआवज़ा प्राप्त करने को लेकर हितधारकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। • पेयजल संसाधनों आदि जैसी साझा संपत्तियों के नुकसान से जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	• आगामी परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्र में भूमि की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। • मुआवजे के रूप में दी गई राशि के कारण ग्रामीण सहायता समूहों (पीएएफ) की वित्तीय स्थिति में अचानक बदलाव आ सकता है, जिससे उनकी क्रय क्षमता प्रभावित हो सकती है और निधि के कुप्रबंधन का जोखिम भी बढ़ सकता है। • वन भूमि के अधिग्रहण से ग्रामीणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे चारे और जलाऊ लकड़ी के संग्रहण के लिए वन भूमि पर अत्यधिक निर्भर हैं।	आगामी परियोजना से लाभान्वित होने वाले लोगों के खर्च करने के तरीके में बदलाव के साथ-साथ सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर भी प्रभाव पड़ेगा।

परियोजना चरण	सामाजिक प्रभाव	आर्थिक प्रभाव	सांस्कृतिक प्रभाव
निर्माण	निर्माण श्रमिकों और तकनीकी कर्मचारियों के आगमन से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और स्वच्छता पर बोझ बढ़ेगा। इससे उन लोगों के बीच सामाजिक विभाजन पैदा हो सकता है जो इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों और अन्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। आगामी परियोजना के कारण क्षेत्र के समग्र विकास से निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। • अप्रवासन के परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों में सुरक्षा और संरक्षा की भावना कम हो सकती है। • बाहरी लोगों के साथ संघर्ष बढ़ सकता है और क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है।	स्थानीय लोगों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि। स्थानीय लोगों की व्यय योग्य आय में वृद्धि। आर्थिक गतिविधियों और उपभोग के तरीकों में वृद्धि। प्रवासन के कारण इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की खपत में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा।	अंतर्देशीय प्रवास के कारण अन्य राज्यों से लोग आएंगे और अपनी संस्कृति, मान्यताएं, धार्मिक रीति-रिवाज, पहनावे के पैटर्न आदि लाएंगे, जिससे स्थानीय निवासियों की मौजूदा सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर प्रभाव पड़ सकता है।
निर्माणोत्तर चरण	ट्रैक के आसपास कूड़ा-कचरा फैलाने से पर्यावरण के खराब होने की संभावना हो सकती है, जिसे उचित शिक्षा और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के माध्यम से रोकने की आवश्यकता है।	बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण नए व्यावसायिक अवसर खुल सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। • इस परियोजना से बाजार संपर्क मजबूत होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। इससे वित्तीय प्रबंधन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी बेहतर होगा।	इस चरण के दौरान सांस्कृतिक स्थिरता देखी जा सकती है। .

**Source: Primary Survey*

6.3 समूह चर्चा के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए गए प्रभाव

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के साथ समूह चर्चा से टाउनशिप के बारे में व्यापक जागरूकता का पता चला, लेकिन इसके प्रति समर्थन नहीं। कुछ उत्तरदाताओं ने बेहतर सड़क संपर्क, बाजार तक पहुँच और रोजगार सृजन सहित संभावित लाभों को स्वीकार किया। हालांकि, कृषि आय के नुकसान, उचित मुआवजे और परियोजना के समय पर निष्पादन को लेकर प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं। ग्रामीणों ने इस मामले में आगे कोई संचार न करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की और यदि सहमति हो, तो भूमि अधिग्रहण और विकास चरणों के दौरान अधिकारियों से निरंतर संचार की मांग की।

6.4 परियोजना के बारे में जागरूकता

सर्वेक्षण के निष्कर्षों से पता चलता है कि प्रभावित परिवारों में परियोजना के बारे में 100% जागरूकता है। यह जागरूकता मुख्य रूप से साइट पर चल रही दृश्य पूर्व निर्माण गतिविधियों, जैसे कि पूर्व सरकारी हस्तक्षेप, वृक्ष कटाई, सार्वजनिक सूचनाएं, स्थानीय प्रशासनिक बैठकें, मौखिक प्रचार और व्हाट्सएप संचार के माध्यम से थी। हितधारकों

ने शिमला में भीड़भाड़ कम करने के टाउनशिप के उद्देश्यों को समझा, लेकिन नियोजित आवासीय और संस्थागत स्थान प्रदान करने के उद्देश्य को नहीं।

6.5 मुआवज़े संबंधी प्राथमिकताएँ

अधिकांश उत्तरदाताओं ने बाज़ार मूल्य और सर्किल दर संशोधन के अनुरूप मौद्रिक मुआवज़े को प्राथमिकता दी। कुछ परिवारों ने परियोजना के अंतर्गत वैकल्पिक भूमि या रोज़गार के अवसर तलाशे, विशेषकर युवा सदस्यों के लिए। मूल्यांकन में पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को महत्वपूर्ण अपेक्षाएँ बताया गया, लेकिन साक्षात्कार में शामिल अधिकांश हितधारकों ने इस परियोजना के लिए अपनी भूमि देने से असहमति व्यक्त की।

6.6 सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का सारांश

6.6.1 सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व:

परियोजना क्षेत्र में कुछ ही प्रमुख धार्मिक संरचनाएँ या विरासत स्मारक हैं। आस-पास के गाँवों में स्थित छोटे स्थानीय मंदिरों और पवित्र उपवनों को स्थानीय समितियों से परामर्श के बाद सम्मानपूर्वक संरक्षित या स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

क्यारगी, शिल्ली बागी, मझोला, चानन, आंजी, दानोखर, शिलरु आदि ग्रामों के सभी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से एसआईए टीम और एसडीएम, शिमला ग्रामीण, शिमला, हिमाचल प्रदेश को सूचित किया है कि जुंगा महाराज देवता का एक प्राचीन मंदिर है, जो बहुत पुराना है, और इसकी प्राचीनता के प्रमाण देवता के पास उपलब्ध हैं। देवता जंगा कजराल के शिव स्वयंभू से भी जुड़े हुए हैं। देवता की एक परिषद भी होती है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

1. देवता कठेश्वर
2. देवता खड़मू
3. देवता माली
4. शर्पल देवता
5. चौंडली रानी
6. चडोगर
7. महावीर लक्ष्मी नरसिम्हा
8. जाठिया देवी ज्वाला
9. कालका
10. क्षेत्रपाल
11. शिव देवता जंगा

उपरोक्त देवता देवता के उद्घोषों के माध्यम से 6-7 ग्रामों से जुड़े हुए हैं। देवता जंग महाराज की विशेष रथयात्रा, जिसका केंद्रबिंदु उनका कल्याण है, भी परंपरागत रूप से इससे जुड़ी हुई है। स्थानीय पुजारी द्वारा देवशयनी और हरिप्रबोधिनी उत्सवों, मासिक संक्रांति पूजा और प्रतिदिन धूप और दीपक अर्पित करके पारंपरिक सामूहिक पूजा की जाती है। इसलिए, वे भूमि अधिग्रहण का पुरजोर और सर्वसम्मति से विरोध कर रहे हैं।

6.6.2 सामुदायिक सुविधाओं तक पहुँच:

निर्माण के दौरान, कुछ रास्ते और जल स्रोत अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विकास के बाद, टाउनशिप से स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन सुविधाओं तक पहुँच में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे आसपास के क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

6.6.3 सामाजिक सामंजस्य:

महिला मंडल और युवक मंडल के कुछ हितधारकों ने साक्षात्कार में चिंता व्यक्त की कि बाहरी लोगों या आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, अधिग्रहित

भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होने से सामुदायिक संबंधों में कोई खास बाधा नहीं आएगी। रोजगार और सेवाओं के साझा अवसर मिलने से गांवों के बीच संबंध मजबूत होंगे और आय में वृद्धि होगी। मुआवजे का उचित प्रबंधन और पारदर्शी संचार सद्भाव बनाए रखने में सहायक होगा।

6.6.4 पारंपरिक प्रथाएं:

निर्वाह कृषि, पशुपालन और वन उपज संग्रहण जैसी पारंपरिक गतिविधियां समय के साथ कम हो सकती हैं। हालांकि, टाउनशिप में स्थानीय जैव विविधता का एकीकरण और पर्यावरण के अनुकूल भूनिर्माण स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान को संरक्षित करने में सहायक हो सकता है।

6.6.5 परामर्श और सहभागिता:

ग्राम सभा बैठकों, सार्वजनिक सुनवाईयों और परियोजना सूचना केंद्रों के माध्यम से निरंतर सामुदायिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उभरती चिंताओं के समाधान और सामाजिक प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए नियमित परामर्शों को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।

6.7 प्रमुख सामाजिक प्रभावों और प्रस्तावित शमन उपायों की सारांश तालिका

अवस्था	प्रभाव का प्रकार	प्रभाव का वर्णन	प्रस्तावित शमन उपाय
पूर्व निर्माण	कृषि भूमि का नुकसान	भूमि अधिग्रहण के कारण घरेलू आय में कमी	बाजार के अनुरूप उचित वेतन प्रदान करें; आजीविका के वैकल्पिक प्रशिक्षण और स्थानीय रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराएं।
पूर्व निर्माण	सामुदायिक चिंताएँ	मूल्यांकन और परियोजना पारदर्शिता को लेकर चिंता	नियमित सूचना सत्र और शिकायत निवारण बैठकें आयोजित करें
निर्माण	यातायात और सुरक्षा जोखिम	आवासीय क्षेत्रों के पास वाहनों की आवाजाही में वृद्धि	यातायात प्रबंधन योजनाएं, संकेत और प्रतिबंधित वाहन समय
निर्माण	ध्वनि और धूल प्रदूषण	स्वास्थ्य संबंधी असुविधा, वनस्पति पर प्रभाव	धूल नियंत्रण (पानी का छिड़काव), ध्वनि अवरोधक और नियमित कार्य समय का उपयोग करें।
निर्माण	रोजगार के अवसर	स्थानीय लोगों के लिए अल्पकालिक आजीविका लाभ	स्थानीय भर्ती और कौशल संवर्धन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें
बाद निर्माण	आजीविका के स्वरूप में परिवर्तन	कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन	कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता
बाद निर्माण	शहरीकरण का दबाव	सामाजिक असमानता या अटकलों का जोखिम	पारदर्शी भूमि उपयोग नियंत्रण और स्थानीय लाभ-साझाकरण तंत्र
पार काटने	सामाजिक सामंजस्य	असमान मुआवजे के कारण असंतोष का खतरा	सहभागी योजना और समान लाभ वितरण सुनिश्चित करें
पार काटने	सामाजिक सामंजस्य	सांस्कृतिक मूल्यों की हानि	सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े रहने के लिए पारंपरिक क्लबों का गठन किया जा सकता है।

6.8 निष्कर्ष

कुल मिलाकर, माउंटेन टाउनशिप परियोजना के सामाजिक प्रभाव काफी हद तक सकारात्मक हैं, जिनमें क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि, उचित मुआवजे, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित पर्याप्त उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि विकास समावेशी, टिकाऊ और सामाजिक रूप से न्यायसंगत बना रहे। यदि जनता इस प्रस्तावित परियोजना के लिए सहमत होती है, तो यह परियोजना सफल हो सकती है।

अध्याय-7
लागत एवं लाभ विश्लेषण: अधिग्रहण संबंधी सिफ़ारिशें

शिमला जिले (तहसील शिमला ग्रामीण) के आठ ग्रामों और सोलन जिला (मामलिघ तहसील) के एक ग्राम को शामिल करते हुए जाठिया देवी में प्रस्तावित पर्वतीय टाउनशिप के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) टीम ने अनुमानित लागतों (सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संदर्भ में) और अपेक्षित लाभों (बुनियादी ढांचे, रोजगार और दीर्घकालिक स्थिरता के संदर्भ में) के बीच विस्तृत तुलना की। यह आंकलन नीचे प्रस्तुत है।

7.1 परियोजना से जनहित का आंकलन

यह आंकलन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हिमाचल प्रदेश के आवास विभाग के नेतृत्व वाली यह परियोजना वास्तव में जनहित की आवश्यकता को पूरा करती है, या यह मुख्य रूप से जनहित की आड़ में किया गया एक व्यावसायिक अचल संपत्ति उद्यम है।

माउंटेन टाउनशिप परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक सुनियोजित उपग्रह बस्ती विकसित करना है, जो वर्तमान में अत्यधिक जनसंख्या, अनियोजित विस्तार और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह टाउनशिप आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक क्षेत्र प्रदान करेगी, जिससे संतुलित शहरी विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।

यह परियोजना सतत पर्वतीय शहरीकरण के लिए राज्य के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। इस विकास से जनता को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- मध्य शिमला पर बुनियादी ढांचे का भार कम करना।
- किफायती और सुनियोजित आवास उपलब्ध कराना।
- सड़क संपर्क और सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाना।
- स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
- हिमालयी क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

इसलिए, यह परियोजना राज्य की विकास प्राथमिकताओं और शहरी नियोजन ढाँचों के अनुरूप एक स्पष्ट जनहितकारी उद्देश्य की पूर्ति करती है।

7.2 अधिकतम विस्थापन और वैकल्पिक भूमि की आवश्यकता

परियोजना का उद्देश्य विस्थापन को न्यूनतम करना है। जमीनी स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, परिवारों के बड़े पैमाने पर विस्थापन की आशंका नहीं है, क्योंकि चिन्हित भूमि का अधिकांश भाग गैर-आवासीय, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि या खाली भूखंड है। कुल आवश्यक भूमि लगभग 414-91-44 हेक्टेयर है, जिसमें से 135 हेक्टेयर के लिए प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण (डीपीआर) उपलब्ध है, जिसमें पहले से ही हिमुदा के स्वामित्व वाली भूमि भी शामिल है।

योजना चरण के दौरान वैकल्पिक स्थल विश्लेषण में कम कृषि उत्पादकता, कम बस्तियों और उपयुक्त भूभाग वाले स्थानों पर विचार किया गया, जिससे जाठिया देवी को सबसे व्यवहार्य और न्यूनतम व्यवधानकारी विकल्प के रूप में पुष्टि मिली। यह अन्य संभावित स्थलों की तुलना में न्यूनतम मानव और आजीविका विस्थापन सुनिश्चित करता है। हालांकि, कुटासनी, रौरियात शिमला और सैरी और मामलिघ आदि तहसील कंडाघाट, सोलन में वैकल्पिक गैर-कृषि या सरकारी भूमि उपलब्ध है, जो पीएपी द्वारा सुझाए गए उद्देश्य को पूरा कर सकती है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

पहचाने गए प्राथमिक सामाजिक प्रभाव भौतिक के बजाय आर्थिक हैं, जो कृषि आय, बागवानी संपत्तियों की हानि और आजीविका में अस्थायी व्यवधान से संबंधित हैं। प्रभाव की तीव्रता भूमि स्वामित्व के आकार और कृषि पर निर्भरता के आधार पर भिन्न होती है।

द्वितीयक प्रभावों में निर्माण के दौरान अस्थायी असुविधाएँ शामिल हैं, जैसे शोर, धूल और आवागमन में प्रतिबंध। कोई भी प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक या विरासत स्थल प्रभावित नहीं होगा।

हालांकि, साक्षात्कार किए गए हितधारकों ने चिंता व्यक्त की कि बाहरी लोगों या आधुनिक संस्कृति का प्रभाव हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित कर सकता है। समग्र सामाजिक प्रभाव की तीव्रता मध्यम है, जिसे मुआवज़ा, आजीविका सहायता और सहभागी निगरानी उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।

7.4 सुझाए गए शमन उपायों की व्यवहार्यता

प्रस्तावित शमन उपाय–जिनमें उचित मुआवजा, पारदर्शी मूल्यांकन, रोजगार के अवसर और निरंतर परामर्श शामिल हैं–व्यावहारिक और व्यवहार्य दोनों हैं। परियोजना के प्रति समुदाय की सामान्य जागरूकता और स्वीकृति को देखते हुए, इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन से लाभ का समान वितरण और न्यूनतम प्रतिरोध सुनिश्चित होगा।

संस्थागत व्यवस्थाओं से शिकायत निवारण और मुआवजे के वितरण की निगरानी के लिए HIMUDA, राजस्व विभाग और स्थानीय ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय सुनिश्चित होना चाहिए।

7.4.1 परियोजना की लागत और लाभों का सारांश

लागत (नकारात्मक प्रभाव):

• भूमि अधिग्रहण के कारण कृषि और बागवानी आय का नुकसान।

• निर्माण के दौरान अस्थायी व्यवधान (धूल, शोर, यातायात जाम)।

• यदि निर्माण का सावधानीपूर्वक प्रबंधन नहीं किया जाता है तो स्थानीय जल विज्ञान और पारिस्थितिकी में संभावित परिवर्तन।

• मजबूत संस्थागत निगरानी के अभाव में असमान मुआवजे या शिकायत निवारण में देरी का जोखिम।

• निर्वाह खेती और पशुपालन जैसी पारंपरिक आजीविका में धीरे-धीरे गिरावट।

लाभ (सकारात्मक प्रभाव):

• शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक सुनियोजित, टिकाऊ टाउनशिप का विकास।

• निर्माण और निर्माण के बाद के चरणों में रोजगार सृजन।

• बेहतर बुनियादी ढांचा (सड़कें, पानी, बिजली, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन)।

• क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि।

• जलवायु परिवर्तन के अनुकूल आधुनिक आवासीय और संस्थागत स्थानों का निर्माण।

• नए व्यावसायिक अवसरों और अचल संपत्ति के मूल्य में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती।

समग्र विश्लेषण:

माउंटेन टाउनशिप परियोजना के लाभ सामाजिक और आर्थिक लागतों से कहीं अधिक हैं। हालांकि अल्पकालिक व्यवधान और आजीविका समायोजन अपरिहार्य हैं, लेकिन प्रभावी उपायों के माध्यम से इन्हें प्रबंधित और प्रतिवर्ती बनाया जा सकता है। यह परियोजना शिमला क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक जन कल्याण, आर्थिक उत्थान और टिकाऊ शहरी विकास का वादा करती है।

7.4.2 अंतिम अनुशंसा

जठिया देवी में प्रस्तावित पर्वतीय टाउनशिप हिमाचल प्रदेश सरकार और आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्र में नियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है।

लागत-लाभ विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि रोजगार सृजन, बेहतर बुनियादी ढांचा, बेहतर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय भीड़भाड़ में कमी सहित दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक लाभ, भूमि अधिग्रहण और आजीविका समायोजन से संबंधित अल्पकालिक सामाजिक लागतों से कहीं अधिक हैं। सर्वेक्षण के दौरान, प्रभावित भूमि मालिकों से प्राप्त जानकारी, जो ईश्वर में धार्मिक आस्था से संबंधित कारणों, परिवारों में बढ़ती बेरोजगारी, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दों, भूमि अधिग्रहण के कारण पलायन, आय के वैकल्पिक स्रोत की कमी और अदालती विवादों से संबंधित कारणों से अपनी जमीन देने के लिए अनिच्छुक हैं, इन सभी मुद्दों को विभाग द्वारा पुनः संबोधित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि कुछ लोग अपनी जमीन देने को तैयार हैं, बशर्ते कि उन्हें समान आकार और गुणवत्ता वाली जमीन मिले, वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और पुनर्वास के दौरान वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यह अनुशंसा की जाती है कि:

• भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 का कड़ाई से पालन करते हुए आगे बढ़ेगी, जिससे पारदर्शी मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित होगा।

• प्रभावित परिवारों के लिए व्यापक आजीविका पुनर्स्थापन कार्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिनमें कौशल प्रशिक्षण और परियोजना गतिविधियों में रोजगार शामिल हैं।

• पहाड़ी पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए निर्माण और संचालन में पर्यावरण प्रबंधन उपायों को एकीकृत किया जाएगा।

• समुदाय की बदलती चिंताओं को दूर करने के लिए ग्राम सभा परामर्श के माध्यम से हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा जाएगा।

• सभी मुद्दों के निष्पक्ष और समय पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सामाजिक निगरानी और शिकायत निवारण समिति की स्थापना की जाएगी।

निष्कर्षतः, जाठिया देवी में पर्वतीय टाउनशिप परियोजना एक सामाजिक रूप से लाभकारी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पहल है जो हिमाचल प्रदेश के सतत पर्वतीय शहरीकरण के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उचित पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन के साथ, यह पहाड़ी क्षेत्रों में संतुलित विकास का एक आदर्श बन सकती है, जो आधुनिकीकरण को पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ती है।

लागत-लाभ विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि यद्यपि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है, लेकिन रोजगार, बुनियादी ढांचे का निर्माण और क्षेत्रीय शहरी भीड़भाड़ में कमी जैसे मूर्त और अमूर्त लाभ लागत से कहीं अधिक हैं।

अध्याय-8
सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

यहाँ प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का उद्देश्य शिमला जिले की तहसील शिमला (ग्रामीण) के 8 गाँवों और सोलन जिले की तहसील मामलिघ के 1 ग्राम में जाठिया देवी माउंटेन टाउनशिप से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करना, प्रबंधित करना और उनकी निगरानी करना है। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना से प्रभावित समुदायों को होने वाली असुविधाओं को कम से कम किया जा सके और साथ ही सभी हितधारकों के लिए समान परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। परियोजना से प्रभावित गाँवों के लिए संभावित भूमि अधिग्रहण (पीएएफ) के मुआवजे का निर्धारण भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के आधार पर प्रस्तावित है।

8.1 प्रभावों से बचाव, उन्हें कम करने और उनकी भरपाई के उपाय

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावित परियोजना का समुदाय और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े, बचाव, शमन, क्षतिपूर्ति और निगरानी उपायों से युक्त एक व्यापक रणनीति विकसित की गई है। इन कदमों का उद्देश्य जिम्मेदार विकास के सिद्धांतों को बनाए रखना और प्रभावित हितधारकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है।

1. बचाव उपाय

• **भूमि का अनुकूलित उपयोग:** भूमि अधिग्रहण को सख्ती से आवश्यक 249-49-51 हेक्टेयर (2959-12 बीघा) तक सीमित रखा जाएगा।

• **संवेदनशील परियोजना डिजाइन:** लेआउट और निर्माण गतिविधियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जाएगी ताकि आस-पास के आवासीय और वाणिज्यिक ढांचों में कोई हस्तक्षेप न हो, जिससे भौतिक और सामाजिक व्यवधान कम हो।

2. निवारण उपाय

• **पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:** आस-पास के क्षेत्रों में जल संचय और संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए वर्षा जल और सतही अपवाह प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन।

• पर्यावरणीय गिरावट को सीमित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री और प्रक्रियाओं को अपनाना।

• **वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण:** धूल नियंत्रण तकनीकों का उपयोग, जैसे कि पानी का छिड़काव और परिवहन और भंडारण के दौरान सामग्री को ढकना।

• शोरगुल वाले निर्माण कार्यों को निर्धारित समय के भीतर करना और स्थानीय निवासियों पर प्रभाव को कम करने के लिए कम शोर वाली मशीनों का उपयोग करना।

• **सुरक्षा प्रोटोकॉल**: जनता और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण क्षेत्र के चारों ओर बैरिकेड, चेतावनी चिह्न और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना।

• निष्पादन के दौरान सुरक्षा जोखिमों की पहचान और निवारण के लिए नियमित रूप से साइट पर निगरानी।

3. मुआवज़ा उपाय

• **निष्पक्ष और पारदर्शी मुआवज़ा:** लागू कानूनी ढाँचों (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015) के अनुसार भूस्वामियों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय मुआवज़ा प्रदान करना।

• जहाँ आवश्यक हो, विस्थापित या आर्थिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के पूर्ण पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक भूमि या आजीविका सहायता प्रदान करना।

• सामुदायिक सहभागिता और समर्थन: परियोजना निष्पादन के दौरान स्थानीय आबादी को सूचित करने और उनसे परामर्श करने के लिए स्पष्ट संचार चैनल स्थापित करना।

• दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करना और समुदाय-आधारित उद्मों को समर्थन देना।

4. निगरानी और अनुपालन

• पर्यावरण, सामाजिक और मुआवज़ा संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी की नियुक्ति।

• शमन रणनीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए निर्माण के दौरान और बाद में आवधिक प्रभाव आंकलन करना।

इन व्यापक उपायों को लागू करके, परियोजना का उद्देश्य प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

8.2 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और मुआवजे में शामिल उपाय

यह सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट संबंधित निकाय को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और परियोजना से प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों द्वारा सार्वजनिक परामर्श और सर्वेक्षणों के दौरान व्यक्त की गई आकांक्षाओं के अनुसार कार्य योजना तैयार करने में सहायक होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के आलोक में, अपेक्षित सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं।

तालिका 8.1: पहचाने गए प्रभाव और संबंधित शमन उपाय

क्रम संख्या	आकलित प्रभाव	सुझाए गए शमन उपाय
1	निजी भूमि का नुकसान।	आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमिधारकों और हितधारकों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और कृषि भूमि को इससे मुक्त रखा जा सकता है।
2	अधिग्रहण के कारण निजी संपत्तियों का नुकसान, जैसे आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाएं, चारदीवारी, फसलें, फलदार और गैर-फलदार पेड़। अधिग्रहित की जा रही निजी संपत्तियों की सूची पिछले अध्याय में दी गई है।	आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मालिकों और हितधारकों को उचित मुआवजा दिया जाए। यदि संभव हो तो आवासीय और कृषि क्षेत्रों से परहेज किया जाए, ताकि आवास विभाग (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवासीय क्षेत्र बनाया जा सके।
3	विस्थापित परिवारों और व्यक्तियों को अधिग्रहण के कारण हुई असुविधा	प्रभावित भूस्वामियों और हितधारकों को आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उचित और पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाएगा, ताकि उन्हें नए स्थान पर स्थानांतरित करने और नए आवासीय ढांचों के निर्माण में सहायता मिल सके।
4	भूमि पर निर्भर रोजगार/आय/आजीविका का नुकसान।	1) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित मुआवजा। 2) संबंधित निकाय, इन व्यक्तियों के कौशल, योग्यता, आयु और मौजूदा आय के आधार पर, निर्माण और निर्माणोत्तर चरण के दौरान परियोजना में रोजगार सुनिश्चित कर सकता है।

		3) संबंधित निकाय इन व्यक्तियों के कौशल उन्नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी चला सकता है ताकि उन्हें परियोजना में बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें। 4) इस परियोजना के संचालन और अन्य चरणों के दौरान, निर्माण, आपूर्ति और परिवहन से संबंधित छोटे ठेके प्रभावित ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासियों और विकलांग व्यक्तियों (पीएपी) को देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कृषि भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
5	जल संसाधनों सहित साझा संपत्तियों का नुकसान, जिनमें मानव और पशुओं के लिए पेयजल संसाधन जैसे झरने, कुल, नाल आदि शामिल हैं। चारागाहों/पशु चरागाहों और जलाऊ लकड़ी संग्रहण के लिए जंगलों का नुकसान।	निर्माण कार्य शुरू करने से पहले, प्रभावित होने वाली सभी सार्वजनिक संपत्तियों के लिए संबंधित समुदाय की पूर्व सहमति से एक समतुल्य/उन्नत वैकल्पिक संपत्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6	संवेदनशील समूहों पर प्रभाव:	1) आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तियों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। 2) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कमजोर परिवार के कम से कम एक सदस्य को कौशल विकास और आय पुनर्स्थापन के रूप में अतिरिक्त सहायता जैसी विशेष सहायता प्रदान की जाए। 3) अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धोखाधड़ी और जालसाजी की संभावना को रोकने के लिए मुआवजे का संबंधित हिस्सा सीधे कमजोर व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाए।
6	पर्यावरण प्रदूषण और वाहनों का आवागमन	पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन, अर्थात् शोर, यातायात और धूल के बढ़े हुए स्तर को अनुमेय सीमा के भीतर रखने के लिए, स्थानीय लोगों के परामर्श से किया जा सकता है। - धूल नियंत्रण: निर्माण के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि धूल उत्सर्जन को कम किया जा सके और वायु गुणवत्ता को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखा जा सके। जलभराव और सतही अपवाह प्रबंधन: जलभराव और सतही अपवाह के सुरक्षित और कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एक वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई जल निकासी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिससे जलभराव और मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। अपशिष्ट प्रबंधन: खुदाई से प्राप्त सभी मिट्टी और निर्माण मलबे का निपटान निर्धारित डंपिंग स्थलों पर जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनधिकृत डंपिंग से बचना चाहिए। - प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: निर्माण या संचालन के किसी भी चरण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए कि जल निकासी लाइनें अवरुद्ध या बाधित न हों, और आसपास

		के जंगलों, जल निकायों (जैसे नाले, बावड़ी, कुल और चश्मा), पेड़ों या वनस्पतियों को कोई क्षति न पहुँचे। - यातायात और सड़क सुरक्षा: परिसर से मुख्य सड़क की ओर जाने वाले यातायात को इस प्रकार प्रबंधित किया जाना चाहिए कि भीड़भाड़ से बचा जा सके और वाहनों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हो सके। - यातायात को निर्देशित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट और दिखाई देने वाले संकेत लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक यातायात में बाधा से बचने और सुरक्षित प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सड़क तक एक समर्पित और सुरक्षित पहुँच मार्ग विकसित किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण और यातायात को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं: - भारी परिवहन वाहनों के प्रवेश के लिए दिन के विशिष्ट घंटे निर्धारित करना। - परियोजना स्थल पर एक दिन में प्रवेश करने/निकलने वाले भारी वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना। - चालकों को हॉर्न का कम से कम उपयोग करने के लिए सख्त निर्देश देना। - परिवहन वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। - सड़कों और यातायात की स्थिति में अनावश्यक भार से बचने के लिए परिवहन वाहनों के समय को दिन भर समान रूप से समायोजित करना। - भारी वाहनों के चालकों को छोटे वाहनों को प्राथमिकता देते हुए नियमित रूप से ओवरटेक करने और गति सीमा का पालन करने के लिए सख्त निर्देश देना। - यदि हिमाचल प्रदेश आवास विभाग यहां काम शुरू करता है, तो पर्यावरण के अनुकूल घरों पर विचार किया जा सकता है।

8.3 एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए व्यय

परियोजना से प्रभावित परिवारों पर लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर, पात्रता ढांचा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन प्रक्रिया का विवरण नीचे दिया गया है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रासंगिक कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुसार एक पात्रता मैट्रिक्स तैयार किया गया है। यह मैट्रिक्स भूमि अधिग्रहण के कारण होने वाले संभावित नुकसानों का व्यापक सारांश प्रदान करता है और संबंधित पात्रताओं का विवरण देता है, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रकृति, दायरा और सीमा का विस्तृत वर्णन शामिल है।

तालिका 8.2: प्रभाव श्रेणी और पात्रता विवरण

क्रम संख्या	प्रभाव श्रेणी	पात्रता की इकाई	पात्रता का विवरण	टिप्पणी
संपत्ति का नुकसान - स्वामित्व धारक				
1	निजी भूमि	भूमि स्वामी/स्वामित्व धारक	(क) भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद मुआवजा, जिसका निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ख) खोई हुई संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए मुआवजे की राशि पर वर्तमान स्टांप शुल्क के बराबर राशि। प्रशिक्षण सहायता ग) बारहमासी और गैर-बारहमासी फसलों और वृक्षों की हानि के लिए बागवानी और कृषि विभाग के लागू प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। घ) पशुशाला या छोटी दुकानों के प्रतिस्थापन के लिए 25,000 रुपये का अनुदान।	
2	संरचना का नुकसान (आवासीय या वाणिज्यिक या आवासीय-सह-वाणिज्यिक))	भूमि स्वामी/स्वामित्व धारक	(क) प्रचलित मानदंडों के अनुसार वर्तमान दरों पर निर्धारित नकद मुआवजा (ख) विस्थापित परिवारों के लिए आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 50,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता (ग) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार पूर्णतः विस्थापितों के लिए निःशुल्क मकान का प्रावधान, या निर्मित मकान के बदले मकान की समतुल्य लागत का मकान दिया जा सकता है (घ) विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का निर्वाह भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013) विस्थापित परिवारों के लिए 50,000 रुपये का पुनर्वास भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013)	
3	किरायेदार और पट्टाधारक	किरायेदार और पट्टाधारक	पंजीकृत पट्टेदार, संरचना स्वामी को देय मुआवजे के एक हिस्से के हकदार होंगे, जो लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार होगा।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान - गैर-स्वामित्वधारक				

4	अतिक्रमण करना	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तिगत/परिवार))	(क) अतिक्रमणकारियों को संपत्ति/फसल हटाने के लिए 2 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। प्रभावित संरचना से सामग्री को पुनः प्राप्त करने का अधिकार।	
आजीविका का नुकसान - स्वामित्व धारक और गैर-स्वामित्व धारक				
5	आजीविका का नुकसान - भूमि स्वामित्व धारक, कृषि श्रमिक और व्यावसायिक अतिक्रमणकारी	(व्यक्तिगत/परिवार)	25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित मूल्य)	व्यावसायिक अतिक्रमणकारियों के लिए पात्रता जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से लागू होगी। जैसे कि संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, आवागमन में अस्थायी बाधा या मार्ग में बाधा
6	निर्माण चरण के दौरान संभावित और अनपेक्षित प्रभाव	स्वामी, प्रभावित व्यक्ति	यदि किसी संरचना को कोई क्षति हुई हो तो उसका भुगतान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी आवागमन की व्यवस्था की जाएगी।	
7	मोबाइल कियोस्कों की आय में अस्थायी हानि, यदि कोई हो	कियॉस्क मालिक	क्षेत्र खाली करने के लिए दो महीने का अग्रिम नोटिस	
8	अनुसूचित जाति		यदि सरकारी मानदंडों के अनुसार पात्र हैं, तो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में शामिल होने के लिए सहायता; और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की द्वितीय अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति को अतिरिक्त लाभ।	
9	अप्रत्याशित प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार उसका निवारण किया जाएगा।	

संदर्भ

• हिमाचल प्रदेश सरकार। आधिकारिक वेबसाइट। https://himachal.nic.in/en-IN/index.html पर उपलब्ध (29 जुलाई, 2025 को देखा गया)।

• हिमाचल प्रदेश सरकार (2025)। मंडी, हिमाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन (मसौदा रिपोर्ट) (अंग्रेजी)। राजस्व विभाग / एसआईए प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध (29 जुलाई, 2025 को देखा गया)।

• टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड (2022)। पर्वतीय टाउनशिप का विकास - शिमला, हिमाचल प्रदेश (खंड I)। शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार। दस्तावेज़ संख्या: TCE.12957A-CV-3000-DP-30000 (R1), दिसंबर 2022। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, नवी मुंबई।

• भारत सरकार (2013)। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013। विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।

• हिमाचल प्रदेश सरकार (2015)। हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015। राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।

• हिमाचल प्रदेश सरकार। राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, शजरा और संबंधित भूमि अभिलेख)। राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश।

• प्राथमिक सर्वेक्षण एवं जन परामर्श अभिलेख (2025-26)। जठिया देवी पर्वतीय टाउनशिप परियोजना के लिए जन सुनवाई की प्रतिक्रिया-सह-कार्यवाही, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और समाचार पत्रों में प्रकाशित वीडियो रिकॉर्ड शामिल हैं। आवास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

• टाइम्स ऑफ इंडिया (2024)। शिमला के पास नई टाउनशिप: योजना केंद्र को भेजी गई। शिमला संस्करण।

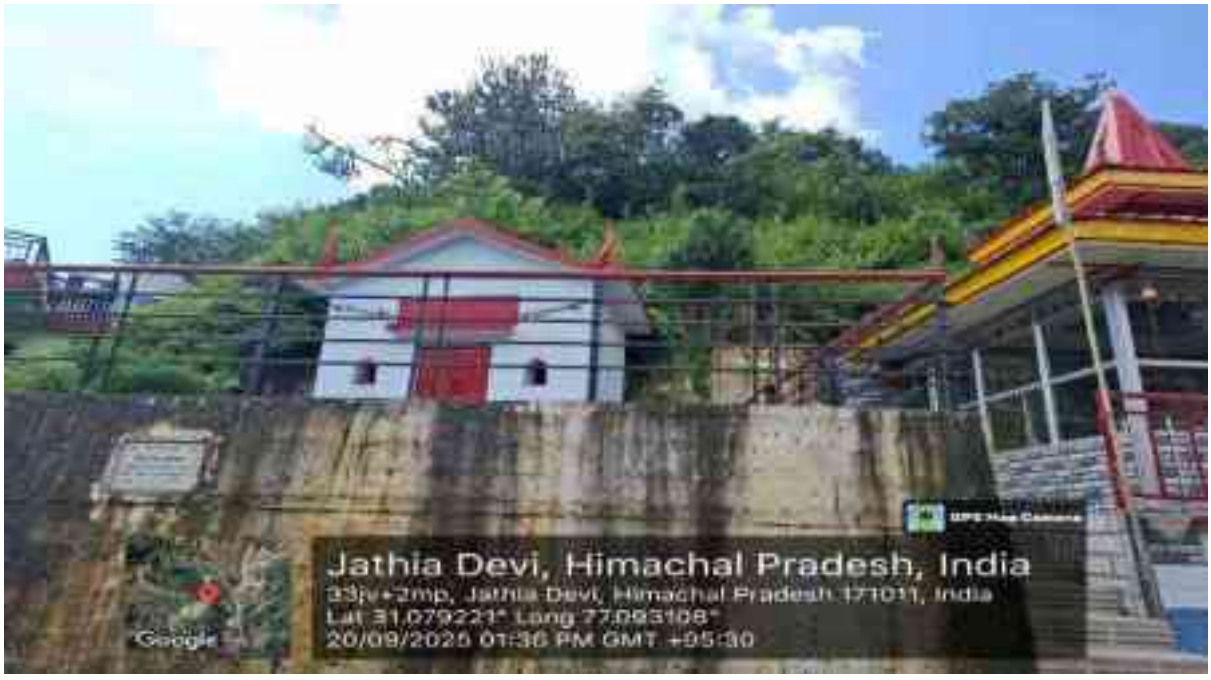
• जोक्ता अकादमी (2025)। हिमाचल प्रदेश पीपीपी मॉडल के तहत जठिया देवी में अपनी पहली सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करेगा। 8 अप्रैल, 2025। जोक्ता अकादमी, हिमाचल प्रदेश समसामयिक समाचार।

परिशिष्ट 1 - क्षेत्र भ्रमण की तस्वीरें






Jathia Devi, Himachal Pradesh, India


Jathia Devi, Himachal Pradesh, India
33jv+2mp, Jathia Devi, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.079221° Long 77.093108°
20/09/2025 01:36 PM GMT +05:30


देवालय परिसर
Jathia Devi, Himachal Pradesh, India
Google








Jubbarhatti, Himachal Pradesh, India
5h 16, Jubbarhatti, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.062394° Long 77.083531°
21/09/2025 06:00 PM GMT +05:30


Shimla, Himachal Pradesh, India


Jubbarhatti, Himachal Pradesh, India
33ph+8qj, Jubbarhatti, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.087203° Long 77.07841°
23/09/2025 11:39 AM GMT +05:30
Google


Shimla, Himachal Pradesh, India
Google


Shimla, Himachal Pradesh, India
Google


Shimla, Himachal Pradesh, India
Google


Shimla, Himachal Pradesh, India
Google




ॐ
जय माँ वकाला


REDMI 13 5G


REDMI 13 5G













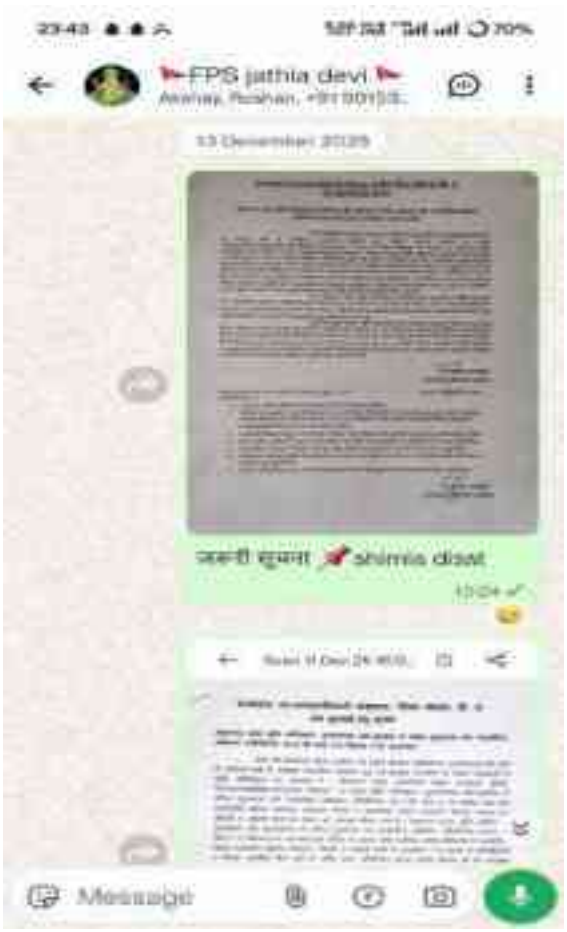


परिशिष्ट 2 - सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन






Fps jathia Devi
facebook.com
21 December 2025
जमीन का ट्रांसफर अधिग्रहण
Thursday
Om
Message


FPS jathia devi
13 December 2025
जरूरी सूचना shimla disat
Message


23:43
70%
Active Youth M...
Akshay, Kapil, Krishan,...
13 December 2025
जरूरी सूचना 🚀 ahimia disst
Message

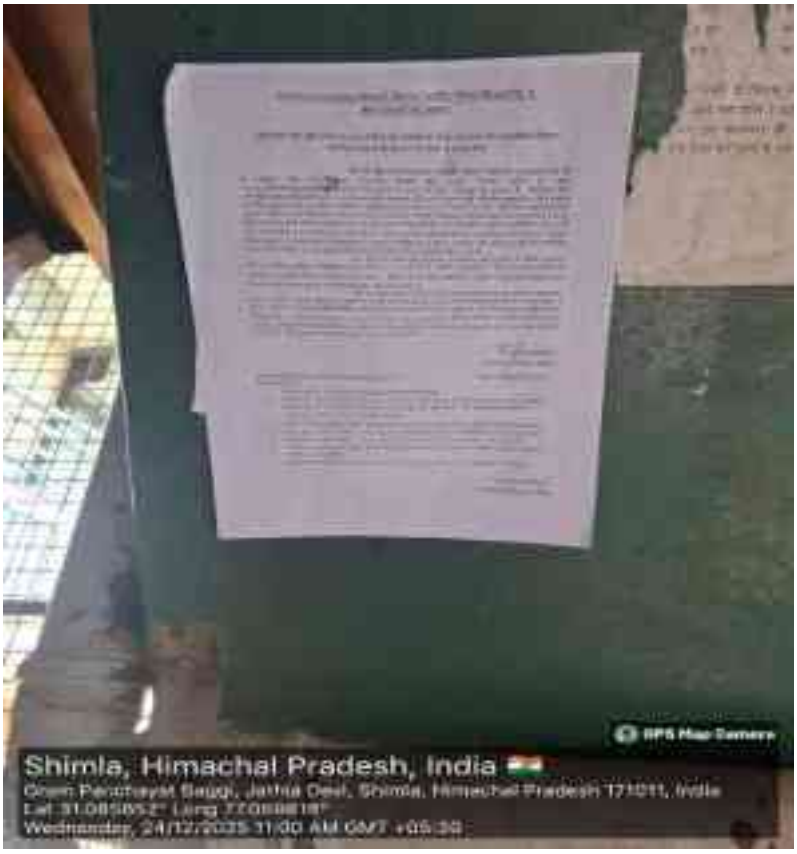

23:40
71%
FPS jathia devi
Akshay, Rishan, +91 90153...
67 kB
08:50
21 December 2025
जमीन का होगा अधिग्रहण


23:40
70%
Jai Maa kali, Bagna
Krishen, Manu, Ravi, +91 623...
~ Kartik Verma
+91 94188 42604
~ Narend...
+91 98164 34516
Photo
Really true
18:28
21 December 2025
जमीन का होगा अधिग्रहण




Shimla, Himachal Pradesh, India
Gram Panchayat Baggi, Jathia Devi, Shimla, Himachal Pradesh 171011, India
Wednesday, 24/12/2025 01:40 PM GMT +05:30
Google


Shimla, Himachal Pradesh, India
Gram Panchayat Baggi, Jathia Devi, Shimla, Himachal Pradesh 171011, India
Tuesday, 23/12/2025 07:36 PM GMT +05:30


GPS Map Camera
Shimla, Himachal Pradesh, India
Gram Panchayat Baggi, Jathia Devi, Shimla, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.085852° Long 77.088818°
Wednesday, 24/12/2025 11:00 AM GMT +05:30


GPS Map Camera
Shimla, Himachal Pradesh, India
Gram Panchayat Baggi, Jathia Devi, Shimla, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.088191° Long 77.090436°
Tuesday, 23/12/2025 07:38 PM GMT +05:30


Shimla, Himachal Pradesh, India
Gram Panchayat Baggi, Jathia Devi, Shimla, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.086143° Long 77.090428°
Tuesday, 23/12/2025 06:40 PM GMT +05:30


Jathia Devi, Himachal Pradesh, India
Google


Jathia Devi, Himachal Pradesh, India
33pr+gv4, Jathia Devi, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.088141° Long 77.09206°
Tuesday, 23/12/2025 06:33 PM GMT +05:30
Google


Shimla, Himachal Pradesh, India
Gram Panchayat Baggi, Jathia Devi, Shimla, Himachal Pradesh 171011, India
Lat 31.085763° Long 77.08595°
Tuesday, 23/12/2025 06:15 PM GMT +05:30
Google



नए शहर के लिए 9 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

जाठिया टैरी में बसेगा शहर, जल्द शुरू होगा कार्य

एसडीएम बनी अनुराई में होगी अब सुनवाई

शिमला के 8, सोलन के एक गांव की जमीन के अधिग्रहण पर्दे जारी विज्ञप्ति

दैनिक जागरण

प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम 23 दिसंबर को

परिशिष्ट 3 - सार्वजनिक सुनवाई की तस्वीरें

















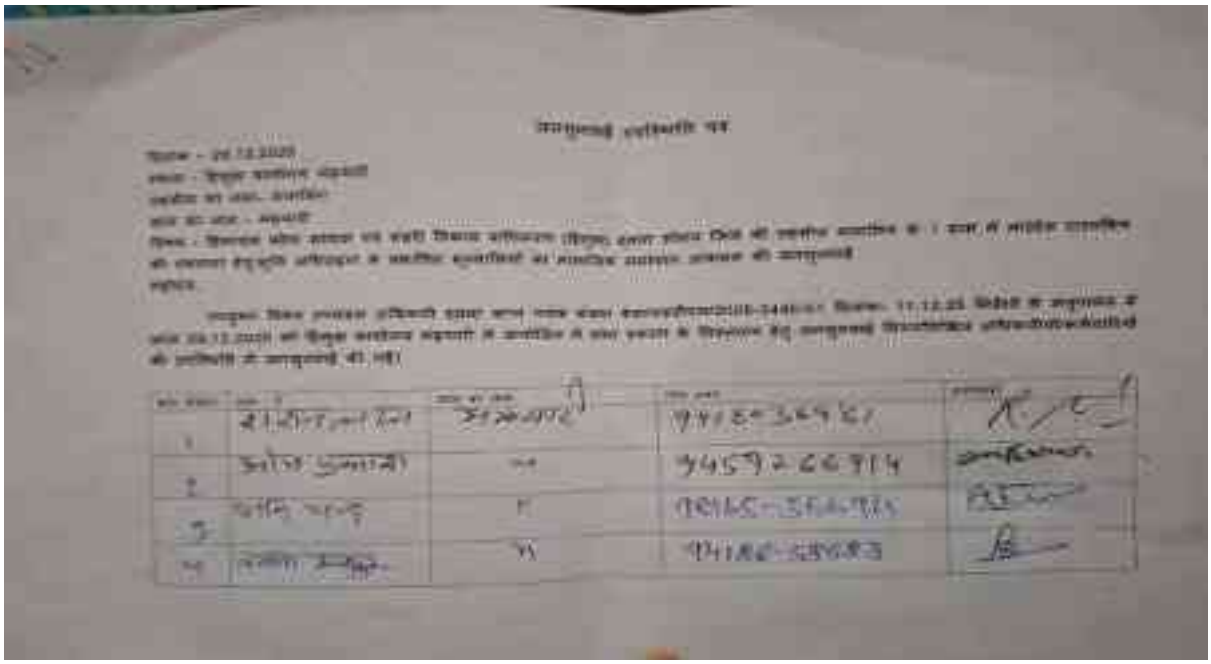

जन सुनवाई
प्रायोजक : MSHIPA-SIA UNIT
द्वारा : सिवाई और अग्रिमा, दिल्ली
Shimla, Himachal Pradesh, India
Google











उपस्थिति पत्रिका पत्र

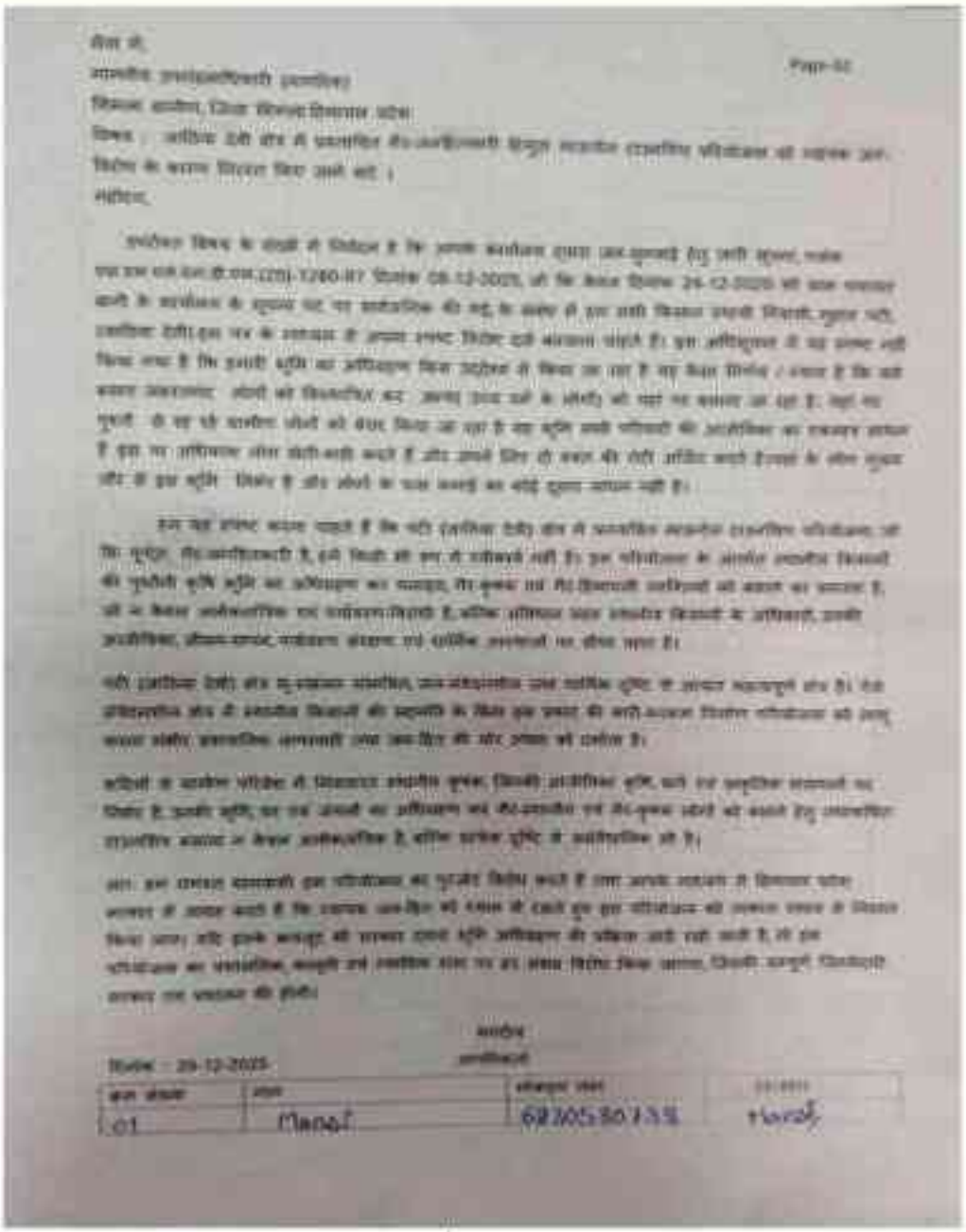
दिनांक - 24.12.2025



परिशिष्ट - 4

सार्वजनिक सुनवाई में प्राप्त शिकायतें

आपत्ति 1





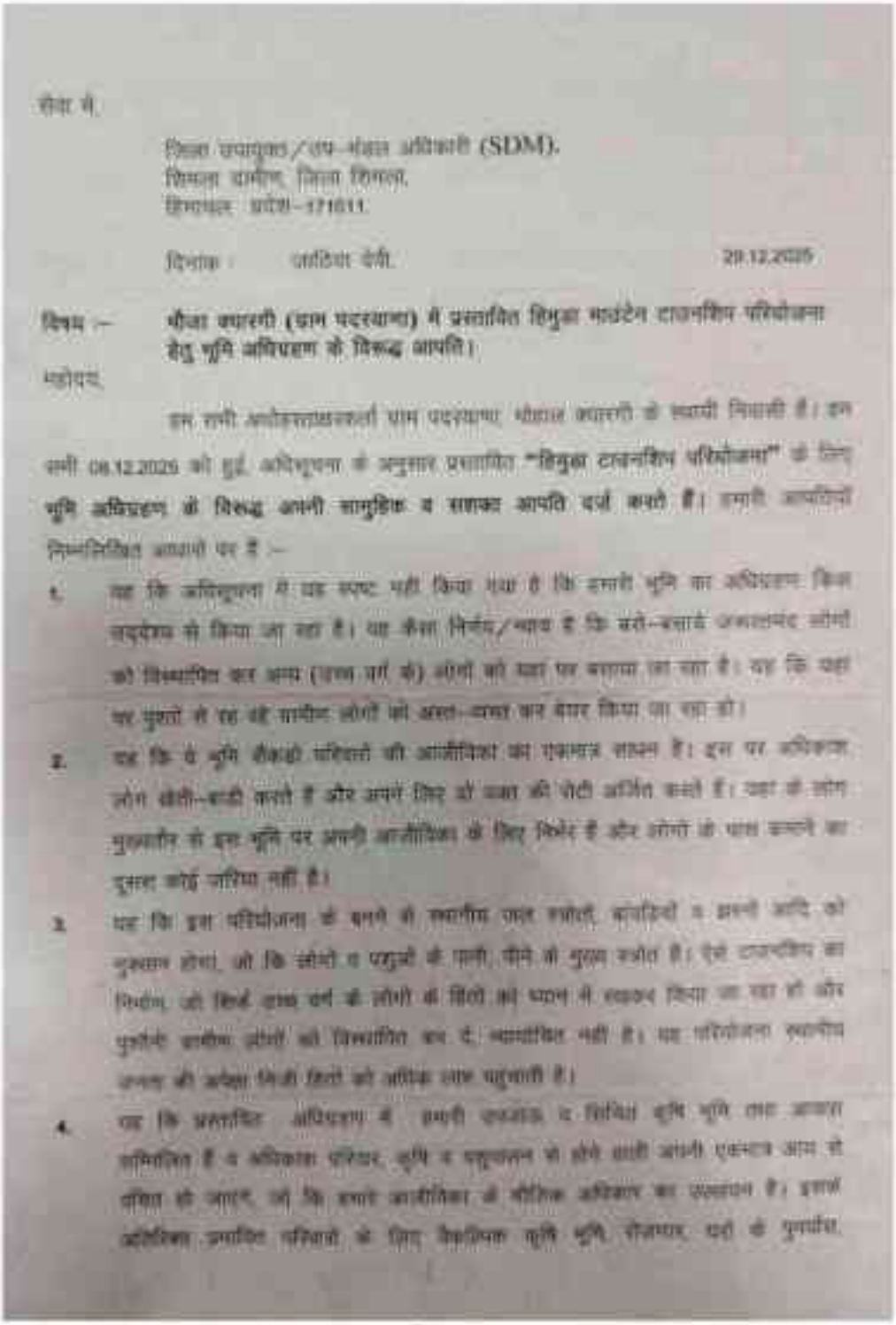
क्र संख्या	नाम	आधार नंबर	हस्ताक्षर
02	NIDHIKA	623084 6738	Nidhi
03	Manchanda	6236 8078	
04	Lajya Devi	98165 72334	
05	Asha Devi	623006 7384	
06	Kamlesh Kumari	842907 57438	
07	Lokesh	623062 8334	
08	Kaushalya Devi	88945 02334	
09	Nitin Kumar	8350 9 6268 7	Nitin Kumar
10	Disha	8350 9 6268 7	
11	Beena Devi	do	
12	Lekh Ram		
13	Kishan Chand	80913	
14	Sunita Kumari	9739	
15	Subhash Chand	8830	
16	Pinki Devi	7018009920	
17	Himanshu Kumar	8091039891	
18	Kavita Devi	8816	
19	Pramila Devi	9560	
20	Durga Kant	8816	
21	Rekha	9418	
22	Ram Lal	76	
23	Yogender Kumar	7078	
24	Bhawana	8	

P.T.O.




Sharma
9813307785
Surender kumar
9816907249
S, to Devi
7589095232
9876614606

आपत्ति 2



सेवा में,

जिला उपायुक्त / उप-मंडल अधिकारी (SDM),
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश–171011.

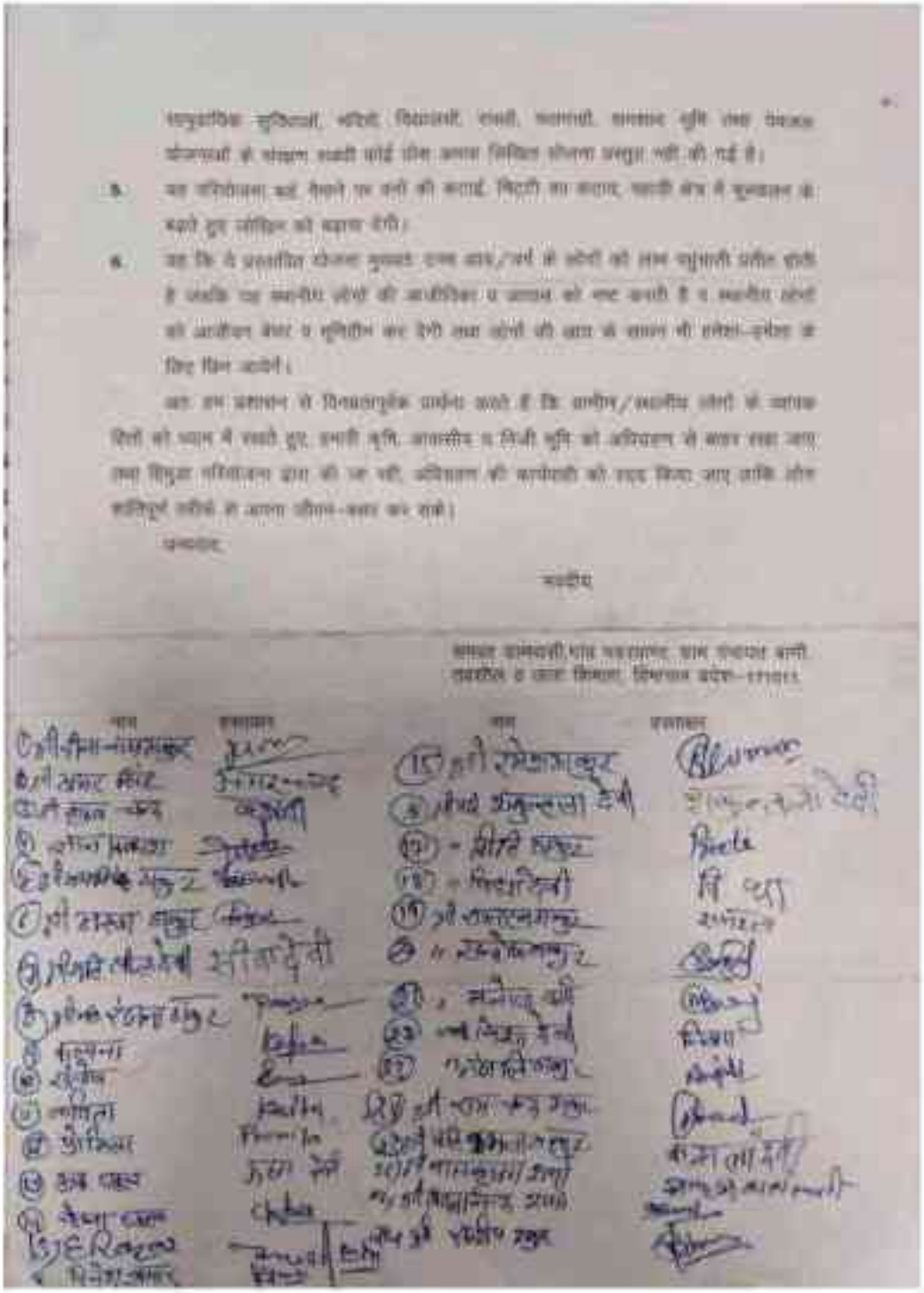
दिनांक : जतिन वेगी. 29.12.2025

विषय :– **गौजा ब्यारगी (ग्राम पदरयाणा) में प्रस्तावित हिमुडा माउंटेन टाउनशिप परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति।**

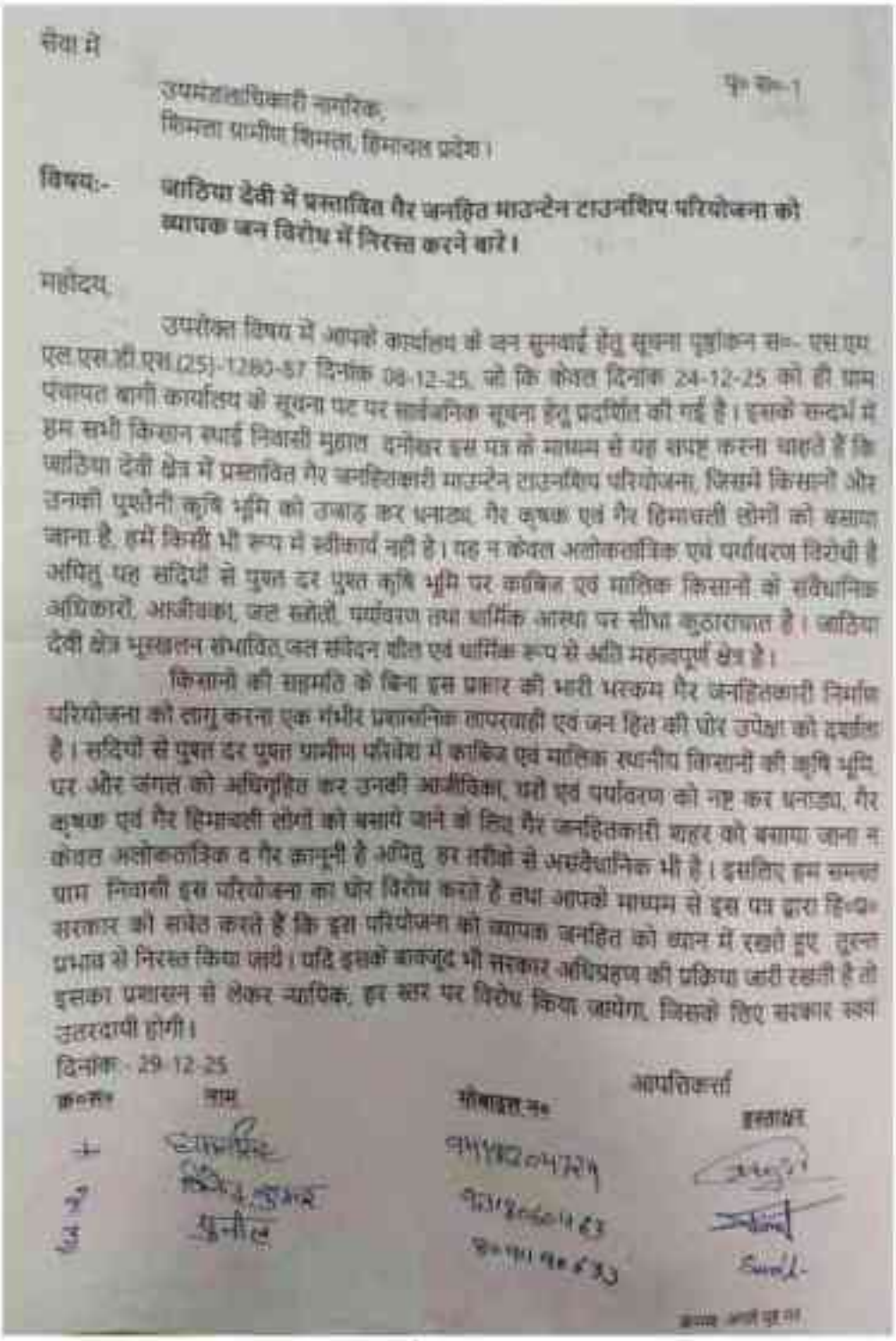
महोदय,

इस सभी आवेदकगण/कर्ता ग्राम पदरयाणा, गौजा ब्यारगी के स्थायी निवासी हैं। इस सभी 08.12.2025 को हुई अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित **"हिमुडा टाउनशिप परियोजना"** के लिए **भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध अपनी सामुहिक व सशक्त आपत्ति दर्ज करते हैं।** हमारी आपत्तियां निम्नलिखित आधारों पर हैं :–

1. यह कि अधिसूचना में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हमारी भूमि का अधिग्रहण किस उद्देश्य से किया जा रहा है। यह कैसा निर्माण/प्लान है कि बसे-बसाये उच्चतमध्य लोगों को विस्थापित कर अन्य (उच्च वर्ग के) लोगों को यहां पर बसाया जा रहा है। यह कि यहां पर पुश्तों से रह रहे सामीण लोगों को अस्त-व्यस्त कर बेघर किया जा रहा है।
2. यह कि ये भूमि सैकड़ों परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन है। इस पर अधिकांश लोग खेती-बाड़ी करते हैं और अपने लिए दो जून की रोटी अर्जित करते हैं। यहां के लोग मुख्यतौर से इस भूमि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं और लोगों के पास कमाने का दूसरा कोई जरिया नहीं है।
3. यह कि इस परियोजना के बनने से स्थानीय जल स्रोतों, कांवड़ियों व झरनों आदि को नुकसान होगा, जो कि लोगों व पशुओं के पानी पीने के मुख्य स्त्रोत हैं। ऐसे टाउनशिप का निर्माण, जो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और पुश्तैनी सामीण लोगों को विस्थापित कर दें, न्यायोचित नहीं है। यह परियोजना स्थानीय जनता की अपेक्षा निजी हितों को अधिक लाभ पहुंचाती है।
4. यह कि प्रस्तावित अधिसूचना में हमारी उपजाऊ व सिंचित भूमि तथा आजीविका सम्मिलित है व अधिकांश परिवार, कृषि व पशुपालन से होने वाली अपनी एकमात्र आय से वंचित हो जाएंगे, जो कि हमारे आजीविका के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों के लिए वैकल्पिक सुनिश्चित भूमि, रोजगार, घरों के पुनर्वास



आपत्ति 3



सेवा में

पेज नं०-1

उपमंडलाधिकारी नागरिक,
शिमला ग्रामीण शिमला, हिमाचल प्रदेश।

विषय:- **जाठिया देवी में प्रस्तावित गैर जनहित माउन्टेन टाउनशिप परियोजना को व्यापक जन विरोध में निरस्त करने बारे।**

महोदय,

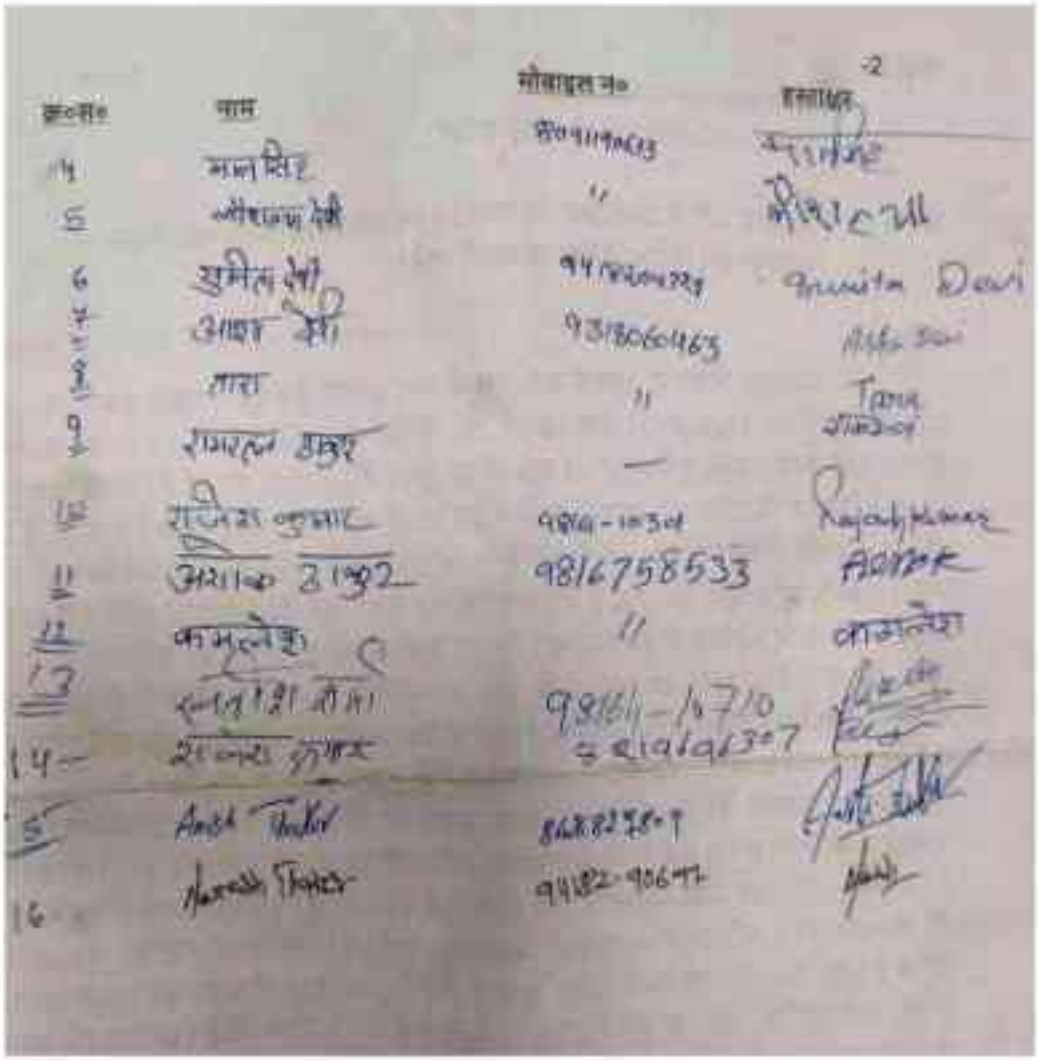
उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय की जन सुनवाई हेतु सूचना पृष्ठांकन सं०- एस एच एल एस डी एस (25)-1280-87 दिनांक 08-12-25, जो कि केवल दिनांक 24-12-25 को ही ग्राम पंचायत बागी कार्यालय की सूचना पट पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है। इसके सन्दर्भ में हम सभी किसान भाई निवासी मुहाल दनोबर इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जाठिया देवी क्षेत्र में प्रस्तावित गैर जनहितकारी माउन्टेन टाउनशिप परियोजना, जिसमें किसानों और उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को उजाड़ कर धनाढ्य, गैर कृषक एवं गैर हिमाचली लोगों को बसाया जाना है, हमें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल अलोकतांत्रिक एवं पर्यावरण विरोधी है अपितु यह सदियों से पुश्त दर पुश्त कृषि भूमि पर काबिज एवं मालिक किसानों के संवैधानिक अधिकारों, आजीविका, जल स्रोतों, पर्यावरण तथा धार्मिक आस्था पर सीधा कुठाराघात है। जाठिया देवी क्षेत्र भूस्खलन संभावित जल संवेदन शील एवं धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

किसानों की सहमति के बिना इस प्रकार की भारी भरकम गैर जनहितकारी निर्माण परियोजना को लागू करना एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही एवं जन हित की घोर उपेक्षा को दर्शाता है। सदियों से पुश्त दर पुश्त ग्रामीण परिवेश में काबिज एवं मालिक स्थानीय किसानों की कृषि भूमि, घर और जंगल को अधिगृहित कर उनकी आजीविका, घरों एवं पर्यावरण को नष्ट कर धनाढ्य, गैर कृषक एवं गैर हिमाचली लोगों को बसाये जाने के लिए गैर जनहितकारी शहर को बसाया जाना न केवल अलोकतांत्रिक व गैर कानूनी है अपितु हर तरीके से असंवैधानिक भी है। इसलिए हम समस्त ग्राम निवासी इस परियोजना का घोर विरोध करते है तथा आपके माध्यम से इस पत्र द्वारा हि०प्र० सरकार को संकेत करते हैं कि इस परियोजना को व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाये। यदि इसके बावजूद भी सरकार अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखती है तो इसका प्रशासन से लेकर न्यायिक, हर स्तर पर विरोध किया जायेगा, जिसके लिए सरकार स्वयं उत्तरदायी होगी।

दिनांक - 29-12-25

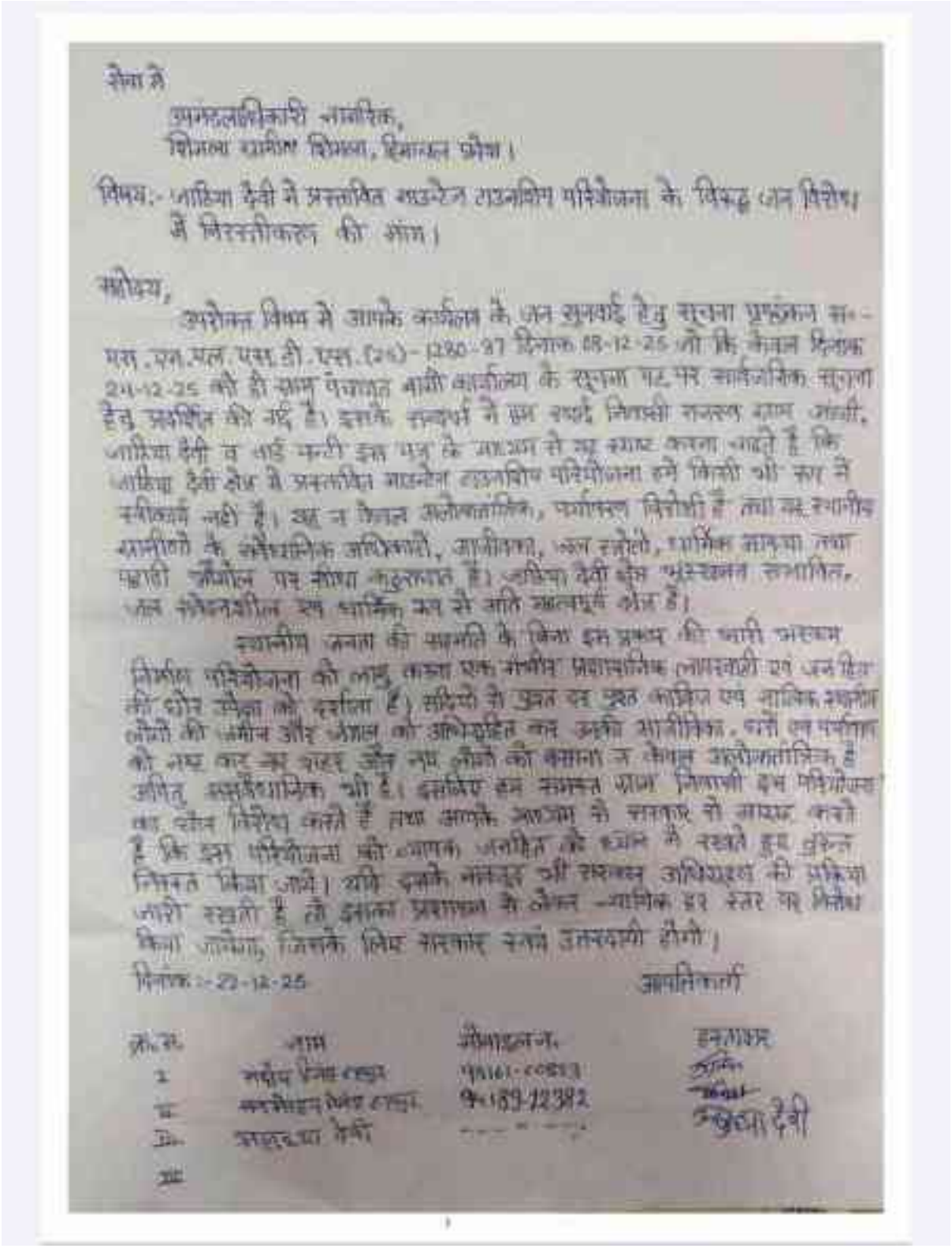
आपत्तिकर्ता

क्रम सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	सुनील	[illegible]	Sunil



क्र.सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	"	[illegible]
6	सुमित देवी	[illegible]	Sumita Devi
7	[illegible]	9318060463	[illegible]
8	तारा	"	Tara
9	[illegible]	—	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	Rajak Kumar
11	[illegible]	9816758533	[illegible]
12	[illegible]	"	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]

आपत्ति 4



सेवा में

उपमण्डलाधिकारी नागरिक,
शिमला ग्रामीण शिमला, हिमाचल प्रदेश।

विषय:- जाहिया देवी में प्रस्तावित माइक्रो टाउनशिप परियोजना के विरुद्ध जन विरोध में निरस्तीकरण की मांग।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के जन सुनवाई हेतु सूचना पृष्ठांकन सं०- एस.डी.एम.एल.एस.डी.एस.(26)-1280-27 दिनांक 08-12-25 जो कि केवल दिनांक 24-12-25 को ही ग्राम पंचायत भागी खानीधार के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है। इसके सन्दर्भ में हम सभी निवासी राजस्व ग्राम जंजरी, जाहिया देवी व आई कमटी इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जाहिया देवी क्षेत्र में प्रस्तावित माइक्रो टाउनशिप परियोजना हमें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल अलोकतांत्रिक, पर्यावरण विरोधी है तथा यह स्थानीय समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों, आजीविका, जल स्रोतों, धार्मिक आस्था तथा पहाड़ी पारिस्थितिकी पर गंभीर कुठाराघात है। जाहिया देवी क्षेत्र भूस्खलन संभावित, अति संवेदनशील एवं धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

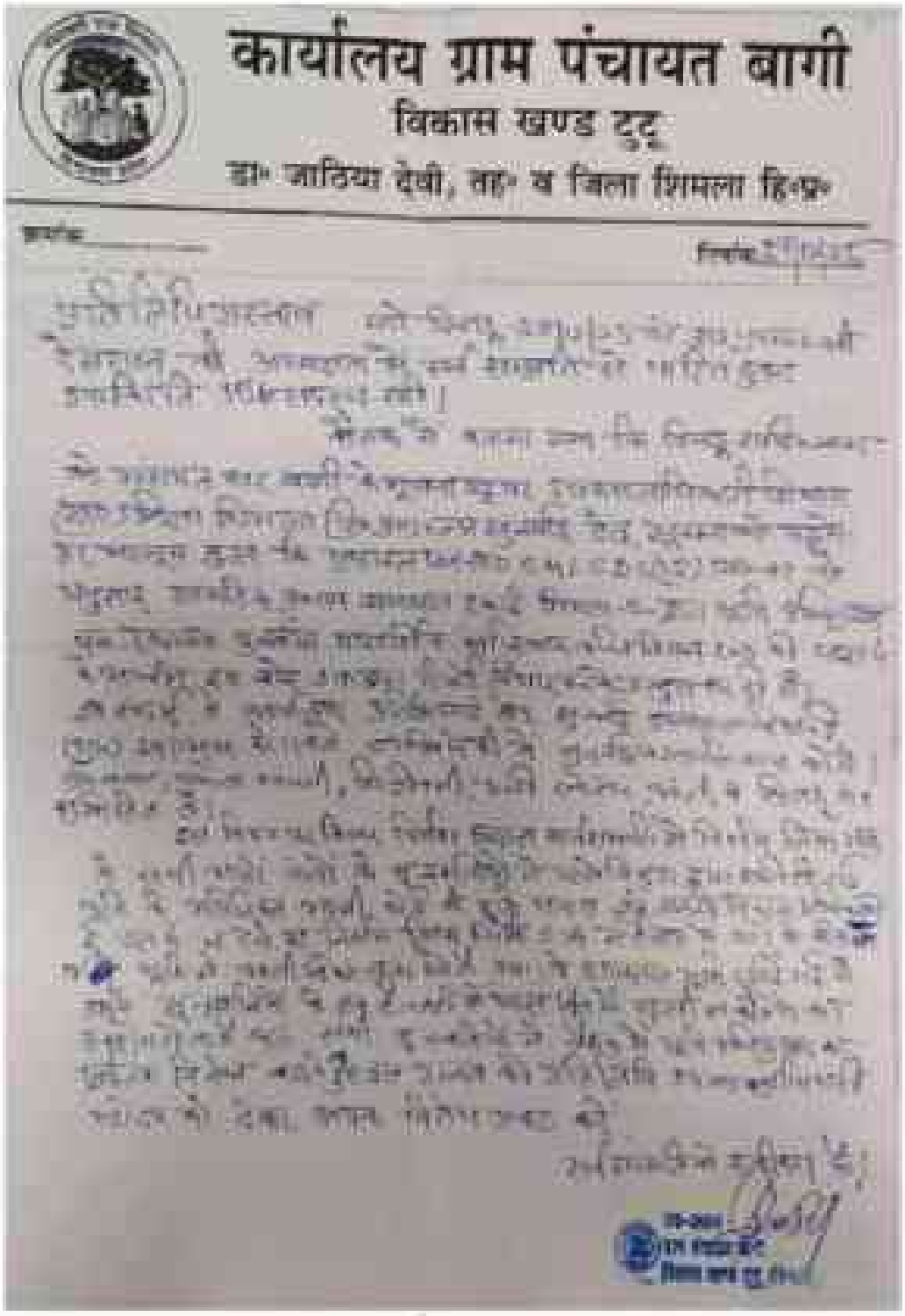
स्थानीय जनता की सहमति के बिना इस प्रकार की भारी अवैध निर्माण परियोजना को लाना, साथ ही संवैधानिक लोकतंत्र एवं जन हित की घोर उपेक्षा को दर्शाता है। सदियों से पूजित यह पवित्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों लोगों की जमीन और जंगल को अविच्छेदित रूप उनकी आजीविका, धर्म एवं संस्कृति को नष्ट कर और शहर जैसे नए ढांचे को बसाना न केवल अलोकतांत्रिक है अपितु असंवैधानिक भी है। इसलिए हम समस्त ग्राम निवासी इस परियोजना का घोर विरोध करते हैं तथा आपसे आग्रह करते हैं कि इस परियोजना को तत्काल जनहित के ध्यान में रखते हुए तुरन्त निरस्त किया जाये। यदि इसके बावजूद भी सरकार अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखती है तो इसका प्रबल विरोध के लिए ग्रामीण हर स्तर पर तैयार किया जायेगा, जिसके लिए सरकार स्वयं उत्तरदायी होगी।

दिनांक :- 23-12-25

आपत्तिकर्ता

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]

आपत्ति 5



कार्यालय ग्राम पंचायत बागी

विकास खण्ड टूटू

डा॰ जाठिया देवी, तह॰ व जिला शिमला हि॰प्र॰

आपत्ति 6



देवी जाठिया कुलजा माता मन्दिर कमेटी

तहसील व जिला शिमला हि०प्र० 171011 (पंजीकृत सं० 17/2019)

अध्यक्ष श्री बलदेव राज ठाकुर 9459803037 सचिव श्री राम गोपाल ठाकुर 9418081100

सेवा में

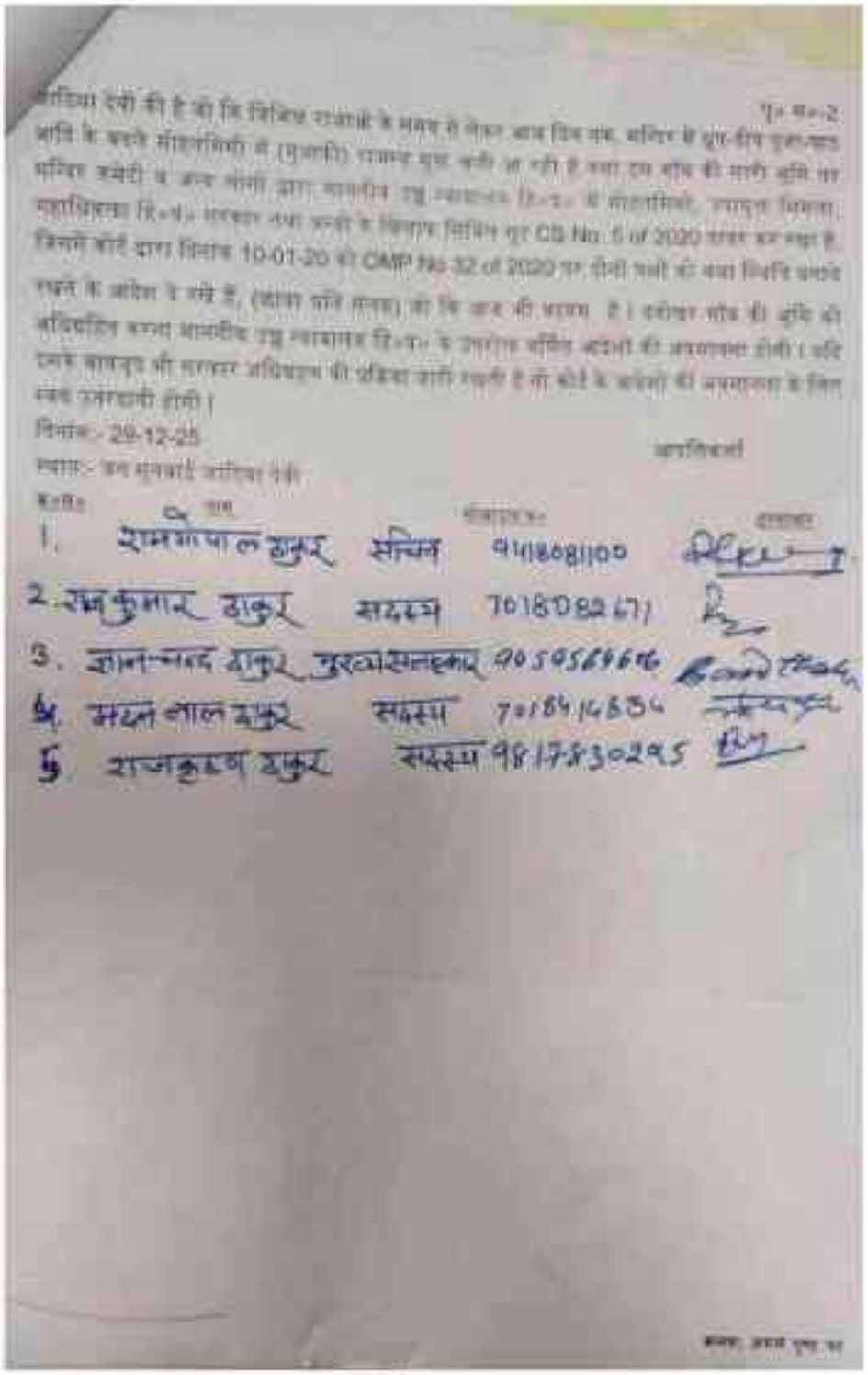
उपमण्डलाधिकारी (नागरिक),
शिमला ग्रामीण, शिमला, हिमाचल प्रदेश।

विषय:- जाठिया देवी में प्रस्तावित मैगा जनहित माउन्टेन टाउनशिप परियोजना को व्यापक जन विरोध में निरस्त करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के जन सूचनार्थ हेतु सूचना पृष्ठांकन सं०- एस.एम. एस.एस.डी.एम.(25)-1280-87 दिनांक 08-12-25 जो कि केवल दिनांक 24-12-25 को ही इस पंचायत वासी कार्यालय के सूचना पट पर सार्वजनिक सूचना हेतु उपलब्ध की गई है। इसके सन्दर्भ में हम देवी जाठिया कुलजा माता मन्दिर कमेटी इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जाठिया देवी क्षेत्र में देवी जाठिया, देवता सुमटा, ठाकुर की एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जो कि इस क्षेत्र की सात पंचायतों के लोगों में कूल देवी और कुल देवता है. इसके उपरान्त जो प्रस्तावित शहर को बसाने के लिए चिन्हित की गई है उसमें ज्यादातर बहुफसली उपजाऊ कृषि भूमि है जो कि किसानों की आजीविका का एक मात्र साधन है, इसलिए यहां पर प्रस्तावित मैगा जनहितकारी माउन्टेन टाउनशिप परियोजना, जिसमें किसानों और उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को उजाड़ कर बसावट, मैगा कृषक एवं मैगा हिमाचली लोगों को बसाया जाना है, इसे किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल अलोकतांत्रिक एवं पर्यावरण विरोधी है अपितु यह सदियों से पुश्त दर पुश्त कृषि भूमि पर आश्रित एवं मालिक किसानों के संवैधानिक अधिकारों, आजीविका, जल स्रोतों, पर्यावरण एवं सामाजिक आस्था पर सीधा कुठाराघात है।

किसानों की सहमति के बिना इस प्रकार से भारी भरकम मैगा जनहितकारी निर्माण परियोजना को लागू करना एक संगीन अलोकतांत्रिक कार्यवाही, मैगा धांधली एवं जन हित की घोर उपेक्षा है। सदियों से पुश्त दर पुश्त काश्तकार परिवारों से ताल्लुक रखने वाले किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि, घर और जंगल को अधिग्रहित कर उनके एक मात्र आजीविका के साधन, चरी एवं पर्यावरण को नष्ट कर उजाड़, मैगा कृषक एवं मैगा हिमाचली लोगों को बसाने जाने के लिए मैगा जनहितकारी शहर को बसाना जाना न केवल अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी है अपितु हर तरीके से असंवैधानिक भी है। इसलिए मन्दिर कमेटी इस परियोजना का घोर विरोध करती है तथा आपके माध्यम से इस पत्र द्वारा हि०प्र० सरकार को सचेत करती है कि इस परियोजना को व्यापक जनहित एवं इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके अतिरिक्त मौजा दलोधर की सारी भूमि माता



पृ० सं०-2

मंदिरों देवी की है जो कि विभिन्न राजाओं के समय से लेकर आज दिन तक, मंदिर के धूप-दीप नुकसान आदि के कारण मौहतमिमी से (मुजरमी) व्यवस्थ मुख नहीं ले रही है क्या इस संबंध की सारी कुर्सी पर मन्दिर कमेटी के अन्य सदस्यों द्वारा माननीय राजू स्थानांतर हि०प्र० के मौहतमिमी, उपायुक्त जिला, महाधिवक्ता हि०प्र०, सरकार तथा अन्यों के विरुद्ध सिविल सूट CS No. 5 of 2020 दायर कर रखा है जिसमें कोर्ट द्वारा दिनांक 10-01-20 को CMP No. 32 of 2020 पर दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दे रखे हैं, (कापी संलग्न है) की कि आज भी बरकरार है। उपरोक्त सौंह की अवधि को अविलम्बित रखना माननीय राजू स्थानांतर हि०प्र० के उपरोक्त वर्णित आदेशों की अवमानना होगी। अतः इसके मद्देनजर भी सरकार अधिसूचना की प्रक्रिया जारी रखनी है तो कोर्ट के आदेशों की अवमानना के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी।

दिनांक:- 28-12-25

आवेदिकगण

स्थान:- ग्राम मुलवाई जतिया पेखे

क्र० सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1.	रामगोपाल ठाकुर	सचिव	9418081100	
2.	रामकुमार ठाकुर	सदस्य	7018082671	
3.	ज्ञानचन्द ठाकुर	मुख्यसेवादार	9050569606	
4.	मदन लाल ठाकुर	सदस्य	7018414834	
5	राजकुमार ठाकुर	सदस्य	9817830295	

CS No. 5 of 2020

10.1.2020 Present: Mr. R.K. Sawni, Senior Advocate, with Mr. Ajay Kumar Sharma, Advocate, for the plaintiffs.
Mr. Sudhir Bhatnagar and Mr. Anand Sharma, Additional Advocate Generals, with Mr. Kunal Thakur, Deputy Advocate General, for the State.

CMP No. 34 of 2020

By way of instant application filed under Section 80(2) CPC, leave has been sought from this Court to file the suit without serving notice under Section 80(1) CPC.

For the reasons noted in the application, which is duly supported by an affidavit, this Court is of the view that no prejudice, if any, would be caused to either of the party. If applicant/plaintiffs are permitted to institute the accompanying suit without serving any notice under Section 80(1) CPC. Otherwise also such notice is only required to be issued to non-applicant/defendant No. 2. Accordingly, the application is allowed subject to all exceptions and applicant/plaintiffs are exempted from issuing any notice under Section 80(1) of the CPC before instituting the accompanying suit. Application stands disposed of.

CMP No. 31 of 2020

For the reasons stated in the application, which is duly supported by an affidavit, same is allowed. Application stands disposed of.

CS No. 5 of 2020

Notice. Mr. Sudhir Bhatnagar, learned Additional Advocate General, waives notice on behalf of the State. Issue separate notices to defendants No. 1 to 3, returnable within 30 weeks, not taking place within one week.

OMP No. 32 of 2020

Notice in the aforesaid terms. Reply, if any, on or before the next date of hearing. In the meantime, parties are directed to maintain status quo qua the nature and possession of the suit property.

OMP No. 33 of 2020

The application is disposed of with the direction that the applicants would file the annexed documents in issue by the next date of hearing.

Copy dasti.

10th January, 2020

(Sandeep Sharma)
Judge

O/o the Dy. Registrar of Societies, District Shimla, H.P.

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETY

(Under Society Registration Act, 2006)

Registration No. 17/2019

This is to certify that "Devi Jathia Kulja Mata Mandir Committee" Thakur Ram Rattan Bhawan, VPO Jubberhatti, Tehsil and District Shimla, Himachal Pradesh has been registered under the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006(No. 25 of 2006) on 19th June, 2019.

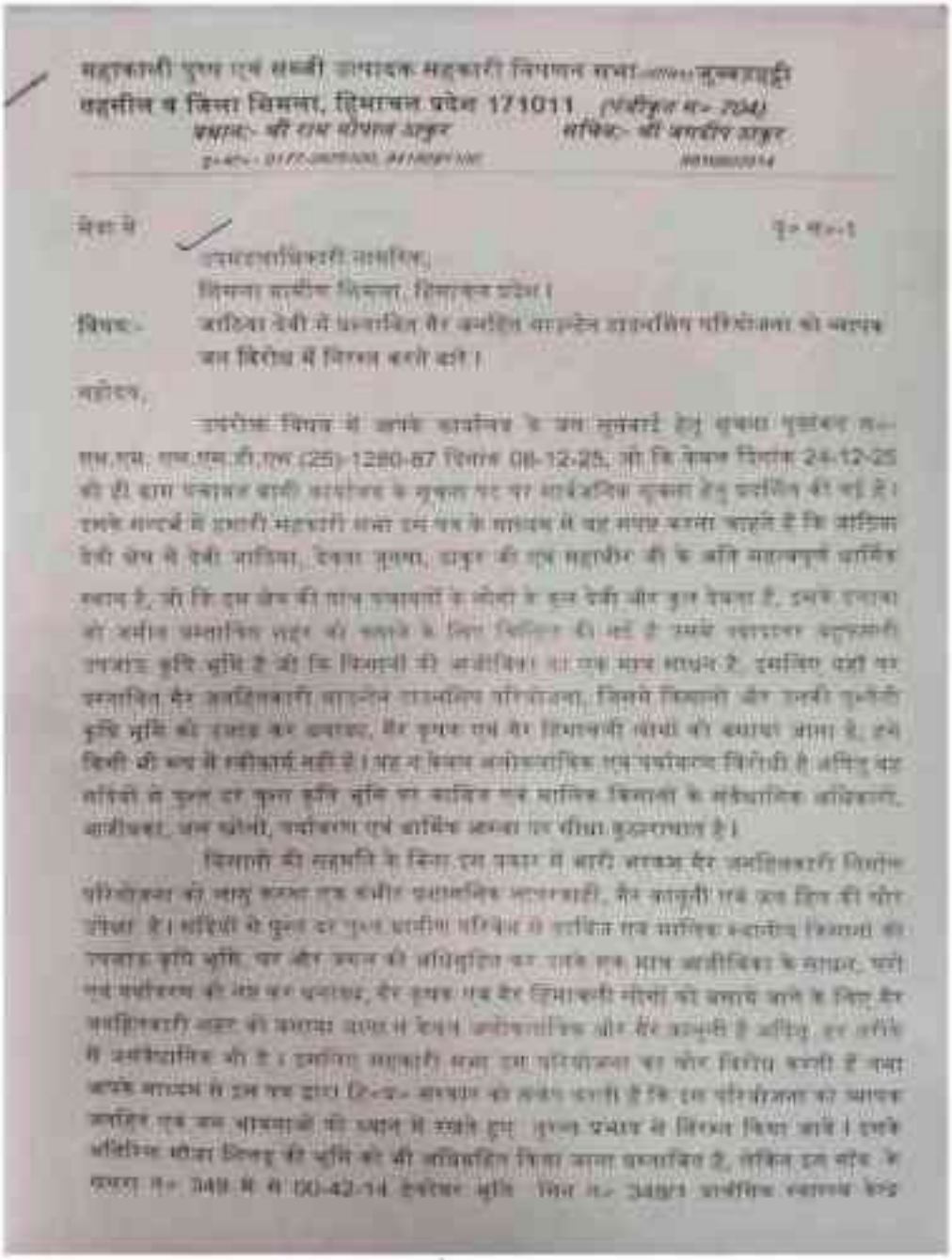
Dy. Registrar,
Sub-Division Shimla(Rural),
District Shimla

Seal

Rs. 500/- Registration fee
Deposited by Challan No. 77
Dated 10th June, 2019

5/5

आपत्ति 7



सहकारी पुरुष एवं सब्जी उत्पादक सहकारी विपणन सभा.....चूरुकाहट्टी
तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 171011 (पंजीकृत सं० 2154)
अध्यक्ष:- श्री राम गोपाल ठाकुर सचिव:- श्री जगदीश ठाकुर

सेवा में, पृ० सं०-1

उपमंडलाधिकारी (नागरिक),
शिमला ग्रामीण शिमला, हिमाचल प्रदेश।

विषय:- जाटिया देवी से प्रस्तावित वैर अनहित साइलेज उठानशिप परियोजना को व्यापक जन हित में निरस्त करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के जन सुनवाई हेतु सूचना पुस्तकाल सं०- एस.एम. एस.एस.डी.एस (25)-1280-87 दिनांक 08-12-25, जो कि केवल दिनांक 24-12-25 को ही ग्राम पंचायत बागी कार्यालय के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है। इसके सम्दर्भ में हमारी सहकारी सभा इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते है कि जाटिया देवी क्षेत्र से देवी जाटिया, देवदार तुलसा, ठाकुर की एक सहयोग की के अति महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जो कि इस क्षेत्र की लाख श्रद्धालुओं के लोगो के इस देवी और कुल देवता है, इसके इलाका को प्रस्तावित प्रस्तावित सड़क को बनाने के लिए चिन्हित की गई है उसके स्वाभाविक अनुकूलतो उपजाऊ कृषि भूमि है जो कि किसानो की आजीविका का एक मात्र साधन है, इसलिए यहाँ पर प्रस्तावित वैर अनहितकारी साइलेज उठानशिप परियोजना, जिससे किसानो और उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को हमेशा के लिए बर्बाद, वैर कृषक एवं वैर हिमाकती लोगो को बर्बाद किया है, इसे किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। यह न केवल अलोकतान्त्रिक एवं पर्यावरण विरोधी है अपितु यह सदियों से चली आ रही कृषि भूमि पर आश्रित एवं मालिक किसानो के संवैधानिक अधिकारों, आजीविका, जल स्रोतों, पर्यावरण एवं सामाजिक समरसता पर सीधा कुठाराघात है।

किसानों की सहमति के बिना इस प्रकार से भारी संरक्षण वैर अनहितकारी विशेष परियोजना को लागू करना एक गंभीर प्रशासनिक अनियमितता, वैर कानूनी एवं जन हित की घोर उपेक्षा है। सहिया से चुना हर चुना हरीणा परिवेश से उत्पन्न एवं मालिक स्थानीय किसानो की उपजाऊ कृषि भूमि, घर और जीवन की अभिन्नुहित पर एक एक प्रत्यक्ष आजीविका के साधन, घरों एवं पर्यावरण को लेकर चिन्ताएं, वैर इसके एवं वैर हिमाकती लोगों को बचाये जाने के लिए वैर अनहितकारी स्तर की कमजोर उठाने में विषय अलोकतान्त्रिक और वैर कानूनी है अपितु इस तरीके से अवैधानिक भी है। इसलिए सहकारी सभा इस परियोजना का घोर विरोध करती है तथा आपके माध्यम से इस पत्र द्वारा डि०उ० आपसे यह मांग करती है कि इस परियोजना को व्यापक जनहित एवं जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाये। इसके अतिरिक्त मौजा सिलहु की भूमि को भी अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इस मांग के संबंध में मे 00-42-14 हेक्टेयर भूमि जिस में 3489 वार्षिक स्थानांक केन्द्र

महाकाली पुष्प एवं सब्जी उत्पादक सहकारी विपणन सभा (लिमि) कुम्बलहट्टी
तहसील व जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश 171011 (पंजीकृत सं० 704)

प्रधान:- श्री राम गोपाल ठाकुर सचिव:- श्री अवतीप ठाकुर

कुम्बलहट्टी के भवन (अध्यक्षता) के लिए निर्देशित की गई है जिसकी Joint Inspection भी दिनांक 29-10-24 को हो चुकी है (छाया प्रतियां संलग्न)। इसलिए क्षेत्र की जनहितकारी दृष्टिकोण स्वास्थ्य सुविधाओं का भी शीघ्रतिशीघ्र के तौर पर ध्यान रखा जावे तथा इसे देखा कर क्षेत्र जनहितकारी सहयोगकर्ण को प्राथमिकता दी जावे।

दिनांक:- 29-12-25

प्रार्थिकर्ता

President / Secretary / Chairman
Mahakali Pushp Evam Sabzi Utpadak Sahkari Vipnan Sabha
Kumbalhatti Tehsil & District Shimla, H.P.

Office of Sub-Divisional Officer (Civil), Shimla Rural, DC Office, The Mall Shimla 171001

Sub: SDM(PA)Joint Inspection//23-134/5 Dated the Shimla 25 October, 2024

To

The Secretary/Pradhan
Gram Panchayat Dhamoon,
Shimla District Shimla H.P

Subject: [illegible]

Sir,

Kindly refer to your letter no. [illegible] dated on 10.2024 on the subject cited above.

In this context, The joint inspection for the said purpose is hereby fixed on Dated 29.10.2024 at 11:00 A.M. You are therefore, requested to make convenient to be present on the spot on the date and time fixed as above.

If the joint inspection is not conducted on the designated date, the user agency shall intimate the reason thereof and further action will be taken thereafter only. The user agency shall also ensure that all the concerned departments are in proper touch with them to avoid unnecessary confusion/hassle during the conduct of joint inspection.

Faithfully,

Sub-Divisional Officer (Civil),
Shimla (Rural), Distt. Shimla HP
Dated: 25-10-2024

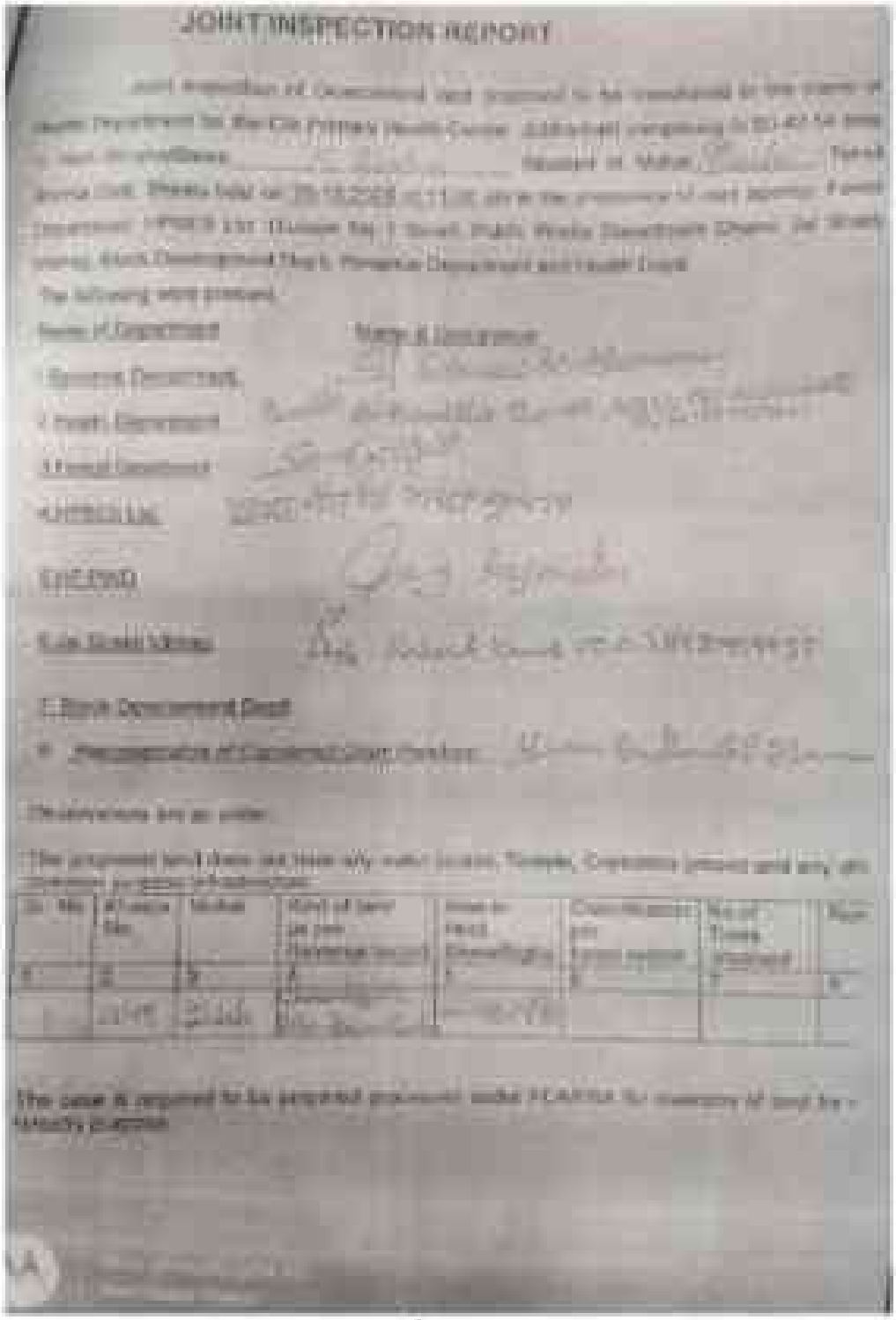
Endst No As above 1354-52

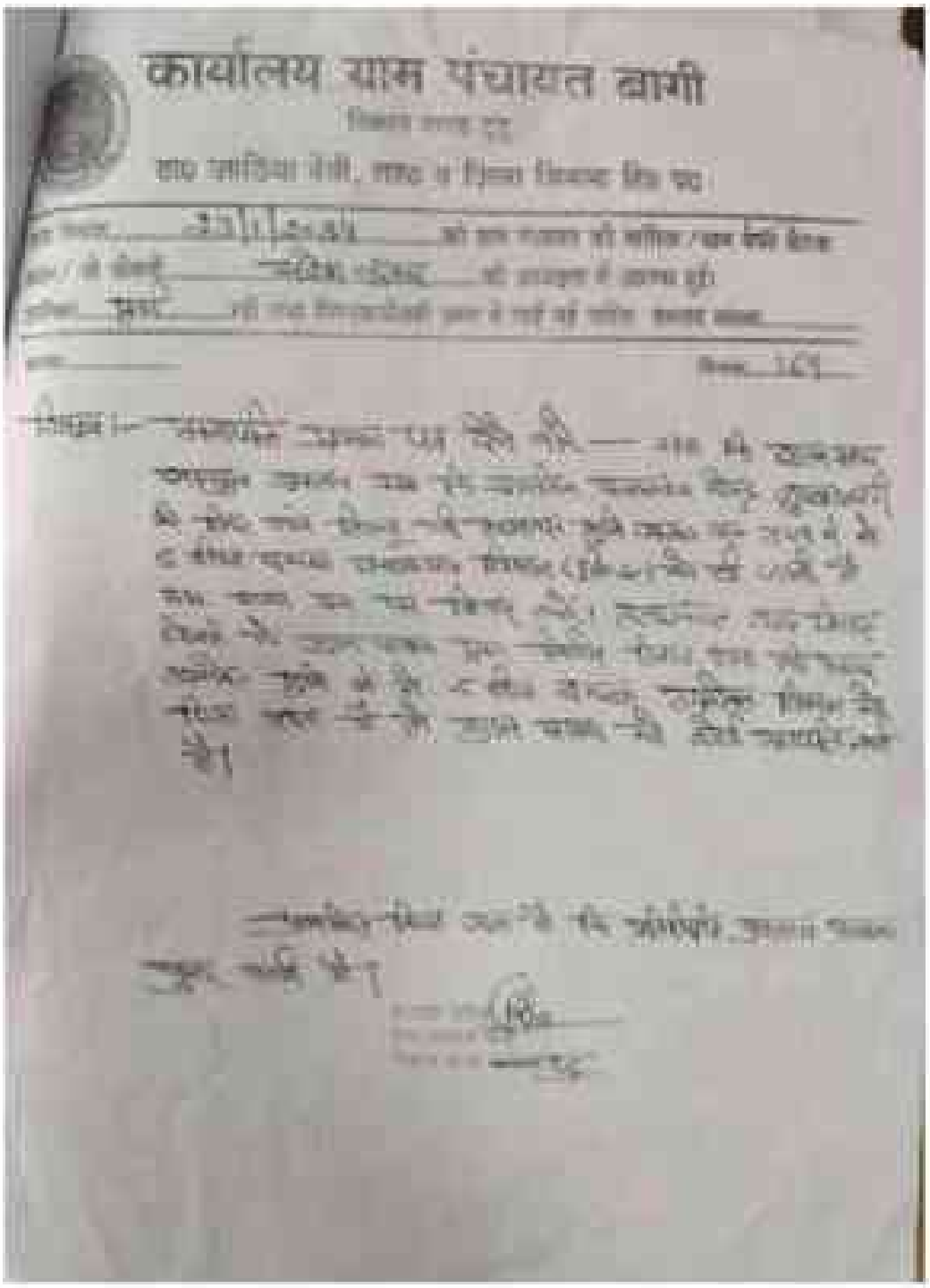
Copy forwarded to:-

1. The Divisional Forest Officer, Shimla (Rural), Distt. Shimla HP for information and necessary action please.
2. The Executive Engineer, HPSEB Ltd. Division No. I/Sunni District Shimla H.P. for information and necessary action.
3. The Executive Engineer, HPPWD Dhami for information and necessary action.
4. The Executive Engineer, Jal Shakti Kasauli /Dhami for information and necessary action.
5. The Block Medical Officer Mashobra for information and necessary action.
6. The Block Development Officer Tutu Shimla for information and necessary action.
7. The Tehsildar Shimla Rural, District Shimla (along with original file pages) with the direction to be present on the spot as per the scheduled date & time along with previous record & revenue field staff.

Sub-Divisional Officer (Civil)
Shimla (Rural), Distt. Shimla

JOINT INSPECTION REPORT





कार्यालय ग्राम पंचायत बागी

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मुरतलाव तहसील सिरोही
विकास खण्ड मण्डोवरा, जिला सिरोही (राजस्थान)
अधिसूचित क्षेत्रवार

दिनांक 25-09-19

बस्तुती 82/144 प्रस्ताव संख्या: 1

विषय:- स्वास्थ्य विभाग द्वि०प० को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरतला हाई के भवन निर्माण हेतु सिरोही वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-40-50 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग कि अनुमति के लिए अनापत्ति प्रदान करने हेतु ।

ग्राम सभा सिरोही की बैठक आज दिनांक 25-09-19 को प्रातः 07:30 बजे स्थान चौपालवाली बेड सिरोही में की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वि०प० को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरतला हाई के भवन निर्माण हेतु सिरोही वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-40-50 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सम्बंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के दस्तावेजों को पूरी तरह समझने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा पाया कि इस संबंध का कोई भी दावा लंबित नहीं है। इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरतला हाई के भवन निर्माण हेतु सिरोही वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-40-50 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए ग्राम सभा सिरोही की सहमति दी जाती है।

Shankar Lal

सरपंच सिरोही
दिनांक 25-09-19

अधिकृत प्रशासनाधिकारी
ग्राम सभा सिरोही

आपत्ति 8

OBJECTIONS ON BEHALF OF VILLAGERS OF MOHAL VILLAGE PANTI AGAINST PROPOSED LAND ACQUISITION FOR DEVLOPMENT OF NEW TOWN AT JATHIA DEVI

To,

The Sub-Divisional Magistrate,
Shimla Rural, District Shimla HP

Subject: **Objection under the Land Acquisition proceedings regarding acquisition of land of village/ Mohal Panti for development of a new town at Jathia Devi.**

Respected Sir,

We, the undersigned Villagers residents and affected persons of the villages/ Panti, most respectfully submit the following objects against the proposed acquisition of land for the "Modern Township Project" by Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA). Pursuant to the public notice issued for Social Impact Assessment (SIA) and public hearing.

1. That the proposed acquisition will severely affect the livelihood of villagers of Villages/ Mohal Panti who are primarily dependent upon the said Land for agriculture, grazing, and allied activities. Acquisition of this land will deprive them of their only and sustainable source of income, contrary to the spirit of the RFCTLARR Act, 2013, which mandates protection of livelihood and socio-economic security of affected families.
2. That the land proposed to be acquired contains trees, forest cover, and green areas. Acquisition will result in large-scale deforestation, leading to ecological imbalance, soil erosion, and adverse climate impact, which is against environmental protection principles and sustainable development norms.
3. That the Land is traditionally used by villagers for grazing, fuel collection, and other customary purposes. Acquisition without recognition and settlement of customary and community rights under the Forest Rights Act, is illegal and unconstitutional. The project will directly restrict access to natural resources.
4. That the proposed project will lead to forced urbanization of a purely rural/agricultural area, disturbing the rural character, social fabric, and traditional way of life of villagers. No justification or necessity has been shown for converting fertile rural land into non-agricultural use.

5. That the project will cause pollution of air, water and soil besides increasing noise levels. There is no detailed Environmental impact Assessment addressing deforestation, pollution, and long-term environmental consequences, rendering the acquisition arbitrary and unsustainable.

6. That the mode amount and basis of compensation have neither been adequately explained nor determined transparently. Compensation must reflect market value, solatium, and livelihood loss as mandated under the Act, which has not been complied with. That the land acts as a natural buffer against floods, landslides, and other natural calamities. Its acquisition and alienation will increase disaster risks, endangering lives and property of villagers and nearby areas.

7. That the land proposed for acquisition in villages/ Mishal Patti includes fertile agricultural land, orchards, grazing land, and forested land, which are the sole source of livelihood for the villagers. Acquisition of such land will irreversibly destroy agriculture-based livelihoods, horticulture activities, cattle rearing and allied occupations, pushing villagers into economic distress.

8. That in villages/Mishal Patti many affected persons are small and marginal farmers, landless laborers, and families residing on or dependent upon the proposed land. Acquisition will result in displacement, loss of livelihood under Article 21 of the constitution of India.

9. That the Social Impact Assessment as proposed, does not appear to have adequately assessed:

 a. The number of affected families and their dependency on land.
 b. Impact on women, elderly, children and vulnerable sections,
 c. Loss of common property resources such as paths, Water sources grazing land, and forests.
 d. Long-term environmental and ecological impact, without a transparent, participatory, and comprehensive SIA, the acquisition process is legally unsustainable.

10. That mandatory consultations and consent of the Gram Sabha Have not been properly obtained. No valid resolutions reflecting informed consent of the Gram Sabhas have been passed. This is a clear violation of the provisions of the Act and principles of democratic decentralization.

11. That the proposed area is ecologically fragile hilly, and prone to landslides, large-scale construction will disrupt the natural drainage, forest cover, water resources, and ecological balance, posing serious risks to life property and environment.

12. That the proposed acquisition has been initiated without effective consultation with the Gram Panchayats and affected villagers. The decision has been taken in a top-down manner, ignoring the views, Consent and participation of the local inhabitants whose livelihood and existence are directly affected.

13. That adequate opportunity has not been given to the villagers to understand the full scope, impact, extent and consequences of the proposed acquisition. Mere fixing of a public hearing does not fulfill the requirement of meaningful hearing unless all relevant documents, plans and details are supplied in advance to the affected villagers.

14. That the land proposed to be acquired is primarily agricultural, residential and livelihood generating land. The villagers of Mohal Panli are dependent upon the said land for farming, cattle rearing and allied activities. Acquisition will result in loss of livelihood, economic hardship and forced displacement of families who have been residing there for generations.

15. That the villages have a distinct social, cultural and traditional setup. Acquisition will disrupt community life, social bonds temples paths grazing land and common utilities which cannot be compensated monetarily.

16. That as per this act the proposed acquisition of large tracts of fertile agricultural and residential Grazing land for a new town, despite availability of alternative non-agricultural and other land situated other nearby places of city Shimla hence the authority concern has failed the test of least displacement and is therefore arbitrary and excessive.

17. That although notices have been issued, the objections of the villagers are being treated as a mere formality. AS per the act the mandate for hearing and reasoned consideration of objections, which requires disclosure of

a. Exact Land details,

b. Project reports

c. Rehabilitation and Resettlement (R&R) scheme and

d. Environmental impact details. Therefore Non-disclosure of the above violates the hearing process.

18. That as per the RFCTLARR Act, 2013 acquisition of multi-crop and agricultural is prohibited except in exceptional circumstances. The land proposed to be acquired is fertile agricultural land, supporting the livelihood of villagers and no justification as required under the Act has been recorded and the land proposed to be acquired is fertile agricultural land, supporting the livelihood of villagers and no justification as required under the Act has been recorded and the present land is acquired for the construction of

Modern Township Project" by HSMUDA by ruin of villager's domestic life, household and everything associated with them just only to benefit and settle down the persons of means and substances

14. That the acquisition disregards judicial principles laid by the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts emphasizing environmental protection disaster prevention and protection of community Rights The proposed acquisition is arbitrary un reasonable and violative of Articles 14, 21 and 300 A of the constitution of India

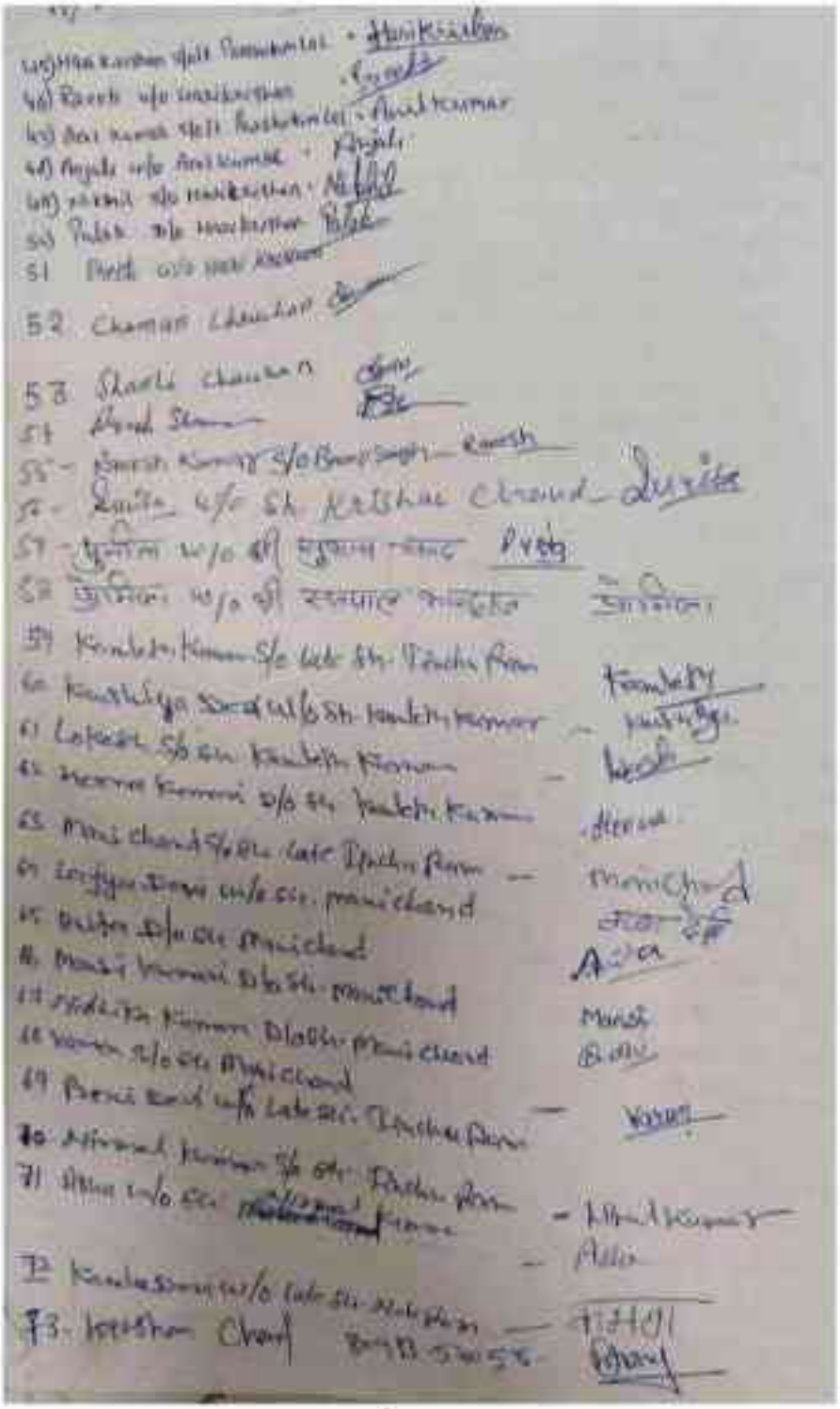
In view of the above objections, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Authority may be pleased to

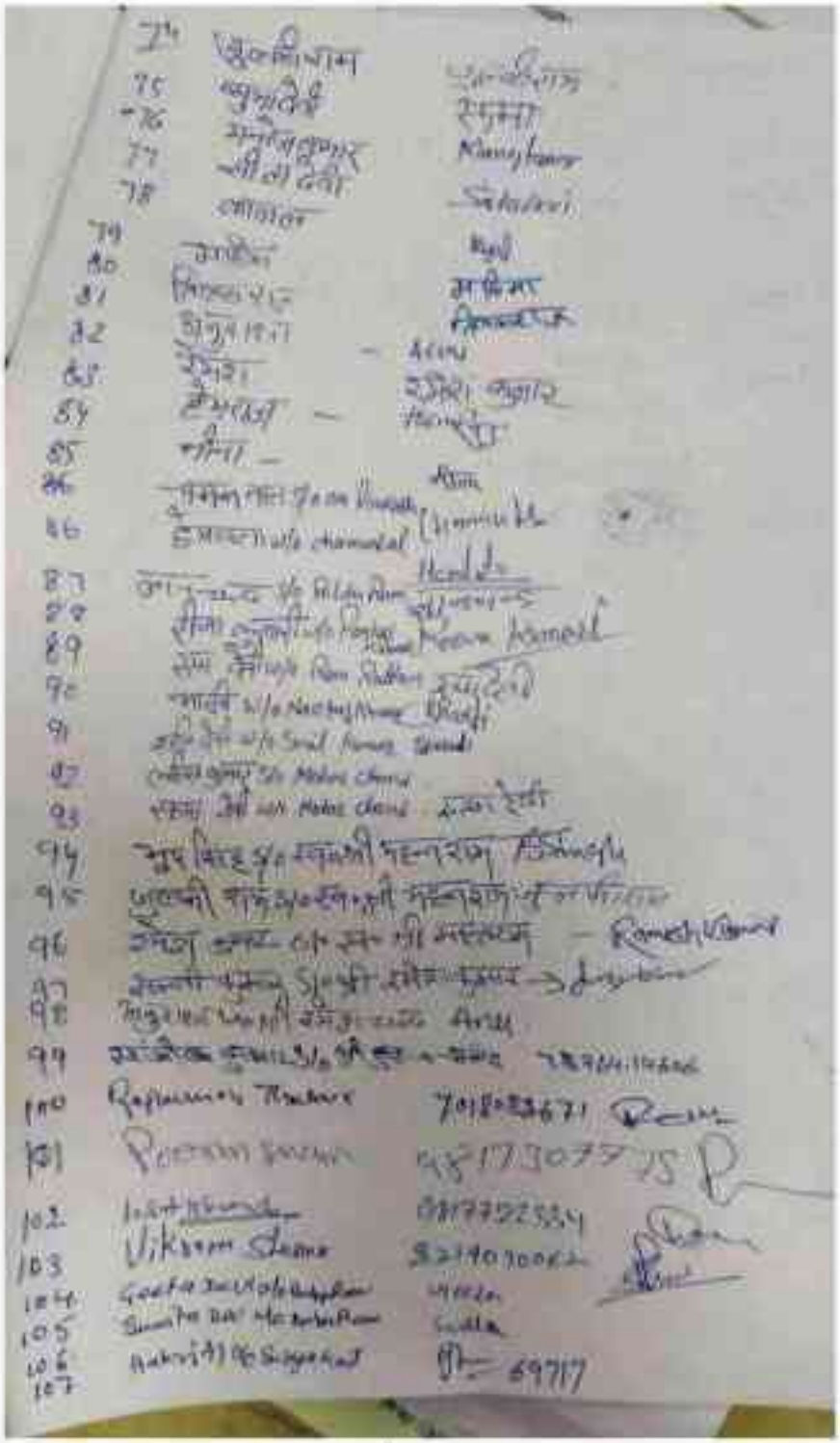
Kindly drop or stay the proposed land acquisition proceedings for the new town at Jattia Devi in the interest of the villagers and further refrain from taking any coercive action or possession till full statutory compliance

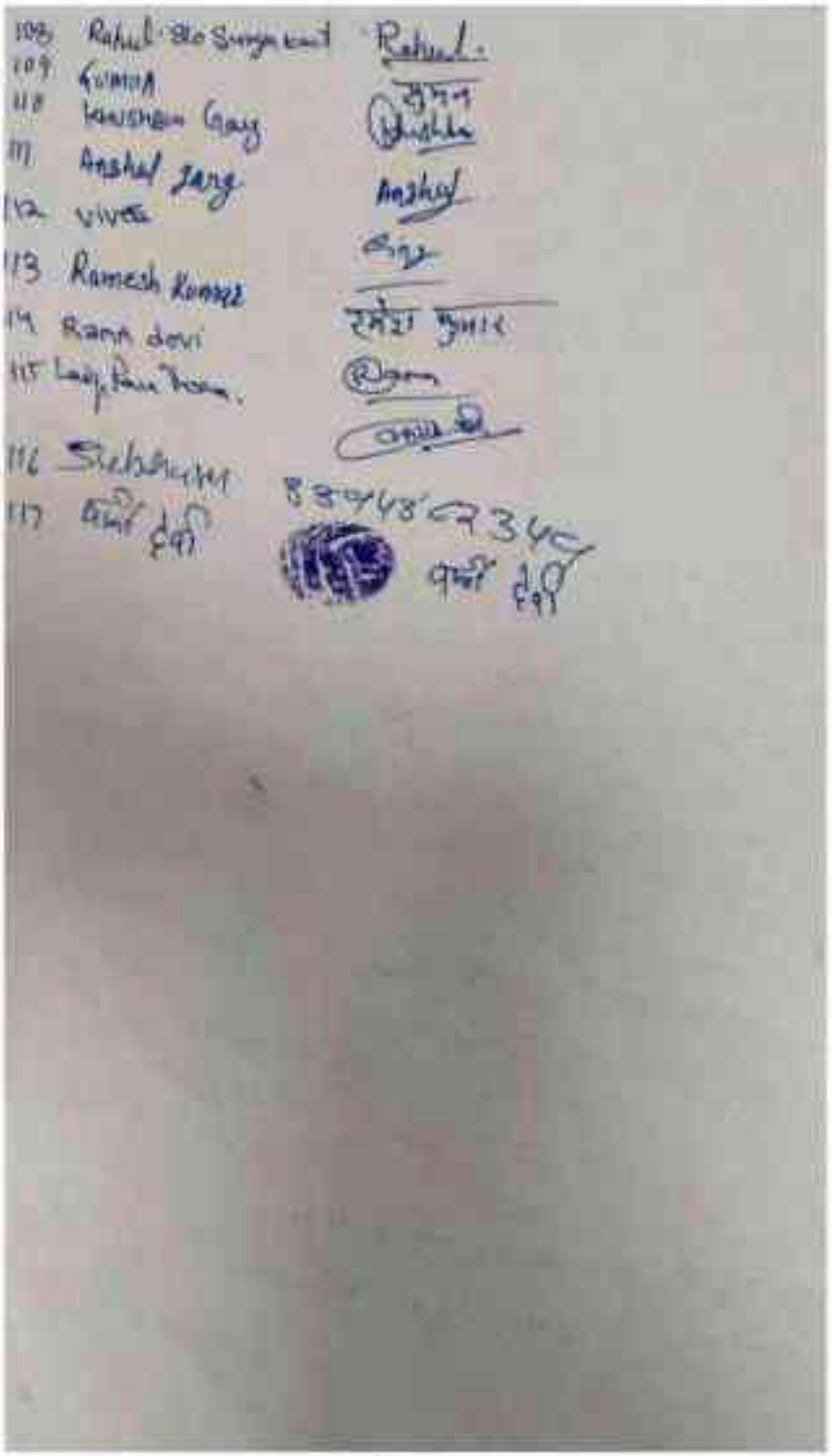
Affected Villagers Land Owners

Sr. No.	Name	Signature
1	Govind Ram S/o Sh. [illegible]	
2	Uma Devi W/o Govind Ram	
3	Nitish Kumar S/o Govind Ram	
4	Payal W/o Nitish Kumar	
5	[illegible] S/o Sh. [illegible]	
6	[illegible] S/o Sh. [illegible]	
7	Rajender Kumar S/o [illegible]	
8	Nirmala Devi W/o [illegible]	
9	Kamla W/o Rajender Kumar	
10	[illegible] S/o [illegible]	
11	Asha W/o [illegible]	
12	Hot Ram S/o [illegible]	
13	Chanda W/o Hot Ram	
14	Surender S/o Hot Ram	
15	Neelam W/o Surender	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	

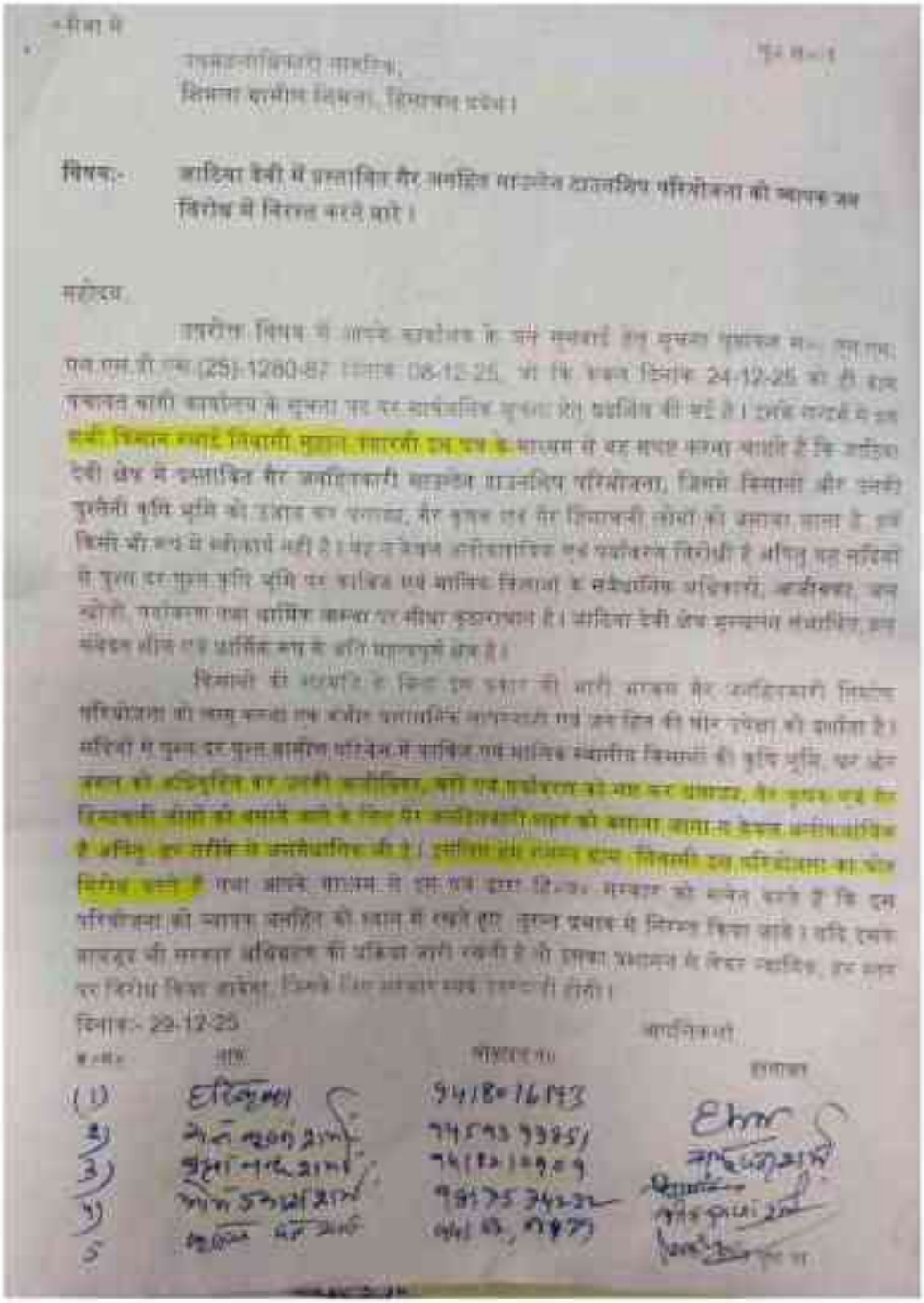
Sr. No.	Name	Signature
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	






108 Rahul S/o Sunga Kant
109 Suman
110 Kaushalya Gaur
111 Anshul Garg
112 Vivek
113 Ramesh Kumar
114 Rama devi
115 Lalit Ram Thakur
116 Shekhar
117 Ajay Dutt
8307487234
Ajay Dutt

आपत्ति 9



विषय:- जाटिया देवी में प्रस्तावित गैर अनुसूचित खनन/क्रशर परियोजना की व्यापक जन विरोध में निरस्त करने बारे।

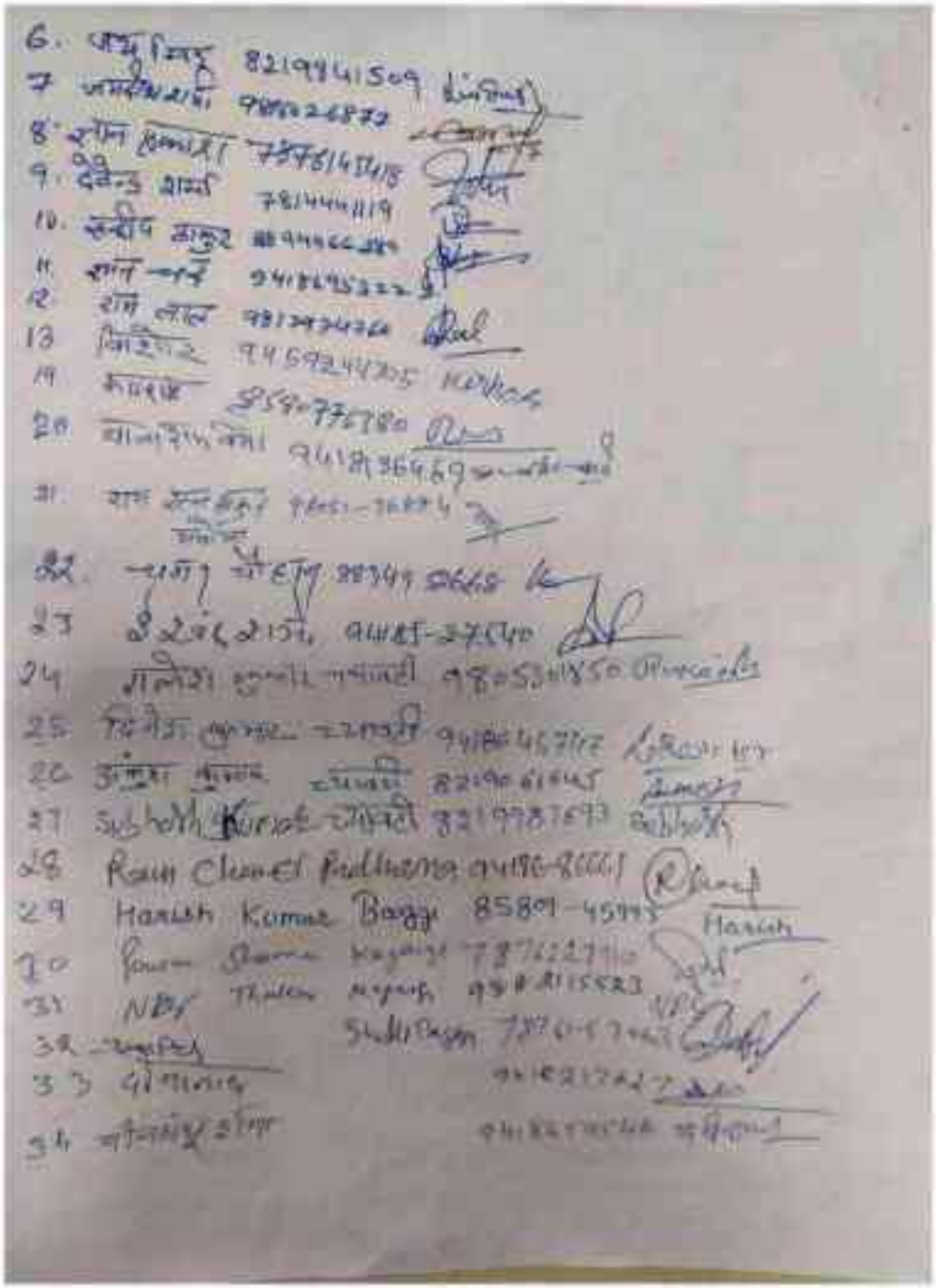
महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके कार्यालय के जन सुनवाई हेतु सूचना पृष्ठांकित सं.- एस.एम. एस.एम.डी.एम.(25)-1260-67 दिनांक 08-12-25, जो कि समाचार दिनांक 24-12-25 को ही हमें प्राप्तकर्ता खानी कार्यालय के सूचना पट पर सार्वजनिक सूचना हेतु प्रदर्शित की गई है। उसके संदर्भ में हम सभी किसान स्थाई निवासी मुहाल खारली इस पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जाटिया देवी क्षेत्र में प्रस्तावित गैर अनुसूचित खनन/क्रशर परियोजना, जिससे किसानों और उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को हानि पहुंचने, गैर कृषक एवं गैर हिमाचली लोगों को लाभान्वित होने की आशंका है, हमें किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह परियोजना अनैतिकतापूर्ण एवं पर्यावरण विरोधी है अपितु यह सदियों से पुश्त दर पुश्त कृषि भूमि पर काबिज एवं मालिक किसानों के संवैधानिक अधिकारों, आजीविका, जल स्रोतों, पर्यावरण तथा धार्मिक आस्था पर सीधा कुठाराघात है। जाटिया देवी क्षेत्र प्राकृतिक संसाधित, हरा भरा वनक्षेत्र तथा धार्मिक रूप से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

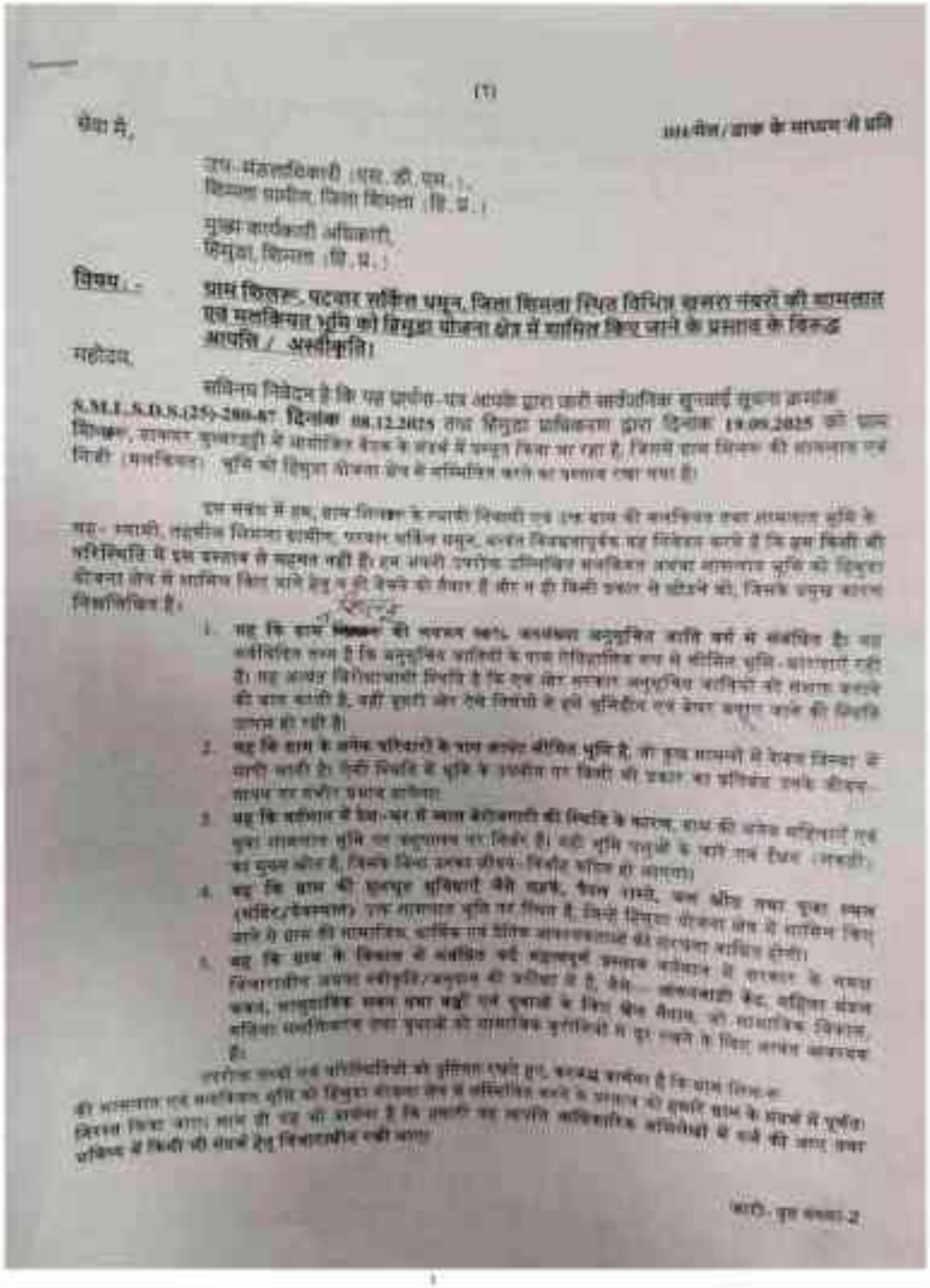
किसानों की आशंका है कि इस प्रकार की भारी मात्रा में अनैतिकतापूर्ण निर्माण परियोजना को लागू करना एक अनैतिक प्रशासनिक व्यवस्थापन एवं जन हित की घोर उपेक्षा की द्योतक है। सदियों से पुश्त दर पुश्त खारली परिवेश में काबिज एवं मालिक स्थानीय किसानों की कृषि भूमि, घर क्षेत्र वनक्षेत्र को अतिरिक्त गैर जरूरी अनैतिकता, खनन एवं पर्यावरण को नष्ट कर देगा, गैर कृषक एवं गैर हिमाचली लोगों को बसाने जाने के लिए गैर अनैतिकतापूर्ण प्रयास को बढ़ावा जाना न केवल अनैतिकतापूर्ण है अपितु इस तर्किक से असंवैधानिक भी है। इसलिए हम समस्त ग्राम निवासी इस परियोजना का घोर विरोध करते हैं तथा आपके माध्यम से इसे तत्व दूसरा दि.ज.अ. सम्बद्ध को अवगत कराते हैं कि इस परियोजना को व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाये। यदि इसके बावजूद भी सरकार अविवेकपूर्ण प्रक्रिया जारी रखती है तो इसका प्रशासन से लेकर न्यायिक, हर स्तर पर विरोध किया जायेगा, जिसके लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

दिनांक:- 29-12-25

क्र.सं.	नाम	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
(1)	[illegible]	9418-16193	[illegible]
2)	[illegible]	74593 93985	
3)	[illegible]	74193 [illegible]	
4)	[illegible]	98175 34332	
5	[illegible]	[illegible]	



आपत्ति 10



(1)

सेवा में,

ग्राम/तहसील/डाक के माध्यम से प्रति

उप-मंडलाधिकारी (एस. डी. एम.),
सिम्बला सर्कल, जिला सिम्बला (हि. प्र.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सिमुद्रा, सिम्बला (हि. प्र.)

विषय :- **ग्राम खिलक, पटवार सर्किल धमून, जिला सिम्बला स्थित विभिन्न खसरा नंबरों की जमाबंदी एवं मलकियत भूमि को सिमुद्रा योजना क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध आपत्ति / असहमति।**

महोदय,

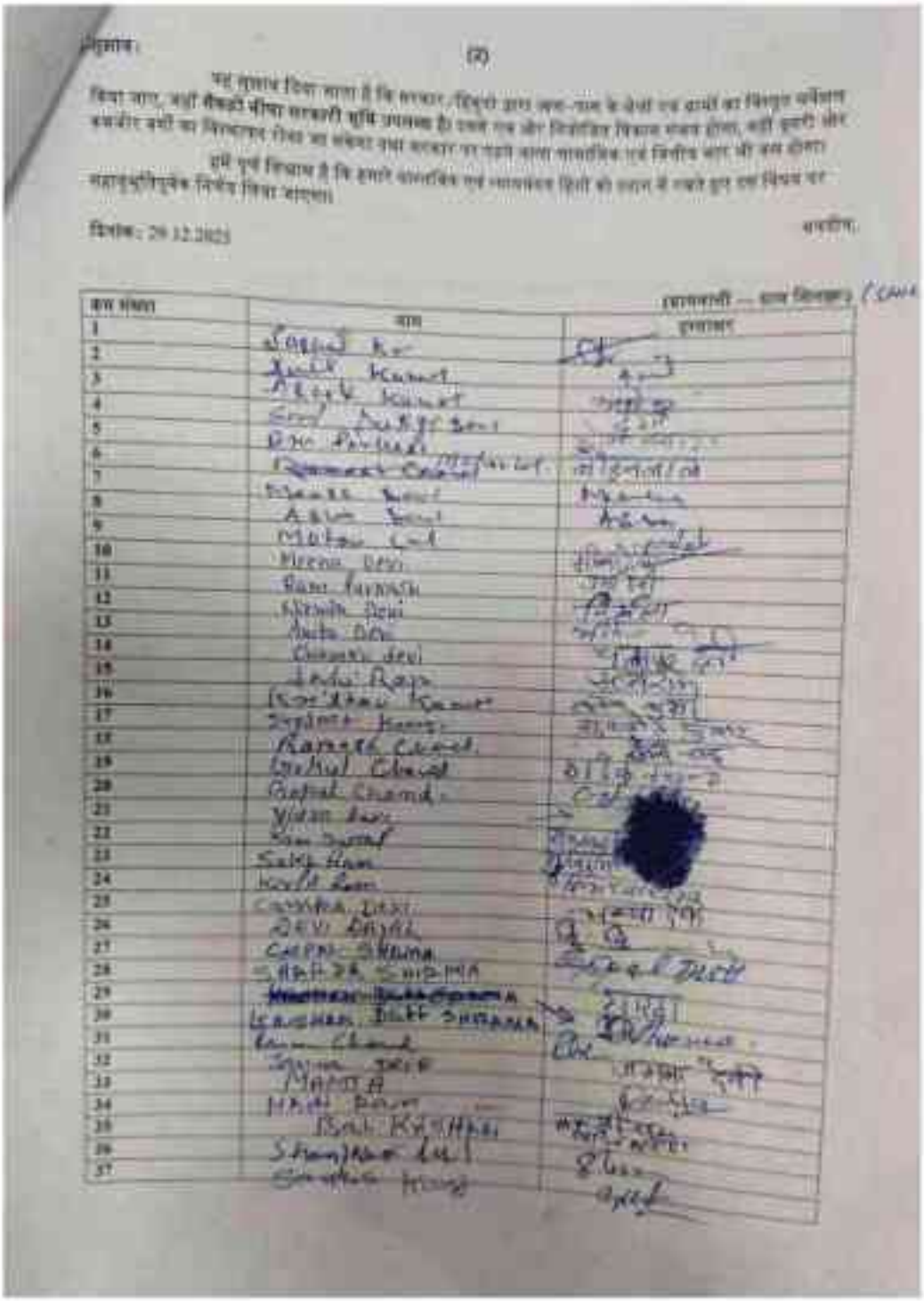
सविनय निवेदन है कि यह प्रार्थना-पत्र आपके द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक **S.M.I./S.D.S.(25)-280/87 दिनांक 08.12.2025** तथा सिमुद्रा प्राधिकरण द्वारा दिनांक **14.09.2025** को ग्राम सिम्बला, तहसील कुमारहट्टी में आयोजित बैठक के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें ग्राम खिलक की जमाबंदी एवं निजी (मलकियत) भूमि को सिमुद्रा योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस संबंध में हम, ग्राम खिलक के स्थायी निवासी एवं उक्त ग्राम की जमाबंदी तथा मलकियत भूमि के खाद- स्थायी, तहसील सिम्बला हालीन, पटवार सर्किल धमून, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करते हैं कि ग्राम किसी भी परिस्थिति में इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है। हम अपनी उपरोक्त उल्लिखित जमाबंदी तथा मलकियत भूमि को सिमुद्रा योजना क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु न तो देने को तैयार हैं और न ही किसी प्रकार से छोड़ने को, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं।

1. यह कि ग्राम **खिलक** की लगभग **68%** जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि अनुसूचित जातियों के पास पैतृकगत रूप से सीमित भूमि-आधारित रही है। यह अत्यंत विरोधाभासी स्थिति है कि एक ओर सरकार अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे निवासी के इसे भूमिहीन एवं बेघर बनाए जाने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
2. यह कि ग्राम के अनेक परिवारों के पास अपनी सीमित भूमि है, जो कृषि साधनों से केवल जिन्दा रहने लायी है। किसी स्थिति में भूमि के उपलब्ध न रहने की दशा में परिवार उनके जीवन-यापन का गंभीर प्रभाव होगा।
3. यह कि वर्तमान में ग्राम-भर में अत्यंत बेरोजगारी की स्थिति के कारण, ग्राम की अनेक महिलाएँ एवं युवा सामलात भूमि एवं वनोपज पर निर्भर हैं। यदि भूमि पशुओं के चारे तथा ईंधन (लकड़ी) का मुख्य स्रोत है, जिनके बिना उनका जीवन-निर्वाह कठिन हो जाएगा।
4. यह कि ग्राम की कुलपुरा भूमिधारी जैसी खसरे, बैकल 1345, जल क्षेत्र तथा कुछ स्थान (मंदिर/देवस्थान) उक्त सामलात भूमि पर स्थित है, जिन्हें सिमुद्रा योजना क्षेत्र में शामिल किए जाने से ग्राम की सामाजिक, धार्मिक एवं दैनिक आवश्यकताओं की संरचना क्षतिग्रस्त होगी।
5. यह कि ग्राम के विकास के संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव वर्तमान में प्रशासन के समक्ष विचाराधीन अथवा स्वीकृति/अनुदान की प्रतीक्षा में हैं, जैसे... आंगनवाड़ी केंद्र, महिला मंडल भवन, सामुदायिक सभा तथा कई एवं पुलाओं के लिए खेल मैदान, जो सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण तथा पुलाओं को सामाजिक सुरक्षितियों से दूर रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, करबद्ध प्रार्थना है कि ग्राम खिलक की जमाबंदी एवं मलकियत भूमि को सिमुद्रा योजना क्षेत्र में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को तुरंत ग्राम के संदर्भ में पृथक् किया जाए। साथ ही यह भी अनुरोध है कि इसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि हमें उपलब्ध कराई जाए तथा भविष्य में किसी भी संदर्भ हेतु विचाराधीन रखी जाए।

आदि- कृपा बनाए रखें।



प्रस्ताव.

(2)

यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार, विभिन्न ग्राम-नाम के जोड़ा एवं ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाए, जहाँ बैंकिंग सेवा सरकारी सुविधा उपलब्ध है उसके एवं और निकटतम विकास संभव होगा, वहाँ सुविधा और बजट का विस्तारपूर्वक रोका जा सकेगा तथा सरकार पर पड़ने वाला आवर्तिक एवं वित्तीय भार भी कम होगा।

इसी पुनः विश्वास है कि हमारे आवर्तिक एवं व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाएगा।

दिनांक: 29.12.2023

भवदीय,

क्रम संख्या	नाम	हस्ताक्षर
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

To

Through DH/Mail

The Sub-Divisional Magistrate,
Shimla Rural

The Chief Executive Officer,
HIMUDA, Shimla.

Subject:- Non-acceptance of proposal to include different Khasra Nos. of Shamlat as well as Malkiyat land situated in Village Shilroo, Patwar Circle Dhamoon, District Shimla.

Sir,

With due respect, this is in reference to your public hearing notice Endorsement No. S.M.L.S.D.S(25)-280-67 dated 8.12.2025 and meeting convened by HIMUDA authorities at Village Shilroo, P.O. Jubbarhatti, on 19.09.2025 regarding the proposal to include Shamlat land in the planning area of your department.

In this connection, we, the undersigned permanent residents of this village, along with other co-owners of Malkiyat and Shamlat land situated in the jurisdiction of Village Shilroo, P.O. Jubbarhatti, Tehsil Shimla Gramin, Patwar Circle Dhamoon, humbly submit that we do not agree with the said proposal under any circumstances. We are not willing to sell (Malkiyat) or part with our above-referred land for inclusion in the HIMUDA planning area due to the following reasons.

That 90% of the population of this village belongs to the Scheduled Caste category, and it is a well-known fact that Scheduled Castes have comparatively smaller landholdings from centuries across the country. "It is contradictory that, on one hand, the government claims to be strengthening the Scheduled Castes, while on the other hand, its actions are making us homeless."

That some residents of this village possess only minimal landholdings measured in Biswas.

That in the present scenario of unemployment prevailing across the country, many women and youth are rearing their cattle on the said Shamlat land and are dependent upon it for cattle feed as well as firewood.

That our village roads, paths, water sources, and Pooja Sthal (Shrine/Temple) fall within the Shamlat land now proposed for inclusion in the HIMUDA planning area.

That apart from the above, several other developmental proposals for our village are either under consideration or awaiting approval/sanction by the Government, such as the construction of an Anganwadi Kendra, Mahila Mandal Kendra, Community Hall, Playground for children and youth (to engage them positively and prevent social evils), etc.

In view of the above, it is earnestly requested with folded hands that the said proposal May kindly be treated as cancelled in respect of our village land. We further request that this objection be recorded and considered for all future references.

Suggestion:

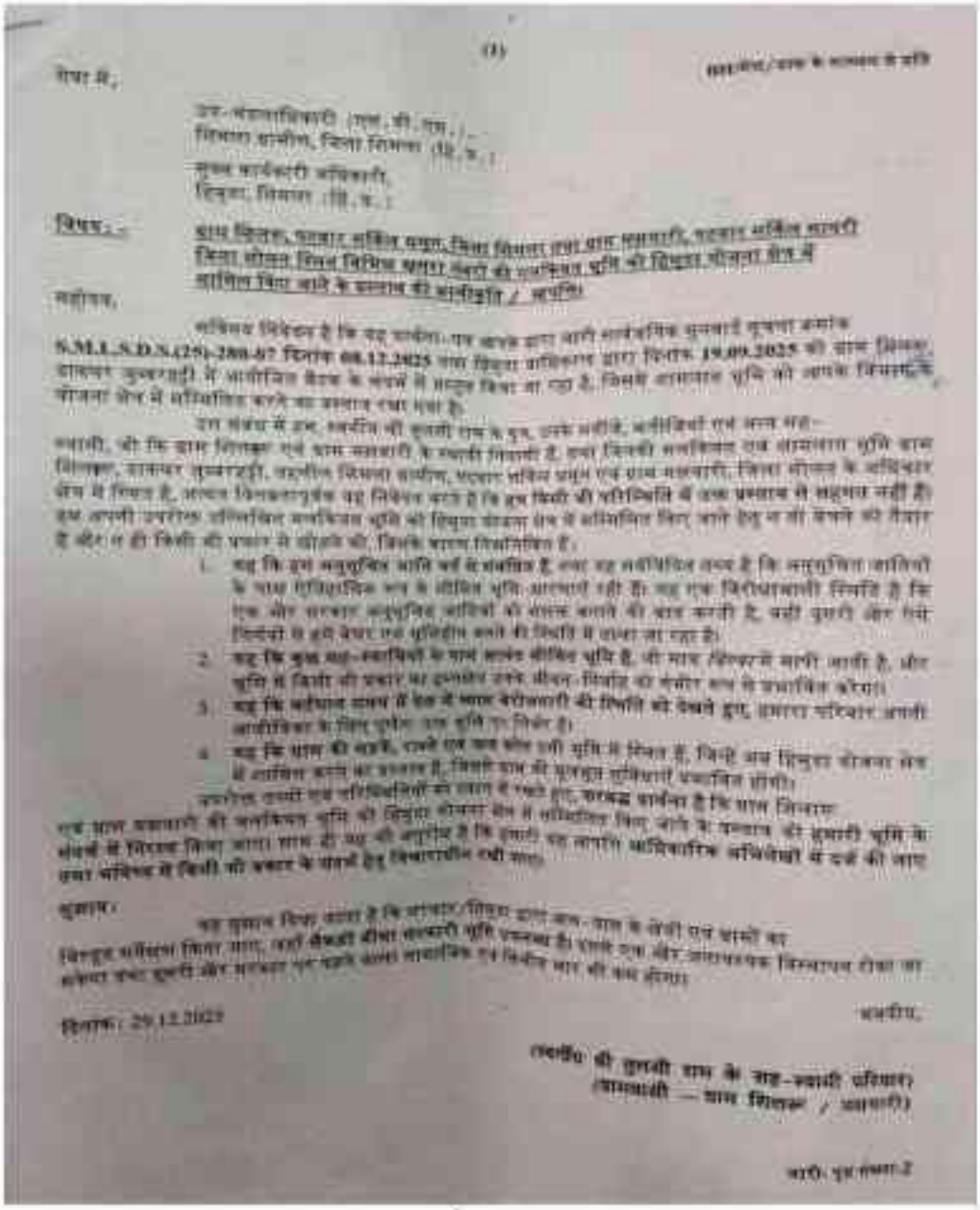
It is suggested that Govt/HIMUDA should make vast survey of surround area/ villages Where sufficient Government land in hundred bighas is available in this way Government can stop human migration tragedy as well as financial implications on government.

Yours faithfully,

Dated: 29.12.2025

(Villagers of Village Shilroo)

आपत्ति 11



(1)

सेवा में,

उप-मंडलाधिकारी (एस. डी. एम.),
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि. प्र.)।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
हिमुडा, शिमला (हि. प्र.)।

विषय:- ग्राम शिलाड़, पटवार सर्किल मशूरा, जिला शिमला तथा ग्राम लखावारी, पटवार सर्किल लालरी जिला सोलन जिन्न विभिन्न खसरा नंबरों की व्यक्तिगत भूमि को हिमुडा योजना क्षेत्र में शामिल किए जाने के प्रस्ताव की आपत्ति / अस्वीकृति।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि यह आपत्ति पत्र आपके द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना/नोटिस क्रमांक **S.M.L.S.D.S.(25)-288/87 दिनांक 08.12.2025** तथा हिमुडा अधिकारियों द्वारा दिनांक **19.09.2025** को ग्राम शिलाड़, डाकघर कुम्हारट्टी में आयोजित बैठक के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आशयवाद भूमि को आपके विभाग के योजना क्षेत्र में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

इस संबंध में हम, स्वर्गीय श्री तुलसी राम के पुत्र, उनके वारिसों, अनिवार्यों एवं अन्य सह-स्वामी, जो कि ग्राम शिलाड़ एवं ग्राम लखावारी के स्थायी निवासी हैं, अपनी निजी सर्वाधिकार एवं खातावारा भूमि ग्राम शिलाड़, डाकघर कुम्हारट्टी, तहसील जिला शिमला ग्रामीण, पटवार सर्किल प्रमुख एवं ग्राम लखावारी, जिला सोलन के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में उक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। हम अपनी उपरोक्त उल्लिखित सर्वाधिकार भूमि को हिमुडा योजना क्षेत्र में अधिसूचित किए जाने हेतु न तो सहमति दे रहे हैं और न ही किसी भी प्रकार से छोड़ने को, जिसके कारण निम्नलिखित हैं:

1. यह कि इस भवनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, तथा यह सर्वविदित तथ्य है कि भनुसूचित जातियों के पास ऐतिहासिक रूप से सीमित भूमि आरक्षणों रही है। यह एक विरोधाभासी स्थिति है कि एक ओर सरकार भनुसूचित जातियों को मालक बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे दिशानिर्देश ले कृषि योग्य एवं भूमिहीन बनने की स्थिति में लाया जा रहा है।
2. यह कि मुख्य वाद-स्थापियों के नाम अत्यंत सीमित भूमि है, जो मात्र दिनकरने वाली आती है, और भूमि से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण उनके जीवन-निर्वाह का संकट रूप से प्रभावित करेगा।
3. यह कि वर्तमान समय में देश में व्याप्त बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए, हमारा परिवार अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः उक्त भूमि पर निर्भर है।
4. यह कि ग्राम की सड़कें, रास्ते एवं अन्य कोर्ट सभी भूमि में स्थित हैं, जिन्हें अब हिमुडा योजना क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे ग्राम की मूलभूत सुविधाएँ प्रभावित होंगी।

उपरोक्त सभी तथ्य परिस्थितियों का संज्ञान में रखते हुए, **करबद्ध प्रार्थना है कि ग्राम शिलाड़** एवं ग्राम लखावारी की उपर्युक्त भूमि को हिमुडा योजना क्षेत्र में अधिसूचित किए जाने के प्रस्ताव को तुरन्त संशोधन से निरस्त किया जाए। साथ ही यह भी अनुरोध है कि हमारी यह आपत्ति आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज की जाए तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु विचाराधीन रखी जाए।

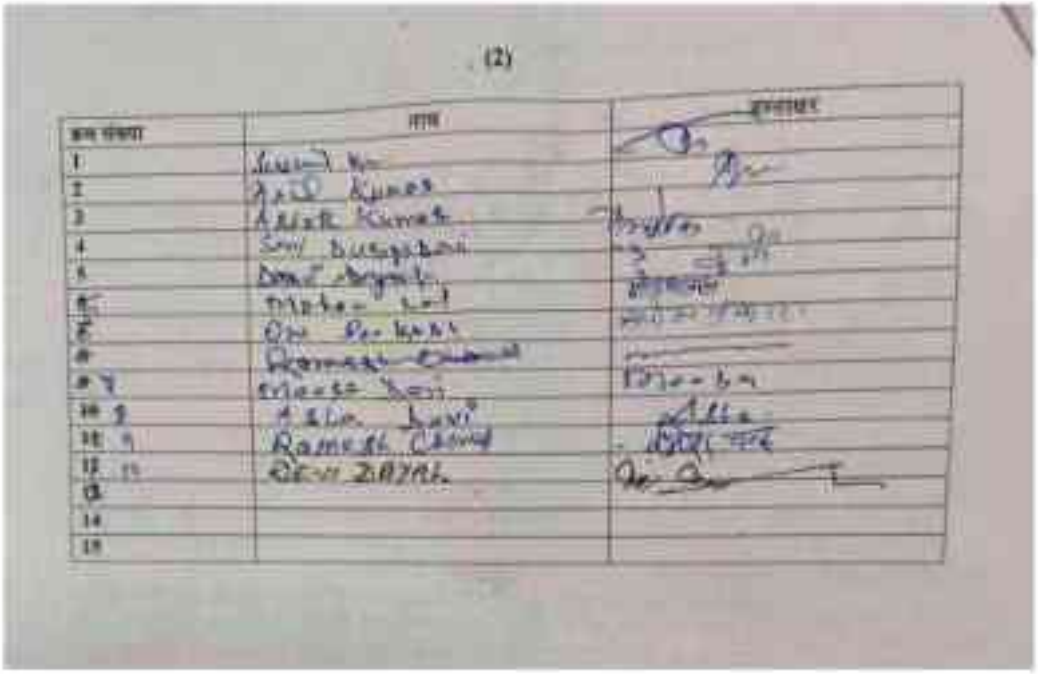
धन्यवाद,

भवदीय,

(स्वर्गीय श्री तुलसी राम के वाद-स्थायी प्रतिनिधि)
(लखावारी — ग्राम शिलाड़ / लखावारी)

दिनांक: 29.12.2025

भारी, पृष्ठ संख्या-2



(2)

क्रम संख्या	नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14		
15		

Through Spl/Mail

To

The Sub-Divisional Magistrate,
Shimla Rural

The Chief Executive Officer,
HIMUDA, Shimla

Subject:- Non-acceptance of proposal to include different Khasra Nos. of Malkiyat land situated in Village Shilroo, Patwar Circle Dhamoon, District Shimla and Village majhyari, Patwar Circle Syri, Distt. Solan.

Sir,

With due respect, this is in reference to your public hearing notice Endorsement No. S.M.L.S.D.S (25)-280-87 dated 8.12.2025 and meeting convened by HIMUDA authorities at village Shilroo, P.O. Jubbarhatti, on 19.09.2025 regarding the proposal to include Shamlat land in the planning area of your department.

In this connection, we, the undersigned S/O late Sh. Tulsi Ram, alongwith our Nephews, Niece and other share houders as permanent residents of this village, Shilroo and Majhyari, Malkiyat and Shamlat land situated in the jurisdiction of Village Shilroo, P.O. Jubbarhatti, and Village Majhyari, Tehsil Shimla Gramin, Patwar Circle Dhamoon, VillageMajhyari, Distt Solan, hombly submit that we do not agree with the said proposal under any circumstances. We are not willing to sell (Malkiyat) or part with our above-referred land for inclusion in the HIMUDA planning area due to the following reasons:

That we belong to the Scheduled Caste category and it is a well-known fact that Scheduled Castes have comparatively smaller landholdings from centuries across the country. "It is contradictory that, on one hand, the government claims to be strengthening the Scheduled Castes, while on the other hand, its actions are making us homeless."

That some share holds have only minimal landholdings measured in Biswas.

That in the present scenario of unemployment prevailing across the country, our family is dependent upon said land for our livelihood.

That our village roads, paths, water sources fall within this land now proposed for inclusion in the HIMUDA planning area.

In view of the above, it is earnestly requested with folded hands that the said proposal May kindly be treated as cancelled in respect of our village land. We further request that this objection be recorded and considered for all future references.

Suggestion:

It is suggested that Govt./HIMUDA should make vast survey of surround area/ villages Where sufficient Government land in hundred Bighas is available in this way Government can stop human migration tragedy as well as financial implications on government.

Dated: 29.12.2025

Yours faithfully

(Shareholders family of late Sh. Tulsi Ram)
Villagers of Village Shilroo/Majhyari

आपत्ति 12

Dated : 27-12-2025 Place: Shimla

To:

The Competent Authority/Collector,
Sub-Divisional Collector,
Sub-Division Shimla Rural, District Shimla-H.P.

Subject: Objection under/ as sought by your good-self under Section 5 Rule 8 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2023, to the Proposed Compulsory Acquisition of Agricultural Land and Residential Houses by HIMUDA vide Notification/Letter No. Sr. NO. S.M.L.S.D.S. (25)-1280-87 dated 8-12-2025, Affecting the areas of revenue Mohal/villages Majhola, Aanji, Shilroo, Dhanokhar, Shilli Bagi, Panti, Kiyargi and Chanan situated at/near Air Port-Jathia Devi Shimla, Tehsil Shimla-Rural, District, H.P.

Respected Sir,

I, Rameshwar son of Late Sh. Ram Chand, aged Age70 years, residing at Village Shanghoo (Anji P.O. Jathia Devi Tehsil and District Shimla H.P. am the lawful owner/occupier/tenant/lessee of the agricultural land and residential house and Two Cowsheds bearing Old Khasra No. 54 and as per revenue record/Jamabandi for the year 2013-2014 comprising Khata No. 17 Hadbast No. 362 Mohal Anji P.C. Rampari Tehsil and District Shimla. As per old revenue record i.e. Jamabandi for the year 1965-57 The said land was comprised in Khata No. 15 Khatauni No. 27 Khasra No. 12 ad 54 total measuring 79 Bighas and 14 Biswas and recorded as Shamlat Patti, Hasab-Hissa Jail . The land was subject to payment of land rev..ue (hereinafter referred to as "the Subject Property"). I hereby submit this formal objection to the proposed compulsory acquisition of the Subject Property as notified by your office. This objection is filed within the stipulated time frame and is grounded in the fundamental principles of property rights, livelihood protection, and the necessity for a genuine public purpose. The land and property has particularly been in my family's possession since 1972.

serving as the primary source of sustenance for my household and the local community. Prior to it my ancestors were living in the village from time immemorial and were marginal farmers. In addition to the cultivable fields, it includes residential house that provide shelter to my family members, including vulnerable individuals such as e.g. minor children, and dependents. The acquisition, if proceeded with, would not only uproot our livelihood but also displace us without adequate justification or alternatives, causing irreparable harm to our well-being and the agrarian economy of the region. The land in dispute was granted to me by the Gram Panchayat on Patta basis and since then I have developed the same and raised residential house, Two Cow Shed and raised fruit bearing orchard and made level field. I am having seven cows and by rearing them and doing dairy farm and earning my livelihood.

The Subject Property is exclusively agricultural land, dedicated to the cultivation of staple crops like wheat, maize, and various vegetables etc., which directly supports the food security of my family and contributes to the local market. Compulsory acquisition of such land disregards the critical importance of preserving agricultural resources, especially in an era of increasing pressure on arable land. Displacing this land would sever my primary means of income, derived from the seasonal harvests yielding approximately Rs. Eight Lakhs to Rs. Ten Lakhs annually, leaving me and my dependents without viable alternatives. This action contravenes the spirit of protecting small-scale farmers and rural economies from arbitrary state interventions.

Integral to the Subject Property are the residential houses constructed over 50 years, serving as our permanent abode. These structures house residents and cow-sheds and embody years of investment in basic amenities such as water supply, sanitation, and electricity connections. The acquisition would result in homelessness and psychological distress, particularly for the children pursuing education in nearby schools or elderly members reliant on proximity to medical facilities. No provisions have been outlined in the notification for equivalent

relocation or interim housing, rendering the process unjust and disproportionate to any purported public benefit.

The notification fails to demonstrate a clear and overriding public purpose that necessitates the acquisition of this specific agricultural land and residential area. Alternative sites, such as Kutasni , Rauriat Shimla and land at Sairi and Mamleeg etc. Tehsil Kandaghat Solan e.g. non-agricultural or underutilized government land in adjacent areas, appear available and could serve the intended objective without encroaching on productive farmland or inhabited residences. Acquiring fertile agricultural land over less impactful options prioritizes expediency over sustainability, undermining the balance between development needs and individual rights. Furthermore, the process lacks transparency regarding the exact project details, environmental assessments, or socio-economic impact studies, which are essential to validate such an invasive measure.

While the notification mentions tentative compensation, the proposed amount does not reflect the true market value of the agricultural land, considering its fertility, irrigation potential, and historical yield. For the residential houses, the valuation overlooks structural improvements and sentimental value attached to generational homes. Moreover, rehabilitation plans are vague, offering no guarantee of comparable farmland, housing, or employment opportunities. This shortfall would exacerbate poverty and social instability, transforming a routine administrative action into a profound injustice. In light of these grounds, the proposed acquisition appears arbitrary, disproportionate, and detrimental to the principles of equity and human dignity. It overlooks the profound contributions of agricultural land to national food production and the right to shelter enshrined in constitutional protections.

I respectfully urge your esteemed authority to:

a. Reject the compulsory acquisition of the Subject Property in its entirety

b. or to protect me who is virtually fall under the definition of landless person from compulsory acquisition proceedings and other small marginal farmer like me;

c. Withdraw the notification/letter dated 8-12-2025 and explore alternative sites that do not impinge on agricultural or residential interests;

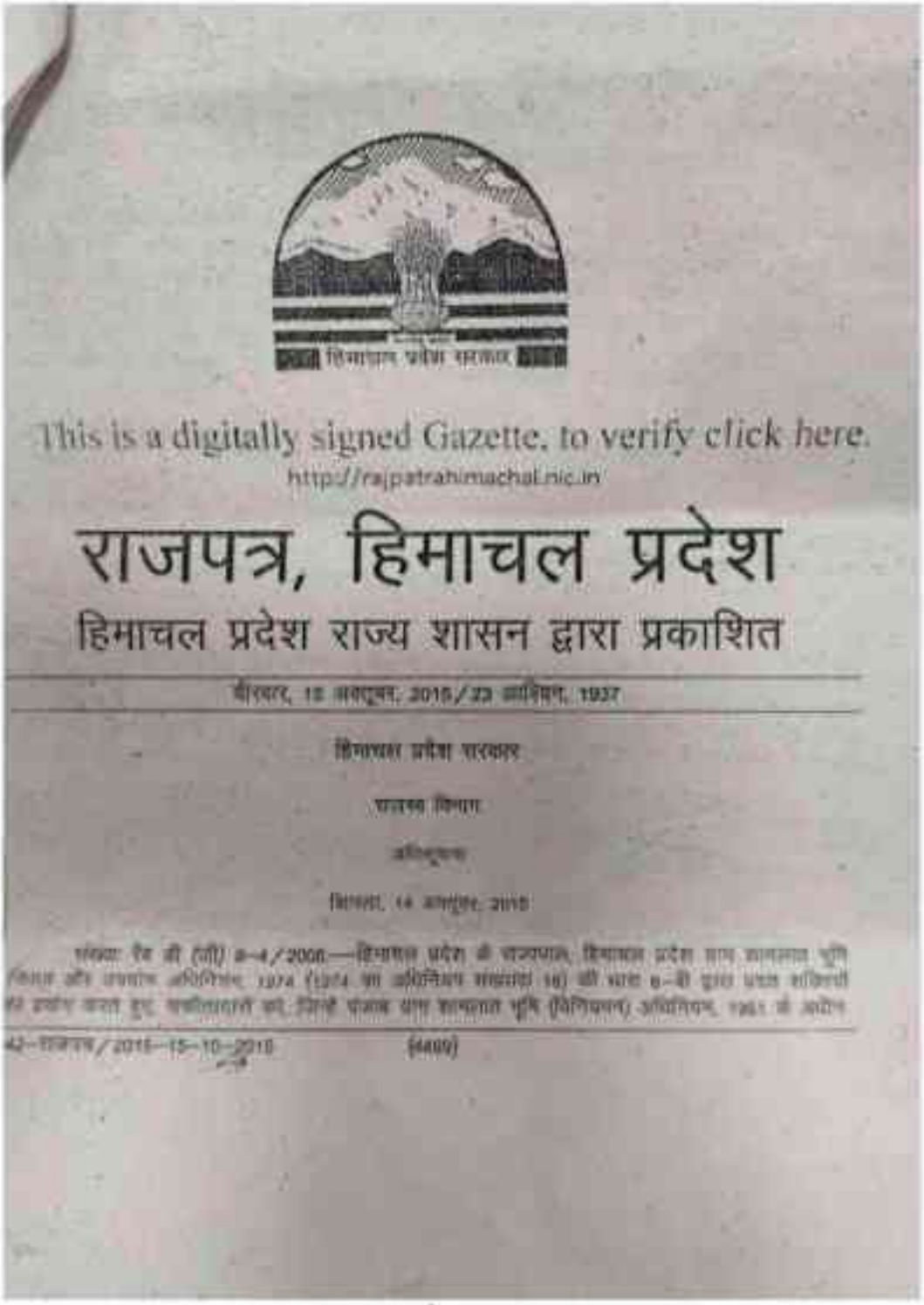
d. Convene a personal hearing at the earliest convenience to allow me to present additional evidence and arguments; and

e. Provide written reasons for any decision taken, ensuring procedural fairness. I am prepared to cooperate fully and can be contacted at Mobile 75800-95324 for any clarifications. This objection is made bona fide and in the interest of justice.

Thanking you,

Yours sincerely,

Rameshwar son of Late Sh. Ram Chand, residing at Village Shangloo (Anji P.O. Jathia Devi Tehsil and District Shimla H.P.



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बीरवार, 15 अक्तूबर, 2015/23 आश्विन, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

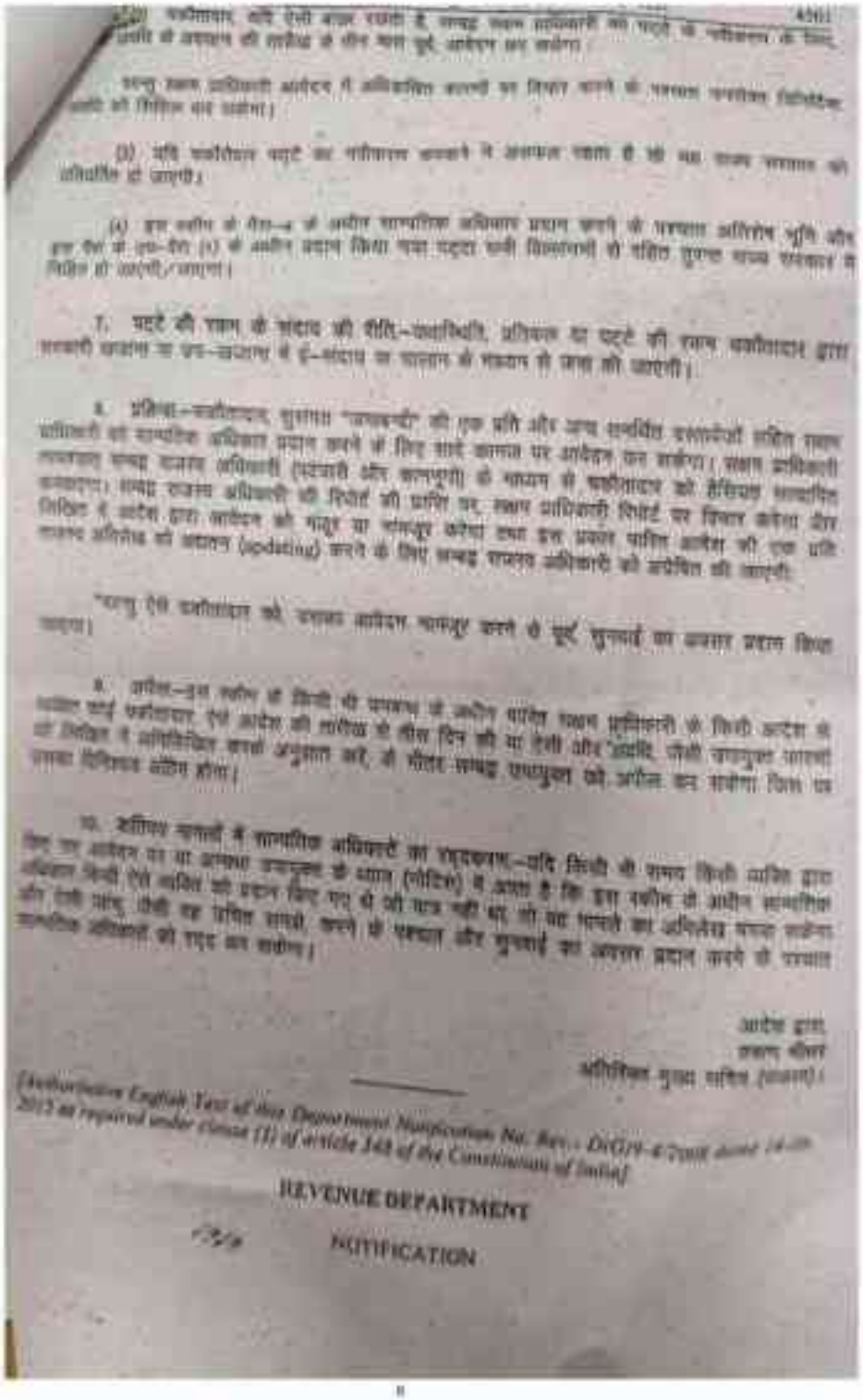
वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला, 14 अक्तूबर, 2015

संख्या: वैट डी (टी) 8-4/2008—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वाणिज्यिक भूमि निकास और उपकर अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 8-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यथासंशोधनी वर्ष, जिसे पंजाब वाणिज्यिक भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन

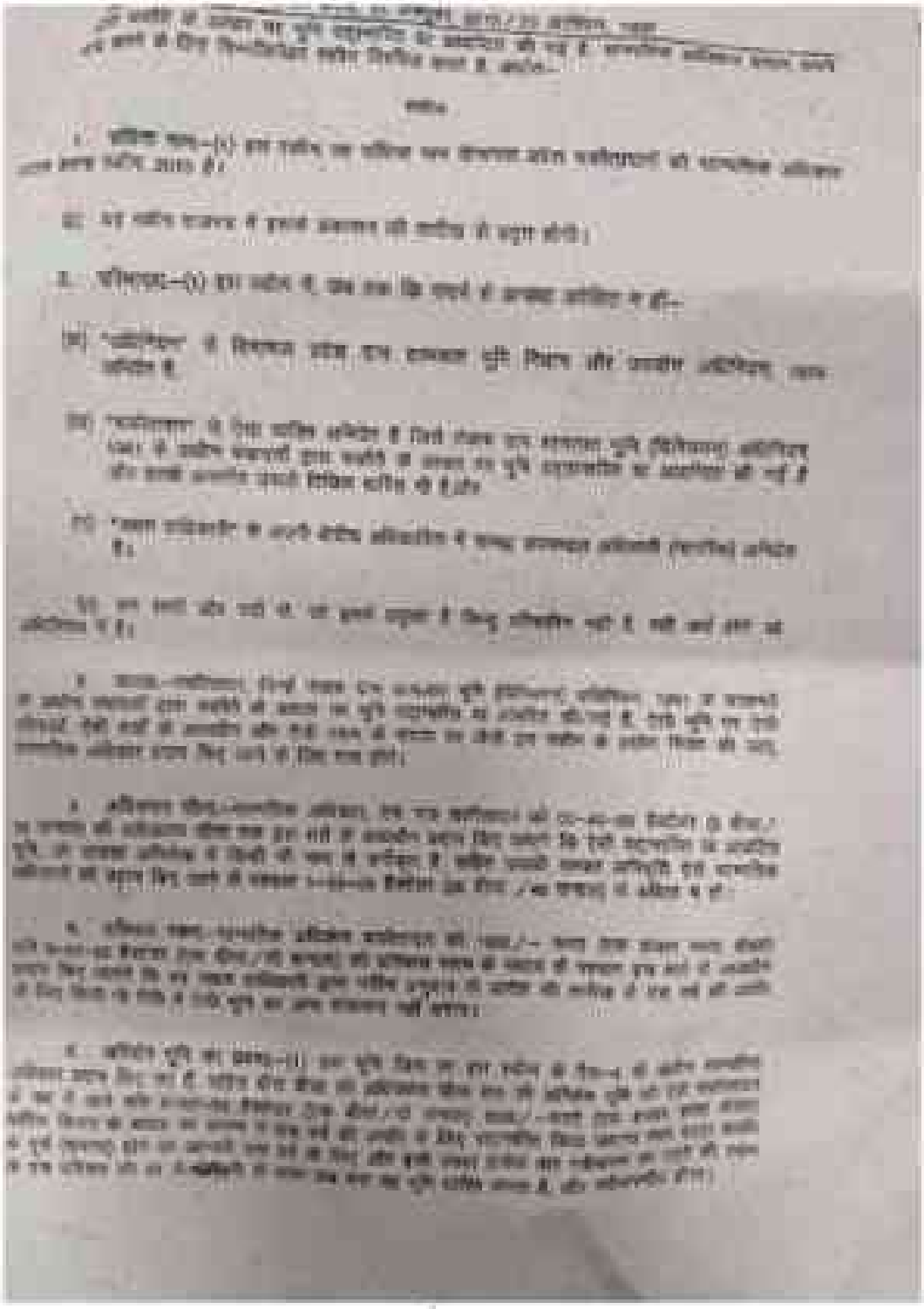
42-राजपत्र/2015-15-10-2015 (4409)

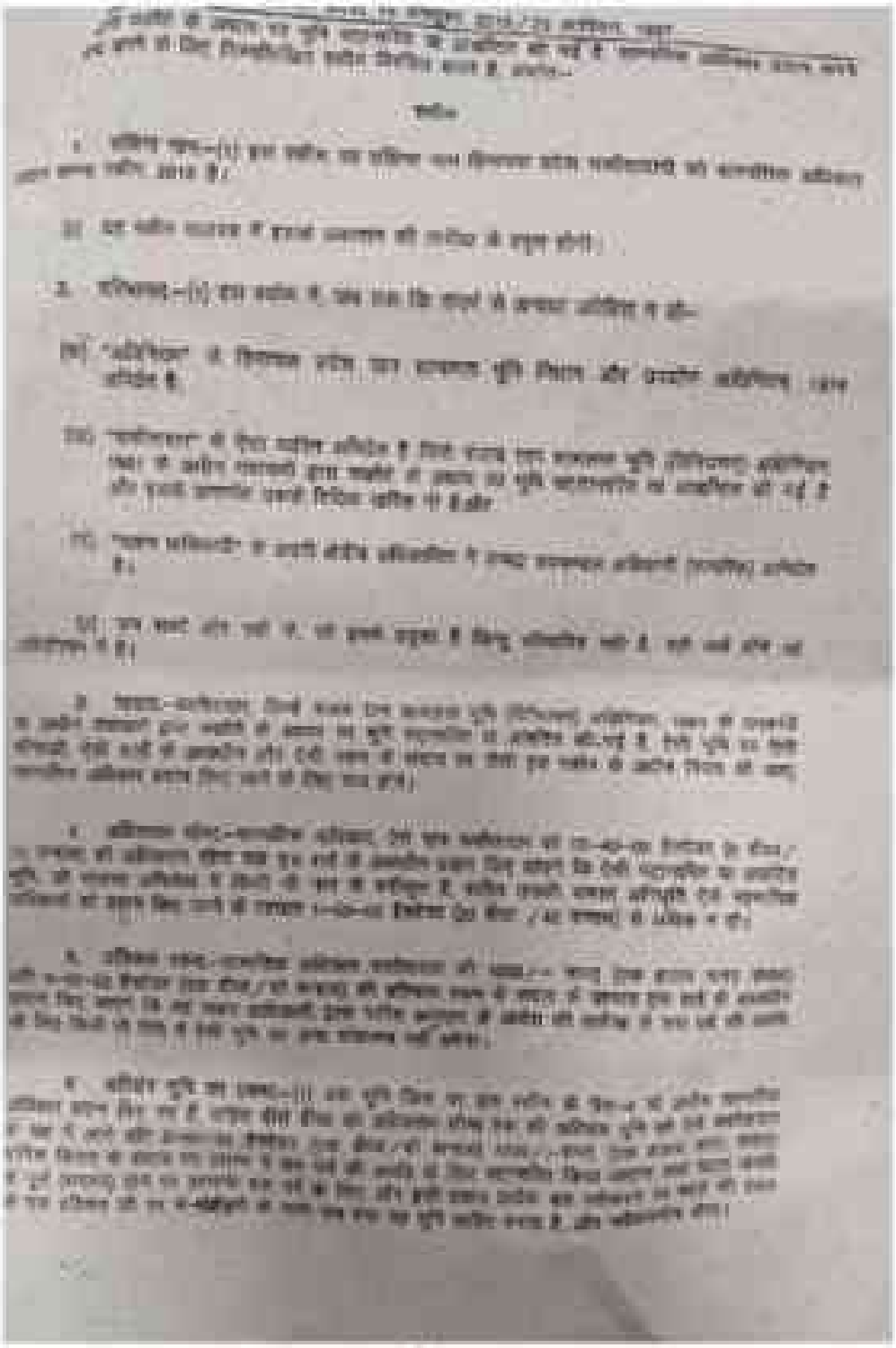


[Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.-DiGiV-e-Court dated 14-05-2015 as required under clause (1) of article 348 of the Constitution of India]

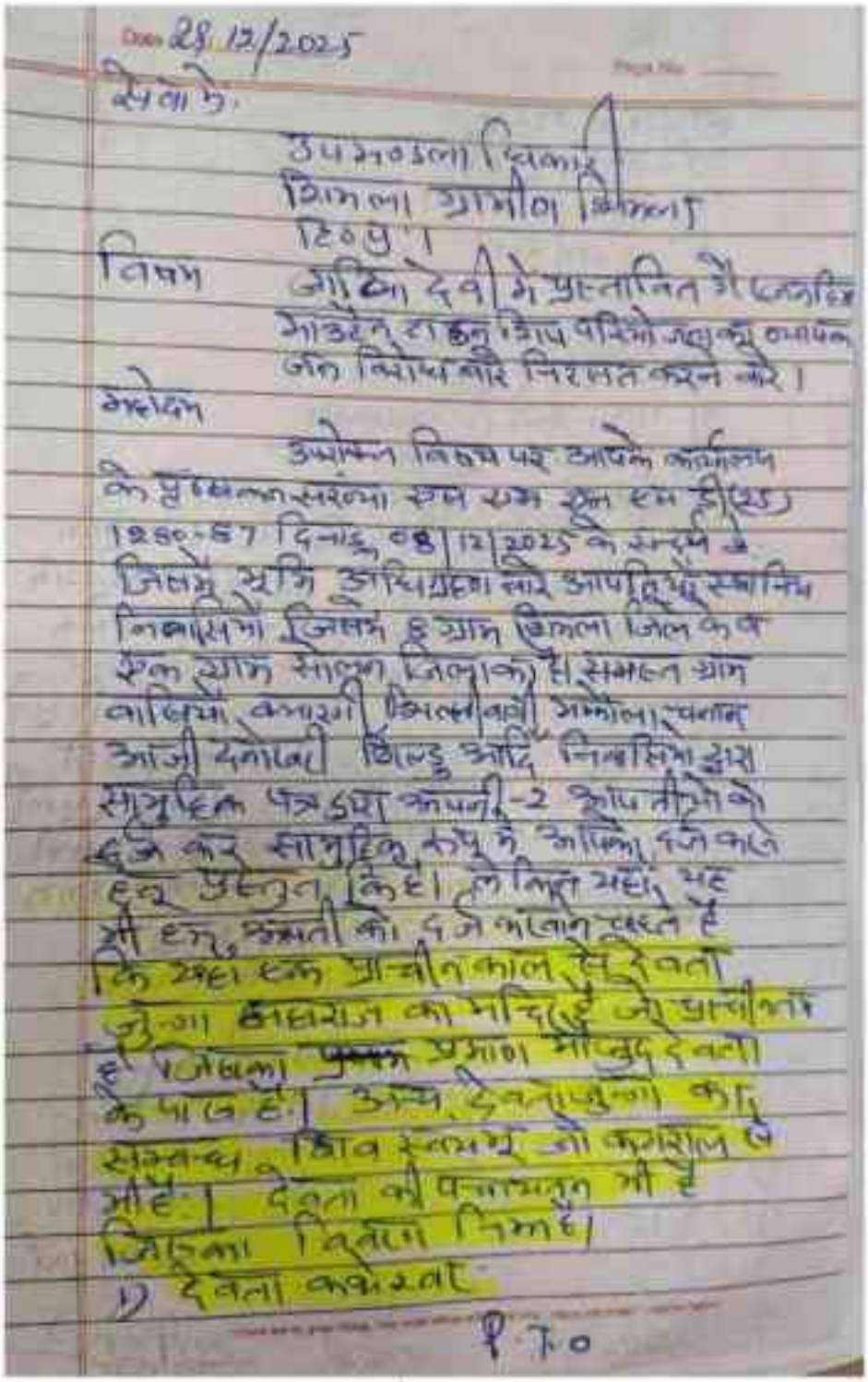
REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION





आपत्ति 13



Date 28/12/2025

सेवा में,

उपमण्डला दिकारी
शिमला ग्रामीण, शिमला
हि०प्र०।

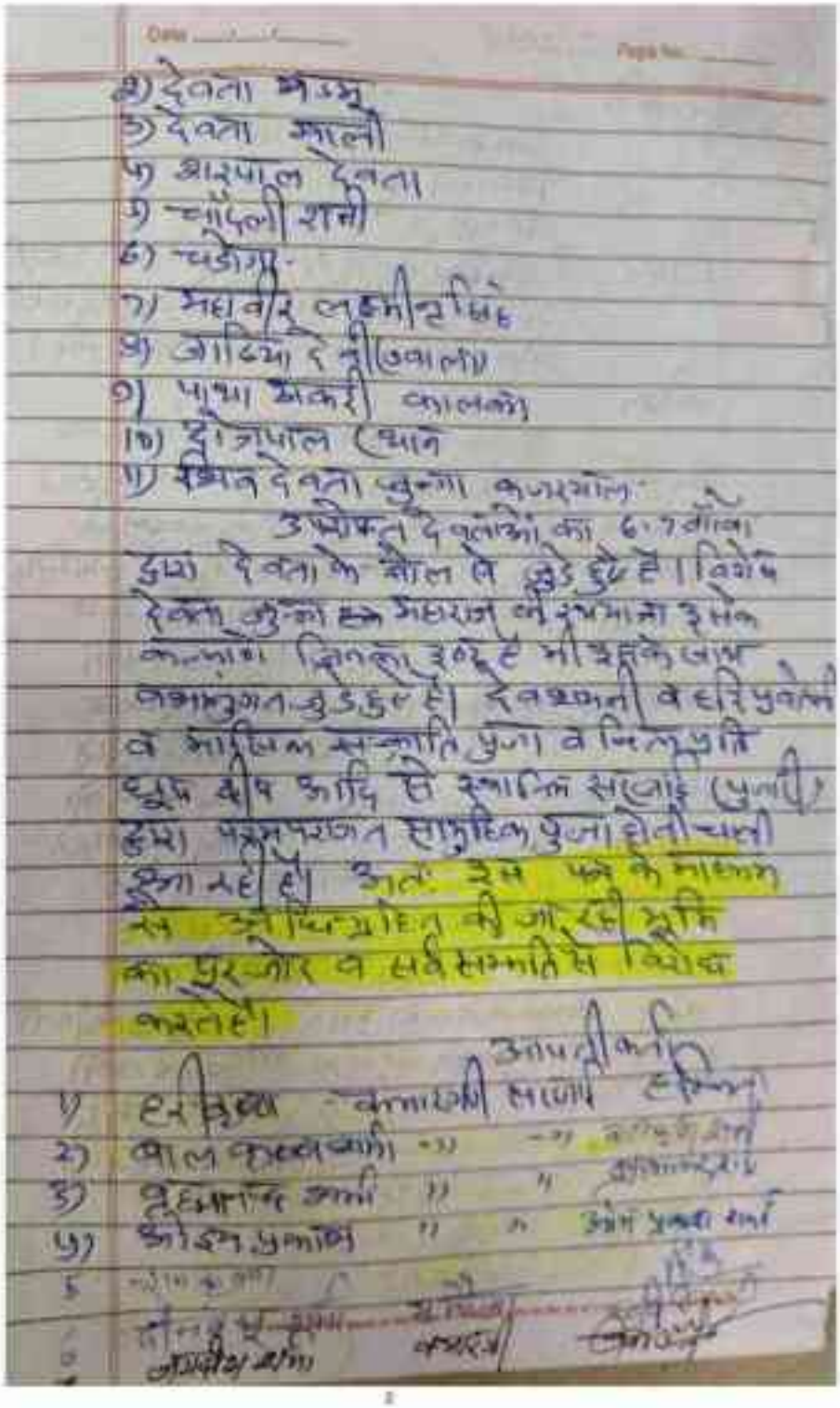
विषय — जोहिनी देवी से प्रस्तावित गैर जनजाति सोसाइटी द्वारा शिव परिसर जखोली तथा अन्य विषय बारे निरस्त करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पुस्तिकासंख्या रेवन्यू रूम रूल एम डी(एस) 1980-87 दिनांक 08/12/2025 के सन्दर्भ में जिसमें भूमि अधिग्रहण बारे आपत्तियाँ स्वामित्व निवासियों जिसमें 6 ग्राम शिमला जिले के एक ग्राम सोलन जिलाके हैं समस्त ग्राम वासियों कमाड़ी शिल्हावासी सम्मोला, चनाल आजी दलोली शिल्हु आदि निवासियों द्वारा सामूहिक पत्र द्वारा कमली-2 ग्राम तीनों को देख कर सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज करते हुए प्रस्तुत किए। लिखित यहां यह भी हम, ग्रामवासी को दर्ज करवाना चाहते हैं कि यहां एक प्राचीनकाल से देवता जोगा महाराज का मन्दिर है जो प्राचीनकाल से जोखला ग्राम प्रधान मान्यता देवता के पात्र हैं। अन्य देवतागणों का, सम्बन्ध शिव स्वरूप में जो कपाल ले मोहे। देवता की पवित्रता में है जिसका विवरण निम्न है।

1) देवता कथन:-

P.T.O



8) देवता भैरव
9) देवता काली
10) क्षेत्रपाल देवता
11) चौंफली शनी
12) चडोगा
13) महावीर लक्ष्मीनारायण
14) जोधिया देवी (काली)
15) मुआ अकरी कालका
16) द्वारपाल खान
17) रक्षक देवता चुन्गा कजरमोल

उपरोक्त देवताओं का 6-7 वीला हुआ देवता के बोल से जुड़े हुए है। विशेष देवता जुन्का एक सहयात्र में दर्शाया है अंक कलाओं जिनका उन्हें भी इसके जाप लक्षानुसार जुड़ा हुआ है। देवस्थानी व हरियुवेली व मार्गशिल संक्राति पुजा व तिलपुरी पुष्प बीज आदि से इसलिए सालाई (पुजारी) द्वारा पक्षपरंपरागत सामुहिक पुजा होती चली आ रही है। अतः इस पक्ष के माध्यम से ऐतिहासिक की जा रही प्रक्रिया का पुरजोर व सर्वसम्मति से विरोध करते है।

1) हरिवंश बनावली सजा हरिवंश
2) बालकृष्णजी " " "
3) वृहस्पति जगी " " "
4) शोडस पुजाए " " "
5)
6)

आपत्ति 14

1

To

The Sub-Divisional Magistrate,

Shimla Rural, District Shimla,

Himachal Pradesh.

Subject: Objections to the proposed land acquisition for "Modern Township Project" by HIMUDA in Village/ Mohal Majhola and surrounding areas, Tehsil Shimla Rural, District Shimla.

Respected Sir

On behalf of the villagers and landowners of the affected village/ Mohal Majhola, we hereby submit the following objections against the proposed acquisition of land for development of a new town at Jathia Devi, as reported and proposed by the District Administration:

1. That the proposed acquisition has been initiated without effective consultation with the Gram Panchayat and affected villagers. The decision has been taken in a top-down manner, ignoring the views, consent and participation of the local inhabitants whose livelihood and existence are directly affected.
2. That adequate opportunities has not been given to the villagers to understand the full scope, impact, extent and

consequences of the proposed acquisition. Mere fixing of a public hearing does not fulfill the requirement of meaningful hearing unless all relevant documents, plans and details are supplied in advance to the affected villagers.

3. That the land proposed to be acquired is primarily agricultural, residential and livelihood-generating land. The villagers of Mohal Majhola are dependent upon the said land for farming, cattle rearing and allied activities. Acquisition will result in loss of livelihood, economic hardship and forced displacement of families who have been residing there for generations.

4. That the land is traditionally used by villagers for grazing, fuel, fodder, and other customary purposes. Acquisition without recognition and settlement of customary and community rights under the Forest Rights Act, 2006, is illegal and unconstitutional. The project will directly restrict access to natural resources.

5. That the land sought to be acquired is fertile, habitable and forms part of established villages with houses, cowsheds, water sources and joint lands. Acquisition of such land for urban expansion is arbitrary and unjustified.

6. That the proposed project is likely to cause severe environmental damage, including loss of forest cover, agricultural land, water sources and ecological imbalance in an

already fragile Himalayan region. No Environmental Impact Assessment has been properly shared with the villagers.

7. That the villages have a distinct social, cultural and traditional setup. Acquisition will disrupt community life, social bonds, temples, paths, grazing lands and common utilities, which cannot be compensated monetarily.

8. That the said or proposed acquisition is issued under section 5 &8 of RFCTLARR Act, 2013 but the authority concern itself has violated the provision of Sections 4 and 5 of the RFCTLARR Act, 2013, a mandatory Social Impact Assessment is required to be conducted with participation of the affected families and Gram Sabhas. However, no proper SIA study has been conducted by the authority or shared with the villagers, nor have Gram Sabha consultations been held in a meaningful manner, rendering the entire acquisition process illegal and void.

9. That as per Section 6, 7 of the Act, prior consent and consultation of the Gram Sabha is mandatory. The affected villages are rural in nature, yet no free, prior and informed consent of Gram Sabhas has been obtained before initiating acquisition proceedings. Moreover as per this act the proposed acquisition of large tracts of fertile agricultural and residential land for a new town, despite availability of alternative non-agricultural and other land situated other nearby places of city

Shimla hence the authority concern has fails the test of least displacement and is therefore arbitrary and excessive.

10. That although notices have been issued, the objections of the villagers are being treated as a mere formality. As per Section 9 mandates fair hearing and reasoned consideration of objections, which requires disclosure of;-

a. Exact land details,

b. Project reports,

c. Rehabilitation and Resettlement (R&R) scheme, and

d. Environmental impact details. Therefore Non-disclosure of the above vitiates the hearing process.

11. That as per Section 10 of the RFCTLARR Act, 2013, acquisition of multi-crop and agricultural land is prohibited except in exceptional circumstances. The land proposed to be acquired is fertile agricultural land, supporting the livelihood of villagers, and no justification as required under the Act has been recorded and the present land is acquired for the construction of Modern Township Project" by HIMUDA by ruin of villager's domestic life, household and everything associated with them just only to benefit and settle down the persons of means and substances.

12. That our region is ecologically sensitive and we have number of local water sources i.e. Banavties and others springs, natural source of waters and this projects will lead

lead to, massive deforestation and loss of green cover, Soil erosion and increased risk of landslides in the hilly terrain and most importantly the depletion of local water sources which the villagers depend on.

13. That the creation of a luxury township for urban settlers does not qualify as a "Public Purpose" that justifies the displacement of ancestral rural communities. This project benefits private interests more than the local public.

14. That the Act mandates assessment of environmental, social and economic consequences. The proposed acquisition threatens forests, water sources, ecology and the fragile Himalayan environment, yet no Environmental Impact details have been shared with villagers. That acquisition includes residential houses, cattle sheds, paths, grazing land and common utilities, which are protected interests under the Act and cannot be acquired without strict compliance and alternative arrangements.

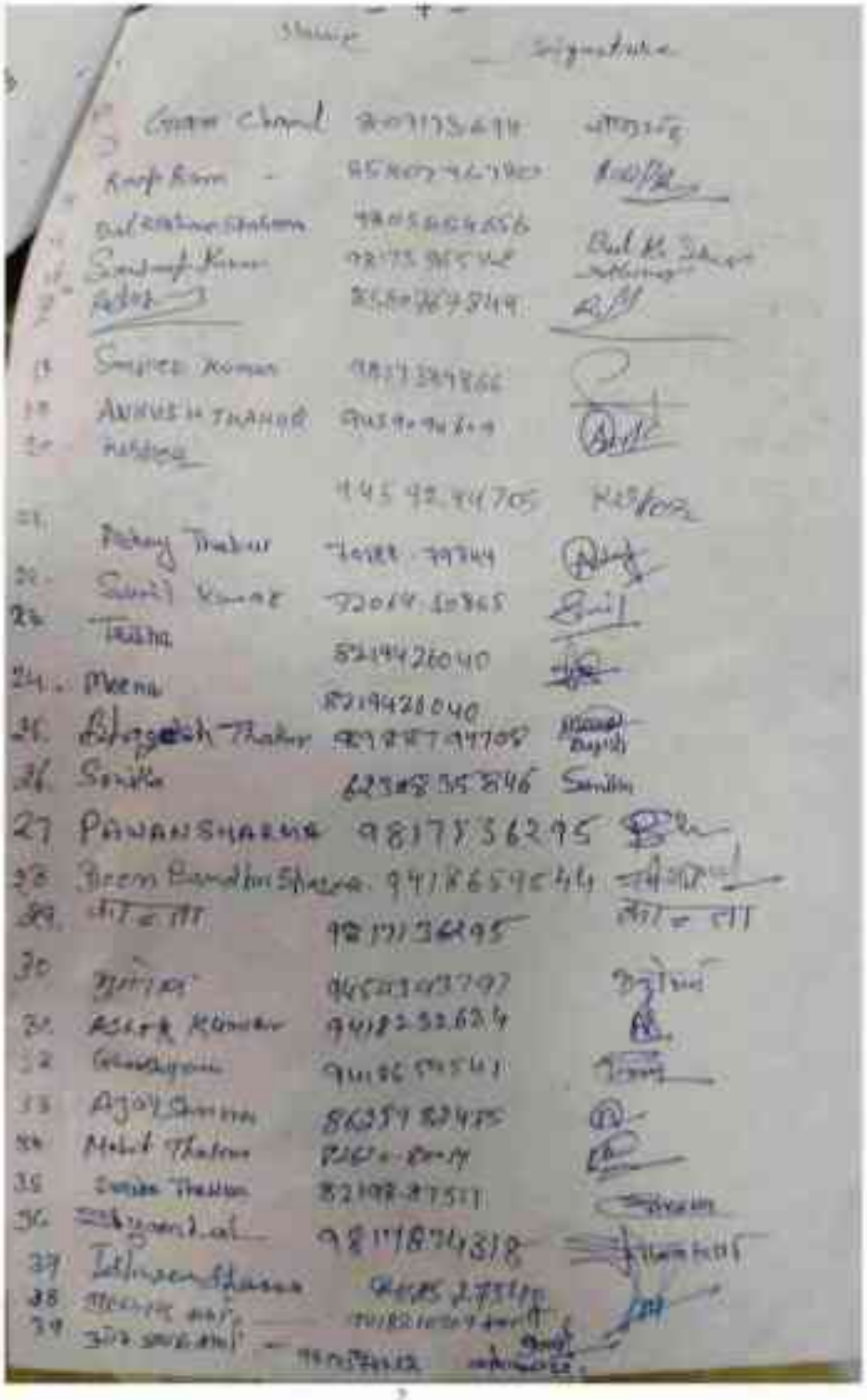
15. That the acquisition disregards judicial principles laid down by the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts emphasizing environmental protection, disaster prevention, and protection of community rights. The proposed acquisition is arbitrary, unreasonable, and

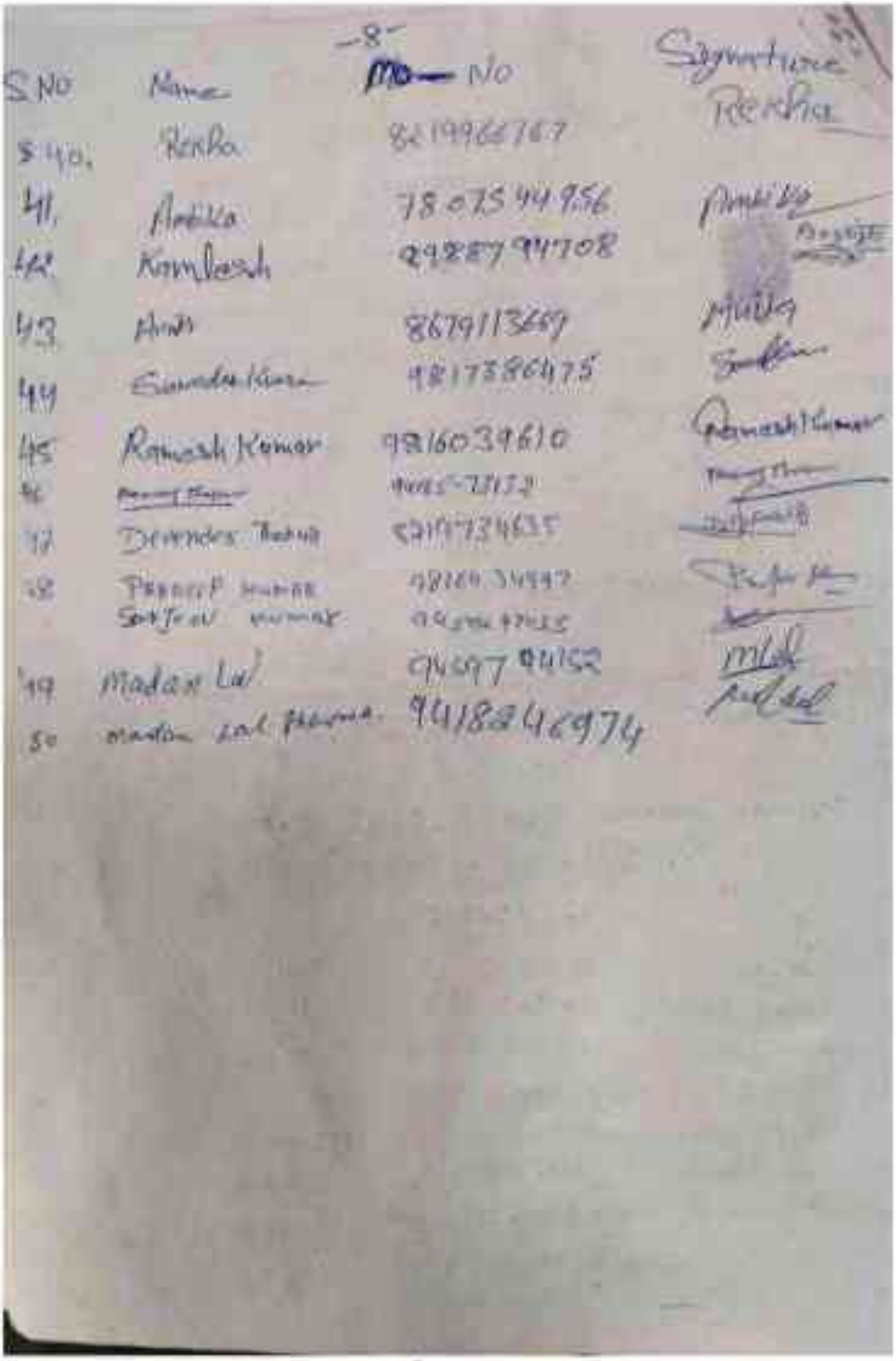
violative of Articles 14, 21, and 300-A of the Constitution of India.

16. That the land acts as a natural buffer against floods, landslides, and other natural calamities. Its acquisition and alteration will increase disaster risks, endangering lives and property of villagers and nearby areas.

Affected Villagers / Landowners

Serial No.	Name	Signature
1)	Ram Kallan Thakur 70051-76669	
2)	Gian Chand 94182-95322	
3)	Ram Saroop 94189 86458	
4)	Ram Lal 98179 74766	
5)	Ram Parkash 94186 86674	
6)	Sohan Lal 78141 77187	
7)	Kanshi Ram 98160 31936	
8)	Gurdial Singh - 80195-99197	
9)	Prakash Chand 82194 49202	
10)	[illegible] Kanshi 94597 43851	
11)	[illegible] 94180 16779	
12)	[illegible] 98172 90339	





S No	Name	Mo No	Signature
			Reetika
S.No.	Reetika	8219966767	
41.	Anita	7807594956	
42.	Kamlesh	9285794708	
43	Hindi	8679113669	
44	Surender Kumar	9817386475	
45	Ramesh Kumar	9216039610	Ramesh Kumar
46			
47	Devender	8319734635	
48	Pradeep Kumar Sanjeev Kumar	98169 34997	
49	Madan Lal	94597 98152	
50	Madan Lal Sharma	9418246974	

आपत्ति 15

OBJECTIONS ON BEHALF OF VILLAGERS OF MOHAL/ VILLAGE SHILLI BAGI AGAINST PROPOSED LAND ACQUISITION FOR DEVELOPMENT OF NEW TOWN AT JATHIA DEVI

To

The Sub-Divisional Magistrate,

Shimla Rural, District Shimla,

Himachal Pradesh.

Subject: Objections under the Land Acquisition proceedings regarding acquisition of land of village/ Mohal Shilli Bagi for development of a new town at Jathia Devi

Respected Sir,

We, the undersigned villagers, residents and affected persons of the villages/ Mohal Shilli Bagi, most respectfully submit the following objections against the proposed acquisition of land for the "Modern Township Project" by Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA), pursuant to the public notice issued for Social Impact Assessment (SIA) and public hearing.

1. That the proposed acquisition will severely affect the livelihood of villagers of villages/ Mohal Shilli Bagi who are primarily dependent upon the said land for agriculture, grazing, and allied activities. Acquisition of this land will deprive them of their only and sustainable source of income, contrary to the spirit of the RFCTLARR Act, 2013, which mandates protection of livelihood and socio-economic security of affected families.
2. That the land proposed to be acquired contains trees, forest cover, and green areas. Acquisition will result in large-scale deforestation, leading to ecological imbalance, soil erosion, and adverse climate impact, which is against environmental protection principles and sustainable development norms.
3. That the land is traditionally used by villagers for grazing, fuel, fodder, and other customary purposes. Acquisition without recognition and settlement of customary and community rights under the Forest Rights Act, is illegal

and unconstitutional. The project will directly restrict access to natural resources.

4. That the proposed project will lead to forced urbanization of a purely rural/agricultural area, disturbing the rural character, social fabric, and traditional way of life of villagers. No justification or necessity has been shown for converting fertile rural land into non-agricultural use.
5. That the project will cause pollution of air, water, and soil, besides increasing noise levels. There is no detailed Environmental Impact Assessment addressing deforestation, pollution, and long-term environmental consequences, rendering the acquisition arbitrary and unsustainable.
6. That the land acts as a natural buffer against floods, landslides, and other natural calamities. Its acquisition and alteration will increase disaster risks, endangering lives and property of villagers and nearby areas.
7. That the land proposed for acquisition in villages/ Mohal Shilli Bagi includes fertile agricultural land, orchards, grazing land, and homestead land, which are the sole source of livelihood for the villagers. Acquisition of such land will irreversibly destroy agriculture-based livelihoods, horticulture activities, cattle rearing, and allied occupations, pushing villagers into economic distress.
8. That in villages/ Mohal Shilli Bagi many affected persons are small and marginal farmers, landless laborers, and families residing on or dependent upon the proposed land. Acquisition will result in displacement, loss of shelter, social disintegration, and violation of the Right to Life and Livelihood under Article 21 of the Constitution of India.
9. That the Social Impact Assessment, as proposed, does not appear to have adequately assessed:
 a. The number of affected families and their dependency on land,
 b. Impact on women, elderly, children, and vulnerable sections;
 c. Loss of common property resources such as paths, water sources, grazing lands, and forests;
 d. Long-term environmental and ecological impact, without a transparent, participatory, and comprehensive SIA, the acquisition process is legally unsustainable.
10. That mandatory consultation and consent of the Gram Sabha have not been properly obtained. No valid resolutions reflecting informed consent of the

Gram Sabhas have been passed. This is a clear violation of the provisions of the Act and principles of democratic decentralization.

11. That the proposed area is ecologically fragile, hilly, and prone to landslides. Large-scale construction will disturb the natural drainage, forest cover, water resources, and ecological balance, posing serious risks to life, property, and environment.
12. That the proposed acquisition has been initiated without effective consultation with the Gram Panchayats and affected villagers. The decision has been taken in a top-down manner, ignoring the views, consent and participation of the local inhabitants whose livelihood and existence are directly affected.
13. That adequate opportunities has not been given to the villagers to understand the full scope, impact, extent and consequences of the proposed acquisition. Mere fixing of a public hearing does not fulfill the requirement of meaningful hearing unless all relevant documents, plans and details are supplied in advance to the affected villagers.
14. That the land proposed to be acquired is primarily agricultural, residential and livelihood-generating land. The villagers of Mohal Shilli Bagi are dependent upon the said land for farming, cattle rearing and allied activities. Acquisition will result in loss of livelihood, economic hardship and forced displacement of families who have been residing there for generations.
15. That the villages have a distinct social, cultural and traditional setup. Acquisition will disrupt community life, social bonds, temples, paths, grazing lands and common utilities, which cannot be compensated monetarily.
16. That as per this act the proposed acquisition of large tracts of fertile agricultural and residential Gauring land for a new town, despite availability of alternative non-agricultural and other land situated other nearby places of city Shimla hence the authority concern has fails the test of least displacement and is therefore arbitrary and excessive.
17. That vide this objection the villagers also like to draw the kind attention of the authority that the villagers of Mohal/ Village Shilli Bagi are in the possession of the land comprised in Khewat No 96 Now khewat No 108 & 109 , Khathani No 164 to 175, total Kitta 70, Measuring 41-64-23 Hectare Situated at Village Shilly Bagi, Mohal - Shilly Bagi, Patwar Circle – Rangar Kesuthal, Tehsil and District Shimla and were using the same for daily needs.

18. That the above said land has been transferred vide Mutation No 482 dated 29.04.1976 in favour of State of Himachal Pradesh without any intimation and in the month of October,1986 the State of Himachal Pradesh had transferred the land of Measuring 312 Bighas 18 Biswas in favour of the Industries Department of Himachal Pradesh through Mutation No. 550 dated 25.10.1986, without the consent or intimation of the applicants. Therefore the villagers has challenged the same before the Ld. Civil Judge Shimla by filling civil suit no 98/1 of 1987 and the same was partly decree on **31.10.1991 by Ld Sub Judge 1st Class (1) Shimla, H.P. and the Ld. Court has restrained the Goverament of Himachal Pradesh from interfering with the customary easmentary rights of the villagers in future.** Hence in case the Govt. transfer or interfere in the rights of the villagers upon the said land the contempt of Court order attract against the said transfer.

19. That as on today the Villagers remained in possession and were using/enjoying the peaceful possession of the aforesaid land but in the revenue record the entries were changed by the H.P Govt. Without the consent/ information of the applicants nor they were provided with any opportunity of being heard. It is pertinent to mention here that physical possession of the aforesaid land remains with the Villagers Only.

20. That after passing of the H.P Village Common Lands Vesting and Utilization Act (Amendment) Act, 2001 and other subsequent clarification the entire village land vested in the State of H.P by the Act of 1974 required to be returned to the original owners who have the physical possession since time immemorial. Thus, the vestment of the land of the villagers in the State of Himachal Pradesh stands invalidated by the Amended Act of 2001 and the State Government is duty bound to implement the provisions of the said Act of 2001 by Returning or Restoring the ownership of lands to the owners of the concerned Villagers/applicants vested in the State of H.P under the Act of 1974.

21. That the villagers of Mohal Shilly Bagi and their predecessors in interest are owners in possession of the said land since time immemorial and the possession was passed from generation to generation. Moreover, there exist a temple of Goddess (Mata Gyalto Devi), Govt. Primary School, Shilly Bagi and some water Tanks, Canals are also situated there. It is further submitted that the rights of villagers are recorded in the Wazib-Ul-Arj at the time of settlement also. Hence the villagers are using the aforesaid

rights over the said land continuously, peacefully without any interruption since time immemorial and from generation to generation till date.

22. That to get the possession and ownership the villagers has approached The Hon'ble High Court of H.P through **Civil Writ Petition No. Filling No C.W.P 1447/2020 Dated 04.01.2020, C.W.P. No 101/2020 alongwith Stay Application and other Civil Miscellaneous Petitions bearing No. C.M.P 461/2020, C.M.P 460/2020, and C.M.P 463/2020 titled as Om Parkash and other Vs State of H.P** and the same are pending.

23. That before filing the above said reply the Government of Himachal Pradesh has attested the Mutation No. 114 dated **5.8.2020** of land bearing Khata No. 109 measuring **6-12-22** hectares of bearing Khasra No **93,95,104,754,755,789, 794** in favour of the revenue Village of Shilly Bagi, and transferred the ownership rights of the above said land to the local residents but the remaining land measuring 312 bighs 18 Biswa which is in possession of the residents of Village Shilly Bagi the State has denied to make the mutation in favour of Villagers despite the eligibility of the villagers. Hence before acquiring the said disputed land the present fact and objection as pending may kindly be taken into consideration.

24. That although notices have been issued, the objections of the villagers are being treated as a mere formality. As per the act the mandates fair hearing and reasoned consideration of objections, which requires disclosure of,-

 a. Exact land details,
 b. Project reports,
 c. Rehabilitation and Resettlement (R&R) scheme, and
 d. Environmental impact details. Therefore Non-disclosure of the above vitiates the hearing process.

25. That as per the RFCTLARR Act, 2013, acquisition of multi-crop and agricultural land is prohibited except in exceptional circumstances. The land proposed to be acquired is fertile agricultural land, supporting the livelihood of villagers, and no justification as required under the Act has been recorded and The land proposed to be acquired is fertile agricultural land, supporting the livelihood of villagers, and no justification as required under the Act has been recorded and the present land is acquired for the construction of Modern Township Project" by HIMUDA by ruin of villager's domestic life, household and everything associated with them just only to benefit and settle down the persons of means and substances.

26. That the acquisition disregards judicial principles laid down by the Hon'ble Supreme Court and Hon'ble High Courts emphasizing environmental

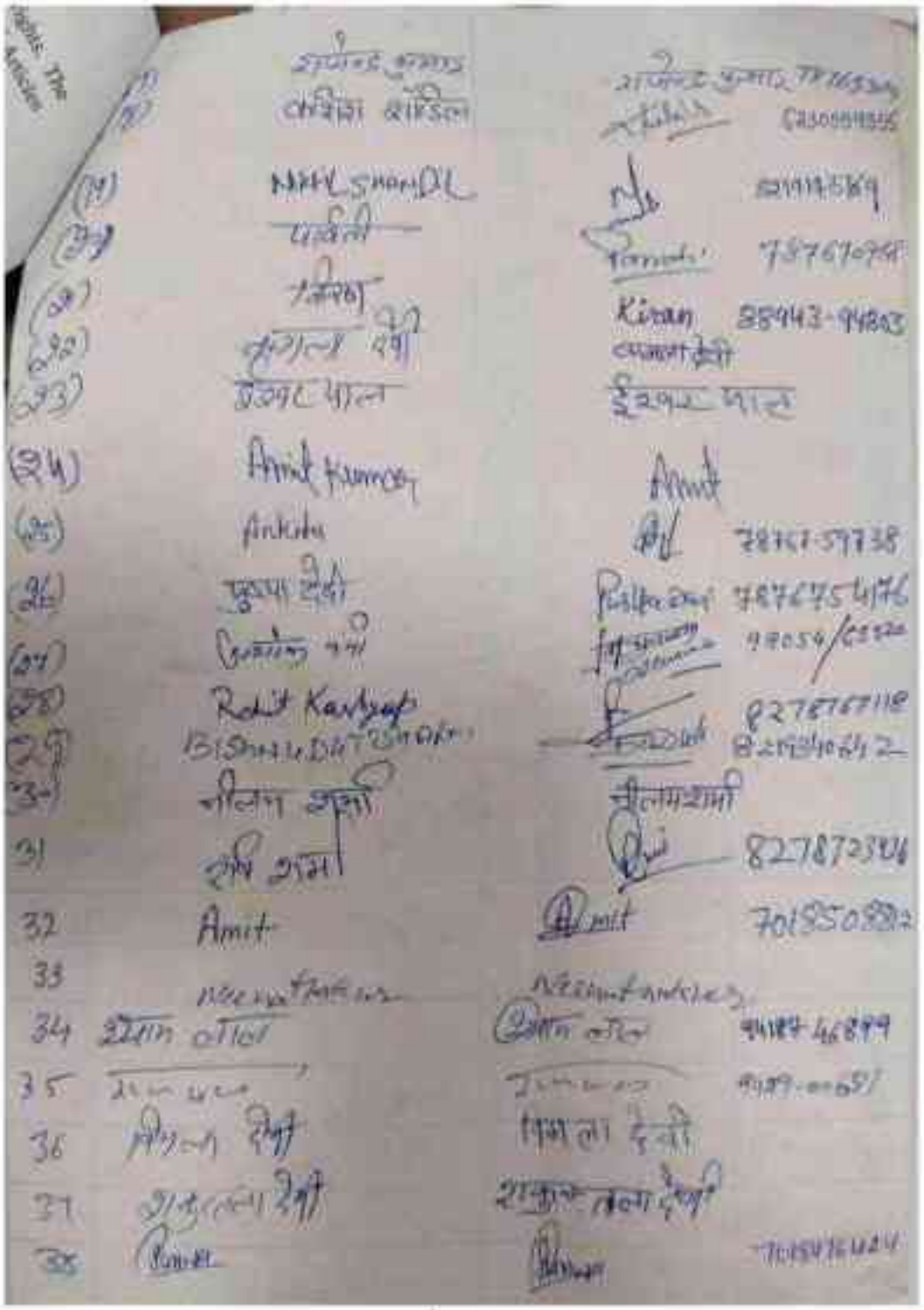
protection, disaster prevention, and protection of community rights. The proposed acquisition is arbitrary, unreasonable, and violative of Articles 14, 21, and 300-A of the Constitution of India.

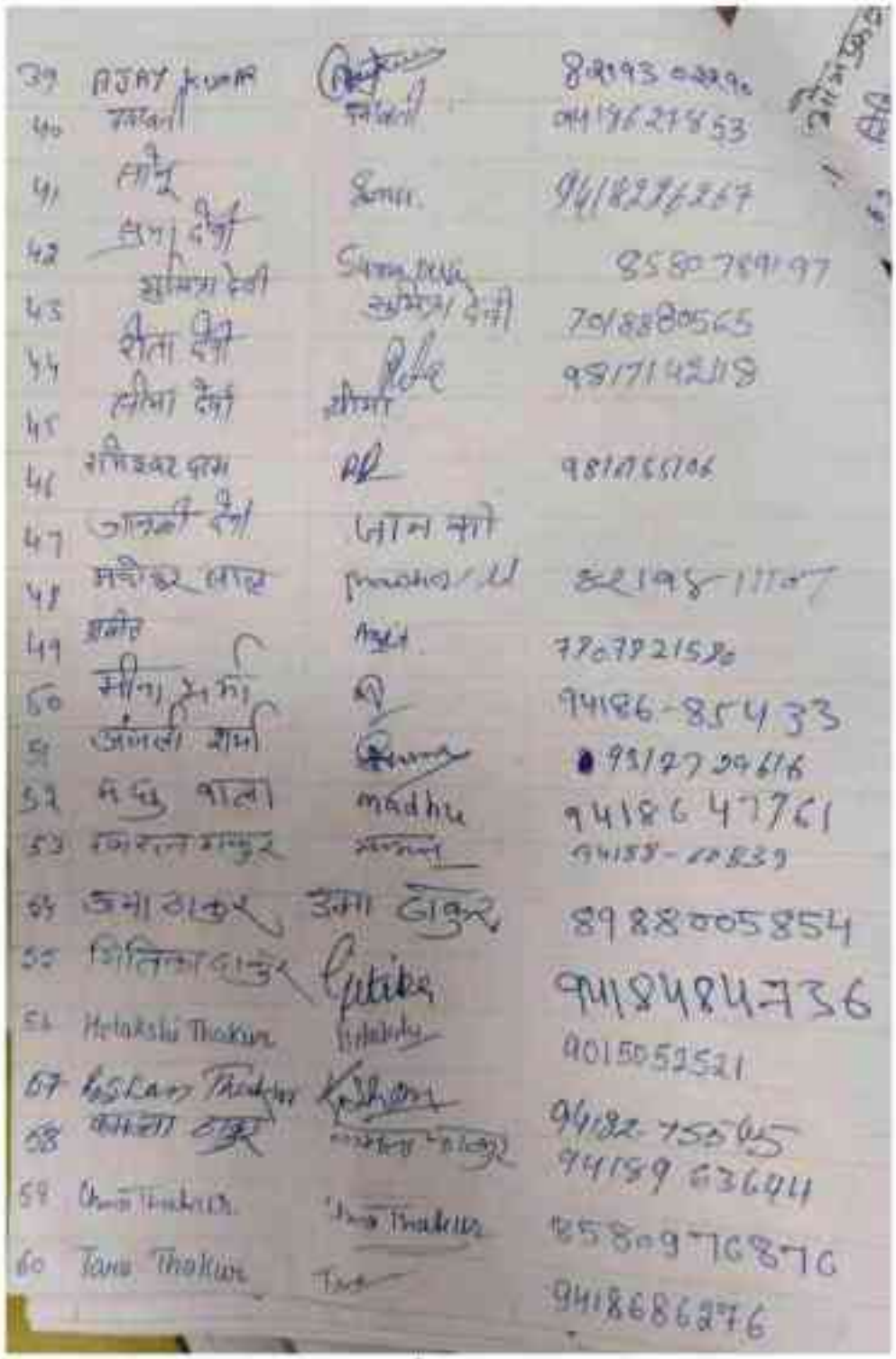
In view of the above objections, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Authority may be pleased to:-

Kindly drop or stay the proposed land acquisition proceedings for the new town at Jubbu Devi in the interest of the villagers and further refrain from taking any coercive action or possession till full statutory compliance.

Affected Villagers / Landowners

Serial No.	Name	Signature
1	Dinesh Kashyap	98166-24[illegible]
(2)	Gian Thakur	80198-96670
(3)	Beer Raj	9054-34483
(4)	Sita Ram	9418135961
(5)	Kamlesh Devi	9911902040
(6)	Lachhu	[illegible]
(7)	[illegible]	9212567941
(8)	[illegible]	57/6/86591
(9)	Beli Ram	Beli Ram 7018792595
(10)	Leela Devi	98050-55660
(11)	Lekh Ram	9816616276
(12)	Bicha Ram	8788307664
13	[illegible]	78761-86430
14	[illegible]	[illegible]
15	KAVITA DEVI	[illegible]
16	Jaikishan	[illegible]

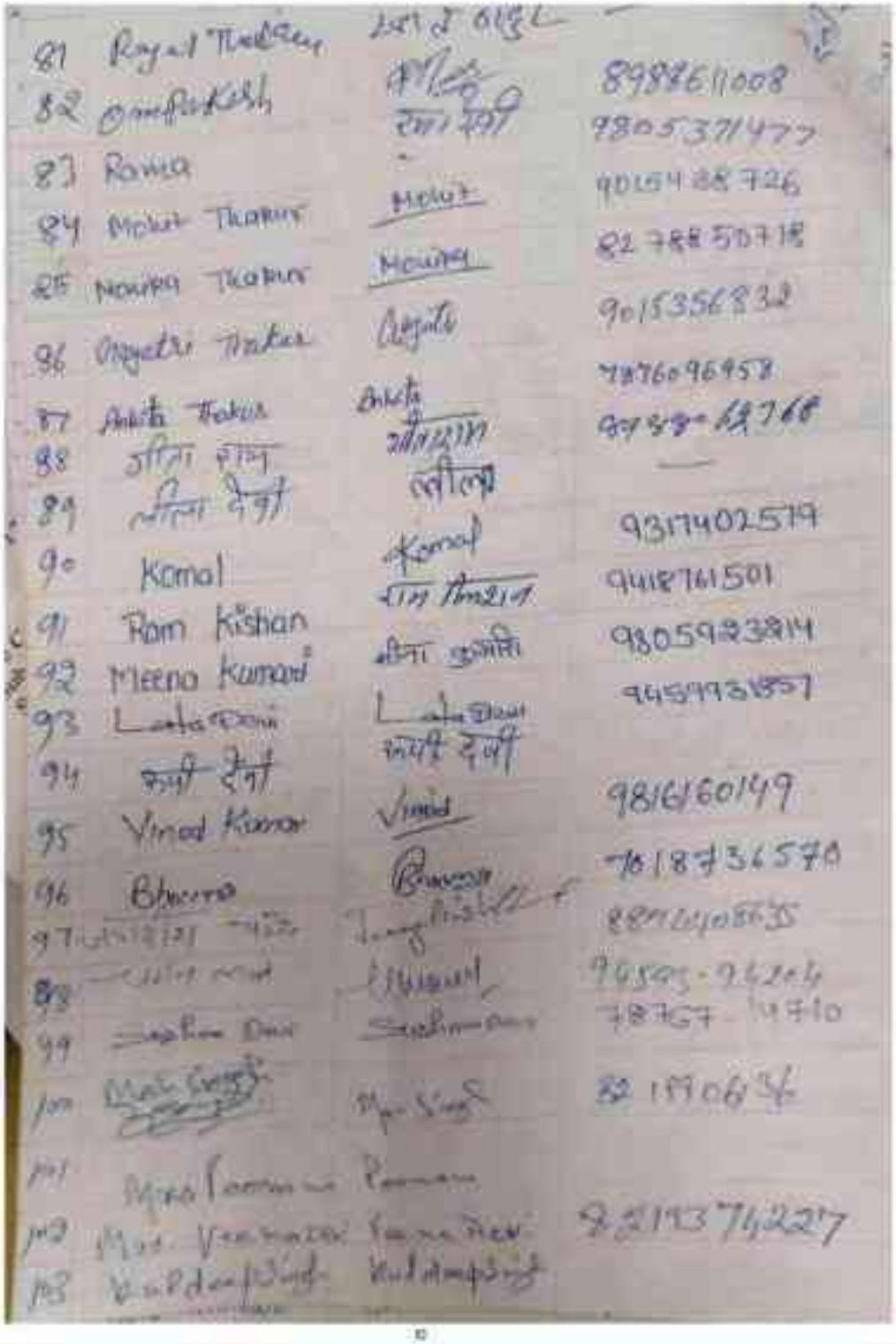




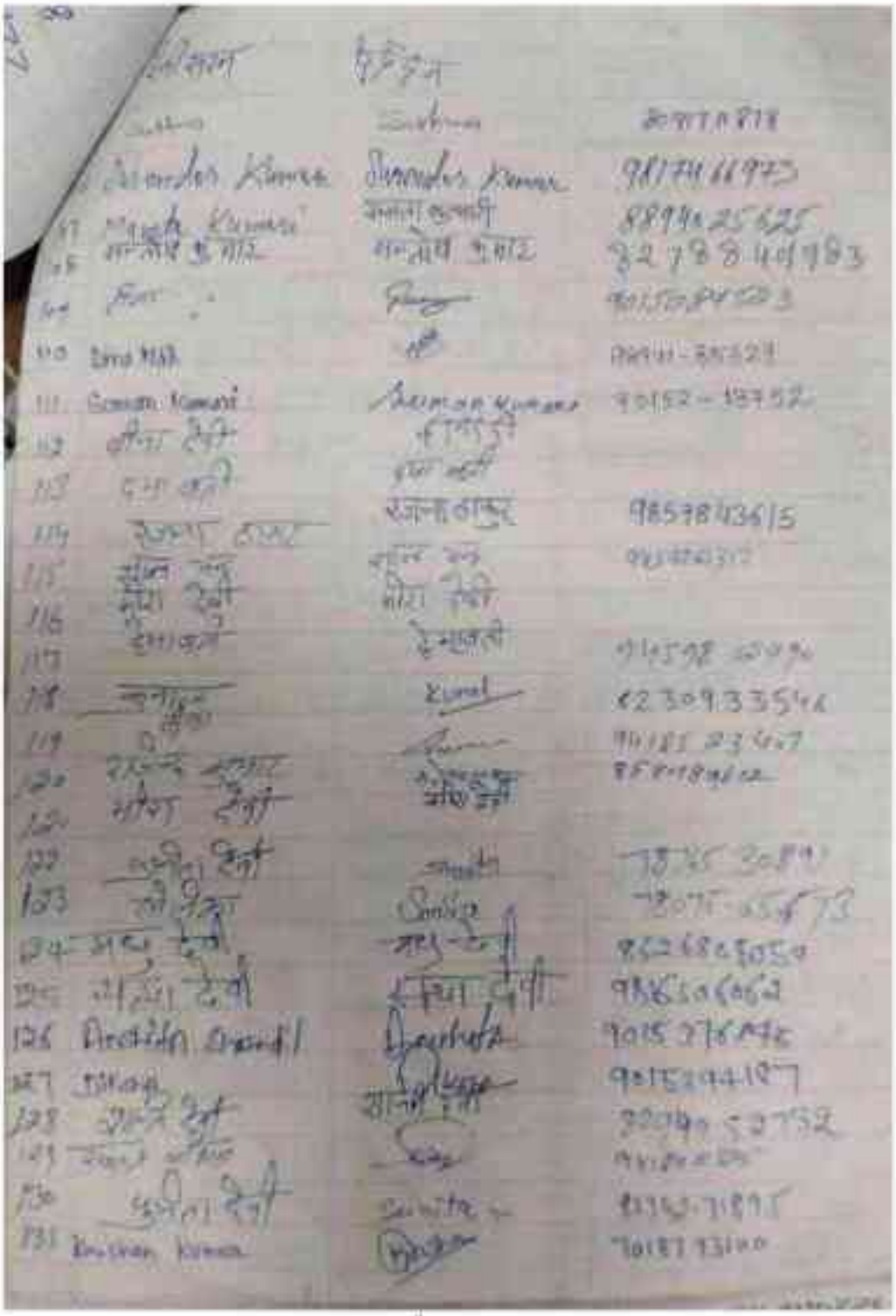
39	AJAY kumar		8219300
40			9418627853
41			9418276267
42			8580789197
43			7018880565
44			9817142319
45			
46			9816665106
47			
48			8219811107
49			7807921526
50			94186-85433
51			9312739618
52		madhu	9418647761
53			94183-10839
54			8988005854
55			9418484736
56	Hetakshi Thakur		9015052521
57			
58			9418275565 94189 63644
59			8580976870
60			9418686276



			82494 49202
			9816 5 83896
63	Jagdish Thakur	Jthakur	98172-90842
64			9019052179
65			98574-99522
66	Rishi Thakur		9153-00780
67	Archal Verma		88044-98491
68	Sakshi Thakur	Sthakur	2500-17833
69	Radha Devi		8790-28717.
70	Rajender Thakur		98329-83954
71	Vinod thakur	Vinod	7876010897
72			9459504755
73	Madan Gopal	Madan	9418027488
74	DIKSHA MEHTA		7876758497
75	RAMESH KUMAR MEHTA		9876100769
76	PARAS MEHTA		9317628914
77	SEEMA MEHTA		9876758497
78			9857xxxx853
79			9459032570
80			



81	Rajat Thakur		8988611008
82	Omprakash		9805371477
83	Rahul		9015488726
84	Mohit Thakur	Mohit	82 788 50718
85	Mourya Thakur	Mourya	9015356832
86	Gayatri Thakur	Gayatri	9876096958
87	Ankita Thakur	Ankita	8078[illegible]7768
88	[illegible]	[illegible]	
89	[illegible]	[illegible]	9317402519
90	Komal	Komal	9418761501
91	Ram Kishan	[illegible]	9805923814
92	Meena Kumari	[illegible]	9459931857
93	Lata Rani	Lata Rani	
94	[illegible]	[illegible]	9816160149
95	Vimal Kumar	Vimal	7018736570
96	Bhuvna	Bhuvna	8811408635
97	[illegible]	[illegible]	9050[illegible]7410
98	[illegible]	[illegible]	
99	[illegible]	[illegible]	
100	[illegible]	[illegible]	82 19063[illegible]
101	[illegible]	[illegible]	
102	[illegible]	[illegible]	9213374227
103	[illegible]	[illegible]	









177	NRS		
178	Hari Krishan		9418016953
179	Bal Krishan		9417373851
180		Hawker	78573-48996
181	Ravi Thakur		7018027728
182	Inder Singh		9418276742
183	Mohan Singh		
184	Sonia		8679908782
185			9418217x27
186	Shyamlal		9817871318
187			9882641483
188			9418665047
189		Shiv Dass	Rsm-m789
190	Ram Prakash	Ram Prakash	9418645233

आपत्ति 16

सेवा में

उप-प्रवर्तन मजिस्ट्रेट,
शिमला ग्रामीण,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

विषय: ग्राम आंजी के निवासियों की ओर से HIMUDA द्वारा प्रस्तावित शिमला टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के प्रति आपत्तियाँ

महोदय,

हम, ग्राम आंजी के (हस्ताक्षरकर्ता नीचे) निवासी और भूमि धारक, जो ग्राम पंचायत बागी, विकास खंड टूटू, तहसील और जिला शिमला ग्रामीण, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, आदरपूर्वक आपके नोटिस क्रमांक S.M.L.S.D.S(25)-280-87 के सन्दर्भ में अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा प्रभावित पक्षों से HIMUDA द्वारा प्रस्तावित शिमला टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।

ये आपत्तियाँ भूमि अधिग्रहण कानून की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत की जा रही हैं और H.P. Social Impact Assessment Unit द्वारा तैयार सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के खिलाफ हैं, जिस पर वर्तमान भूमि अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने के लिए भरोसा किया गया है। ये आपत्तियाँ 29-12-2025 को ग्राम पंचायत बागी कार्यालय में निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई को ध्यान में रखकर भी प्रस्तुत की जा रही हैं, जैसा कि आपके कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है।

1. RFCTLARR अधिनियम, 2013 के तहत सिंचित बहु-फसल भूमि का अधिग्रहण निषेध

RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत कानून सिंचित बहु-फसल भूमि को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जो सामान्यतः उपजाऊ कृषि भूमि होती है और वर्ष में दो या अधिक फसलें उगाने में सक्षम होती है।

- "उप-धारा (2) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवाय, इस अधिनियम के तहत कोई भी सिंचित बहु-फसल भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी।"

ऐसी भूमि केवल असाधारण परिस्थितियों में अधिग्रहित की जा सकती है, और तब भी केवल अंतिम विकल्प के रूप में जब कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो।

ग्राम आंजी में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि में उपजाऊ कृषि भूमि शामिल है, जो कई फसलों और सिंचाई पर आधारित है, जिससे कृषि परिवारों की आजीविका और क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति बनी रहती है। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि:

a) यह भूमि परियोजना के लिए वास्तव में अंतिम विकल्प है, और वैकल्पिक कम उपजाऊ भूमि का मूल्यांकन किया गया और अनुपलब्ध पाया गया।

इसलिए, प्रस्तावित अधिग्रहण धारा 10 के तहत कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन करता है और जब तक इसे अपरिहार्य अपवाद के रूप में उचित ठहराया नहीं जाता, तब तक अधिग्रहण अमान्य और अन्यायपूर्ण है।

2. खसरा/नसब रिकॉर्ड और प्रमाण पत्रों की हानि

ग्राम आंजी में भूमि अधिग्रहण प्रभावित भूमिधारकों के खसरा/नसब रिकॉर्ड की पूरी या आंशिक हानि का कारण बनेगा। कई प्रभावित व्यक्तियों को *बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण-पत्र*, कृषि लाभ या भूमि स्वामित्व से संबंधित अन्य अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह प्रशासनिक हानि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में संबोधित नहीं की गई है और अधिग्रहण से पहले विचार की जानी चाहिए।

3. बड़े पैमाने पर भूमि हीनता और संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन

ग्राम आंजी में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण एक गंभीर और अपरिवर्तनीय स्थिति उत्पन्न करेगा, जिसमें प्रभावित भूमि धारकों में से कई, या लगभग सभी, भूमिहीन हो जाएंगे, क्योंकि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि उनका एकमात्र अधिकार है और प्रभावित परिवारों के पास कहीं और कोई वैकल्पिक भूमि नहीं है।

यह अधिग्रहण आजीविका और गरिमापूर्ण अस्तित्व के अधिकार की जड़ पर चोट करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है, और सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक निर्देशों के विपरीत है।

कोई भी अधिग्रहण जो स्थानीय निवासियों को व्यापक रूप से भूमिहीन करता है, बिना भूमि-प्रतिस्थापन या प्रभावी पुनर्वास तंत्र के, मनमाना, अन्यायपूर्ण और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानूनों की भावना के विपरीत है।

4. आपत्तियों के आधार

1. दोषपूर्ण और अधूरी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट

तैयार की गई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ग्राम आजी की वास्तविक परिस्थितियों को सही रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह रिपोर्ट प्रस्तावित अधिग्रहण के कृषि भूमि, आवासीय संरचनाओं, पारंपरिक आजीविका और प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का उचित मूल्यांकन करने में विफल रही है।

2. किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव

ग्राम आजी के अधिकांश निवासी किसान और कृषि कर्मी हैं, जो अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से होली पशुपालन और सहायक कृषि गतिविधियों पर निर्भर हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि केवल आय का स्रोत नहीं बल्कि इन परिवारों का एकमात्र जीवन निर्वाह का साधन है।

इस क्षेत्र के पारंपरिक सामुदायिक रूप से विभाजित बहुत सारी सब्जियाँ, दूध और अन्य कृषि उत्पाद प्रदान करते हैं, जिससे स्थानीय खाद्य आपूर्ति और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।

इस कृषि भूमि का अधिग्रहण न केवल किसानों की आजीविका छीन लेगा, बल्कि व्यापक खाद्य आपूर्ति शृंखला को भी बाधित करेगा। प्रभावित किसानों के पास कोई वैकल्पिक भूमि या सुनिश्चित रोजगार का साधन नहीं होने के कारण उन्हें कृषि छोड़कर अन्य कृषाय पर आश्रित श्रमिक बनना पड़ेगा, जो आर्थिक विस्थापन और सामाजिक असमानता के समान है। यह परिणाम सतत

विकास, खाद्य सुरक्षा और आजीविका और गरिमा के संवैधानिक संरक्षण के सिद्धांतों के विरोधाभास है।

5. पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा जोखिम संबंधी चिंताएँ

ग्राम ओजी एक नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित है। बड़े पैमाने पर टाउनशिप विकास से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा, जल संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, वनों की कटाई होगी और भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाएगा। ये गंभीर पर्यावरणीय चिंताएँ रिपोर्ट में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं की गई हैं।

हिमालयी क्षेत्र, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़, बादल फटना, ढाल विफलता और बाढ़ के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। हाल की आधिकारिक रिपोर्टों और आपदा मूल्यांकनों के अनुसार:

- हिमाचल प्रदेश में हाल के वर्षों में हजारों भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी स्थितियाँ आईं, जिनसे सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए और महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान और मानव क्षति हुई।
- राज्य ने हाल के वर्षों में जलवायु संबंधित आपदाओं के कारण लगभग 46,000 करोड़ रुपये के दावे और आजीविका खोई है, जो चरम मौसम और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता का बढ़ता पैटर्न दर्शाता है।
- इलाके में 17,000 से अधिक भूस्खलन-प्रवण स्थल हैं, जिनमें बस्तियों और अवसंरचना के पास भी शामिल हैं, और हाल की मानसून में भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ी हैं।
- पर्यावरण विज्ञान और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने बार-बार कहा है कि निर्माण, शहरीकरण और सड़क कार्यों के लिए वृक्षों की कटाई और पहाड़ों की खोदाई से कमजोर पर्वतीय ढलानों का संतुलन बिगड़ जाता है। जब जंगल काटे जाते हैं और ढलान बाधित होते हैं, तो मिट्टी और वनस्पति आवरण की प्राकृतिक मजबूती जो सामान्यतः ढलानों को एक साथ पकड़ती है और वर्षाजल अवशोषित करती है, काफी कमजोर हो जाती है।

प्रस्तावित शिमला टाउनशिप परियोजना के संदर्भ में, लाखों की संख्या में वृक्षों की कटाई, भूमि की सफाई, पहाड़ों की खोदाई और प्राकृतिक वनस्पति को हटाने से:

- इलाके में पहले से ही कमजोर पर्वतीय ढलानों को और अस्थिर किया जाएगा;
- प्राकृतिक अवरोध घटेंगे जो वर्षा जल के बहाव को धीमा करते हैं और भूस्खलन रोकते हैं;
- सतही कटाव और भारी वर्षा में अचानक बाढ़ का जोखिम बढ़ेगा;
- पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान होगा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मौजूदा कमजोरियों में वृद्धि होगी;
- ग्राम आंजी और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में जीवन, संपत्ति, जलस्रोत और अवसंरचना खतरे में आएगी।

ये गंभीर पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक प्रभाव सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में ठीक से मूल्यांकित या संबोधित नहीं किए गए हैं, जिससे अधिग्रहण आपदा जोखिम वृद्धि के लिए अपूर्ण साबित होता है।

6. सार्थक परामर्श की अनुपस्थिति

ग्राम आंजी के प्रभावित निवासियों से सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी के दौरान सार्थक परामर्श नहीं किया गया। प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी की कानूनी आवश्यकता का पालन अक्षर और भावना दोनों में नहीं किया गया।

7. वैकल्पिक भूमि पर विचार न होना

प्राधिकरणों ने प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के लिए वैकल्पिक भूमि, जिसमें सरकारी या कम उपजाऊ भूमि शामिल है, की उपलब्धता का मूल्यांकन नहीं किया है। उत्पादक निजी कृषि भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए जब तक कोई अन्य व्यावहार्य विकल्प उपलब्ध न हो।

8. अस्पष्ट मुआवजा, पुनर्वासऔर बसावट उपाय

प्रभावित परिवारों के मुआवजा, पुनर्वास और बसावट के लिए कोई स्पष्ट, पारदर्शी और बाध्यकारी योजना नहीं प्रकाशित की गई है। ऐसी सुरक्षा उपायों के अभाव में, प्रस्तावित अधिग्रहण पूर्व-समय और अन्यायपूर्ण है।

9. प्रक्रियागत चूकों

जब तक ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं किया जाता और ताजा, गांव-विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया जाता, वर्तमान कार्यवाही कानून के तहत आपत्तियाँ आमंत्रित करने के उद्देश्य को नष्ट कर देगी।

10. "शिमला का डी-कॉन्जेशन" के लिए अस्पष्ट और तर्कहीन औचित्य

संदेह है कि प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना का प्राथमिक औचित्य, या होगा, शिमला शहर के डी-कॉन्जेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा औचित्य अस्पष्ट, तर्कहीन और स्व-विरोधाभासी है। प्रभावित व्यक्तियों की बड़ी संख्या, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जानी है, अनिवार्य रूप से विस्थापित हो जाएगी, और वैकल्पिक भूमि या आवास न होने के कारण उन्हें शिमला शहर के भीतर ही पुनर्स्थापित होना पड़ेगा।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिमला का डी-कॉन्जेशन केवल मिथक है। इसके परिणामस्वरूप, शिमला को डी-कॉन्जेशन करने के बजाय, परियोजना शहर को और अधिक भीड़ भाड़ वाला बना देगी, जिससे लक्ष्य अधूरा रह जाएगा।

11. हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 118 का संभावित उल्लंघन और शिथिलता

यह आशंका है कि प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के तहत विकसित आवासीय इकाइयाँ, प्लॉट या फ्लैट बाद में शिमला जिला या हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्तियों को बेचे या हस्तांतरित किए जा सकते हैं। ऐसा कदम सीधे या प्रभावी रूप से हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की

धारा 118 के तहत स्थानीय निवासियों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन या कमजोर कर देगा।

ऐसे हस्तांतरण की अनुमति न केवल शिमला का डी-कॉन्जेशन करने के उद्देश्य को नकारेगी बल्कि बाहरी लोगों के आगमन को भी बढ़ावा देगी, जिससे जनसंख्या दबाव, अवसंरचना भार और पारिस्थितिक तनाव बढ़ेगा।

12. धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रभाव

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण ग्राम आंजी के निवासियों के लिए गंभीर धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रभाव डालेगा। हिमाचल प्रदेश पारंपरिक रूप से "देवताओं की भूमि" के रूप में जाना जाता है, और ग्रामीण समुदायों का सामाजिक जीवन स्थानीय देवताओं, पवित्र वन और धार्मिक महत्व के पारंपरिक स्थलों की पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ है।

अधिग्रहित की जाने वाली भूमि में मंदिर, धार्मिक स्थल और स्थानीय देवताओं की पूजा के पारंपरिक स्थल और मरघट स्थल मौजूद हैं, जिन्हें ग्रामीण गहरे सम्मान के साथ मानते हैं। अधिग्रहण और विकास गतिविधियाँ ऐसे धार्मिक स्थलों को नुकसान, विस्थापन या विनाश पहुंचा सकती हैं, जिससे ग्रामीणों के धर्म और रीति-रिवाजों को स्वतंत्र रूप से पालन करने और संरक्षित करने का अधिकार प्रभावित होगा।

इन पवित्र स्थलों और संबंधित धार्मिक प्रथाओं का विघटन समुदाय को अपरिवर्तनीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षति पहुंचाएगा और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे प्रभावों की पहचान या मूल्यांकन सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में सही रूप से नहीं किया गया है, जिससे रिपोर्ट अधूरी और दोषपूर्ण है।

13. प्राकृतिक जलस्रोतों और पेयजल तक पहुँच पर प्रभाव

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण प्राकृतिक जल स्रोतों, जिनमें चश्मा (प्राकृतिक झरने) और अन्य पारंपरिक जल स्रोत शामिल हैं, को प्रभावित करेगा। ये स्रोत निवासियों को साफ, ताजे और मुफ्त पेयजल प्रदान करते हैं और घरेलू उपयोग, कृषि और पशुपालन के लिए आवश्यक हैं।

अधिग्रहण और इसके बाद टाउनशिप विकास निर्माण गतिविधियों, प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न में परिवर्तन और भूजल निकासी में वृद्धि के कारण इन जल स्रोतों को नुकसान, विचलन, क्षय या पूरी तरह खोने का कारण बन सकता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण अपनी पारंपरिक और भरोसेमंद जल स्रोतों से वंचित हो जाएंगे और उन्हें अनिश्चित और अपर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर निर्भर होना पड़ेगा।

सुरक्षित पेयजल तक पहुँच अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ने ग्रामीणों की इन जल स्रोतों पर निर्भरता और प्रस्तावित परियोजना के जल उपलब्धता पर दीर्घकालिक प्रभाव का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। ऐसे मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों के अभाव में, प्रस्तावित अधिग्रहण अस्थायी और सार्वजनिक हित के खिलाफ है।

14. चरांद / असंविभाजित वन भूमि पर पारंपरिक अधिकार

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का एक हिस्सा चरांद या demarcated forest है। जबकि सरकार इस भूमि को राज्य-स्वामित्व वाली वन या सरकारी भूमि मान सकती है, वास्तविकता में स्थानीय निवासी इस भूमि पर पारंपरिक अधिकार का प्रयोग करते हैं:

- घरेलू पशुओं (गाय, बकरियाँ, भेड़) का चराना(Grazing)
- लघु वन उत्पाद (ईंधन, चारा, औषधीय पौधे) एकत्र करना (mining for personal use)
- व्यक्तिगत उपयोग, निर्माण या कृषि के लिए पत्थर, मिट्टी या अन्य प्राकृतिक संसाधन निकालना

ये अधिकार पारंपरिक, दीर्घकालिक और आजीविका के लिए आवश्यक हैं। बिना मान्यता या के अधिग्रहण प्राकृतिक न्याय, पारंपरिक कानून और कानूनी सुरक्षा का उल्लंघन करता है।

प्रार्थना

उपरोक्त तथ्यों और आधारों के दृष्टिगत, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि:

a) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कार्यवाही, जहां तक ग्राम आंजी से संबंधित है, रद्द की जाए।

b) पर्यावरण और आजीविका पर प्रभावों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए।

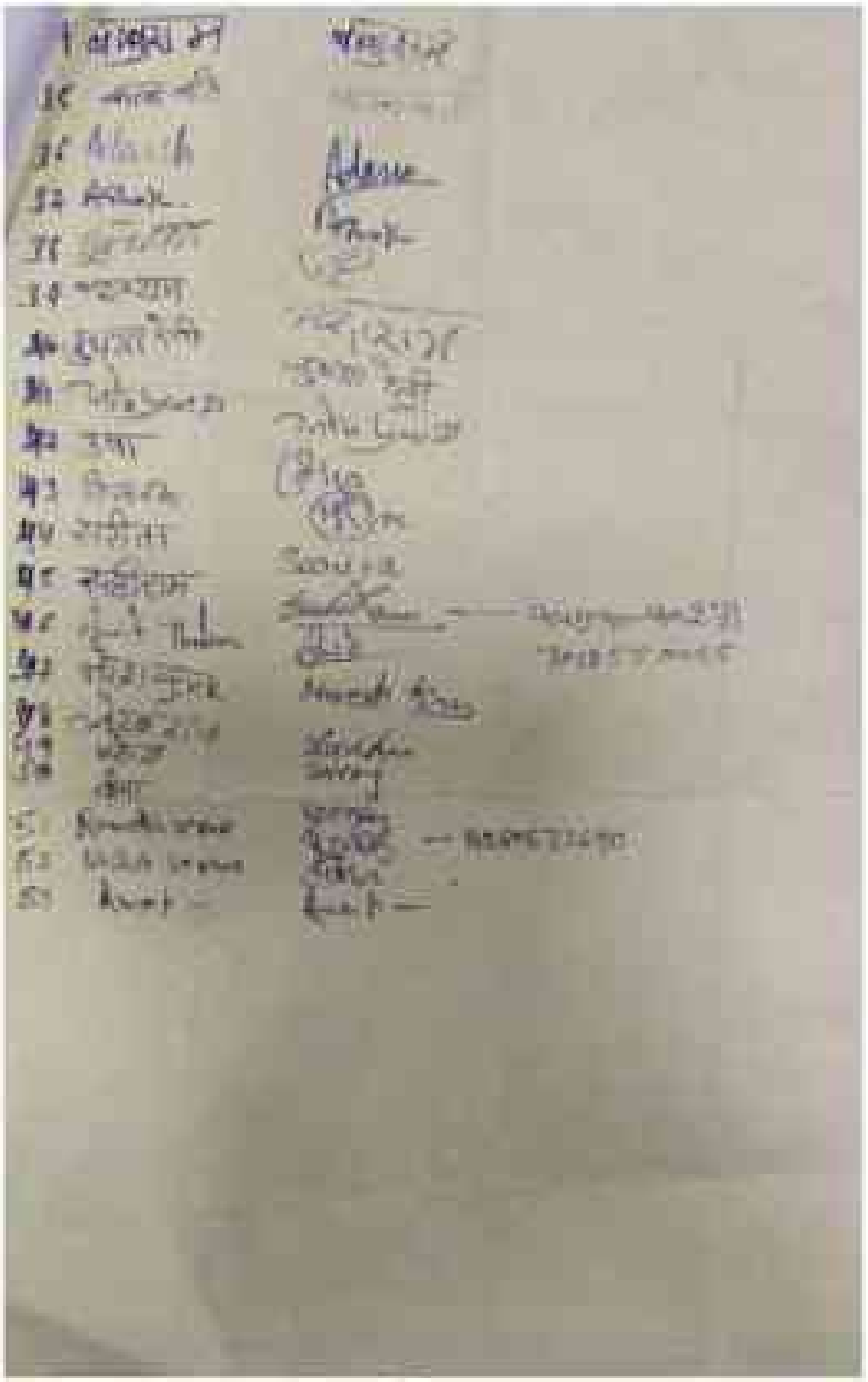
c) ग्राम आंजी निवासियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को 29-12-2025 को निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई में उचित रूप से विचार किया जाए, इसके बाद तर्क संगत और लिखित आदेश जारी किया जाए।

हम सुनवाई के समय अतिरिक्त आपत्तियाँ और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

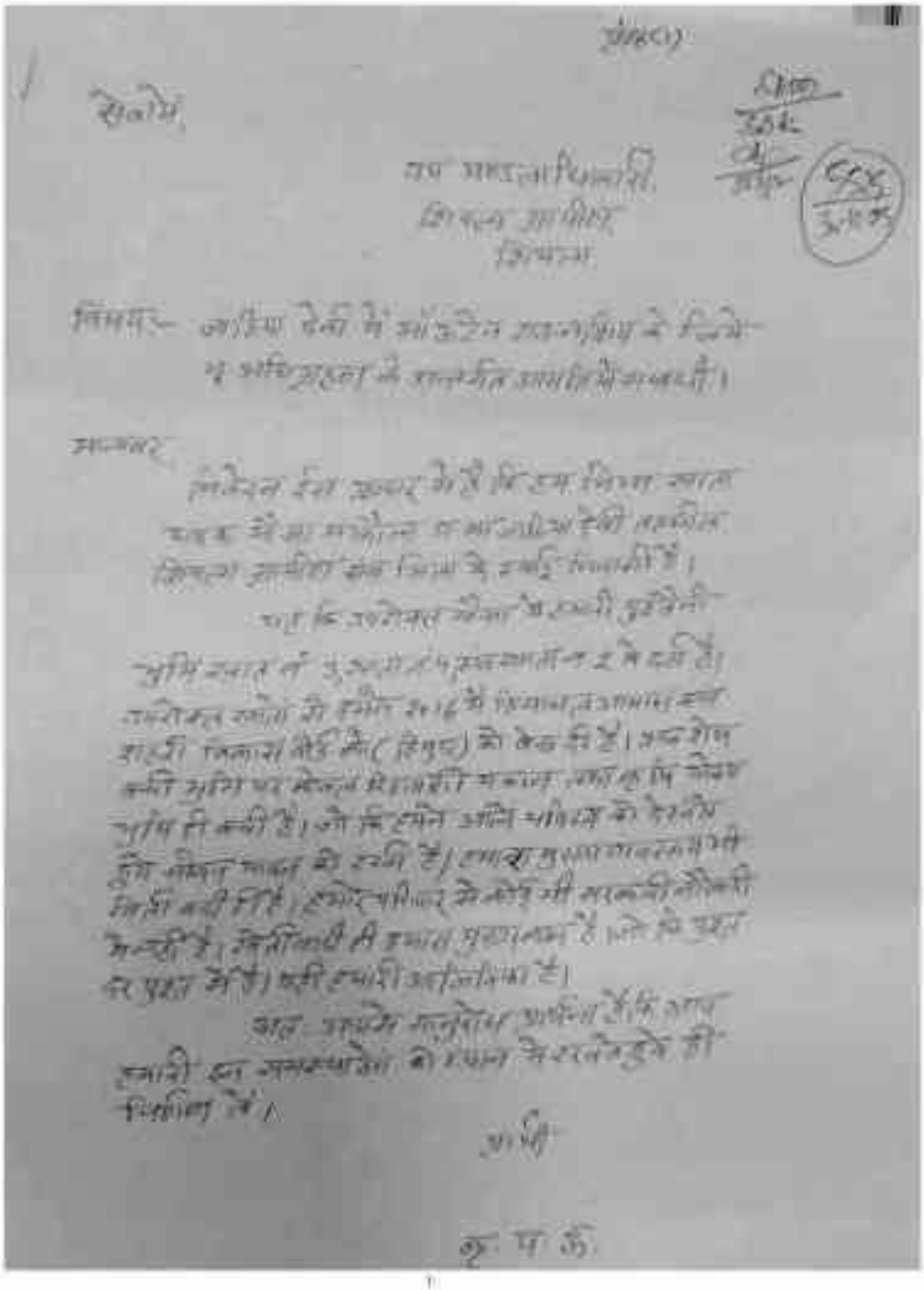
भवदीय,

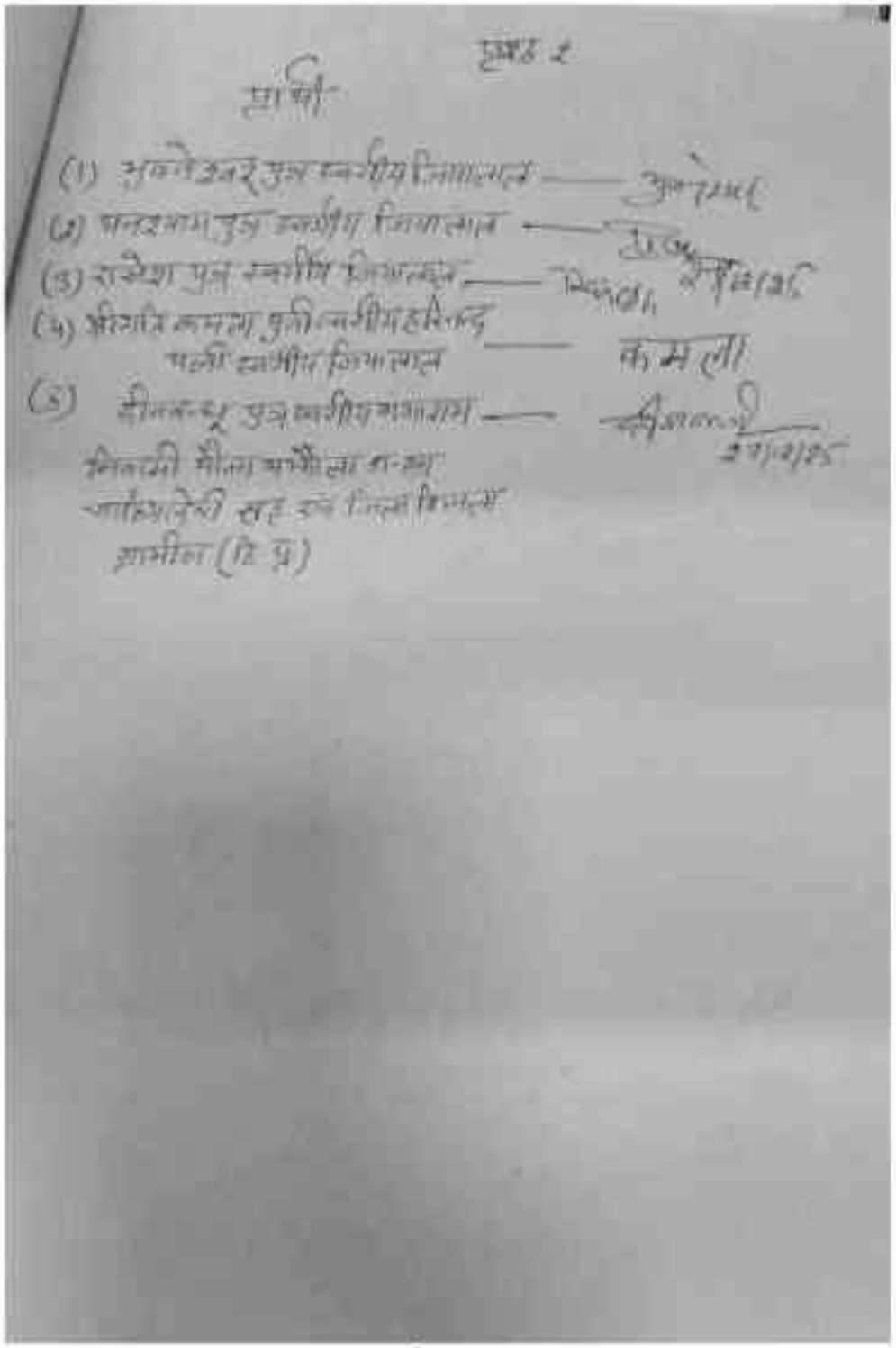
ग्राम आंजी निवासी और प्रभावित भूमि धारक

ग्राम पंचायत बागी



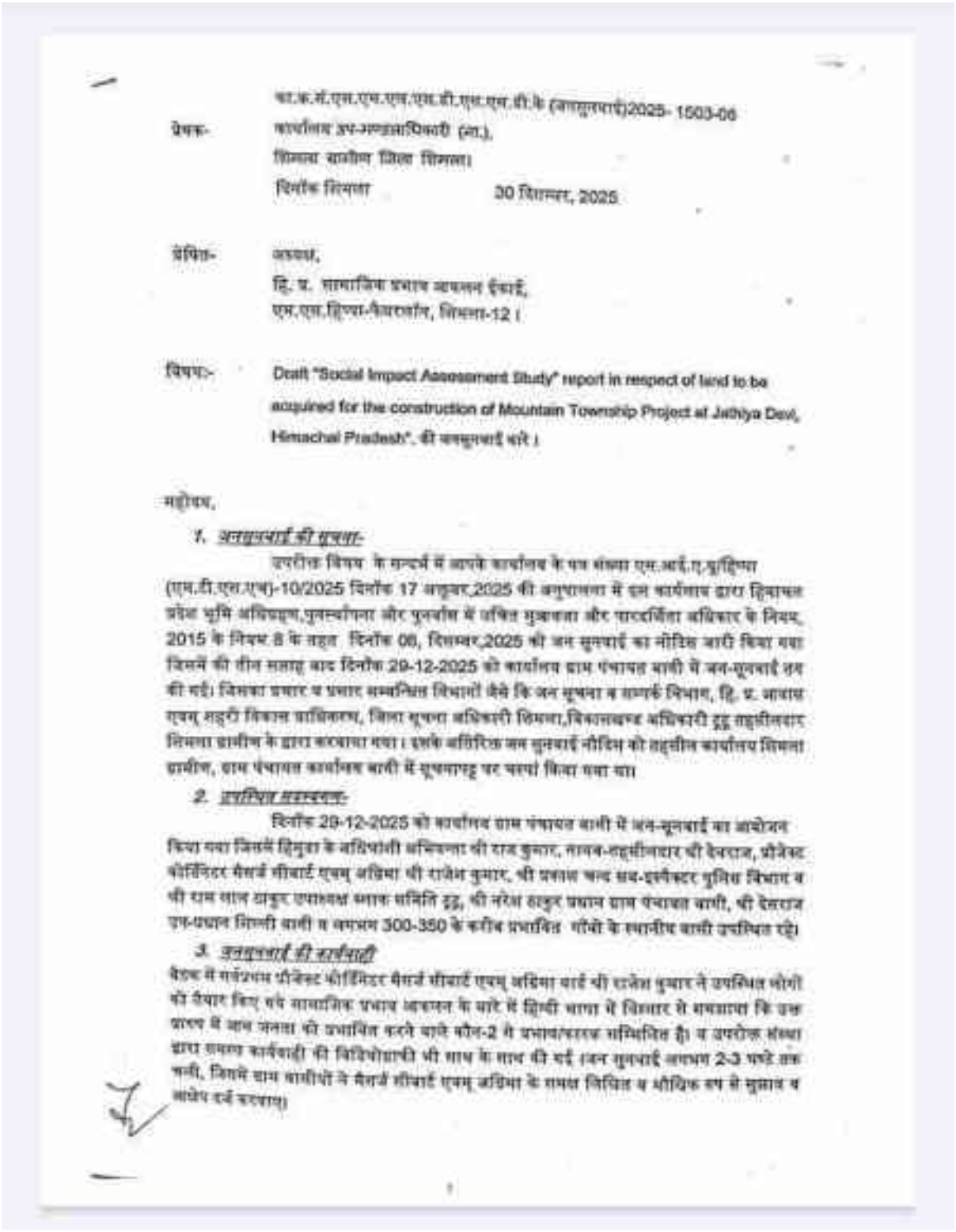
आपत्ति 17





परिशिष्ट-5

शिमला ग्रामीण के एसडीएम द्वारा कार्यवाही



क.क.सं.एस.एच.एल.एस.डी.एस.एम.वी.के (जनसुनवाई)2025- 1503-06

प्रेषक- कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.),
शिमला ग्रामीण जिला शिमला।

दिनांक शिमला 30 दिसम्बर, 2025

प्रेषित- अध्यक्ष,
हि. प्र. सामाजिक प्रभाव आकलन ईकाई,
एम.एस.हिप्पा-कैथरकांग, शिमला-12।

विषय:- Draft "Social Impact Assessment Study" report in respect of land to be acquired for the construction of Mountain Township Project at Jathiya Devi, Himachal Pradesh". की जनसुनवाई बारे।

महोदय,

1. *जनसुनवाई की सूचना-*

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपके कार्यालय के पत्र संख्या एस.आई.ए.सुविहिप्पा (एम.टी.एस.एच)-10/2025 दिनांक 17 अक्तूबर,2025 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण,पुनर्स्थापना और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार के नियम, 2015 के नियम 8 के तहत दिनांक 08, दिसम्बर,2025 को जन सुनवाई का नोटिस जारी किया गया जिसमें की तीन सप्ताह बाद दिनांक 29-12-2025 को कार्यालय ग्राम पंचायत बागी में जन-सुनवाई तय की गई। जिसका प्रचार व प्रसार सम्बन्धित विभागों जैसे कि जन सूचना व सम्पर्क विभाग, हि. प्र. आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण, जिला सूचना अधिकारी शिमला,विकासखण्ड अधिकारी टूटू तहसीलदार शिमला ग्रामीण के द्वारा करवाया गया। इसके अतिरिक्त जन सुनवाई नोटिस को तहसील कार्यालय शिमला ग्रामीण, ग्राम पंचायत कार्यालय बागी में सूचनापट्ट पर चस्पां किया गया था।

2. *उपस्थिति सत्यापन-*

दिनांक 29-12-2025 को कार्यालय ग्राम पंचायत बागी में जन-सुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें हिमुडा के अधिशाषी अभियन्ता श्री राज कुमार, नायब-तहसीलदार श्री देसराज, प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर मैसर्ज सीबार्ट एवम् अदिमा श्री राजेश कुमार, श्री प्रकाश चन्द सब-इन्सपैक्टर पुलिस विभाग व श्री राम लाल ठाकुर एसोसियेशन अध्यक्ष समिति टूटू, श्री नरेश ठाकुर प्रधान ग्राम पंचायत बागी, श्री देसराज उप-प्रधान सिल्ली बागी व लगभग 300-350 के करीब प्रभावित गाँवों के स्थानीय वासी उपस्थित रहे।

3. *जनसुनवाई की कार्यवाही*

बैठक में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर मैसर्ज सीबार्ट एवम् अदिमा श्री राजेश कुमार ने उपस्थित लोगों को तैयार किए गये सामाजिक प्रभाव आकलन के बारे में हिन्दी भाषा में विस्तार से बतलाया कि उक्त प्रारुप में जान जनता को प्रभावित करने वाले कौल-2 से प्रभावशीलता सम्मिलित है। व उपरोक्त संस्था द्वारा समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी भी साथ के साथ की गई। जन सुनवाई लगभग 2-3 घण्टे तक चली, जिसमें ग्राम वासीयों ने मैसर्ज सीबार्ट एवम् अदिमा के समक्ष लिखित व औपचिक रुप से सुझाव व आक्षेप दर्ज करवाए।

मुख्य सुझाव व आक्षेप

बैठक के दौरान उपस्थित जन समूह ने निम्नलिखित सुझाव व आक्षेप मौखिक व लिखित रूप से पेश किए,जिन्हे वैसवर्ड सीवाई एवम् अग्रिमा द्वारा तैयार किए गये सामाजिक प्रभाव आकलन ड्राफ्ट में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गये।

(1) प्रस्तावित भूमि में निवास करने वाले व्यक्ति अधिकतर कृषि का व्यवसाय करते है जिनकी आजीविका मुख्यतः कृषि व दुग्ध उत्पादन पर निर्भर है, यहाँ प्रति परिवार लगभग 90 से 100 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त सब्जी फसलों जैसे कि टमाटर, अदरक व हरी सब्जियों की (4 से 5 फिक्वप गाड़ीयाँ) शिमला सब्जी मण्डी को भेजी जाती है। अतः ग्राम वासीयों के अनुसार व्यवसाय से सम्बन्धित प्रभाव को सामाजिक प्रभाव आकलन ड्राफ्ट में सही तरह से शामिल नहीं किया गया है।

(2) सामाजिक प्रभाव आकलन ड्राफ्ट में सम्मिलित अधिकांश सरकारी भूमि में स्थानीय वासियों के आजीवन व चकौता के सहत अधिकार है व मालिकाना अधिकार प्राप्त करने की संभावनाओं के मद्देनजर इस बिन्दु को भी ड्राफ्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

(3) यहाँ के लोगों की देव समाज में अथाह आस्था है तथा लगभग सभी निर्णय इनके द्वारा ही लिए जाते है। अतः भूमि के अधिग्रहण में देवता की अनुमति अनिवार्य है। जबकि देवता गायब्लिंग है। अतः देवता की भूमि का अधिग्रहण किस प्रकार होगा यह भी ड्राफ्ट में शामिल नहीं है।

जन सुनवाई के दौरान ग्रामवासियों ने एकमत से भूमि-अधिग्रहण पुरजोर विरोध किया।

लिखित आक्षेपकर्ता–

इस दौरान देवता नरसिंह के मोहतमिम/पुजारियों द्वारा(अनुलग्नक-क),महाकाली पुष्प एवं सब्जी उत्पादक सहकारी विपणन सभा तुम्बड़हट्टी(अनुलग्नक-ख),देवी जाखिया कुलजा माता मन्दिर कमेटी (अनुलग्नक-ग), ग्राम वासी मजोला (अनुलग्नक-घ),स्व. श्री तुलसीराम के सह-स्वामी ग्रामवासी शिलरू/मजवारी (अनुलग्नक-ङ), देवता तुम्बा के कारदार व ग्रामवासी (अनुलग्नक-च), कृषक महान क्यारगी (अनुलग्नक-छ), प्रभावित भूमि धारक व स्थानीय वासी ग्राम खोनी (अनुलग्नक-ज), उप-प्रधान ग्राम पंचायत खोनी (अनुलग्नक-झ), श्री रामेश्वर पुत्र श्री राम चन्द निवासी ग्राम सांगलू (खोनी) (अनुलग्नक-ञ), ग्राम वासी शिलरी वासी (अनुलग्नक-ट), ग्राम वासी शिलरू (अनुलग्नक-ठ), ग्रामवासी चन्नी (अनुलग्नक-ड), कृषक व स्थाई निवासी महालखोटी (अनुलग्नक-ढ), श्री हवान सिंह आदि (ग्रामवासीचनौहर) (अनुलग्नक-ण), श्री संदीप सिंह आदि (ग्रामवासी खोनी) (अनुलग्नक-त), ग्रामवासी चानन (अनुलग्नक-थ),भुवनेश्वर आदि महान मजोला (अनुलग्नक-द), व ग्राम वासी चवरधाना महाकलवारगी (अनुलग्नक-ध), के द्वारा लिखित में आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई।(प्रतिलिपियाँ संलग्न पत्र है)।

अतः पत्र आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रस्तुत है।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ग्रा.),
शिमला ग्रामीण जिला शिमला

पृष्ठांकन संख्या: उपमंडि-
प्रतिलिपि:- सेवा में

दिनांक शिमला 30,दिसम्बर, 2025

पृष्ठांकन संख्या: कार्यालय।

प्रतिलिपि:- सेवा में

दिनांक शिमला 30 दिसम्बर, 2025

1. उपायुक्त महोदय शिमला जिला हिमाचल प्र. स. को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यकारी निदेशक हिमुडा शिमला-2 को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वैष्णवी सीकार्ट एवम् अतिरिक्त नगर निगमी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समिति द्वारा गठित आयी विकासखण्ड ठूठू कायकर जनसिंचाईती समितीय व जिला शिमला डाईंग के माध्यम से गठित आवासिकर्ताओं को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त (अ.प्र.)
शिमला कार्यालय जिला शिमला।

परिशिष्ट -6

ग्राम पंचायत बागी द्वारा भेजा गया प्रस्ताव



कार्यालय ग्राम पंचायत बागी

विकास खण्ड मशोबरा

डा० आतिया देवी, तहo व जिला शिमला (हि० प्र०)

अद्य दिनांक 10-01-2016 को ग्राम पंचायत की वार्षिक/साधारण सभा बैठक

अध्यक्ष श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

कुल उपस्थिति 21 सदस्य सही तथा निम्नकार्यवाही अमल में लाई गई। पारित प्रस्ताव संख्या 03

क्रमांक 3/06 दिनांक 10/01/2016

विषय :— हिमुडा द्वारा एजअलिग हेतु अधिकृत की जा रही भूमि के अधिग्रहण पर आपत्ति करने — ग्राम पंचायत बागी के निम्न आठ गांवों पनाल ,महोग, क्यारली,सिलिंबागी,पटी,पनोखर,आजी तथा सिंगडू की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है इस संदर्भ में आठ गांवों से ग्र स्वीकृति दी है ग्र ही ग्राम पंचायत बागी द्वारा इस प्रस्तावित अधिग्रहण करने प्रस्ताव पारित किया है। हिमुडा द्वारा जो 241बीघा जमीन खरीदी गई है यह भू -स्वामियों द्वारा अपनी स्वेच्छा एवं आपसी सहमति द्वारा खरीदी बेची गई है प्रस्तावित आठ गांवों के लोगों का जीवनयापन कृषि करके व दुग्ध उत्पादन से ही रहा है। यहे जिले लोगों की आय का साधन कृषि उत्पन व दुग्ध उत्पादन को विक्रय करना है इन सभी गांवों की भूमि उपजाऊ एवं सिंचित की जाने वाली है जो मुख्य तथा सिंचाई उद्वह सिंचाई योजना द्वारा की जाती है। वर्ष में दो से अधिक फसली फसलें तैयार की जाती है जो लोगों की आय तथा जीवनोपार्जन के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती है। प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण सरकार की प्रस्तावित परियोजनाओं जैसे सड़क, रेलवे, बिजली परियोजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा हवाई अड्डा सिंचाई योजनाएं आदि सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। इस इन आठ गांवों की भूमि अधिग्रहण के पक्ष में नहीं है भूमि अधिग्रहण 2013 की धारा 10 प्रावधान अनुसार बहु फसली भूमि को खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हतोत्साहित करता है।सीमित जनहित की परियोजनाओं के लिए प्रत्यायक्षण परिस्थितियों में ही अंतिम उपाय के रूप में अधिकृत करने की अनुमति देता है। सामाजिक प्रभाव आकलन से सम्बन्धित प्रस्तावित पक्षों से आपत्ति /स्वीकृति लेना अपेक्षित था जो नियमानुसार नहीं की गई इस अधिग्रहण से हमारे निवास स्थान ,हमारा कारोबार ,हमारी खेती ,हमारा दुग्ध उत्पादन , हमारे पारिवार स्थान , हमारे देवी देवता , प्रकृतिक जल स्रोत , हमारी सिंचाई योजनाएं व इन गांवों में मजरेमैमत भूमि पर उगे पेड़ों तथा सरकारी भूमि व कब्जाधार भूमि से जन विभाग द्वारा लगाए हजारों पेड़ों का विनाश निश्चित है इस क्षेत्र में बाल्मार्ग , आंगनबाड़ी पाठशालाएं , सामुदायिक भवन , दुग्ध व सब्जी संग्रह केन्द्र, पंचायत घर,डाकघर ,बैंक ,सहकारी सभा भवन व गोदाम ,बीज खाद्य केन्द्र पशु चिकित्सालय आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र सिंचाई के लिए

कुआं (टैंक) जल भंडारण,सिंचाई कूहलें तथा मानवीय गति के वेग समाप्त विलुप्त हो जाएंगे। अतः ग्राम पंचायत बागी के समस्त सीमा प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण का विरोध करते है। अतः इस प्रस्ताव की

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि उपमंडल दंडाधिकारी ग्रामीण शिमला तथा अध्यक्ष हि०प्र० सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई एम० एस० हिप्पा फेयरलॉन शिमला-12 कार्यकारी निदेशक हिमुडा शिमला-2, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैसर्ज सीवाटे एवं अधिमान्यार्ड श्री राजेश कुमार झा को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि सर्वेक्षण में इस अधिग्रहण विरोधक प्रस्ताव को सम्मिलित किया जाए तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अविलम्ब निरस्त किया जाए। इस अधिग्रहण के विरोध में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि स्वीक निर्माण मन्त्री श्री विक्रमादित्या सिंह, राजेश धर्माणी टाउन एवं कंट्री प्लानिंग मंत्री महोदय व माननीय मुख्य मंत्री हि०प्र० माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को भेज कर अनुरोध किया जाता है कि इस अधिग्रहण की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की कृपा करें। प्रस्ताव बहुमत से पारित किया गया है व सर्वसम्मत है।

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश।
2. माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश।
3. माननीय टाउन एवं कंट्री प्लानिंग हिमाचल प्रदेश।
4. माननीय लोक निर्माण मंत्री एवं विधायक शिमला ग्रामीण।
5. उप्प संडलिकारी हिमाचल प्रदेश।
6. अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई एम० एस० हिप्पा फेयरलॉन शिमला-12।
7. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैसर्ज सीवाटे एवं अधिमान्यार्ड नयी दिल्ली।
8. उपाध्यक्ष हिमुडा शिमला- 2।
9. समस्त संवाद दाता विभिन्न टीवी चैनल एवं समाचार पत्र हिमाचल प्रदेश।
10. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल सूचनार्थ।

बाद धन्यवाद अध्यक्ष महोदय द्वारा आज दिनांक 10-01-2026 की विशेष ग्राम सभा की कार्यवाई संम्पन्न की गई।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट -7

परियोजना से संबंधित समाचार पत्र की अंश-काट



जाठिया देवी टाउनशिप के विरोध में उतरे ग्रामीण, सर्वे कंपनी गो बैक के लगे नारे, कहा-

अपने आशियानों को उजाड़कर नहीं बसने देंगे नया शहर, स्वास्थ्य मंत्री का भी किया घेराव



हिमाचल भास्कर 30-12-2025

रविवार को एसडीएम ग्रामीण मनजीत शर्मा ने की जन सुनवाई, उमड़ी रही भीड़, जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास पर विवाद

शहर बसाने पर गांवों की ब्रेक, जाठिया देवी में माउंटेन सिटी पर संकट

9 गांव विरोध में, लोग बोले: खेती-मकान सब जा रहा, हम कैसे जीयेंगे

एसडीएम ने आपत्तियां रिकॉर्ड कीं, ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी

शिमला केसरी

8 गांव के लोगों ने जाठिया देवी पहुंचकर भूमि अधिग्रहण के विरोध में किया प्रदर्शन

गाठिया देवी टाऊनशिप को ग्रामीण नहीं देंगे जमीनें, एस.डी.एम. के समक्ष दर्ज करवाई आपत्तियां







शिमला : जाठिया देवी से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री के काफिले को रोककर ग्रामीणों के बारे में अवगत कराते हुए ग्रामीण। (भंडा)

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री का काफिला रोका

विरोध प्रदर्शन के दौरान जाठिया देवी से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का काफिला भी जाठिया देवी में रुका था। इस में लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर उन्हें भी अपनी स्थिति से अवगत कराया। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि वह मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तक पहुंचाया जाएगा।

पर्यावरण पर पड़ेगा असर, कटेंगे हजारों पेड़, खत्म हो जाएंगे प्राकृतिक पैयजल स्त्रोत

भूमि अधिग्रहण से पर्यावरण भी प्रभावित होगा। ग्रामीणों ने कहा कि कोई व्यक्ति सहित पुलाहोच इलियानी से भरा है। भूमि अधिग्रहण के बाद यहां हजारों पेड़ कटेंगे। वहीं प्राकृतिक जल स्त्रोत भी खत्म हो जाएंगे। वहीं यदि सरकार लोगों को कहीं सुरक्षा भी देती है तो वह अपना घरौंदा कैसे छोड़ सकता है। ऐसे में ग्रामीणों ने एकस्वर में कहा कि न तो उन्हें अपनी भूमि देनी है और न ही इस पर मुआवजा चाहिए।

टूट युवा ने भी जताया रोष, नहीं होने देंगे अधिग्रहण

जाठिया देवी में बन रही स्पेशल टाऊनशिप प्रोजेक्ट का टूट युवा कांग्रेस कमेटी ने भी कड़ा विरोध किया है। युवा कांग्रेस टूट कमेटी के महासचिव प्रमोद ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से ग्रामीणों का रोजगार जो प्राकृतिक संसाधन कृषि से चलता है वह खत्म हो जाएगा। ग्रामीणों की संस्कृति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस भूमि अधिग्रहण से ग्रामीण भूमिहीन हो जाएंगे, जिसका विरोध यहां का युवा वर्ग भी जोरों-शोरों से कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भूमि अधिग्रहण होता है तो युवा वर्ग एक बड़ा आंदोलन करेगा।

दैनिक भास्कर शिमला भास्कर 31-12-2025

जाठिया देवी में बन रहे माउंटेन टाउनशिप प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे: अमित ठाकुर

शिमला| जाठिया देवी में बन रहे माउंटेन टाउनशिप प्रोजेक्ट का विरोध किया जाएगा। यूथ कांग्रेस टूटू के महासचिव अमित ठाकुर का कहना है कि इस भूमि अधिग्रहण से ग्रामीणों का रोजगार जो एकमात्र संसाधन कृषि से चलता है, वो खत्म हो जाएगा ग्रामीणों की संस्कृति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अमित ठाकुर का कहना है कि इस भूमि अधिग्रहण से ग्रामीण भूमिहीन हो जाएंगे। जिसका विरोध वहां का युवा वर्ग भी जोरों शोरों से कर रहा है। उनका कहना है कि अगर यहां भूमि अधिग्रहण होता है और ग्रामीणों का पक्ष नहीं सुना जाता तो यहां का युवा वर्ग भविष्य में अपनी आवाज और विरोध डट कर प्रकट करेंगे। इस मुसीबत का सामना डट कर करेंगे और सभको साथ लेकर चलेंगे।



जाठिया देवी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ संघर्ष समिति गठित

संगठित रूप से आंदोलन तेज करने का निर्णय

जगर उजाला ब्यूरो

शिमलाग। जाठिया देवी क्षेत्र में प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के विरोध को लेकर ग्रामीणों ने एक संगठित मंच की आवाज़ बुलंद करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति का गठन किया है। समिति का गठन टाउनशिप के शिलान्यास स्थल पर ही विरोध की सरसराहट करने और ग्रामीणों की आवाज़ प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।

समिति की घोषणा से क्षेत्रवासियों की देख रेख को लेकर चुप्पी टूटी है। इसके अध्यक्ष सत्य कुमार ठाकुर उपाध्यक्ष, सहित सचिव सचिवों को सर्वसम्मति, कोषाध्यक्ष को सहित राम ठाकुर और तीन सदस्य कार्यकारिणी ठाकुर को चयनित किया। समिति आंदोलन की रणनीति और कार्यक्रम तय करेगी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि टाउनशिप परियोजना से उनकी पुश्तैनी जमीन, आजीविका और पर्यावरण को गंभीर खतरा है।

समिति का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण से भू-स्खलन, जल संकट और सांस्कृतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचे सकता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि परियोजना की लेकर अभी तक न तो सामाजिक की पूरी स्थलपति की है और न ही भू-अभिलेख, पुनर्वास जैसा रोजगार को लेकर कोई स्पष्ट नीति सामने रखी है। इस कारण संघर्ष समिति ने घोषणा की जानिबूझ की आशंकाएं और अनिश्चितताओं को जन्म दिया है।

टाउनशिप मामले पर विशेष ग्राम सभा 10 को

जाठिया देवी की पंचायत जाली में प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना को लेकर शनि तक विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। टाउनशिप के मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पहले की विरोध सामने आया है।

ग्राम सभा की घोषणा की गोपाल 10 जनवरी को दुपहर 1। बजे जाठिया देवी में विशेष ग्राम सभा होने जा रही है। ग्राम सभा को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहले विस्तृत रूपरेखा रिपोर्ट पर चर्चा होने की जाने जाए चुके हैं। विशेषज्ञों के विचार-विमर्श बाद में ही यह रोड जाएगा है।

मेहर रत्न समिति के प्रधान किए गए नियुक्त

सिरमौर की आगे बढ़ाने जब विभाग किया है। समिति गठित के प्रधान देव सत्य ने कहा कि प्रस्तावित टाउनशिप के हर पहलू पर व्यापक स्तरीय और ग्रामीणों के हितों की पूरी सुरक्षा की मांगपूर्ति की जाएगी। उन्होंने भाजपा किया कि यदि मांगों को अनदेखा किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

घनविहास को लेकर भी ग्रामीणों की चिंताएं जन्मी हुई हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बड़े स्तर पर निर्माण से भू-स्खलन, जल संकट और सांस्कृतिक संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा, टाउनशिप खुलने से क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर असर पड़ेगा।

कृषि योग्य जमीन हो जाएगी खत्म

प्रस्तावित टाउनशिप को लेकर ग्रामीण जानकारी मिलने से परियोजना के सामने सुरक्षाकर्मी आशंकाएं उत्पन्न पहले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए जिस भूमि का चयन किया है, वह क्षेत्र कास्त की खेती, बागवानी और पशुपालन पर आश्रित बना रही है। ऐसे में भूमि अधिग्रहण होने से सैकड़ों परिवारों की आजीविका खतरे में आएगी। ग्रामीणों ने यह भी आशंका व्यक्त की कि परियोजना को लेकर ग्रामीणों से पर्याप्त संवाद नहीं किया गया।



ह पर
वरोध

जातिवादियों में शहर बसाने को
जमीन देने से ग्रामीणों का इन्कार

राजधानी में वीकेंड पर बढ़ी
सैलानियों की चहल-पहल



भू-अधिग्रहण का किया विरोध, लोग बोले गरीबों को उजाड़ रइसों को बसाने की तैयारी

नई गांवों के लोगों ने बैठक कर सरकार पर लगाया बिना जानकारी प्रक्रिया शुरू करने का आरोप

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में दर्ज की जाएंगी सभी आपत्तियां

एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत कुमार शर्मा ने बताया कि टाउनशिप के 8 गांवों की जमीन का अधिग्रहण होना है। हिमुडा को यह काम सौंपा गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 की धारा-4 के तहत प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिग्रहण से पहले लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। लोगों ने अपनी आपत्तियों से अवगत करवाया है। इन्हें फाइनल रिपोर्ट में शामिल करने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं जाठिया देवी में बन रहे माउंटेन टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए पंचायत बागी के आठ गांवों की भूमि का अधिग्रहण का लोगों ने विरोध किया है। वृथ कांग्रेस के पदाधिकारी अमित ठाकुर ने कहा कि इस भूमि अधिग्रहण से ग्रामीणों का रोजगार खत्म हो जाएगा। लोग भूमिहीन हो जाएंगे। ग्रामीणों का पक्ष नहीं सुना तो इसका विरोध करेगा।

परिशिष्ट-8

परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक प्रभाव आंकलन, प्रभावित परिवारों के लिए अनुसूची

District: तहसील.....

Village.....

Demographic and Household Information

1. Name of the Respondent: _____
2. Mobile. No:
3. Age:_____
4. Gender: () Male () Female () Other
5. Household Size:
6. Number of Adults (18+):
7. Number of Children (<18): _____
8. Primary Occupation of Household Head: _
9. Secondary Occupations (if any): ___
10. Monthly Household Income (in INR): () <10,000 () 10,000–25,000 () 25,000– 50,000 () >50,000
11. Educational attainment of respondent:
() Illiterate () Primary (1–5) () Secondary (6–10) () Higher Secondary (11–12) () Graduate or above
12. Social Category: () General () Scheduled Caste (SC) () Scheduled Tribe (ST) () Other Backward Classes (OBC) () Other
13. Do you belong to any indigenous or tribal group specific to Himachal Pradesh? If yes, specify: _____
14. Residential Status: () Permanent Resident () Tenant () Other use ()
15. Type of House: Pucca house () Kaccha house ()
16. Electricity Connection YES() NO ()
17. Ration Card. APL () BPL()
18. Source of Drinking Water

(Water supply through pipe, Desi hand pump, India Mark, two hand pump, other)

19. Is there a separate kitchen in the house? Yes... No.....

If not, then where do you cook food-(In the courtyard, in the room, in the open, other)

20. Which fuel is used for cooking?
Lpg Gas, kerosene, wood, cow dung cakes, others

Land and Asset Ownership

21. Type of Land Affected by Acquisition: () Agricultural () Residential () Commercial () Forest () Other
22. Source of Irrigation : Canal, Government tube well, Private tube well/pump set, rented pump set, pond, well, other
23. कुल Land Owned (in bighas/ hectares/ kanaal): __
24. Extent of Land to be Acquired (in bighas/hectares): ____
25. Ownership Status: () Owned () Leased () Encroached () Other
26. Other Assets Affected (e.g., house, shop, trees, wells): _
27. Do you have legal documentation for the land/assets? () Yes () No If no, explain: __
28. Primary Use of the Land: () Farming () Horticulture (e.g., apple orchards) () Grazing () Residential () Other
29. Annual Income from Affected Land/Assets (in INR): __
30. Do you/family have any loan liability from any financial institution or money lender
Yes..... No.....

31. If yes, Describe
32. How far do your family members go for medical treatment?
..... km

33. Give details of the assets available with your family

Serial No.	Asset Name	Number Only

34. Why are you not willingly agreeing to sell the said land? Please tick (multiple answer)

1. There is no tradition in the family to sell ancestral land.....

2. The land is registered in the name of many people.....

3. Other shareholders of the land live outside.....

4. Land sale will increase family unemployment.....

5. The source of income will end.....

6. People will have to migrate from the village.....

7. The market value of the land is much higher than the current circle rate.....

8. The dispute regarding the land is pending in the court.....

9. Others.....

35. On what conditions is the land agreed to be sold? Please tick (multiple answer)

1. Compensation should be given at a rate higher than the circle rate.....

2. Land of equal quality and size to that acquired should be provided at some other place.....

3. Permanent employment should be provided under the project.....

4. Physical/financial assistance should be provided for starting alternative employment.....

5. Free technical training should be provided by a recognized institution.....

6. Priority should be given to provide license for starting licensed business.....

Livelihood and Economic Impact

36. How does the loss of land/assets affect your household's primary source of income? () Complete Loss () Partial Loss () No Impact

Explain: ___

37. Are there alternative income sources available to your household?

() Yes () No If yes, specify: .

38. Do you have access to skill development or training programs to support alternative livelihoods? () Yes () No

39. How will the project impact local employment opportunities for your household? () Positive () Negative () No Impact

Explain: ___

40. Are you dependent on local natural resources (e.g., forests, water sources) for livelihood? () Yes () No

41. If yes, how will the project affect this dependency? ___

Social and Cultural Impact

42. Does the land have any cultural or religious significance (e.g., sacred sites,

community spaces)? () Yes () No If yes, describe: __

43. Will the project disrupt access to community facilities (e.g., schools, temples, health centers)? () Yes () No If yes, specify: _____
44. How will the project affect social ties or community cohesion in your area? () Strengthen () Weaken () No Impact Explain: __
45. Are there any traditional practices (e.g., festivals, grazing patterns) that may be affected? () Yes () No If yes, describe: _____
46. Do you feel adequately consulted about the project and its impacts? Yes () No ()
 If no, what improvements are needed? _____

Resettlement and Rehabilitation Preferences

47. Are you willing to relocate if required? () Yes () No
 If yes, preferred location: ___
48. What type of compensation do you prefer? () Cash Compensation () Land-for-Land () Employment () Other Specify other: ___
49. Do you have access to information about the resettlement and rehabilitation (R&R) package? () Yes () No
50. What are your concerns regarding resettlement (e.g., housing quality, access to services)?_____

51. Are there specific needs for vulnerable groups in your household (e.g., elderly, disabled, women)? () Yes () No If yes, describe: _____

Environmental and Resource Impact

52. Will the project affect access to natural resources (e.g., water, forests, grazing land)? () Yes () No If yes, describe:

53. Are there environmental concerns (e.g., pollution, deforestation) due to the project? () Yes () If yes, specify:_____

Additional Comments

54. What are your primary concerns about the project?

55. What benefits do you expect from the project for your household/community?

56. Any additional suggestions for minimizing negative impacts or enhancing benefits?

Secondary Stakeholders

57. This section is for secondary stakeholders such as local businesses, community leaders, or neighbouring communities.

58. Role in the Community: () Business Owner () Community Leader () Neighbouring Resident () Other
59. How will the project impact your business or community role? () Positive () Negative () No Impact
60. Will the project affect local infrastructure or services you rely on (e.g., roads, markets)? () Yes () No
 If yes, describe: _____
61. Are there opportunities for your business/community to benefit from the project (e.g., contracts, employment)? () Yes () No
 If yes, specify: __
62. What mitigation measures would you suggest to address adverse impacts on secondary stakeholders? _____